एकादश माला, खंड 3, अंक 3

शुक्रवार, 12 जुलाई, 1996
21 आषाढ़, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

दिनांक 12 जुलाई, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
5	नीचे से 7	श्रीमती जयवंती नीवनचन्द्र मेहता	श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता
50	3	श्री नितीश कुमार	श्री नीतीश कुमार
130	3	(क) और (ग)	(क) से (ग)
	16	(क) और (ग)	(क) से (ग)
212	21	धनंतर्यो	धनंजय
206	नीचे से 13	अपराह्न 11.21 बजे	अपराह्न 1.21 बजे
224	5	वक्तव्य	विवरण
229	20	पर	एक

सम्पादक मण्डल

श्री सुरेन्द्र मिश्र
महासंचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 3, शुक्रवार, 12 जुलाई, 1996/21 आषाढ़, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	41 से 43	1—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	44 से 60	24—38
अतारांकित प्रश्न संख्या	307, 308, 310 से 314	
	316 से 384, 386 से 389 और 391 से 432	38—175
सभा पटल पर रखे गए पत्र		177—180
सभा का कार्य		186—189
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत		189—191
कार्य मंत्रणा समिति		
पहला प्रतिवेदन		191
उपाध्यक्ष का निर्वाचन		192—194
उपाध्यक्ष को बधाइयां		194—206
श्री राम विलास पासवान		194—195
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		196
श्री संतोष मोहन देव		196—197
श्री बसुदेव आचार्य		197
श्री मधुकर सर्पोतदार		197—198
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला		198—199
श्री जार्ज फर्नान्डीज		199
श्री प्रमथेस मुखर्जी		199
श्रीमती गीता मुखर्जी		199—200
श्री चित्त बसु		200
श्री जी.जी. स्वैल		200—201
श्री ई. अहमद		201
श्री जय प्रकाश		201—202
श्री पी.सी. थामस		202—203
डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा		203
श्री हरभजन लाखा		203
श्री एस.बंगरप्पा		204
श्री तिरूची शिवा		204—205
श्रीमती सुषमा स्वराज		224—225

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
मंत्री का परिचय	206
अनुदानों की अतिरिक्त मांगे (सामान्य)	207
कावेरी जल विवाद	208—216
विधेयक – पुरःस्थापित	
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) ओदश (संशोधन) विधेयक, 1996	216—224
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के बारे में विवरण—**सभा पटल पर रखा गया**	224
बेरोजगारी के बारे में गैर–सरकारी सदस्यों का संकल्प	229—270
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	229—233
श्री पी.आर. दासमुंशी	233—238
श्री नीतीश कुमार	239—246
श्री पी. नामग्याल	246—248
श्री अजय चक्रवर्ती	248—250
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	250—256
प्रो. रासा सिंह रावत	256—262
श्री सुरेन्द्र यादव	262—266
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	266—270
जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प—**स्वीकृत**	225—228, 270—297
श्री चमन लाल गुप्त	225—228, 270—275
श्री प्रमथेस मुखर्जी	275—278
श्री मधुकर सर्पोतदार	278—284
श्री ई. अहमद	284—288
श्री जेवियर अराकल	288—291
श्री एच.डी. देवेगौडा	291—296
लोक सभा के महासचिव की नियुक्ति के बारे में घोषणा	297—298

लोक सभा

शुक्रवार, 12 जुलाई, 1996/21, आषाढ़, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई

+

*41. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
डा. सत्य नारायण जटिया :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में निर्माण किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कितनी है और इस कार्य पर कितना खर्च हुआ है;

(ख) क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्ग काफी कम हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन राज्यों में और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जनवरी, 1996 में केवल 240 कि.मी. लम्बे राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में शामिल किया गया है। चूंकि यह सड़क पहले ही राज्यीय राजमार्ग थी, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के पश्चात् इस पर कोई खर्च नहीं आया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेन्द्र कुमार : महोदय, मैं अध्यक्ष पीठ का ध्यान उत्तर की ओर आकर्षित कर रहा हूं। कृपया प्रश्न और उत्तर को पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : यह उस सदस्य का अधिकार है जिसने प्रश्न पूछा है।

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)*...

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से घोर असंतुष्ट हूं। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई अन्य राज्यों से अधिक हैं। इनको मेंटेन करने के लिए जितनी राजस्थान सरकार द्वारा रकम मांगी जाती है, उससे आधी रकम राज्य सरकार को दी जाती है, जबकि छोटे राज्यों को ज्यादा रकम दी जाती है। 1994-95 में राज्य सरकार ने 47.26 करोड़ रुपए मांगे थे, आपने केवल 22 करोड़ रुपए दिए हैं। इससे हम राष्ट्रीय राजमार्गों को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही 1994 के जो दस और नए कार्यक्रम हैं, जिनको भारत सरकार ने स्वीकृत किया है, उन पर भी एक पैसा खर्च नहीं हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई अन्य राज्यों से सबसे अधिक है? मेरा दूसरा प्रश्न है - जयपुर से दिल्ली तक फोर लेन के निर्माण की राशि को भी इस राशि में जोड़ दिया गया है, क्या यह सही है?

[अनुवाद]

श्री टी.जी. वेंकटरामन : महोदय, विद्वान सदस्य ने लम्बाई और अन्य बातों के बारे में पूछा है। राजस्थान में यह लम्बाई 2931 कि. मी. है; मध्य प्रदेश में यह 2946 किमी. है; तमिलनाडु में 1896 किमी. तथा बिहार में यह 2237 किमी. है। अतः राज्यों के बीच तुलना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जहां तक मंजूर किए गए कार्यक्रमों की अव्यवहार्यता का संबंध है, वित्त विभाग ने बहुत ही कम बजट दिया है अतएव हम उन्हें लागू नहीं कर पाये।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं राजस्थान के बारे में पूछ रहा हूं। राष्ट्रीय राजमार्गों को मेंटेन करने के लिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से जितनी राशि मांगी हैं, उससे आधी राशि भी नही दी जाती है। आप जब दिल्ली से जयपुर में पधारेंगे और जब राजस्थान की सीमा प्रारम्भ होती है, तो गाड़ी खड़खड़ करनी शुरू हो जाती है और इससे राजस्थान सरकार की बदनामी प्रारम्भ होती है। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि राजस्थान सरकार जितनी रकम मांगे, उतनी रकम भारत सरकार को देनी चाहिए। यह रकम नहीं दी जा रही है। इसलिए आपको थोड़ा प्रताड़ना चाहिए। वैसे मैं राजस्थान में आपकी जय-जयकार करवाने वाला हूं। अध्यक्ष जी, आप मेरी मदद कीजिएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास राजस्थान के बारे में विशिष्ट सूचना है?

श्री टी.जी. वेंकटरामन : महोदय, यह हमारे खर्च करने का प्रश्न नहीं है। सरकार को कुछ और धनराशि चाहिए लेकिन वित्त विभाग

कुछ और धनराशि दे रहा है। वित्त विभाग जो भी राशि देता है हम केवल उतना ही खर्च कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि हमें और अधिक धनराशि दी जाय जैसाकि विद्वान सदस्य का कहना है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान के 5 मार्गों को नेशनल हाईवे करने के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हैं? उनको आप कब तक स्वीकृति देने जा रहे हैं? दूसरी बात यह है जा चर्चा वर्षों से सुनने में आ रही है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो एक्सीडेंट होते हैं वहां ट्रक पड़े रहते हैं, बसें पड़ी रहती हैं, उनके लिए आप 20-20 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रैफिक पुलिस की चौकी, एक एम्बुलेंस की गाड़ी और एक क्रेन की व्यवस्था, जो उन ट्रकों और बसों को उठा लाए, जिससे कि ट्रेफिक जाम न हो, की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आप एक टेलीफोन की व्यवस्था कर दें, चाहे पीसीओ हो जाए, इसकी व्यवस्था आप कर दें। यह एक अच्छा सुझाव है। अगर आप इसको मान लेंगे तो थोड़े दिन के लिए यह जो सरकार मेरे सामने बैठी है उसकी जय-जयकार हो जाएगी, वरना आप चले जाएंगे और आपके मन में बात रह जाएगी और मैं भी आपको कोसता रह जाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री टी.जी. वेंकटरामन : महोदय, माननीय सदस्य एक प्रश्न पृथकरूप से पूछ सकते हैं। वह दूसरे आधार पर प्रश्न कर रहे हैं। मैं चाहता हूं क इस संबंध में अलग से प्रश्न पूछा जाय।...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, यह कोई उत्तर नहीं है। माननीय मंत्री जी, मेरा एक अच्छा नीति संबंधी प्रश्न था, राजस्थान के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं।...(**व्यवधान**) हमको नहीं दे रहे हैं, छोटे-छोटे राज्यों को दे रहे हैं।

डा. सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, सड़कों के बारे में सरकार का ध्यान नहीं है और केन्द्र सड़कों के रख-रखाव के बारे में बिलकुल ध्यान नहीं देती है। इस कारण से हर साल देश का 900 करोड़ रुपया सड़क मार्ग पर चलने के लिए, उनकी मेनटेनस के लिए खर्च हो जाता है और यह खर्चा हमारे देश के खाते पर ही आता है। उसका भार महंगाई के रूप में हमारे सामने आता है। सड़कों के रख-रखाव के बारे में अभी तक आपने कोई नयी सड़कें बनाई हो, ऐसा तो नहीं है। आपने जो बताया है कि हमने 240 किलोमीटर की सड़क को घोषित कर दिया है पर नयी सड़क निर्माण करने का काम नहीं किया है। अब जब राज्यों को सड़क के रख-रखाव का काम करना पड़ता है, जब राज्य सरकारें पैसा मांगती हैं तो आप देते नहीं हैं। ऐसी हालत में उन सड़कों के रख-रखाव के बारे में, मेनटीनेंस के बारे में यदि केन्द्र सरकार चिन्ता नहीं करेगी, उनको धन नहीं देगी तो उसका उपाय करने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ने 30 करोड़ रुपया इसके लिए मांगा हुआ है, उन्होंने जो रुपया मांगा है क्या वह आपने दिया है? यदि नहीं दिया तो फिर सड़कों का क्या होने वाला है? क्या आपने इसके बारे में कोई विस्तार से नीति बनाई हुई है?

[अनुवाद]

श्री टी.जी. वेंकटरामन : महोदय, मेरे मित्र द्वारा उठाए गए प्रश्नों के विस्तृत उत्तर के रूप में मैं चाहता हूं कि उन्हें कुछ ऐसे उत्तर दूं जिससे उनका भ्रम दूर हो जाय।

देश में राष्ट्रीय राज मार्गों के विकास की घोर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धन के अभाव सहित अन्य कमियों को दूर करने के लिए आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु, राष्ट्रीय राज मार्गों के लिए 7,730 करोड़ रु. की तुरन्त आवश्यकता है। लेकिन योजना आयोग ने इस धनराशि में महत्वपूर्ण कटौती करके केवल 2,260 करोड़ रु. की मामूली राशि आबंटित की जिसे बाद में बढ़ाकर केवल 3,100 करोड़ रु. किया गया ताकि उस दौरान हुई मुद्रा स्फीति की भरपाई की जा सके और राष्ट्रीय राज मार्गों के विकास के लिए यह धनराशि नियत की गई। योजना आयोग द्वारा किया गया आबंटन मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे कार्यों के लिए पर्याप्त नहीं है।

अब मैं प्रति वर्ष किए गए आबंटनों को पढ़ूंगा? 1992-93 में 677 करोड़ रु. की मांग की गई थी लेकिन केवल 433 करोड़ रु. की ही आबंटन किया गया था। 1993-94 में 655 करोड़ मांगे गए थे लेकिन कुल 565 करोड़ रु. ही दिये गए। वर्ष 1994-95 में 1120 करोड़ रु. की मांग की गई लेकिन दिए गए केवल 633 करोड़ रु. और 1995-96 में 1358 करोड़ मांगे गए लेकिन आबंटन सिर्फ 1138 करोड़ रु. का किया गया।...(**व्यवधान**)

डा. सत्य नारायण जटिया : हम इससे कैसे संबंधित हैं?

श्री टी.जी. वेंकटरामन : कृपया मेरी बात सुनिए।...(**व्यवधान**) हम आवश्यक धनराशि की मांग करते रहे हैं। लेकिन आबंटन बहुत मामूली हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री जी की बातों को सुनिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें सुनिए। आप प्रश्न का उत्तर चाहते हैं लेकिन आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। यह सब क्या है?

श्री टी.जी. वेंकटरामन : महोदय, मैंने पहले ही वर्षवार ब्यौरे इसलिए दिए हैं क्योंकि हमें कतिपय धनराशियां चाहिए लेकिन आबंटित की गई धनराशियां काफी मामूली हैं। मैं और धनराशि की मांग करूंगा। मैं उतना ही कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह और धन की मांग करेंगे। मंत्री महोदय और क्या कर सकते हैं? वित्त मंत्री हंसते हुए इसे स्वीकार कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आंध्र प्रदेश देश का एक बहुत बड़ा राज्य है जिसका सपना औद्योगिकरण के जरिए और अधिक समृद्धि सम्पन्नता हासिल करना है और औद्योगिक प्रगति प्राप्त करने के लिए हमें अच्छी से अच्छी सड़कें चाहिए। लेकिन, दुर्भाग्य से, सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। वास्तव में 1992 में, हमारी राज्य सरकार ने 4,000 किमी. लम्बे राष्ट्रीय राज मार्गों का काम शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था लेकिन अभी तक केवल 3,062 किमी. की ही मंजूरी दी गई है...**(व्यवधान)**

श्री रमेन्द्र कुमार : महोदय, संबंधित सदस्य आंध्र प्रदेश के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। आंध्र प्रदेश का नाम मुख्य प्रश्न में नही है। अतः उन्हें आन्ध्र प्रदेश राज्य के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नही दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, बिहार को पिछले कई वर्षो से कुछ नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैं राज्य के आकार पर निर्धारित मानदण्डों के आधर पर राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किए जाने के बारे में जानना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का संबंध विशिष्ट रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार से है। यदि माननीय मंत्री जी के पास कोई जानकारी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का संबंध आंध्र प्रदेश से नहीं हैं

(व्यवधान)

श्री शरद पवार : पहला प्रश्न देश में राष्ट्रीय राज मार्गों की लंबाई से संबंधित है। अतः इसका संबंध देश से है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, प्रश्न का संबंध देश में राष्ट्रीय राज मार्गों की लंबाई से है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री के पास जानकारी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन में व्यवस्था होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नीवनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष जी, यहां भी देखिए।

अध्यक्ष महोदय : जरूर देखूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा। आप इस तरह की हड़बड़ी क्यों मचा रहे हैं? आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते है तो कृपया शांति रखिए। इस तरह खड़े होने से मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा। अनुपूरक प्रश्नों को पूछने की अनुमति देने का मानदण्ड हाथ खड़े करना है और मैं इसे देखता हूं। यदि आप खड़े होकर कहते हैं तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह पूरे देश में राष्ट्रीय राज मार्गों के निर्माण के लिए धन के आबंटन को उच्च प्राथमिकता दें। यदि हम गरीबी दूर करना चाहते हैं तो हमें बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करना होगा। लेकिन जब तक हमारे पास एक्सप्रेस सड़क मार्ग के माध्यम से बढ़िया परिवहन प्रणाली नहीं होगी, हम इसे प्राप्त करने का सपना नहीं देख सकते।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है? आप केवल सुझाव दे रहे हैं।

(व्यवधान)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को वित्त मंत्रालय से पर्याप्त धनराशि नहीं मिल रही है जिससे कि एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से भी ऋण प्राप्त करने के लिए समतुल्य अनुदान भी दिया जा सके।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप समझते हैं तो आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? कृपया अब अपना प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : अतएवं, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह क्या कदम उठा रहे हैं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि धन उपलबध नहीं है। हमारे वित्त मंत्री जी बहुत ही ओजस्वी तथा साहसिक प्रकृति के हैं जो देश में राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण के लिए हमेशा आवश्यक धन मुहैया करा सकते हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछ चुके हैं। बहुत हो चुका।

(व्यवधान)

श्री टी.जी. वेंकटरामन : प्रश्न का संबंध आंन्ध्र प्रदेश से नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपके पास जानकारी है तो आप उन्हें दे सकते हैं। अन्यथा आप उन्हें यह जानकारी बाद में भी दे सकते हैं।

श्री टी.जी. वेंकटरामन : चूंकि मुख्य प्रश्न का संबंध केवल तीन राज्यों से है अतः मैंने केवल उन्हीं के बारे में जानकारी एकत्र की है। मैं उस प्रश्न के लिए सूचना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उत्तर दे दीजिएगा।

श्री टी.जी. वेंकटरामन : जी, महोदय।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष जी, यह जो सवाल था जिसमें बिहार का भी जिक्र है, इसके उत्तर में कहीं भी बिहार के बारे में नहीं

बताया गया है। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। और जो वहां सड़के हैं, उनके रख-रखाव के लिए विशेष आबंटन कर सड़कों को ठीक नहीं कराया गया है। यह बिहार के साथ उपेक्षा होती रही है। मैं अपने सवाल के खंड 'क' में यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह बतायें कि बिहार ने पिछली पंचवर्षीय योजना में 5-7 सड़कों को राजमार्ग का दर्जा देने के लिए अनुशंसा करके भेजा था जिसमें तीसरे नम्बर पर पटना, मुजफ्फरपुर, सोनवर्षा और भिठामोर सड़के हैं, क्या वह उन प्रस्तावों पर विचार करके तत्काल फैसला लेने वाले हैं और बिहार सरकार की प्रस्तावों के जरिये सड़कों की जो मांग आई है, क्या उनको राजमार्ग घोषित करने वाले हैं? मैं अपने सवाल के खंड 'ख' में यह जानना चाहता हूं कि बिहार की जितनी भी राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें हैं, उनके रख-रखाव पर अतिरिक्त आबंटन करके बिहार के सभी राजमार्गों का अच्छी तरह से पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं। मैं बिहार की उपेक्षा के सम्बन्ध में भी आपका निर्देश चाहता हूं। माननीय मंत्री जी बिहार की उपेक्षा को कबूल करें। यही कहते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री टी.जी. वेंकटरामन : महोदय, सरकार द्वारा उपेक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं है। बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग 2,237 किलोमीटर है। ...(व्यवधान) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियां प्रथम योजना के कुल 1.6 प्रतिशत से आठवीं योजना में 0.6 प्रतिशत कर दी गई है। इन हालातों में वित्तीय संकट आ गया है। मैं बिहार के लिए भी आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने कुछ सड़कों के बारे में अनुशंसा करके केन्द्र सरकार के पास भेजी है। इसके बारे में माननीय मंत्री जी का कोई उत्तर नहीं आया है। मैं इसपर आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी यह बतायें कि क्या बिहार में कोई नया राजमार्ग बनने वाला है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, इसको देखेंगे।

श्री टी.जी. वेंकटरामन : हां श्रीमान।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ मूल समस्या संसाधनों की कमी है। विभिन्न राज्यों से मांग अधिक है और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को दिया जा रहा धन बहुत कम है। मैं जान एफ. कैनेडी की एक पंक्ति का स्मरण कराना चाहता हूं तथा उसके बाद मैं एक संक्षिप्त प्रश्न पूछूंगा। एक बार उन्होंने कहा था कि 'अमेरीका के पास अच्छी सड़कें इसलिए नहीं हैं कि वह अमीर है; वह अमीर इसलिए है कि उसके पास अच्छी सड़कें हैं।'

यह अति उपेक्षित मंत्रालय है। मैं आपका ध्यान इस संसद द्वारा 13 मई, 1988 को एकमत से पारित किए गए संकल्प की ओर दिलाना चाहता हूं। 13 मई, 1988 को हमारी संसद ने एक संकल्प पारित किया था जिसनें केन्द्रीय सड़क निधि के लिए पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर पांच प्रतिशत उपकर निर्धारित किया गया था। पिछले छह वर्षों में हमने पांच सरकारें देखी है तथा किसी भी सरकार मे इस संकल्प पर अमल नहीं किया है...(व्यवधान)

श्री पी.एम. सईद : इसमें आपकी सरकार भी शामिल है।

श्री प्रमोद महाजन : मेरी सरकार केवल 13 दिन के लिए थी ...(व्यवधान)

श्री पी.एम. सईद : आपने मध्याह्न भोजन के समय निर्णय लिए।...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : हमने एक निर्णय मध्याह्न भोजन के समय किया था और आप हमेशा, प्रतिदिन मुझे याद दिलाते हैं।

[हिन्दी]

मैंने तो भूखे पेट किया है और इन्होंने खाकर किया है।

[अनुवाद]

महोदय, यह भारतीय संसद की अवमानना है कि इस लोक सभा ने आठ वर्ष पहले जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के लिए पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर पांच प्रतिशत की मांग करते हुए एकमत होकर एक संकल्प पारित किया था तथा इसे नहीं किया गया है। जब तक हम यह राशि नहीं देते, सभी राज्य झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन कोई सरकार अथवा मंत्री उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में 500 किलोमीटर भी नहीं दे सकेगा।

अतः मैं वित्तमंत्री और सम्पूर्ण सरकार से अनुरोध कर रहा हूं। वे यह नहीं कह सकते : "मैं जल-भूतल परिवहन मंत्री हूं और मेरा वित्त मंत्री से कोई लेना देना नहीं है।"

श्री टी.जी. वेंकटरामन : मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं सरकार के नाते उनसे पूछ रहा हूं कि केन्द्रीय सड़क निधि को पर्याप्त धन देने हेतु संसद के इस संकल्प को वे क्रियान्वित करने जा रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री टी.जी. वेंकटरामन : महोदय, मैं अपने विपक्ष के विद्वान मित्र द्वारा दिए गए सुझाव से काफी सहमत हूं। मैं भी उसके लिए प्रयास करता रहा हूं लेकिन मुझे कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं वित्त मंत्री को उस पर सहमत कर लूंगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, यह संसद द्वारा पारित किया गया बहुत महत्वपूर्ण संकल्प हैं, यदि ऐसी प्रतिक्रिया होगी तो उठाए गए सभी प्रश्न असंगत हो जाएंगे। आप केवल कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन किसी को तो स्थिति सुधारनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से श्री प्रमोद महाजन ने बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया है मुझे इस सभा में इस संकल्प के एकमत से पारित होने की घटना भी याद है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उस संकल्प का क्या हुआ। सरकार को बताना चाहिए कि उसपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वे संकल्प का क्या कर रहे हैं? तत्पश्चात मैं इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा क्योंकि यह बहुत महत्वपर्ण है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसका उत्तर जानने के लिए आपकों सभी भूतपूर्व वित्त मंत्रियों से पूछना पड़ेगा।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का पुनरूद्धार

+

*42 **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री सौम्य रंजन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रमों को रुग्ण घोषित किया गया है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन इकाइयों का पुनरूद्धार करने के लिए कार्यवाही शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कुछ संसद सदस्यों की ओर से कोई ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) औद्योगिक एंव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि दिनांक 30.6.1996 कि स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 60 रुग्ण उपक्रम उसके पास पंजीकृत थे। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की स्थिति अनुबंध-I में दी गई है। इन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की राज्य-वार स्थिति अनुबंध-II में दर्शाई गई है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग उपक्रमों के संबंध में कार्रवाई केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों द्वारा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से परामर्श करके की जाती है। सरकार ने एक मंत्री दल गठित किया है, जो मंत्रिमण्डल सचिवालय की सहायता से पुनरूद्धार पैकेजों के संबंध में सरकार के पक्ष को बाइफर के सामने रखेगा।

(घ) बाइफर के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए समेकित पुनरूद्धार पैकेजों संबंध में संसद सदस्यों से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध-I

दिनांक 30.06.1996 की स्थिति के अनुसार बाइफर में पंजीकृत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों (सीपीएसयू) की स्थिति

		केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम
1.	पंजीकृत सन्दर्भ	60
2.	रख-रखाव योग्य न होने के कारण रद्द	3
3.	स्वीकृत पुनरूद्धार योजनाएं	13
4.	जिनके संबंध में संबंधित उच्च न्यायालयों को बन्द करने की सिफारिश की गई थी	6
5.	परिचालित मसौदा पुनरूद्धार योजनाएं	11
6.	बन्द करने के लिए नोटिस जारी किए गये	6
7.	जांच की जा रही है	13
8.	योजनाएं जो असफल हुई और पुनः आरम्भ की गई	1
9.	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण (एसआईएफआर) द्वारा वापस भेजे गए मामले	1
10.	न्यायालयों द्वारा दिए गए रोक आदेश	5
11.	जिन्हें अब रूग्ण घोषित नहीं किया गया है	1

अनुबंध-II

दिनांक 30.06.1996 की स्थिति के अनुसार बाइफर में पंजीकृत केन्द्रीय सरकारी रूग्ण उपक्रमों के राज्य वार ब्यौरे

राज्य	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	2
असम	1
बिहार	7
गुजरात	1

1	2
हरियाणा	1
कर्नाटक	4
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	5
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1
नागालैंड	1
उड़ीसा	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	11
पश्चिम बंगाल	20
योग	60

श्री बसुदेव आचार्य : औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत 60 मामलों में से केवल 13 में बी.आई.एफ.आर. ने पुनरूद्धार की स्वीकृति दी है। इन 13 मामलों में से ऐसे कई मामले हैं जहां बी.आई.एफ.आर. ने पुनरूद्धार योजना को स्वीकृति दी है तथा इसके बावजूद मंत्रियों के दल ने इसे अस्वीकार कर दिया जिसको अन्ततः सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को पुनरूद्धार की स्वीकृति देनी थी। इसके अलावा वित्तीय संस्थान भी बी.आई.एफ.आर. के निदेशों का पालन करने में असमर्थ रहे।

क्या मैं वित्त मंत्री से जान सकता हूं कि क्या कोई तंत्र तैयार किया जाएगा ताकि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा स्वीकृत पुनरूद्धार योजना को बिना किसी देरी के क्रियान्वित किया जा सके?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि एम.ए.एम.सी. साईकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन, रारोल बर्न, वी.पी.ई. एम.इल आदि जैसी कंपनियों के मामले में जहां सरकार की ओर से प्रोत्साहक के रूप में कार्य करने पर सहमति प्राप्त नहीं हुई को बी. आई.एफ.आर. द्वारा बंद करने की सूचना दी गई है- क्या सरकार यह आश्वस्त करेगी कि इन कंपनियों के पुनरूद्धार हेतु उपायों को अंतिम रूप देने के लिए व्यापार संघों तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श से दर मामले की अलग अलग पुनरीक्षा की जाएगी।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 60 मामलों में, जहां बी.आई.एफ.आर. द्वारा उल्लेख किया गया है, यह सत्य है कि 13 मामलों में पुनरूद्धार योजना को अनुमोदन तथा स्वीकृति दी गई है। लेकिन इन 60 मामलों में अन्य मामले हैं जहां बी.आई.एफ.आर अधिनियम, एम.आई.सी.ए. अधिनियम के अंतर्गत अन्य चरण पर प्रगति हुई है।

मैं माननीय सदस्य से असहमत हूं जब वे कहते हैं कि हमने पूंजी के पुनगर्ठन के बारे में निर्णय नहीं लिए हैं। वास्तव में, मेरे पास 27 कंपनियों की सूची है जिसे सरकार ने मंत्रियों के दल के माध्यम से पूंजी पुनगर्ठन प्रस्तावों का अनुमोदन किया है।

इन 27 प्रस्तावों में 5,809.94 करोड़ रुपये बट्टे खाते डाल दिए गए, 6,662.19 करोड़ रुपये के ऋण का इक्विटि में परिवर्तन किया गया तथा 2,895.95 करोड़ रुपये नकद का घाटा हुआ इसलिए 27 पूंजी पुनर्गठन प्रस्ताव है जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा यह संबंधित मंत्रालय का कार्य है कि पूंजी पुनर्गठन के लिए कदम उठाए।

महोदय, मेरे माननीय विद्वान मित्र ने नाम लेकर एक या दो कंपनियों का हवाला दिया है। अब मैं यह पता लगाने के लिए सूची देख सकता हूं कि क्या वे दो नाम जिनका उन्होंने उल्लेख किया है वे उन 27 में से है तथा उन्हें सूचना दे सकता है लेकिन मैं उनसे संबंधित मंत्रालय को अलग प्रश्न करने का आग्रह करता हूं कि वह पूंजी पूनर्गठन प्रस्तावों की प्रगति देखें। हमने 27 पूंजी पुनर्गठन प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मकारों ओर कर्मचारियों के सामने आ रही अन्य समस्या जो बी. आई.एफ.आर. को बताई गई है, वह यह है कि उनको सेवानिवृत्ति उपरान्त लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। चूंकि कुछ उपक्रमों को बी.आई. एफ.आर. को भेजा गया है, कर्मकारों और कर्मचारियों को भविष्य निधि और ग्रेच्यूटि जैसे अपने सांविधिक सेवानिवृति उपरान्त बकाया को लेने के लिए दो से चार वर्ष तक का इन्तजार करना होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे सभा को आश्वासन देंगे कि भविष्य निधि और ग्रेच्यूटि जैसे सेवानिवृत्ति उपरान्त सांविधिक बकाया कर्मकारों और कमचारियों को तुरंत दिए जाए और यदि आवश्यक हो तो इस उद्देश्य हेतु विशेष धन आबंटित करे।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मुझे मालूम है एक या दो कंपनियों ने बकाया इतने अधिक मैं, श्रमिकों को सेवानिवृत्ति उपरान्त लाभ नहीं दिए गए हैं। ऐसा कंपनियों के रुग्ण होने के कारण हुआ। ऐसा इसलिए हुआकि उन्हें भविष्य निधि में जो अंशदान देना चाहिए था वह नहीं दिया गया। वास्तव में माननीय सदस्य श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने अभी ऐसी एक कंपनी का मामला मेरे ध्यान में लाया है। मैं श्रमिकों की दशा से सहानुभूति रखता हूं तथा मैं प्रशासनिक मंत्रालय जिसके माध्यम से कम से कम श्रमिकों को सेवानिवृत्ति उपरान्त लाभ दिए जा सकेंगे, के माध्यम से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। कुछ रुग्न औद्योगिक इकाईयों के कर्मचारियों का वर्तमान मजदूरी की दर प्रदान करने के लिए हम उन्हें गैर योजनागत निधियों से पैसा दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि इसमें अवकाश प्राप्त होने के बाद के लाभ सम्मिलित है या नहीं। परन्तु मैं मामले की पूरी जांच करूंगा और अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मजदूरों की जिन्दगी जो कि बहुत हद तक काफी कठिन होती है उसमें उन्हें कुछ हद तक उनकी देखभाल की जा सके।

श्री सौम्य रंजन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का भाषण सुनने में तो बहुत प्रभावशाली प्रतीत होता है। 60 रुग्न ईकाइयों में से 13 को पुनः चालू करने के मामलों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मंत्री जी ने अभी-अभी सदन को सूचित किया है कि 14 और ऐसे मामले विचाराधीन हैं अतः कुल मिलाकर यह 27 हो गए। यह अच्छा लक्ष्य है। परन्तु साथ ही 30 जून 1996 की स्थिति के अनुसार सभी मामलों की अद्यतन स्थिति का ज्ञान होना भी आवश्यक है। श्री आचार्य की चिन्ता और मंत्री जी की सहानुभूति तो सर्वज्ञात विख्यात है। परन्तु यदि प्रत्येक मामले को स्वीकृति मिलने में चार से पांच वर्ष का समय लगे तो इससे तो अच्छा है कि मामलों को वहीं छोड़ दें।

मैं जानना चाहूंगा कि जिन 13 मामलों में औद्योगिक इकाईयों को पुनः चालू करने की सिफारिश की गई उनको स्वीकृति मिलने में कितना समय लगा है। बी.आई.एफ.आर. को यह निर्णय लेने में समय लगा कि इन रुग्न इकाईयों को पुनः चालू किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी आश्चर्यजनक है कि 17 इकाईयों को बन्द करने की सिफारिश भी की गई है यदि उन्हें 13 ईकाइयों को पुनः चालू करने का श्रेय मिलना चाहिए तो उन्हें 12 ईकाईयों को बन्द करने का उत्तरदायित्व भी वहन करना चाहिए। इन बन्द की जा रही इकाइयों में कार्यरत मजदूरों का क्या होगा? जबक हम इस समय भविष्य निधि भत्ते और अन्य भत्ते भी अदा करने की स्थिति में नहीं हैं। एक बार इकाइयों को बन्द करने की सिफारिश करके, सभी उन्हें भूल जाते हैं और उनके विषय में कुछ नहीं सोचते।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं 60 मामलों का ब्यौरा दे सकता हूं। तीन इकाइयों को चालू रहने की स्थिति में न होने की संज्ञा देकर दबा दिया गया, 13 मामलों में इकाइयों को पुनःचालू करने की सिफारिश की गई, 11 मामलों के बारे में पुर्नजीवन स्कीमें परिचालित की गई, 6 मामलों में सम्बन्धित उच्च न्यायालयों में उन्हें बन्द करने की सिफारिश की गई, 13 मामलों की जांच की जा रही है एक मामले में स्कीम फेल हो गई और पुनः शुरू की गई एक मामला बी.आई. एफ.आर. के पास लम्बित है, पांच मामलों में अदालतों ने 'यथा-स्थिति' आदेश जारी किए हैं और एक मामले में औद्योगिक इकाई की 'अब रुग्ण नही है' का प्रमाण पत्र दिया गया है।

इन सभी मामलों के लम्बित होने का दिनांक वार ब्यौरा देना मेरे लिए सम्भव नहीं है इस बारे में मुझे और सूचना एकत्र करनी होगी।

इन मामलों का निर्णय लेने में होने वाले विलम्ब के बारे में, मेरा कहना यह है कि हम बी.आई.एफ.आर. की संरचना से संतुष्ट नहीं हैं। इसी कारण हमारा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कामन मिनिमम प्रोग्राम के अन्तर्गत औद्योगिक रुग्नता के सम्बंध में एक नया विधेयक प्रस्तुत करने का ऐलान किया है हम इस पर पुर्नविचार करेंगे और बी.आई. एफ.आर. की पुन सरंचना करेंगे। परन्तु बी.आई.एफ.आर. ने मुझे सूचित किया है और उनके पक्ष में यह सभा को सूचित करना मेरा कर्त्तव्य है कि वर्ष 1987 से वर्ष 1988 में सुनवाईयों की औसत संख्या में 200 की वृद्धि हुई है। वर्ष 1995 में कुल 1562 सुनवाईयां हुई। अतः औसतन मामलों का निपटान करने में लगने वाली समयावधि कम ही हुई है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा कुल निपटाए गए मामलों की संख्या 30 जून 1996 तक 1430 थी। मैं माननीय सदस्यों के साथ मामलों के निपटान में होने वाले विलम्ब के लिए समान रूप से चिन्तातुर हूं और मुझे आशा है कि हम जो नया विधेयक पेश करेंगे, इन समस्याओं के निपटान में पर्याप्त रूप से सहायक होगा।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष जी, अनेक रुग्ण उद्योगों का, प्रौफिट में चलने वाले समान कार्य के उद्योगों में विलीनीकरण किया गया है। कोटा स्थित इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो कि 5 साल पूर्व तक सेफ उद्योगो में था, दुर्भाग्य से अब रुग्ण उद्योगों में शामिल हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस उद्योग को प्रौफिट में चलने वाले पालघाट उद्योग में मर्ज करने के संबंध में सरकार कोई विचार रखती है ताकि उसे फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। यदि हां, तो क्या यह सही है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने इस दृष्टि से ऐसी कोई टिप्पणी दी है कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को पालघाट उद्योग में मर्ज कर दिया जाए जिससे कि दानों उद्योग ठीक प्रकार से चल सके। माननीय मंत्री जी कृपा करके इस मामले में पूरी जानकारी दें।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, माइक्रोफोन में काफी व्यवधान हो रहा है, शायद मैंने प्रश्न ठीक से समझ लिया है। क्या माननीय सदस्य का इशारा राजस्थान की मैसर्स इन्स्ट्रूमेंटेशनस् लिमिटिड की ओर है? मुझे प्राप्त सुचनाओं के अनुसार बी.आई.एफ.आर. इस की जांच कर रहा है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : मैं जानना चाहता हूं कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को, जो कि एक रुग्ण उद्योग है, क्या पालघाट उद्योग में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, प्राप्त सूचना के अनुसार मैसर्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को रुग्ण उद्योग घोषित किया गया था और आई. डी.बी.आई. को इसका संचालक अभिकरण नियुक्त किया गया था।

अगस्त 1994 में संचालक अभिकरण को नई प्रबन्ध समिति ढूंढने का निर्देश दिया गया। उन्हें अपना मत व्यक्त करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया। संचालक अभिकरण को प्रस्ताव का विश्लेषण करने और तब तक किसी और को काम सौंपने का उत्तर-दायित्व दिया गया। मुझे नहीं पता कि क्या यह प्रस्ताव भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटिड के साथ विलय के लिए था। वास्तव में केवल उद्योग मंत्रालय ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकेगा। मैं आज पता लगाऊंगा कि यह जांच किस स्तर पर है और माननीय सदस्य को वह उत्तर उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री विजय हाण्डिक : अध्यक्ष महोदय, न्यूनतक सामूहिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने पुरानी रुग्ण औद्योगिक ईकाइयों को पुर्नजीवित करने और सरकारी उपक्रमों में फैली रुग्णता को दूर करने और दीर्घावधि से रुग्ण ईकाइयों की समस्या का निपटारा करने की परिभाषा दी है। इसके अनुसार रुग्ण अथवा रुग्ण होने की संभावना है उन सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को चुन कर पुर्नजीवित किया जाएगा जिसमें प्रबधन किसी व्यवसायिक दल या कर्मचारी संघ के हवाले करना शामिल है। माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में इस विकल्प का कोई उल्लेख नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इन सरकारी क्षेत्र की रुग्न ईकाइयों को पुर्नजीवित करने के लिए अपने ही नए विकल्प अपनाएंगे अथवा इन विकल्पों को एक सपना या इच्छा मात्र ही रहने देंगे?

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि विकल्पों की सूची के प्रति लोगों में समर्थन की भावना है। विकल्पों की सूची में से सामूहिक न्यूनतम कार्यक्रम में दो विकल्पों का उल्लेख है। अब इन में किसी विशेष उद्योग के लिए कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा इस विषय में निर्णय लेना बी.आई.एफ.आर., पी.एस.यू. और प्रशासन तंत्र का सामूहिक उत्तरदायितव है। उन्हें इस विषय में अपना विचार बनाना होगा। मैं सरकार के उस दृष्टिकोण से पूर्णतया दृढ़तापूर्वक सहमति अभव्यक्त करता हूं जो एक-आध विकल्प को अपनाने में विश्वास नहीं रखते अपितु विकल्प सूची में से सब विकल्पों पर विचार करने पर तुले रहते हैं। हम विकल्पों की सूची पर विचार करेंगे ...**(व्यवधान)**

श्री विजय हाण्डिक : आपने विकल्प सूची तैयार कर दी है।

श्री पी. चिदम्बरम् : यह उचित नहीं है सामूहिक न्यूनतम कार्यक्रम में केवल दो का उल्लेख किया गया है।

श्री विजय हाण्डिक : यह तो आपको वक्तव्य में ही बताया गया था।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं जानता हूं, मैंने ही वह लिखा था, अतः मुझे उसका पता होना चाहिए। विकल्पों की सूची में से केवल दो का उल्लेख किया गया...**(व्यवधान)** आप पहले मेरा जवाब सुनें। विकल्पों की सूची का मतलब है कई सारे विकल्प अनेक विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। हमने दो विकल्पों का चुनाव किया था और "इसे व्यवसायिक दल या कार्यकर्ताओं की सहकारिकताओं को सौपने" की संज्ञा दी थी, ताकि जहां औद्योगिक इकाईयों को पुर्नजीवित करने का प्रश्न खड़ा हो, वहां इन दो विकल्पों पर तो हर हालत में विचार हो सके।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत एक लोक उपक्रम है, कानपुर शुगर वर्क्स। इसमें पांच चीनी मिलें हैं, जो बिहार और उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। ये कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत अवस्थित हैं इनको वाईंडिग-अप नोटिस इश्यू कर दिया गया है। उन चीनी मिलों में किसानों का लगभग 100 करोड़ से अधिक बकाया है। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जो किसानों के लिए सरकार है। उस लोक उपक्रम को जो कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत है और जो चीनी मिल अवस्थित हैं, जिसमें महोड़ा चीनी मिल भी शामिल है, जो छपरा संसदीय क्षेत्र में है, उसको भी वाईंडिग-अप नोटिस इश्यू हो गया है। इससे इस चीनी मिल के कर्मचारी तो प्रभावित होंगे ही, लकिन 100 करोड़ से अधिक की राशि, जो चीनी मिलों पर किसानों व गन्ना उत्पादकों की बकाया है, उसका क्या होगा?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : छपरा किस राज्य में है?

श्री राजीव प्रताप रूडी : छपरा कोई राज्य नहीं, अपितु बिहार का एक चुनाव क्षेत्र है। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अन्तर्गत 10 चीनी की इकाईयां हैं। उनके प्रस्ताव विचाराधीन हैं। मैं सरकार और मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन इकाईयों को फिर से चालू करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यह केवल कारखानों का ही प्रश्न नहीं है इसका तो चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादकों को प्राप्त होने वाले नकद धन से भी सम्बन्ध है। यह सम्पूर्ण उत्तर-प्रदेश और बिहार के लिए महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना मत अभिव्यक्त कर दिया है। मंत्री जी, क्या आपको कपड़ो के विषय में कोई जानकारी है?

श्री पी. चिदम्बरम : विभिन्न राज्यों में स्थित साठ कपड़ा मिलों में से अनेक के बारे में मुझे जानकारी है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं कपड़ा मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली चीनी उपक्रमों के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : माननीय सदस्य कपड़ा मंत्रालय के विषय में बात कर रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : नहीं नहीं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को चीनी मिलों के बारे में बताने दें।

श्री पी. चिदम्बरम : माईक्रोफोन की ध्वनि बहुत खराब है जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उसके अनुवाद को समझना बहुत कठिन हो जाता है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं अंग्रेजी में प्रश्न पूछ सकता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : यदि आप मुझे प्रश्न का उत्तर देने दें, तो बहुत अच्छा होगा माननीय अध्यक्ष महोदय का मत है कि प्रश्न कपड़ा मंत्रालय के विषय में था। अतः मैंने कपड़े से शुरू किया। अब मुझे आपका प्रश्न समझ आ गया है। इन साठ में से बिहार में केवल सात हैं ये हैं:- हैवी जीनीयरिंग कारपोरेशन, फर्टीलाईजर कारपोरेशन, प्रोजेक्ट डिवेल्पमैंट इण्डिया लिमिटिड, भारत रिफ्रेक्टीरिज़, इण्डिया फैबरिक्स् एण्ड इन्सूलेशन, माईका ट्रेडिग कारपोरेशन और भारत कोकिंग कोल। जिस कम्पनी के बारे में मान्नीय मंत्री जी प्रश्न पूछ

रहे हैं मेरी 60 की सूची में वह शामिल नहीं लगती। यदि आप मुझे उसका नाम बता दें, मैं सूचना प्राप्त करके आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं इस स्थिति को चुनौती देता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : मेरी सूची में वह नहीं है।

श्रीमती कृष्णा बोस : मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। अब जबकि केन्द्रीय सरकार, अन्य पक्षों और संवर्धकों के बीच एक समझौता हो चुका है तो कारखाने के तालों को खुलने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? मेरे चुनाव क्षेत्र में मेटल बावस कम्पनी है। वहां सब कुछ हो चुका है। परन्तु मुझे पता चला है कि अभी भी उसके द्वार खुलने में अभी आठ महीने और लग सकते हैं। क्या इसे सहन किया जा सकता है? आप इस विलम्ब को कुछ कम कर दें।

अध्यक्ष महोदय : आपके पूछने से पहले माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री पी. चिदम्बरम : क्या आप पश्चिमी बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं...**(व्यवधान)** इस प्रश्न का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के सार्वजनक उपक्रमों से हैं। मेटल बाक्स निजी कम्पनी है। इसका मेरे उत्तर से कोई सम्बन्ध नहीं है।...**(व्यवधान)**

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : बी.एफ.आई.आर. सफेद हाथी है। सब लोग गैर तकनीकी हैं। इस संस्था को भंग किया जाना आवश्यक है मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि ने इस विषय पर एक विशेष विचार विमर्श की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर आधे घंटे के विचार-विमर्श की अनुमति देता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए कह दिया है। आप उसमें यह सब पूछ लीजिए। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर आधे घण्टे की बहस करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वेस्ट है कि मंत्री महोदय टोटल सिक यूनिट्स की जानकारी दें न कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सिक यूनिट्स की।

अध्यक्ष महोदय : उद्योगों में रुग्णता के विषय पर आधे घण्टे की बहस होगी

(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति देने का संकेत दिया था, लेकिन आपने मुझे अनुमति नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : कहां-कहां हम किस-किस को अनुमति देंगे? मेरे ध्यान में नहीं है कि मैंने आपको कोई ऐसा संकेत दिया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की चर्चा में आपको मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : अध्यक्ष महोदय कल आपने प्रसार भारती से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार हेतु 35 मिनट का समय दिया था। इस प्रश्न का सम्बन्ध लाखों लोगों की रोजी रोटी से है। अनेक संसद सदस्य के चुनाव क्षेत्रों में ऐसी इकाईयां है। उन्हें उपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिला है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : केवल इसलिए कि कल प्रसार भारती के लिए 35 मिनट का विचार विमर्श हुआ था मैंने इस विषय पर आधे घंटे के विचार-विमर्श की अनुमति नहीं दी। मैं इस प्रश्न के महत्व से अवगत हूं। मैं स्वयं श्रम मंत्री रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि हमारे देश में यह मजदूर कैसी दुर्गति के शिकार हो गए हैं। मैं नौ वर्ष तक श्रम मंत्री रहा हूं। किसी को मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इस देश में कामगारों की जिन्दगी क्या है। इसी कारण मैंने स्वयं पहले ही आधे घंटे की बहस की अनुमति प्रदान की है। आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या आप समयावधि बढ़ाने का कष्ट करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप बैठ जाएं।

गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वित्त पोषण

***43. श्री अमर पाल सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गैर सरकारी क्षेत्र के बैकों से कल्याणकारी योजनाओं के वित्त पोषण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग). गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कल्याण योजनाओं को सरकार वित्तपोषित नहीं करती है। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी कल्याण योजनाएं अपने निजी संसाधनों से ही वित्तपोषित करनी होती है।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नेशनलाईज बैंकों की तुलना में प्राइवेट सैक्टर के बैंकों ने पिछले पांच वर्षों में कितना लाभ अर्जित किया है? दूसरा, प्राइवेट सैक्टर के बैंकों का कुल ऋण का कितना प्रतिशत क्षेत्रों, जैसे कृषि क्षेत्र को जाता है तथा नेशनलाइज बैंकों से इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : आदरणीय, मुझे आपकी जानकारी के लिए इस प्रश्न का उत्तर देने में बहुत प्रसन्नता होगी। परन्तु यह पूरक प्रश्न प्रश्न की सीमा-रेखा के अन्दर नहीं है। इस प्रश्न का सम्बन्ध सार्वजनिक बैंकों से है जो अपनी कल्याण योजनाओं का वित्तपोषण करते हैं। हमने पहले ही कहा है कि हम उनकी कल्याण योजनाओं के लिए धन नहीं उपलब्ध करवाते और वह अपनी योजनाओं का वित्तपोषण अपने संसाधनों से स्वयं ही करते हैं?...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : प्रश्न कर्मचारियों से सम्बन्धित कल्याण योजनाओं के बारे में नहीं है। परन्तु भारत सरकार की अपनी अनेक कल्याण योजनाएं हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में आपके पूरक प्रश्न को अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकारी बैंक कुछ प्रतिशत ऋण कृषि सैक्टर को अनिवार्य रूप से देते हैं तो क्या प्राइवेट सैक्टर को भी सरकार ऐसी गाइडलाईन देगी जिससे वह अनिवार्य रूप से कृषि क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध करा सके?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : बहुत सारी सरकारी स्कीमों को कार्यान्वित करने में निजी क्षेत्र के बैंक भी सम्मिलित हैं। इन सारी स्कीमों से सम्बन्धित आकड़े मैं अभी दूंगा। 31.3.1994 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के बैंकों को 2594 आवेदन प्राप्त हुए। कुल 862 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई। कुल 499.35 लाख की राशि मंजूर की गई। 207.94 लाख रुपए के ऋण बांटे गए। फिर बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के बैंकों को 20,705 आवेदन प्राप्त हुए। 8328 आवेदन स्वीकृत हुए। 1585 लाख रुपए मंजूर किये गए जिसमें से 97 प्रतिशत धन राशि आबंटित की गई।

पी.एम.आर.वाई. में निजी क्षेत्र के बैंकों को 14807 आवेदन मिले। 6796 को मंजूरी दी गई। 3819 लाख रुपए मंजूर किये गए। 2024 लाख रुपए बांटे गए। इन सारे कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र के बैंक भी कार्य कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहें मैं ऐसी कोई भी जानकारी देने के लिए तैयार हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या आप हमें यह जानकारी देंगे कि कितने निजी क्षेत्र हमें यह जानकारी देंगे कि कितने निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में योगदान कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री अमरपाल सिंह : मेरा दूसरा सप्लीमैंट्री और रह गया ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका तो तीसरा सप्लीमैंट्री हो गया।

श्री अमर पाल सिंह : तीसरा नहीं हुआ है उन्होंने कहा है कि पहले प्रश्न का मैं जवाब नहीं देता। दूसरे प्रश्न का जवाब उन्होंने नहीं बताया। मैंने पूछा था कि कृषि क्षेत्र के लिए उन्होंने कितनी गाईडलाइन्स सुरक्षित की है? उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है, आप अब पूछिए।

श्री अमर पाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकारी बैंक को कुछ प्रतिशत ऋण कृषि सेक्टर को देना अनिवार्य है। क्या उसी तरह से प्राइवेट बैंकों को भी कृषि सेक्टर के लिए कुछ प्रतिशत ऋण देना अनिवार्य करने के लिए सरकार कोई गाईडलाइन्स देगी?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : भारतीय रिजर्व बैंक के सारे मार्गदर्शक सिद्धांत निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होते हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : एक बहुत छोटा सा प्रश्न है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डा. जोशी, मैं आपको प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त समय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं भी वही प्रश्न पूछना चाहता हूं जो डा. जोशी पूछ रहे थे। मेरा प्रश्न है इसमें कुछ ऐसा विहित है ...**(व्यवधान)** ऐसा लगता है अब मुझे उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अमरपाल सिंह : अध्यक्ष जी, भारत एक ग्रामीण देश है। प्राइवेट बैंकों का आंकड़ों के आधार पर ऊंचा मुनाफा है। क्या वित्त मंत्री जी प्रतिवर्ष प्रत्येक बैंक को एक गांव को आदर्श गांव विकसित करने का दायित्व निभाने की गाइडलाइंस देंगे?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आप इस प्रकार के प्रश्नों की इजाजत देते हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास जानकारी है?

श्री पी. चिदम्बरम : जैसाकि मैंने कहा है कि निजी क्षेत्र के बैंकों पर वही दिशानिर्देश लागू होते हैं जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होते हैं। कुल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को देना होता है। इस 40 प्रतिशत में से 18 प्रतिशत कृषि को देना होता है। कमजोर वर्गों के लिए अलग से 10 प्रतिशत निर्धारित है जो कि 40 प्रतिशत का 10 प्रतिशत है। ऐसे ही दिशानिर्देश भारतीय निजी क्षेत्र पर लागू होते हैं।

[हिन्दी]

श्री अमरपाल सिंह : अध्यक्ष जी मेरा दूसरा सप्लीमैंट्री है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता।

[अनुवाद]

ऐसा नहीं है। आप ऐसे प्रश्न पूछना जारी नहीं रख सकते। यह क्या है? कृपया बैठ जाईए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं दिशानिर्देशें के बारे में नहीं पूछूंगा। दिशानिर्देश यह है कि 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र के लिए हैं तथा ऋण लेने वालों के लिए भिन्न ब्याज दर पर अलग से एक प्रतिशत है। मैं जो जानना चाहता हूं वह दिशानिर्देशों के बारे में नहीं है। मैं तीन क्षेत्रों—भारत में कार्यरत विदेशी बैंक, विदेशी बैंक के अलावा भारत में कार्यरत निजि क्षेत्र के बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के बैंक के बीच तुलना चाहता हूं। यह सब पूर्णा सरकार की कृपादृष्टि के कारण पिछले चार या पांच वर्ष से दिशानिर्देशों का पावन करने में असफल हो रहे हैं। क्या स्थिति बदलनी शुरू हो गई है? वे निजी क्षेत्र के 40 प्रतिशत विदेशी बैंकों के 40 प्रतिशत और सरकारी क्षेत्र के 40 प्रतिशत की तुलना कैसे करते हैं? जो उत्तर दिया गया है, चार प्रतिशत भिन्न ब्याज दर से, उनकी स्थिति क्या है?

श्री पी. चिदम्बरम : विदेशी बैंकों पर ये दिशानिर्देश लागू नहीं होते हैं। विदेशी बैंकों के लिए अलग दिशानिर्देश हैं...**(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक : विदेशी बैंकों और भारतीय बैंकों के बीच क्या अंतर है?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डा. जोशी आपको इसके तुरन्त बाद मौका मिलेगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं भी वही प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें श्री चटर्जी को उत्तर देने दीजिए। आप बाद में वही प्रश्न पूछ सकते हैं। संयुक्त प्रश्न के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं?

श्री पी. चिदम्बरम : वह अच्छा दिन होगा जब माकपा और भाजपा साथ मिलकर चलेंगी।

डा. मुरली मनोहर जोशी : एक दिन ऐसा संभव हो सकता है लेकिन तब आप यहां नहीं होंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : विदेशी बैंकों पर ये दिशानिर्देश लागू नहीं होते हैं। विदेशी बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र को 40 प्रतिशत के बजाए 32 प्रतिशत ऋण देना होता है। इस 32 प्रतिशत में से केवल 10 प्रतिशत निर्यात क्षेत्र के लिए है। शेष 22 प्रतिशत स्वाभाविक तौर पर तब तक मुक्त है जब तक कि यह प्राथमिकता क्षेत्र में आता है। विदेशी बैंकों के लिए कृषि हेतु कोई अलग व्यवस्था नहीं है। सरकारी क्षेत्र के बैंक तथा भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक अपने प्राथमिकता सेवा ऋण में कृषि को अलग से 10 प्रतिशत देने को बाध्य हैं। इनके भिन्न दिशानिर्देश हैं।

अब माननीय सदस्य मुझे ऋण के बारे में विस्तार से व्याख्या करने को कह रहे हैं। महोदय स्पष्ट तौर पर मेरे पास विदेशी बैंकों के बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं। अतः मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं।

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने 40 प्रतिशत ऋण देने की योजना के अंतर्गत उन्होंने मार्च 1996 में 37.75 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कुछ बैंकों ने 40 प्रतिशत से भी अच्छा कारोबार किया है कुछ ने 40 प्रतिशत तक भी नहीं किया है। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो प्राथमिकता क्षेत्र के लिए करने में असमर्थ हो वह आपको आपके कुल बैंक साख का 1.5 प्रतिशत तक नाबार्ड को देना होगा। यह 1.5 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया जाता है तथा नाबार्ड इसे विभिन्न कार्यक्रमों हेतु देता है। अतः विदेशी बैंकों के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। यदि अलग प्रश्न किया जाता है—श्री जोशी—तो मुझे विदेशी बैंकों के बारे में सूचना देते हुए बहुत प्रसन्नता होगी

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि विदेशी बैंकों के अलग दिशानिर्देश हैं वे कृषि क्षेत्र अथवा कमजोर वर्गों को भी ऋण देने के लिए बाध्य नहीं है। अब उन्होंने केवल कुछ दिशानिर्देश दिए हैं कि उनके ऋण का 10 प्रतिशत निर्यात क्षेत्र को जाना चाहिए। लेकिन इस 22 प्रतिशत क्या होगा? इन विदेशी बैंकों को निर्धन वर्गों, कमजोर वर्गों और कृषि क्षेत्र की सहायता हेतु दिशानिर्देश क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसका क्या कारण है? इसके लिए उन्हें क्यों बख्शा जा रहा है? आप जानते हैं कि वे भारतीय जनता से धन इकट्ठा कर रहे हैं। जमा हमसे होता है। यह भारत का पैसा है। उन्हें कमजोर वर्गों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन तथा बाजार के सृजन के लिए भी क्यों नहीं कहा जाता है? वे बाजार में भी रूचि रखते हैं। अतः उन्हें भारतीय बाजार के विकास के लिए इजाजत या मदद करने को बाध्य क्यों नहीं किया जाता है? उनके लिए भिन्न दिशानिर्देश क्यों हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मुझे विश्वास है डा. जोशी उत्तर जानते हैं और श्री चटर्जी ने पहले ही उत्तर सुझा दिया है। इस देश में विदेशी बैंक बड़ी संख्या में नहीं हैं। विदेशी बैंकों की बहुत कम शाखाएं हैं वे अधिकांश शहरी क्षेत्रों में हैं तथा निर्यात संबंधी विदेशी व्यापार की अधिक सहायता करते हैं। डा. जोशी यह भिन्न प्रश्न है। यदि अलग दिशानिर्देश वांछनीय है तो यह अलग प्रश्न है। हम जांच करेंगे कि क्या कुछ दिशानिर्देशों के पालन के लिए उन्हें करना वांछनीय है।

लेकिन उत्तर बहुत जाना पहचाना है। विदेशी बैंक शहरीकृत और कम शाखाओं वाले हैं तथा वे अधिक बैंकिंग नहीं करते हैं और इसलिए शायद विदेशी बैंकों के लिए ये दिशानिर्देश भिन्न हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर पर जोशी के सुझाव की जांच करूंगा कि क्या उन्हें ऐसा कहना वांछनीय है। इसकी मैं जांच करूंगा...**(व्यवधान)**

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मैं तीन कारकों से जानना चाहूंगा पहला, निजी क्षेत्र के कितने बैंकों ने निर्धारित लक्ष्य अर्थात् प्राथमिकता का 40 प्रतिशत प्राप्त नहीं किया है? यदि उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति नहीं की है तो उन पर क्या दण्ड लगाया गया है?

दूसरा, यदि विदेशी बैंकों ने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है तो क्या वे एसआईडीबीआई के पास अपना पैसा रख सकते हैं। यदि यही सुविधा अन्य क्षेत्रों को दिए जाने की संभावना है तो विदेशी बैंकों को एसआईडीबीआई के पास पैसा रखने की इजाजत क्यों दी गई लघु क्षेत्र को पैसा देने के लिए क्यों नहीं कहा गया जिसकी उनसे अपेक्षा की गई थी।

तीसरा, नरसिंहन समिति ने प्राथमिकता क्षेत्र को समाप्त करने की सिफारिश की है। उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय मुझे अपने मित्र के प्रश्न का उत्तर देने में प्रसन्नता होगी। लेकिन यह अनुपूरक इस प्रश्न से कोसों दूर चला जाता है। कृपया प्रश्न देखिए। यह निजी क्षेत्र के बैंकों की कल्याण योजना के वित्तपोषण के बारे में है।

श्री सुरेश प्रभु : मैं प्राथमिकता क्षेत्रों की बात कर रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : केवल एक मिनट। निजी क्षेत्र के बैंकों की कल्याण योजना के वित्तपोषण के बारे में मैंने श्री चटर्जी के सुझाव को अच्छी भावना से किया है। तथा मैं जितना हो सकेगा सूचना देने की कोशिश करूंगा लेकिन यदि आप मुझे इस समय पूछ रहे हैं कि क्या प्रत्येक बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो मुझे जानकारी एकत्र करनी होगी। यह प्रश्न प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित नहीं है।

श्री सुरेश प्रभु : लेकिन लक्ष्य प्राप्त न करने के लिए क्या दण्ड है?...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : सैण्ट्रल गवर्नमेंट की जो सरकारी क्षेत्र कल्याणकारी योजना है और खास तौर पंत प्रधान रोजगार योजना और अनएम्प्लायड योजना है, इसमें जो आपने बैंक के फीगर्स दिये हैं, वह बहुत कम हैं। हजारों लोग जो बैंक में फार्म लेने जाते हैं, एक तो उनको फार्म नहीं देते।

क्या नई सरकार उस पंत प्रधान रोजगार योजना को शुरू करने वाली है और क्या आप बैंकों को ऐसे आदेश देने वाले हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को लोन मिल सके? हजारों लोग एप्लीकेशंस देते हैं, केवल पांच-दस लोगों को ही लोन देते हैं, कुछ बैंक तो ज्यादातर एप्लीकेशंस लेते ही नहीं है इसलिए युवा पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिए जो रोजगार योजनाएं हैं, क्या मंत्री महोदय उनको प्राथमिकता देने की कोशिश करेंगे?

श्री बनवारी लाल पुरोहित : आपकी सरकार ने क्या किया था?

श्री दत्ता मेघे : वही बता रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : यह सच है कि निजी क्षेत्र के पुराने और नए दोनों बैंकों ने प्राथमिकता ऋण के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है। वास्तव में पुराने बैंकों ने एनबीसी की प्रतिशतता के रूप में 40 प्रतिशत की तुलना में केवल 33.97 का लक्ष्य प्राप्त किया है तथा कृषि अग्रिम 18 की तुलना में केवल 6.17 रहा है। एनबीसी में नए बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 26.19 रहा तथा कृषि अग्रिम केवल 2.20। उनको अपने एन बी सी का 1.5 प्रतिशत नाबार्ड को हस्तांरित करना भी वांछनीय है। निजी क्षेत्र के बैंक-पुराने और नए दोनों—लक्ष्य से पीछे हैं। लेकिन हम इस बात की जांच करेंगे कि उन्हें लक्ष्य प्राप्ति की ओर कैसे ले जाया जाए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

***44. श्री भूपिन्दर सिंह हुडा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पूंजी के विनिवेश से सम्बन्धित मामलों की जांच करने हेतु कोई आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के लिए निवेश की सीमा बढ़ाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश के संबंध में सरकार का परामर्श देने के लिए एक आयोग की स्थापना करना सरकार के विचाराधीन है। ब्यौरे की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ). लघु उद्योग के लिए निवेश की सीमा को बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

वित्तीय घाटा

*45. **श्री राधा मोहन सिंह :**
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय घाटा हर वर्ष बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस घाटे को कम करने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). वित्तीय घाटे, जिसे सरकार की सभी स्रोतों से कुल निवल उधार आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया जाता है, की 1993-94 से लेकर तीन वर्षों की स्थिति नीचे दी गई है :—

वित्तीय घाटा

	करोड़ रुपए	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में
1993-94	60,257	7.5
1994-95	57,704	6.1
1995-96 (संशोधित अनुमान)	64,010	5.9

(ग) सरकार, प्राप्तियां बढ़ाकर तथा व्यय को सीमित रखकर वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी।

ऋण देने संबंधी मानदंडों में छूट

*46. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं ने बाजार में मुद्रा संकट को दूर करने हेतु सरकार से ऋण देने संबंधी मानदण्डों में छूट देने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। ऋण देने संबंधी मानदंड वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकार को सूचित किये बिना स्वयं निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

*47. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों के श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान में विलम्ब करने अथवा भुगतान न करने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों के नाम क्या हैं तथा मजदूरी के भुगतान में किए गए विलम्ब अथवा भुगतान न किए जाने के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे एककों के प्राधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों को समय से अदायगी किए जाने में कुछ देरी हुई है। जब कभी भी ऐसे मामले सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं तो सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सरकारी क्षेत्र के एककों को अत्यावश्यक उपचारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं। भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के कुछ एकक जिन्होंने समय पर मजूरी की अदायगी में चूक की है, वे इस प्रकार हैं :—इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जेसप एण्ड कंपनी लि., रेरोल बर्न लिमिटेड, भारी इंजीनियरी निगम, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, वेबर्ड इण्डिया लिमिटेड, प्रागा टूल्स लिमिटेड।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों और विदेशी बैंकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा

*48. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी और विदेशी बैंकिंग संस्थानों के नियमों, विनियमों और शर्तों के अनुरूप उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में प्रमुख बैंकरों और मजदूर संघों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों के कार्यकरण के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में

समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हुए हैं, तथापि इस संबंध में बैंकरों तथा मजदूर संघों से हाल ही में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पांचवां वेतन आयोग

*49. **डा. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री सुरेश कोडीकुनील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वेतन आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में हुए अनपेक्षित विलम्ब को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम राहत प्रदान करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). पांचवें वेतन अयोग ने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट अक्तूबर, 1994 में प्रस्तुत की जिसमें केन्द्रीय सरकार के पेंशभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 50 रुपए प्रति माह की दर पर अंतरिम राहत देने की सिफारिश की गई थी। आयोग ने मई, 1995 में प्रस्तुत अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयी थी (1) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अंतरिम राहत मूल वेतन का 10 प्रतिशत जो कम से कम 100 रुपए प्रतिमाह हो। (2) केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशभोगियों को अंतरिम राहत मूल पेंशन का 10 प्रतिशत, जो कम से का 50 रुपए प्रतिमाह हो। (3) यह कि उत्पपन प्रयोजन के लिए औसतन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1201.66 से जुड़े मंहगाई भत्ते को मंहगाई वेतन के बतौर माना जाए ओर उपदान की सीमा । लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दी जाए। ये सिफारिशें सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई हैं और इनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक आदेश 14 जुलाई, 1995 को जारी कर दिए गए थे।

(ग) और (घ). आयोग को 9 अप्रैल, 1994 को स्थापित किया गया था। विचारार्थ विषय के अनुसार आयोग से अपेक्षा की जाती है कि अपनी रिपोर्ट जितनी जल्दी से जल्दी प्रस्तुत कर दे। आशा है कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट सितम्बर, 1996 के अन्त तक उपलब्ध हो जाएगी।

विदेशी पूंजी निवेश

*50. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन डालर के विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनमें निवेश को बढ़ावा दिया जाना है; और

(ग) मूल ढांचे और विकास के क्षेत्र में कितना-कितना निवेश किए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग). यद्यपि विदेशी निवेश की कोई रकम आकर्षित करने की कोई औपचारिक योजना नहीं है, फिर भी विदेशी निवेश सम्बन्धी सरकारी नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है ताकि इसे और प्रभावी बनाकर देश में विशेष करके प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्रों में जिसमें आधारभूत क्षेत्र भी शामिल हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाया जा सके।

दिल्ली परिवहन निगम में घाटा

*51. **श्री विजय गोयल :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम को अब तक कुल कितना घाटा हुआ है;

(ख) क्या सरकार के पास इसकी लाभार्जकता में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम को दिल्ली सरकार को हस्तांतरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार दि.प.नि. को हुए कुल घाटे इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रु.)

	कार्यशील घाटा (ब्याज और मूल्यह्रास को छोड़कर)	(अनन्तिम) निवल घाटा (ब्याज और मूल्यह्रास सहित)
	670.50	2060.55

(ख) और (ग). जी हां।

(घ) हस्तांतरण और उसकी रुपरेखा के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निवेश

*52. **कुमारी उमा भारती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कम प्राथमिकता वाली ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं की कोई सूची तैयार की जा रही है जिसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निवेश को हतोत्साहित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उपयुक्त राजकोषीय और अन्य उपायों के माध्यम से निम्न प्राथमिकता के क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। तथापि, निम्न प्राथमिकता क्षेत्रों की सूची अभी तैयार नहीं की गई है।

[अनुवाद]

रिलायन्स उद्योगों के शेयर

*53. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** रिलायन्स उद्योगों के शेयरों के बारे में 15 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 2983 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने डुप्लीकेट शेयर जारी करने के सम्बन्ध में रिलायन्स कंसलटैंसी सर्विसिज लि. की जांच का कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) सेबी की निरीक्षण रिपोर्टों में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष शामिल हैं :

(1) अप्रैल, 1990 से अक्तूबर, 1995 तक की अवधि में रिलाएंस कन्सलटेंसी सर्विसेज लि. (आर.सी.एस.) ने कुल 4.89 लाख डुप्लीकेट शेयर जारी किए;

(2) मूल शेयर प्रमाणपत्रों के मौजूद होते हुए भी, कुछ डुप्लीकिेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। यह एक ऐसा तथ्य था जो आर.सी.एस. को बखूबी मालूम था।

(3) 1 अप्रैल, 1994 से पहले कुछ निवेशकों द्वारा प्रस्तुत किए गए शेयरों का दो माह के भीतर अंतरण और सुपुर्दगी न करके आर.सी.एस. ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 113 के उपबंधों का उल्लंघन किया है;

(4) आर.सी.एस. ने इश्यू के रजिस्ट्रारों और रिलाएंस इन्डस्ट्रीज लि. (आर.आई.एल.) के शेयर अंतरण एजेंटों के रूप में कार्य करते हुए सेबी (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियमों का उल्लंघन किया है।

निरीक्षण रिपोर्टों के निष्कर्षों की जांच के आधार पर, मुम्बई में कंपनी कार्य विभाग में कंपनियों के रजिस्ट्रार (अर.ओ.सी.) ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 84 (2), 84(3), 84(4) और 113 का उल्लंघन करने के लिए 7 जून, 1996 को आर.आई.एल., आर.सी. एस. और उनके अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। कारण बताओ नोटिसों के जबाव पर विचार करने के बाद, कंपनी कार्य विभाग ने आर.ओ.सी. मुम्बई को डुप्लीकेट शेयर जारी करने से संबंधित मामले में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 84(2), 84(3), 84(4) और 113(1) का उल्लंघन करने के लिए आर.सी.एस. सहित आर.आई.एल. और सभी अधिकारियों के विरूद्ध उपयुक्त न्यायालय में मुकदमा दायर करने के लिए कहा है।

आर.सी.एस. की कथित भूलों की छानबीन करने के लिए सेबी (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 के अन्तर्गत सेबी द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी ने अब जांच पूरी कर ली है। जांच अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर, सेबी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंक

*54. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अन्य बैंकों की शाखाओं की तुलना में अधिक है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए इनका आपस में विलय करने का है;

(ग) क्या इस प्रकार के विलय न होने के कारण ग्रामीण बैंक घाटे में चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या 1995 में संशोधित वेतनमान ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को नहीं दिये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) विगत में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए विलय सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि उन्हें "एकल" (स्टैंड अलोन) आधार पर पुनः अधर्थक्षम बनाया जाए।

(ग) और (घ). जी, नहीं। हालांकि कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटा उठा रहे हैं, परन्तु घाटे के मुख्यतः ऊंची स्थापना लागतें, कम मार्जिन, शाखा नेटवर्क की तुलना में अपेक्षाकृत कम व्यवसाय तथा कम वसूलियां उत्तरदायी हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वर्ष 1995-96 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कोई वेतन संशोधन लागू नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पोलिस्टर स्टेपल फाइबर के निर्माताओं द्वारा शुल्क का अपवंचन

***55. श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई. सी.) के कर अपवंचन-निरोधी निदेशालय ने पोलिस्टर स्टेपल फाइबर के निर्माताओं और इसके उपयोगकर्ताओं द्वारा तथाकथित रूप से 1000 करोड़ रु. के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन की वसूली हेतु जांच का कार्य प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो उस मामले में क्या-क्या तरीके अपनाये गये हैं;

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इन पोलिस्टर स्टेपल फाइबर निर्माताओं और इसके उपयोगकर्ताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन रोके जाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के अपवंचन-रोधी महानिदेशालय ने पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर के कुछेक विनिर्माताओं और यार्न की कताई करने वालों के विरूद्ध सूचना प्राप्त होने पर जांच कार्य आरंभ कर दिया है। अभी तक की गई जांच से स्पष्ट तौर पर लगभग 15 करोड़ रुपये की राशि के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन किए जाने का पता चला है।

की गई जांच से यह पता चलता है कि उक्त विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कम दर लगाकर या तो घटिया किस्म के फाइबर की अथवा "अपशिष्ट" के रूप में टो की निकासी कर रहे थे। ऐसे फाइबर/टो के कुछेक उपयोगकर्ताओं ने यह दावा किया था कि उनके द्वारा निर्मित यार्न शुल्क्य नहीं हैं, क्योंकि इसमें विस्कोस को मिलाकर 50% से अधिक अपशिष्ट शामिल है।

अभी तक की गई जांच के आधार पर, एक फाइबर विनिर्माता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें 24.79 लाख रुपये के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मांग की गई है। अन्यों के संबंध में जांच कार्य चल रहा है।

इस तरह किए जाने वाले अपवंचन को रोकने के लिए पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर तथा अन्य सभी मानव निर्मित फाइबरों को एक सामान्य उप-शीर्ष के अन्तर्गत शामिल करके उनके "अपशिष्ट" के शुल्क ढांचे को संशोधित करने हेतु वर्ष 1995-96 के बजट में कदम उठाए गए थे। ऐसे सभी "अपशिष्टों" के लिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से न्यूनतम उत्पाद शुल्क भी निर्धारित किया गया था। इस आशय का यह भी परिवर्तन किया गया था कि "स्टेपल फाइबर" अभिव्यक्ति में सिन्थेटिक स्टैपल फाइबर या फिलामेन्ट का "अपशिष्ट" और कृत्रिम स्टैपल फाइबर या फिलामेंट का अपशिष्ट भी शामिल होगा ताकि अपशिष्ट फाइबरों को उपयोग में लाकर विनिर्मित यार्न पर भी शुल्क लगाया जा सके।

दिल्ली में ट्राम परिवहन प्रणाली

***56. श्री हरिन पाठक** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीव्र प्रति ट्राम परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बी ओ टी आधार पर तीव्र गति ट्राम परिवहन प्रणाली लागू करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आयकर-दाता

***57. श्री अनन्त कुमार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान आयकर-दाताओं की कुल संख्या क्या थी;

(ख) क्या वर्ष 1994-95 की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान आयकरदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या आयकर प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कोई कार्यवाही की गई है ताकि आयकर से अर्जित राजस्व को बढ़ाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार कर-निर्धारितियों की संख्या 1.83 करोड़ थी।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). आयकर कानून और प्रक्रिया को सरल बनाने का कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। तथापि, हाल ही में आयकर प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु निम्नलिखित मुख्य कदम उठाये गए थे ताकि आय से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हो सके :—

(1) वस्तुओं का खुदरा व्यापार करने वाले व्यक्तियों, टैक्सियों अथवा अन्य मोटर वाहनों को चलाने अथवा किराए पर लेने वाले व्यक्तियों अथवा किसी अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के लिए एक पूर्वानुमानित कर योजना कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से शुरू की गई है।

(2) सिक्लि निर्माण अथवा माल ढुलाई वाहनों को चलाने के कार्य में लगे व्यक्तियों के मामले में आय की गणना करने के लिए विशेष उपबंध शुरू किए गए हैं जिनमें आय के निर्धारण की एक अनुमानित प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

(3) तलाशी और जब्ती के मामलों के लिए एक नई कर-निर्धारण प्रक्रिया आरंभ की गई है ताकि तलाशी की घटना का तर्कसंगत निर्णय उस माह की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर हो सके जिसमें तलाशी संबंधी वारन्ट निष्पादित किया गया है।

(4) फर्मों के कराधान से संबंधित कानून को युक्तिसंगत बनाया गया है और पंजीकृत तथा अपंजीकृत फर्मों के बीच भेद को समाप्त कर दिया गया है।

(5) स्रोत पर कर कटौती के उपबंधों का विस्तार करके उसमें व्यावसायिक और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों, इकाइयों और किराए के संबंध में आय पर स्रोत पर कर की कटौती को शामिल किया गया है। स्रोत पर कर-कटौती के मौजूदा उपबंधों को विज्ञापन, प्रसारण, दूरदर्शन, प्रसारण, खानपान आदि क्षेत्रों में लगे व्यक्तियों पर भी लागू किया गया है।

(6) अग्रिम निर्णय संबंधी एक प्राधिकरण का गठन किया गया है ताकि वह किसी अनिवासी द्वारा किए गए लेन-देन अथवा किए जाने वाले प्रस्तावित लेन-देन के बारे में किसी कानूनी प्रश्न अथवा तथ्य पर निर्णय दे सके।

(7) निम्न आय वर्गों सहित विनिर्दिष्ट श्रेणियों की भांति आय की विवरणी दायर करने के लिए एक सरलीकृत फार्म शुरू किया गया है।

(8) आय के स्वैच्छिक प्रकटन को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में अनुदेश जारी किए गए हैं कि उन मामलों में, जिनमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विवरणीगत आय में 30% से अधिक वृद्धि दर्शायी गई है, मामले को संवीक्षा के लिए नहीं लिया जाना चाहिए।

(9) कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया आरंभ की गई है और इस प्रक्रिया के माध्यम से स्थाई खाता संख्या और कर-कटौती संख्या जारी करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।

(10) धर्मार्थ न्यासों, छूटों, पूंजीगत अभिलाभों आदि से संबंधित उपबंधों की जांच के लिए समितियां गठित की गई थीं। इन समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट विचाराधीन हैं।

अशोध्य ऋण खाते

***58. श्री पवन दीवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने अशोध्य ऋण खातों और समझौते से संबंधित प्रस्तावों के संबंध में बैंकों को कोई निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी बैंक ने उपरोक्त निदेशों का उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 1995 में मार्गनिर्देश जारी किए थे। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को देयराशियों की अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने, जान-बूझ कर चूक करने वाले और जानबूझकर चूक न करने वाले चूककर्ताओं के बीच अन्तर करने, प्रतिभूति की वसूली योग्यता का मूल्यांकन करने, अवरूद्ध निधियों का पुर्नउपयोग करने से प्राप्त होने वाले लाभों को हिसाब में लेने, जहां स्टाफ की चूकें ध्यान में आएं, वहां उत्तरदायित्व निर्धारित करने आदि के लिए कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के शीर्ष प्रबंधन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है कि समझौते/बट्टे खाते के सामान्य सिद्धान्तों से कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं होना चाहिए और बट्टे खाते के निर्णय विवेकपूर्ण और बैंक के पूर्ण हित में होने चाहिए।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31.3.1994 और 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों

के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा क्रमशः दस प्रमुख समझौता निपटारों/बट्टे खातों तथा एक करोड़ रुपए और इससे अधिक के परित्याग वाले समझौता निपटारों/बट्टे खातों की संवीक्षा की गई। संवीक्षा रिपोर्टों से बैंकों के स्टाफ/कार्यपालकों की ओर से किसी दुर्भाव का संकेत नहीं मिला। बैंकों द्वारा अनुमोदित समझौता निपटारे/बट्टे खाते भी सामान्यतया भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों और संबंधित बैंकों द्वारा निर्धारित नीति/ प्रक्रिया के अनुरूप थे। तथापि, कुछ मामलों में स्टाफ को उत्तरदायित्व के पहलू की जांच न करने, उधारकर्ताओं/गारंटीदाताओं की निवल संपत्ति के संबंध में अद्यतन क्रेडिट रिपोर्टों का समेकन न करने, उपलब्ध प्रतिभूतियों के अद्यतन स्वतंत्र मूल्य प्राप्त न करने, समझौता निपटारों की शर्तों के अनुसार वसूली हेतु अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई आदि जैसी कतिपय कमियां पाई गई। पाई गई कमियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, अनुपालन/सुधार हेतु, संबंधित बैंकों के ध्यान में लाया जाता है।

विदेशी ऋण

*59. **श्री नवल किशोर राय :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दू माजरा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों से सरकार पर ऋण का भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान इसकी कुल राशि कितनी थी और वर्ष 1995-96 के अन्त तक ऐसे ऋणों की अनुमानित राशि कितनी है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इसमें से विदेशी ऋणों की वर्ष-वार राशि कितनी है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान आन्तरिक और विदेशी ऋणों पर सरकार द्वारा वर्ष-वार ब्याज की अलग-अलग कितनी राशि का भुगतान किया गया है; और

(ङ) इस ऋण जाल से निकलने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). सरकार के घरेलू और विदेशी ऋण की वर्ष-वार धनराशि तथा कर्ज 1991-92 से 1995-96 के दौरान घरेलू तथा विदेशी ऋण पर चुकाया गया ब्याज अनुबन्ध में दिया गया है। सरकार के घरेलू तथा विदेशी दोनों ऋण पर चुकाया गया ब्याज अनुबन्ध में दिया गया है। सरकार के घरेलू तथा विदेशी दोनों ऋण में पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है। विदेशी ऋण के सम्बन्ध में, यह उल्लेखनीय है कि ऋण का एक बड़ा भाग रियायती शर्तों पर है। उस सीमा तक सरकार के विदेशी ऋण का भार कम हुआ है।

(ङ) सरकार की नीतियों का उद्देश्य व्यय को सीमित करके राजकोषीय घाटे को कम करना, विवेकपूर्ण कर नीतियों के जरिए राजस्व जुटाना और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना है। जहां तक वैदेशिक ऋण का प्रश्न है, गैर-ऋण सृजक पूंजी अन्तः प्रवाहों को जुटाने के उपाय किए जा रहे हैं। निर्यात की सतत् और स्थिर वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए देशीय उद्योग की उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाने और एक यथा र्थपरक-विनिमय दर बनाए रखने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार पर ऋण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	घरेलू ऋण	विदेशी ऋण		कुल ऋण		अदा किया गया ब्याज		
		अंकित मूल्य पर	वर्ष के अंत में विनिमय दर पर	अंकित मूल्य पर विदेशी ऋण	वर्ष के अंत में विनिमय दर पर विदेशी ऋण	घरेलू ऋण	विदेशी ऋण	कुल ऋण
1991-92	317414	36948	109677	354362	427091	23892	2704	26596
1992-93	359355	42269	120979	401624	480334	27546	3529	31075
1993-94	430323	47345	127798	477668	558121	33017	3724	36741
1994-95	487383	50928	142514	538311	629897	40023	4026	44049
1995-96 (सं.अ.)	552744	52666	148387	605410	701131	47101	4899	52000

* इसमें "आन्तरिक ऋण" और अन्य देयताएं शामिल हैं।

@ सरकारी खाते पर।

[अनुवाद]

पत्तनों का विकास

*60. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पत्तनों के विकास के संबंध में किए गए कार्यों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में कितना धन आबंटित/इस्तेमाल किया गया; और

(ग) पत्तनों की आधुनिक सुविधाओं तथा अभी तक प्राप्त नवीनतम प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान बहु-उद्देश्यीय/सामान्य कार्गो बर्थों, कोयला जेट्टियों के निर्माण और चैनल को गहरा करने से संबंधित अनेक परियोजाएं चालू की गई हैं जिनसे महापत्तनों में कार्गो हैंडल करने की कुल क्षमता 171 मिलियन टन से बढ़कर 177 मिलियन टन हो गई है। इसके अतिरिक्त पी.ओ.एल. उत्पाद हैंडल करने के लिए कांडला में तेल कंपनियों द्वारा दो आभासी जेट्टियों की भी लगाया गया है। गत 3 वर्षों के दौरान लगभग 2086 करोड़ रुपये की लागत से 26 नई स्कीमें महापत्तनों में पत्तन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए संस्वीकृत की गई हैं। 9वीं योजना अवधि के दौरान इन सुविधाओं के चालू हो जाने पर इनसे लगभग 40 मिलियन टन अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि होगी।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पत्तन क्षेत्र में विकास के लिए 3216 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसकी तुलना में लगभग 1369 करोड़ रु. अब तक पहले ही उपयोग किए जा चुके हैं।

(ग) पत्तन सुविधाओं के आधुनिकीकरण में जवाहर लाल नेहरू, मद्रास, कोचीन और कलकत्ता पत्तनों में विकसित किए गए आधुनिक कन्टेनर टर्मिनल, उर्वरक हैंडल करने के लिए जवाहर लाल नेहरू पत्तन में उपबन्ध कराई गई आधुनिक बल्क हैंडलिंग सुविधाएं, नव मंगलूर तथा मुम्बई पत्तनों में विकसित आधुनिक तेल हैंडलिंग सुविधाएं, मुम्बई में पुरानी सबमरीन पाइप लाईनों का प्रतिस्थापन, कांडला और विशाखापत्तनम में नई तेल जेट्टियों के निर्माण का प्रारंभ, पारादीप में कार्यान्वित की जा रही अद्यतन विकसित तकनीक युक्त यांत्रिक कोयला हैंडलिंग सुविधाएं, मद्रास के निकट इन्नौर में निर्माणाधीन यांत्रिक कोयला हैंडलिंग सुविधाओं के लिए एक बिल्कुल नया महापत्तन, पारादीप और विशाखापत्तनम में निर्मित आधुनिक सामान्य कार्गो बर्थ और मद्रास तथा कांडला पत्तनों में उपलब्ध कराई जा रही वर्तमान प्रौद्योगिकी युक्त नई कार्गो हैंडलिंग क्रेनें। इसके अतिरिक्त मुम्बई और कलकत्ता पत्तनों में आधुनिक पोत यातायात प्रबंध प्रणाली (वीटीएमएस) प्रारंभ करने का कार्य चल रहा है। महापत्तनों में कंप्यूटरीकरण और प्रबंध सूचना प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाओं में भी वृद्धि की जा रही है। पत्तन क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज को शुरू करने के लिए भी पहले से प्रयास जारी हैं।

आर्थिक सुधार

307. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया डेवलपमेंट फोरम ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को धीमा करने के खिलाफ भारत को चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). इंडिया डेवलपमेंट फोरम की जून, 1995 में हुई बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने भारत द्वारा अपने सुधार कार्यक्रम की दिशा में की गई प्रगति की जबरदस्त सराहना की, लेकिन इसके साथ उन्होंने उस अपूर्ण सुधार एजेन्डा को भी नोट किया जिसे आगे पूरा किया जाना है।

(ग) और (घ). सरकार द्वारा उपयुक्त आर्थिक नीतियों को तैयार करते समय विभिन्न समूहों और व्यक्तियों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल

308. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्य-वार बनाए गए पुलों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में अधूरी पुल परियोजनाओं को पूरा करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार तथा परियोजना-वार इस संबंध में क्या उपलब्धि हुई?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II हैं।

विवरण–I

क्र.सं.	राज्य	पूरे किए गए पुल कार्य
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	11
4.	बिहार	0
5.	दिल्ली	0
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	16
8.	हरियाणा	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0
11.	कर्नाटक	0
12.	केरल	0
13.	मध्य प्रदेश	0
14.	महाराष्ट्र	11
15.	मणिपुर	0
16.	मेघालय	1
17.	नागालैंड	0
18.	उड़ीसा	1
19.	पंजाब	1
20.	राजस्थान	7
21.	तमिलनाडु	8
22.	उत्तर प्रदेश	2
23.	पश्चिम बंगाल	2
	जोड़	62

विवरण–II

क्र.सं.	राज्य	1.4.92 के अनुसार जारी पुल कार्य	30.9.95 के अनुसार जारी पुल कार्य	1992–96 के दौरान पूरे किए गए पुल कार्य
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10	0	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	0	5
3.	असम	31	16	15
4.	बिहार	24	21	3
5.	दिल्ली	1	0	1
6.	गोवा	5	5	0
7.	गुजरात	23	8	15
8.	हरियाणा	1	1	0
9.	हिमाचल प्रदेश	26	14	12
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0
11.	कर्नाटक	13	11	2
12.	केरल	9	5	4
13.	मध्य प्रदेश	42	15	27
14.	महाराष्ट्र	45	5	40
15.	मणिपुर	3	3	0
16.	मेघालय	9	2	7
17.	नागालैंड	1	0	1
18.	उड़ीसा	14	7	7
19.	पंजाब	6	1	5
20.	राजस्थान	15	3	12
21.	तमिलनाडु	12	4	8
22.	उत्तर प्रदेश	16	11	5
23.	पश्चिम बंगाल	20	10	10
	जोड़	331	142	189

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

310. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों को निजी क्षेत्र को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरसोली मारन) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के किसी भी उद्यम का निजीकरण करने के सम्बंध में सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

कन्याकुमारी-मैसूर राष्ट्रीय राजमार्ग

311. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी से मैसूर तक बरास्ता केरल राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेडलाइन/ब्ल्यूलाइन बसों से दुर्घटनाएं

312. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जून, 1996 के "दी टाइम्स आफ इंडिया" में "ब्ल्यूलाइन बस के पलटने से एक व्यक्ति की मृत्यु, 33 व्यक्ति घायल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष रेड लाइन और ब्ल्यू लाइन बसों से दिल्ली में कितने व्यक्ति मारे गए/ कितने घायल हुए;

(घ) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त उवधि के दौरान इन निजी बसों के प्रचालन से दुर्घटनाएं दिल्ली परिवहन निगम की बसों के प्रचालन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की तुलना में अब अधिक होने लगी हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा निजी बस ऑपरेटरों द्वारा दुर्घटनाओं को कम करने और यह सुनिश्चित करने हेतु कि ये बस ऑपरेटर यात्रियों से दुर्व्यवहार तथा उनसे अधिक किराया न वसूलें, क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख). दिल्ली यातायात पुलिस प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 19.6.96 की रात्रि लगभग 10.45 बजे बाहरी महरौली रोड-अन्धेरिया मोड़ पर ब्लू लाइन बस से एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था और 31 व्यक्ति घायल हुए थे। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया था और महरौली थाने में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने परमिट को निलम्बित/रद्द करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।

(ग) रेड लाइन और ब्लू लाइन बसों में मारे गए/व्यक्तियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

वर्ष	मारे गए व्यक्ति		घायल व्यक्ति	
	रेड लाइन	ब्लू लाइन	रेड लाइन	ब्लू लाइन
1993	260	30	830	56
1994	214	15	887	83
1995	298	14	931	33

(घ) ऐसी दुर्घटनाएं लापरवाही से वाहन चलाने, अधिक तेज गति से वाहन चलाने, अधिक भीड़ भाड़ आदि के कारण होती हैं।

(ङ) और (च). रेड लाइन, ब्लू लाइन और दि.प.नि. की बसों से हुई दुर्घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :-

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या		
	रेड लाइन	ब्लू लाइन	दि.प.नि.
1993	955	20	371
1994	920	62	242
1995	1029	43	169

(छ) किए जा रहे/ किए जाने के प्रस्तावित उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

निजी बसों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं, दुर्व्यवहार और अधिक किराया लेने की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए किए जा रहे/किए जाने के लिए प्रस्तावित उपाय।

1. सार्वजनिक सेवा वाहनों के सभी चालकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/योग्यता जांच अनिवार्य बना दी गई है।
2. सार्वजनिक परिवहन बसों में गति नियंत्रक लगाना।
3. दुर्घटनाओं में लिप्त/परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाली बसों के विरूद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 86 के तहत कार्रवाई।
4. दुर्व्यवहार और अधिक किराया लेने की शिकायतों पर प्रचालकों के विरूद्ध कार्रवाई।
5. यातायात नियमों और विनियमों का सख्ती और कड़ाई से प्रवर्तन।
6. अंधाधुंध और लापरवाही से वाहन चलाने, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, दोषपूर्ण हैड लाइटों, अधिक गति से वाहन चलाने, अधिक भार लदान इत्यादि के खिलाफ नियमित विशेष अभियान।
7. नोटिस जारी करके उल्लंघनकर्ताओं का नियमित अभियोजन।
8. दुर्घटना वाले क्षेत्रों में ब्लिंकर/संकेतों की स्थापना।

9. दुर्घटना वाले क्षेत्रों में अधिक पुलिस की उपस्थिति।

10. प्रातः कालीन विशेष अभियान एवं रात्रि-गश्त।

11. बस बॉक्सों, पीले बाक्सों की पेंटिंग।

12. राजमार्गों पर विशेष रात्रि कालीन जांच।

13. यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए बसों, एच.टी.वी. टी एस आर, टैक्सियों इत्यादि के विरूद्ध विशेष अभियान।

दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को केन्द्रीय सहायता

313. श्री आर.बी.राई. : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को कुल कितनी केन्द्रीय (विशेष) सहायता राशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) क्या उक्त धनराशि उपयुक्त उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद जारी की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारत सरकार ने दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को प्रत्यक्ष रूप से कोई विशेष केन्द्रीय सहायता राशि आवंटित नहीं की है। तथापि, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता राशि आवंटित की गयी और वार्षिक रूप से जारी की गयी। पश्चिम बंगाल में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद और पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद द्वारा कार्यान्वित विकास कार्यों को हस्तांतरिक कार्य-कलापों और अन्य को गैर हस्तांतरित कार्य-कलापों के रूप में निर्दिष्ट किया है। पश्चिम बंगाल सरकार पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशियों को अलग से कार्यान्वित एजेन्सियों को जारी करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान आवंटित और जारी की गयी धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आवंटित धनराशि	जारी की गयी धनराशि
1993-94	20.61	20.61
1994-95	20.61	20.61 (×)
1995-96	22.23	22.23 (××)

(×) इसमें 1995-96 में बकाया 10.31 करोड़ रुपये की बतौर जारी की गयी धनराशि भी शामिल हैं।

(××) इसमें 1996-97 में 11.12 करोड़ रुपये की बकाया के बतौर धनराशि शामिल है।

(ख) और (ग). प्रत्येक वर्ष पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी की गयी धनराशि पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त इस प्रमाण-पत्र के आधार पर होगी कि पहले से जारी की गयी धनराशि कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सियों को सौंप दी गयी है।

सिगरेट पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

314. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 60 एम.एम. से छोटी सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में कितनी राशि वसूल की गई; और

(ख) बीड़ी उद्योग के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1994-95 और 1995-96 (दिसम्बर तक) की अवधि के लिए 60 मि.मी. से अनधिक लंबाई की फिल्टर सिगरेटों को छोड़ कर अन्य सिगरेटों से प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि (अनन्तिम) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1994-95	44 करोड़ रु.
1995-96 (दिसम्बर तक)	67 करोड़ रु.

राजस्व में सिगरेटों के निर्माण के लिए प्रयुक्त कटे हुए तम्बाकू पर प्राप्त उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के उप-शीर्ष सं. 2404.39 के अंतर्गत आने वाली बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क वर्ष 1993-94 से लगातार 5 रु. प्रति हजार की दर से (मूल+अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) चल रहा है। वर्ष 1993-94 से बीड़ियों से प्राप्त उत्पाद शुल्क (करोड़ रुपयों में) राजस्व (जो कि उत्पादन प्रवृत्ति का सूचक है) का ब्यौरा इस प्रकार है :-

1993-94	207
1994-95	208
1995-96	208 (अनन्तिम)

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भंडार

316. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विदेशी मुद्रा और सोने के आरम्भिक भंडार की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश पर विदेशी और आंतरिक ऋण का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी ऋण को कम करने और राष्ट्रीय स्त्रोतों का संवर्धन कर पूंजी जुटाने के संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(घ) कर वसूली को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जिसमें विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां, स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) शामिल हैं, 5 जुलाई, 1996 की स्थिति के अनुसार नीचे दिए गए हैं :

(अमरीकी मिलियन डालर)

भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां	17,743
भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्ण धारिता	4,437.
भारत सरकार की एस.डी.आर. धारिता	11
कुल	22,191

(ख) 1995-96 के अन्त में सरकार का आन्तरिक ऋण 303359 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सितम्बर, 1995 की समाप्ति पर देश का वैदेशिक कर्ज 318319 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) सरकार देश की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आन्तरिक संसाधनों को जुटाने पर पर्याप्त बल देती है अर्थव्यवस्था में निवेश और विकास के उच्चतर स्तरों को ससाध्य बनाने के लिए आवश्यक है कि वैदेशिक संसाधनों को घरेलू बचतों का अनुपूरक बनाया जाये। सरकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन कर गैर-ऋण सृजक प्रवाहों को जुटाने को प्रथमिकता देती है।

(घ) पिछले पांच वर्षों में, अनेक संरचनागत सुधार, जिसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों करों को शामिल किया गया है, शुरू किए गए हैं। कर प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, दरें कम की गई हैं और कर ढांचे में अधिक लचीलापन लाया गया है। इन उपायों के परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। इन उपायों की वजह से कुल कर वसूली में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा भी बढ़ रहा है।

चारा मशीन

317. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पूर्व आयातित चारा मशीनों (फोमेटा) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस समय कितनी मशीनें किन-किन स्थानों पर कार्य कर रही हैं और यदि कार्य नहीं कर रही हैं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में किसी अनियमितता का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). प्रदर्शन और प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए भारत कृषक समाज को दान देने के लिए संजीवनी फोडर प्रोडक्शन (प्रा.) लि. द्वारा दि. 30.3.1987 के तदर्थ छूट आदेश सं. 103/87 के अनुसार 50 चारा मशीनें और कुछेक अतिरिक्त पूर्जे निःशुल्क आयात किए गए थे। यह अपेक्षित था कि इन मशीनों को 5 वर्षों की अवधि तक बेचा नहीं जाएगा, स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा अथवा निपटान नहीं किया जाएगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि छूट आदेश में निर्धारित किए गए अनुसार, आयातकों द्वारा उक्त मशीनों की निःशुल्क निकासी हेतु रखी गई शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है बाद में यह पाया गया कि ये मशीनें या तो मैसर्स संजीवनी फोडर प्रोडक्शन प्रा. लि. और उसकी सहयोगी कंपनी मैसर्स फोमेटा इंडिया मशीन प्रा. लि. के नियंत्रण में हैं या इन्हें राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों को बेच दिया गया है।

सीमा शुल्क आयुक्त, मद्रास द्वारा इन मशीनों के आयात के बारे में न्यायनिर्णयन किया गया था जिन्होंने दि. 5.3.93 के अपने न्यायनिर्णयन आदेश द्वारा आयातकों को 3.37 करोड़ के शुल्क और 3.80 करोड़ रु. का विमोचन जुर्माना अदा करने के लिए कहा है। उन्होंने संबंधित फर्मों और दोनों फर्मों के निदेशकों पर भी व्यक्तिगत अर्थदण्ड भी लगाया है।

अतिरिक्त पुर्जों को उपयोग में लाकर तैयार की गई मशीनों सहित ये सभी मशीनें इस समय मुम्भीदिपॉडी (तमिलनाडु) मेढक (आंध्र प्रदेश), बागरू, बीकानेर और मालपुरा (राजस्थान) बुलन्दशहर, चमोली, झांसी और बरेली (उत्तर प्रदेश) में पड़ी हुई हैं। इन मशीनों को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।

विधायी तथा प्रशासनिक व्यवस्था

318. **श्री काशी राम राणा :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **विधि तथा न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विधायी तथा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग). न्यायालयों में न्यायिक और प्रशासनिक प्रणाली का सुधार किया जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है। न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का गहन अध्ययन करने और न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा 1989, में उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक समिति (न्यायमूर्ति मलिमथ समिति) गठित की गई थी। समिति ने विभिन्न पहलुओं के संबंध में कई सिफारिशें की हैं, जिनके अंतर्गत अधिकारिता संबंधी और प्रक्रिया संबंधी उपांतरण, न्यापालिका में सुधार, विनिर्दिष्ट प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए अधिकरणों/आयोगों जैसी विशेषज्ञ निकायों की स्थापना करना, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की पद संख्या का निर्धारण और उनकी नियुक्ति, अधीनस्थ न्यायपालिका में और अधिक पदों का सृजन करना तथा न्यायालयों में कार्यालय उपस्कर के आधुनिकीकरण से संबंधित अनेक अन्य साधारण सिफारिशें और न्यायपालिका को और अधिक निधियों का आबंटन भी आते हैं। इन सिफारिशों को अन्य बातों के साथ सभी संबंद्ध राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या और उनको शीघ्र निपटाए जाने के संबंध में 4 दिसंबर, 1993 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की बैठक में भी विचार किया था। सम्मलेन में इसके द्वारा अंगीकृत संकल्प में न्यायालयों/अधिकरणों में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कई उपायों की सिफारिश की गई। इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों/अधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। दिसंबर, 1993 के संकल्प के कार्यान्वयन और कार्यकारी समूहों द्वारा की गई सिफारिशों का विधि मंत्रियों ने, नवंबर, 1994 में कलकत्ता में तथा नवंबर, 1995 में हैदराबाद में हुए अपने खुले अधिवेशन में पुनर्विलोकन किया। इन अधिवेशनों में अंगीकृत संकल्पों को भी सभी संबद्ध प्राधिकरणों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

स्वदेशी उद्यमी

319. श्री राम टहल चौधरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वदेशी उद्यमियों को सहायता और प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग). घरेलू उद्यमिता के उन्नयन के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद शुल्क में कमी, जहां आवश्यक हो प्रतिकार शुल्क लगाना, निगम कर में कमी, इत्यादि शामिल हैं। 1.8.1991 से 31.5.96 तक की अवधि के दौरान अब तक लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में 2578। निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें 504,782 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश अन्तग्रस्त है।

ग्रामीण ऋण प्रणाली

320. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा देश भर में ग्रामीण ऋण प्रणाली में सुधार लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यपद्धति को सुदृढ़ तथा सुचारू बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सेवाओं का क्षेत्र एवं पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, दिनांक 1.1.1994 में उन्हें अपने नए ऋणों का 60 प्रतिशत तक गैर लक्ष्य समूहों को वित्त पोषित करने की अनुमति दी गई है। उन्हें चैकों/मांग ड्राफ्टों की खरीद/भुगतान के लिए और अधिक विवेकाधिकार दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सेवाओं का क्षेत्र बढ़ाने के लिए उन्हें, अन्य बातों के साथ साथ अपने ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी करने, लाकर लगाने, ड्राफ्ट जारी करने तथा डाक द्वारा अन्तरण करने की अनुमति भी दी गई है।

(2) वर्ष 1992-93 के दौरान, 2 करोड़ रुपए से कम का संवितरण करने वाले सत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा-क्षेत्र दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें अपने क्षेत्राधिकार में पुरे क्षेत्र में ऋण देने की अनुमति दी गई है।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, कुछ शर्तों के अध्यधीन, अपनी घाटा उठाने वाली शाखाओं को अपेक्षाकृत बेहतर क्षेत्रों अर्थात वाणिज्यिक केन्द्रों जैसे बाजार क्षेत्रों, ग्रामीण मंडियों जिला मुख्यालयों आदि में स्थापित करने तथा संबंधित कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से पुनः नियोजित करने की अनुमति दी गई है।

(4) भारत सरकार से 102 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 374 करोड़ रुपए (लगभग तक की ईक्विटी सहायता दी गई है तथा इस कार्य के लिए वर्ष 1996-97 में 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

(5) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंक विशिष्ट विकास कार्य योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है ताकि वे लाभदायक स्थिति में लआने के लिए एक क्रमबद्ध दृष्टिकोण बना सकें।

(6) भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (यू.टी.आई.) की सूचीबद्ध तथा अन्य योजनाओं, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई आईएफसीआई तथा सिडबी जैसी लाभ प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं की सावधि जमाओं, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के बाण्डों में और प्रतिष्ठित विश्वसनीय व्यक्तियों के अपरिवर्तनीय डिबेन्चरों जैसे लाभदायक क्षेत्रों में अपने गैर-एसएलआर बशी निधियों व निवेश करने हेतु पहुंच उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुमति दी है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले जोखिम रहित भागीदारी प्रमाणपत्र के जरिए अपने प्रायोजक बैंक के ऋण पोर्टफोलियों में अपने बेशी गैर-एसएलआर निधियों का एक अंश लगा सकते हैं।

(7) वर्ष 1995-96 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आय का पता लगाने व आस्ति वर्गीकरण हेतु विवेकपूर्ण लेखा मानदंड लागू किए गये हैं। प्रावधान संबंधी वर्ष 1996-97 और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।

[हिन्दी]

मूल्य सूचकांक

321. **श्री नितीश कुमार :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले कुछ महीनों के दौरान मुद्रा-स्फीति की दर नियंत्रण में रही है;

(ख) क्या देश में थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कृषि श्रमिक मूल्य सूचकांक में काफी अंतर है; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और क्रमशः ऐसी वस्तुओं की संख्या और उनके नाम क्या हैं जिन्हें मूल्य सूचकांक का पता लगाने के लिए ध्यान में रखा जाता है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तीनों सूचक अंकों की श्रृंखला में अंतर उनमें शामिल वस्तुओं के समूह की संरचना व उनके सापेक्ष महत्व के कारण हैं। थोक मूल्य सूचकांक सभी व्यापारिक वस्तुओं की 447 वस्तुओं के थोक मूल्य के साप्ताहिक घट-बढ़ को प्रतिबिम्बत करती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) 260 वस्तुओं के सेवाओं के खुदरा मूल्यों में मासिक घट-बढ़ को प्रतिबिम्बत करता है। जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि श्रमिक) में 1960-61 के पुराने आधार पर केवल 60 वस्तुओं के खुदरा मूल्य शामिल हैं। तीनों सूचकांकों की वस्तु संरचना संलग्न विवरण में सूचीकृत है।

विवरण

विभिन्न मूल्य सूचकांक श्रृंखलाओं के अन्तर्गत वस्तु समूह

थोक मूल्य सूचकांक		थोक मूल्य सूचकांक	
		औद्योगिक श्रमिक	कृषि श्रमिक
1		2	3
I.	सभी वस्तुएं	सामान्य	सामान्य
	(क) खाद्य पदार्थ	1. खाद्य ।	1. खाद्य ।
	(ख) गैर खाद्य पदार्थ	2. पान, सुपारी, तम्बाकू और मादक पदार्थ ।	2. ईंधन व प्रकाश।
			3. वस्त्र एवम् जूते-चप्पल
	(ग) खनिज	3. ईंधन व प्रकाश	4. विविध व सेवाएं
II.	ईंधन, बिजली, प्रकाश और स्नेहक	4. आवास	
	(क) कोयला खनन	5. वस्त्र, बिस्तर एवम् जूते-चप्पल।	
	(ख) खनिज तेल	6. विविध।	

1.	2	3
III.	विनिर्मित उत्पाद	
	(क) खाद्य उत्पाद	
	(ख) पेयपदार्थ, तम्बाकू व तम्बाकू उत्पाद	
	(ग) वस्त्र	
	(घ) काष्ठ व काष्ठ उत्पाद	
	(ङ) कागज व कागज उत्पाद	
	(च) चमड़ा व चर्म उत्पाद	
	(छ) रबर व प्लास्टिक उत्पाद	
	(ज) रसायन व रसायनिक उत्पाद	
	(झ) प्राथमिक धातु, समिश्र धातु व धातु उत्पाद	
	(ट) मशीनरी और मशीन औजार	
	(ठ) परिवहन उपकरण और उत्पाद	
	(ढ) अन्य विविध विनिर्माण उद्योग	

मतदाता पहचान-पत्र

322. **जस्टिस गुमानमल लोढा :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली मतदान पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता पहचान-पत्र जारी करने की योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिशत मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी कर दिए गए हैं;

(ङ) क्या उक्त योजना को पूरी तरह क्रियान्वित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) मार्च, 1996 तक उक्त योजना के कार्यान्वयन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख). अगस्त, 1993 में, भारत के निर्वाचन आयोग ने, जाली मतदान को रोकने के अनुक्रम में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए व्यवस्था किए जाने के संबंध में सभी राज्यों (जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय) के मुख्य निर्वाचन आफिसरों को निदेश दिया था। स्कीम पर संपूर्ण व्यय पहले राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना था और बाद में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच समान रूप से प्रभावित किया जाना था।

(ग) और (घ). निर्वाचन आयोग, जिसका संबंध मुख्यतः इस स्कीम से है, विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों द्वारा उसे प्रस्तुत की गई साप्ताहिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर इसके कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन कर रहा है। तथापि, फरवरी, 1996 के अन्त तक आयोग ने, स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने को साधारण निर्वाचनों के पूरा होने तक अस्थायी रूप से निलंबित रखा। ऐसे मतदाता, जिन्हें 23-2-1996 तक त्रुटिमुक्त फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए गए थे, की राज्यवार प्रतिशतता देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च). आयोग ने स्कीम को पूरा करने के लिए मूलतः अंतिम तारीख 30-11-1991 नियत की थी। तथापि, यह अंतिम तारीख समय समय पर बढ़ाई जाती रही और पिछली बार इसे 31.3.1996 तक बढ़ाया गया था। आयोग द्वारा नई अंतिम तारीख अभी तक नियत नहीं की गई है।

(छ) स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मार्च, 1996 तक 423.8 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऐसे मतदाता, जिन्हें त्रुटिमुक्त फोटो पहचानपत्र प्रदाय किए गए की अनुमानित प्रतिशतता
राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	57%
3.	असम	शून्य
4.	बिहार	12%
5.	गोवा	51%
6.	गुजरात	66%
7.	हरियाणा	79%
8.	हिमाचल प्रदेश	56%
9.	जम्मू और कश्मीर *	
10.	कर्नाटक	13%
11.	केरल	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	22%
13.	महाराष्ट्र	75%
14.	मणिपुर	74%
15.	मेघालय	49%
16.	मिजोरम	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य
18.	उड़ीसा	62%
19.	पंजाब	64%
20.	राजस्थान	39%
21.	सिक्किम	69%
22.	तमिलनाडु	शून्य
23.	त्रिपुरा	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	15%
25.	पश्चिम बंगाल	59%
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	83%
2.	चंडीगढ़	62%
3.	दादरा और नागर हवेली	31%
4.	दमन और दीव	43%
5.	दिल्ली	61%
6.	लक्षद्वीप	89%
7.	पांडिचेरी	84%

* स्कीम को जम्मू-कश्मीर में विस्तारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

प्रवेश पत्र (बी.ई.एफ.) विवरण जमा करना

323. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों और अन्य प्राधिकृत विदेशी मुद्रा डीलरों/एजेंटों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में आवधिक रूप से प्रवेश-पत्र प्रारूप (बी.ई.एफ.फार्म) विवरण भेजा जाना अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसे प्रवेश-पत्र (बी.ई.एफ.) विवरण का ब्यौरा क्या है जिनके विप्रेषण के बाद तीन माह, छः माह और एक वर्ष के अन्तर्गत माल की प्राप्ति नहीं हुई है और रुपए में इसका मूल्य क्या है; और

(ग) ऐसे बैंकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है जिन्होंने विवरण नहीं दिया है।

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभी पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक चूककर्ता आयातकों के साथ मामले को उठाता है और यदि आयात का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त आयातकों के मामले प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी विभागों के मामले को संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मुख्य कार्यकारी/सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

आयातित जहाजों का कार्यकरण

324. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ विदेशी जहाजों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो ये जहाज कौन-कौन सी कंपनियों से खरीदे गये और उस पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या ये जहाज संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन जहाजों की खरीद में हुई किन्हीं अनियमितताओं का पता लगाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (च). वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अनुसार यह मंत्रालय मुख्यतया 15 टन निवल से अधिक क्षमता के समुद्रगामी व्यापारिक पोतों के लिए जिम्मेदार है। पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार ने इस प्रकार का कोई पोत नहीं खरीदा है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के एक उद्यम, भारतीय नौवहन निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश से 491.50 मिलियन अमरीकी डालर के ऐसे 11 पोत खरीदे हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये पोत संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे बताए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भा.नौ.नि. द्वारा खरीदे गए जलयान

वर्ष

क्र.सं.	जलयान का नाम	विक्रेता	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)
1993			
1.	रविन्द्र नाथ टैगोर	मै. देवू कारपोरेशन, कोरिया	42.00
2.	लाल बहादुर शास्त्री	मै. हुन्दई हैवी इंडस्ट्रीज, कोरिया	40.95
3.	इंदिरा गांधी	मैं हुन्दई हैवी इंडस्ट्रीज, कोरिया	40.95
1994			
1.	बी सी चटर्जी	मै. देवू कारपोरेशन, कोरिया	42.00
2.	राजीव गांधी	मै हुन्दई हैवी इंडस्ट्रीज, कोरिया	40.95
3.	अंकलेश्वर	मै. सैमसंग कारपोरेशन, कोरिया	65.53
4.	गंधार	मै. सैमसंग कारपोरेशन, कोरिया	65.53
1995			
1.	महाराजा अग्रसेन	मै. हुन्दई हैवी इंडस्ट्रीज, कोरिया	65.53
2.	जुलेलाल	मै. एसडीएस शिपिंग, नार्वे	10.63
3.	गुरू गोबिन्द सिंह	मै. हुन्दई हैवी इंडस्ट्रीज, कोरिया	65.53
4.	बश्वेश्वर	मै. सावघार्ट, स्विटजरलैंड	11.90
		कुल	491.50

[अनुवाद]

सोधानी समिति

325. श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रवासी भारतीय, विदेशी निकायों, निगमित निकायों और भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा निवेश करने विशेष रूप से फोर्टफोलियों निवेश को बढ़ावा देने हेतु सोधानी समिति की कुछ सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पालन किये जा रहे नये दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). अनिवासी भारतीयों को उपलब्ध विभिन्न योजनाओं तथा प्रोत्साहनों की जांच करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्य दल ने भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी सिफारिशें मई, 1995 में प्रस्तुत की। इन सिफारिशों में उदारीकृत अर्थव्यवस्था में विद्यमान निवेश योजनाओं की संगतता के संदर्भ में उनका पुनर्निर्माण तथा अनुमोदन प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए उठाए गए कदम शामिल

है। सरकार ने इन सिफारिशों में से अनेक पर विचार कर लिया है और उनके प्रति सहमति दे दी है जिन्हें संलग्न विवरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रचालन में लाया गया है।

विवरण

1. फोर्टफोलियों निवेश योजनाओं के अंतर्गत अर्जित शेयरों की बिक्री हेतु समुद्रपारीय कार्पोरेट निकायों को सामान्य अनुमति।
2. प्रत्यक्ष निवेश योजनाओं के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों/समुद्रपारीय कार्पोरेट निकायों द्वारा प्रत्यावर्तन आधार पर अर्जित शेयरों की बिक्री हेतु सामान्य अनुमति बशर्ते कि बिक्री मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से की जाए।
3. अनिवासी भारतीयों को शेयरों के निर्गम/निर्यात हेतु अंतिम अनुमति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण,
4. भारतीय कंपनियों के संगम अनुच्छेद तथा ज्ञापन में अभिदान हेतु अनिवासी भारतीयों को सामान्य अनुमति (जिसमें पहले केवल औद्योगिक गतिविधियों में लगी कंपनियां शामिल थी) कम्पनी की गतिविधियों को ध्यान में लिए बिना सभी कंपनियों तक विस्तारित कर दी गई है।
5. अनिवासी साधारण खाता (एन.आर.ओ.) खोलने के लिए औपचारिकताओं को आसान करना।
6. भारतीय कंपनियों के शेयरों की प्रतिभूति पर विदेश में लिए गए ऋणों को प्रतिसंतुलित करने हेतु शेयरों की बिक्री आय घटाकर करों को प्रेषण हेतु भारतीय रिवर्ज बैंक की पूर्वानुमति की अपेक्षा को हटाना।
7. आवासीय वित्त कम्पनियों द्वारा अनुपालन किए जा रहे निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार भारत में आवासीय मकानों के अधिग्रहण हेतं अनिवासी भारतीयों को रुपयों में ऋण देने हेतु प्राधिकृत डीलरों को अनुमति।
8. विदेशों में प्रतिनियुक्त अनिवासी कर्मचारीवृंद को कंपनी की कर्मचारीवृंद आवासीय ऋण योजना के अन्तर्गत आवास ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय कंपनियों को अनुमति, बशर्ते कि ऋण का पुनर्भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाए।
9. भारतीय कंपनियों को शेयर अभिदान की विलंबित वापसी पर ब्याज के भुगतान हेतु सामान्य अनुमति।
10. अनिवासी भारतीयों/समुद्रपारीय कर्पोरेट निकायों की ओर से प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु प्राधिकृत डीलरों के अलावा संस्थागत अभिरक्षकों को अनुमति दी गई।

तमिलनाडु में चार लेन वाले राजमार्ग

326. **श्री डी. वेणुगोपाल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में चार लेनों वाले राजमार्ग का निर्माण हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में दो लेनों वाला राजमार्ग है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसको चार लेनों वाले राजमार्ग में बदलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक चार लेनों वाले राजमार्ग में बदले जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) इस समय देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लगभग केवल 2 प्रतिशत लम्बाई में चार लेन हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). दो लेनों को चार लेनों में बदलने के लिए जांच-पड़ताल की जानी आवश्यक हैं और इस प्रकार अभी ऐसे परिवर्तन के लिए कोई निश्चित सीमा नहीं बताई जा सकती।

विवरण

देश में चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे

लम्बाई कि.मी. में

क्र.सं.	राज्य	चार लेन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	28
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	–
4.	बिहार	15
5.	चंडीगढ़	8
6.	दिल्ली	72
7.	गोवा	–
8.	गुजरात	196
9.	हरियाणा	77
10.	हिमाचल प्रदेश	–
11.	जम्मू और कश्मीर	–
12.	कर्नाटक	30
13.	केरल	–
14.	मध्य प्रदेश	–
15.	महाराष्ट्र	21
16.	मणिपुर	–
17.	मेघालय	–

1	2	3
18.	मिजोरम	–
19.	नागालैंड	–
20.	उड़ीसा	3
21.	पांडिचेरी	–
22.	पंजाब	131
23.	राजस्थान	19
24.	सिक्किम	–
25.	तमिलनाडु	34
26.	त्रिपुरा	–
27.	उत्तर प्रदेश	30
28.	पश्चिम बंगाल	7
	कुल :	671

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर श्वेत पत्र

327. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री विनय कटियार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति एवं उसके भविष्य के सम्बन्ध में श्वेत पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की स्थिति और उनके भविष्य पर श्वेत पत्र जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत में एशियाई कार का निर्माण

328. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख जापानी आटोमोबाइल कम्पनी भारत में कम लागत की एशियाई कार के विनिर्माण की योजना बना रही है;

(ख) क्या उक्त कार का विनिर्माण सरकारी क्षेत्र में किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकार, जापानी आटोमोबाईल कंपनी द्वारा इस प्रकार की कार के विनिर्माण हेतु कोई एकक स्थापित करने संबंधी किसी भी योजना से परिचित नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

असम में सीमेंट की मांग और पूर्ति

329. **श्री केशव महन्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम में सीमेंट की वार्षिक खपत और उत्पादन कितना था; और

(ख) राज्य में सीमेंट की मांग और पूर्ति में अंतर समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सीमेंट विनिर्माण एशोसियेशन द्वारा प्रकाशित सांख्यकीय रिपोर्टों के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में सीमेंट की खपत तथा उत्पादन निम्न प्रकार है:-

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)	खपत (लाख टन में)
1993-94	1.48	4.95
1994-95	1.54	5.36
1995-96	1.56	4.35

छोटे सीमेंट संयंत्रों के उत्पादन के आंकड़े केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखे जाते हैं।

(ख) सीमेंट उद्योग विनियंत्रित तथा लाइसेन्स मुक्त है तथा उद्यमी कहीं पर भी सीमेंट यूनिट स्थापित करने के लिये स्वतंत्र है बशर्ते कि स्थान का अनुमोदन हो। सीमेंट के अधिकतम उत्पादन के लिये सरकार इस उद्योग को सभी अवसंरचनात्मक सहायता मुहैया कर रही है। दुर्गम क्षेत्रों में सीमेंट ले जाने के लिये प्राथमिकता आधार पर रेल वैगनों की आपूर्ति की जाती है।

[हिन्दी]

आयकर पर लगाया गया अधिभार

330. **श्री मुनव्वर हसन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर पर उस समय अधिभार लगाया गया था जब देश कुछ वर्ष पूर्व प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा था;

(ख) क्या आयकर पर यह अधिभार अभी भी जारी है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है;

(घ) क्या सरकार इससे हुई आय को राज्यों में भी वितरित करती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रतिशतता कितनी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। वर्ष 1987-88 के सूखे के कारण उत्पन्न विकट स्थिति से निपटने के लिए आयकर की 5 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया गया था।

(ख) और (ग). जैसाकि भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है संसाधन जुटाने के लिए आरंभ में 5 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया गया था जिसे समय-समय पर बढ़ाकर निगमेत्तर कर-निर्धारितियों के मामले में 12 प्रतिशत और कम्पनियों के मामले में 15 प्रतिशत कर दिया गया था। निगमेत्तर कर निर्धारितियों के मामले में अधिभार को वित्त अधिनियम, 1994 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। तथापि, स्वदेशी कम्पनियों के मामले में राजस्व कारणों से अधिभार लगाया जाना जारी है।

(घ) जी, नहीं। अधिभार केवल संघ के प्रयोजनों हेतु वसूल किया जाता है और इसे राज्यों में नहीं बांटा जाता है।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न भी नहीं उठता।

ऋण-भार

331. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में प्रति व्यक्ति ऋण-भार कितना है; और

(ख) इस ऋण-राशि पर कितना ब्याज अदा करना पड़ेगा?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार का प्रतिव्यक्ति आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण वर्ष 1995-96 में क्रमशः 3272 रुपए तथा 160। रुपए है।

(ख) सरकार के आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण पर कुल ब्याज अदायगी वर्ष 1995-96 (संशोधित अनुमान) में 27166 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक की सहायता से राजमार्ग परियोजनाएं

332. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक से कितनी धनराशि प्राप्त की गई है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक परियोजना की प्रगति क्या है; और

(घ) उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजनावार क्या अवधि निर्धारित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ). एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋण सहायता से कार्यान्वित की जा रही राजमार्ग परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण I, II तथा III में दिए गए हैं।

विवरण-I

एशियाई विकास बैंक ऋण सहायता के तहत प्रथम सड़क सुधार परियोजनाओं के ब्यौरे

ऋण सं. 918-इंड

ऋण राशि : 188.00 मिलियन अमरीकी डालर

एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋण (मई 1996 तक) 133.2 मिलियन अमरीकी डालर

(राशि करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	रा.रा.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई कि.मी.	स्वीकृत लागत	मई, 96 तक वास्तविक प्रगति का %	पूरा करने की लक्षित तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
I	रा.रा.परियोजनाएं						
1.	आंध्र प्रदेश	5	रा.रा.-5 के विजयवाडा-विशाखापत्तनम खंड के 358/0 से 395/875 कि.मी. तथा विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड के 0/8 से 2/837 कि.मी. भाग को चौड़ा करके 4 लेन बनाना तथा मौजूदा 2 लेन कैरिजवे को मजबूत बनाना।	46.33	83.33	80.95	दिसम्बर 1996

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	हरियाणा	2	हरियाणा में रा.रा.-2 के दिल्ली-मथुरा खंड पर बल्लभगढ़ से हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा (37.30 से 93.83 कि.मी.) भाग को 4 लेन का बनाना।	56.53	68.91	59.50	सितम्बर 1997
3.	उत्तर प्रदेश	2	उत्तर प्रदेश में रा.रा.-2 के दिल्ली-मथुरा खंड के हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा-मथुरा (93.83 से 148.33 कि.मी.) भाग को 4 लेन का बनाना	54.50	64.00	58.50	सितम्बर, 1997
			उप जोड़	157.36	216.24		
II	राज्यीय सड़क परियोजनाएं						
1.	आंध्र प्रदेश	–	हैदराबाद-रामगुडम सड़क का सुधार	214.87	70.00	67.27	मार्च, 97
2.	कर्नाटक	–	अंकोला-हुब्ली सड़क का सुधार	132.40	65.00	100.00	पूरी की जा चुकी है।
3.	तमिलनाडु	–	पूर्वी तटीय सड़क का सुधार	166.60	63.00	62.61	सितम्बर, 1997
			उप जोड़	513.97	198.00		
			कुल जोड़	671.33	414.24		

विवरण-II

एशियाई विकास बैंक ऋण सहायता के तहत द्वितीय सड़क सुधार परियोजनाओं के ब्यौरे

ऋण सं. 1041-इंड

ऋण राशि : 250 मिलियन अमरीकी डालर

एशियाई विकास बैंक से प्राप्त निधियां-145.2 मिलियन अमरीकी डालर (मई, 1996 तक)

(राशि करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	रा.रा.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई कि.मी.	स्वीकृत लागत	मई, 96 तक वास्तविक प्रगति का %	पूरा करने की लक्षित तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
I	राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं						
1.	कर्नाटक	7	रा.रा.-7 के बंगलौर से कर्नाटक/तमिलनाडु सीमा खंड (8 से 33 कि.मी.) को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना तथा मौजूदा पेवमेंट को सुदृढ़ करना।	25	48.11	73.00	जून, 1997
2.	केरल	47	रा.रा.-47 के अल्वई से वैत्तिला और अरूर-शेरतलै खंड को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना और मौजूदा पेवमेंट को सुदृढ़ करना तथा वैत्तिला-अरूर खंड को सुदृढ़ करना।	47	93.97	32.27	दिसम्बर, 1998

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	राजस्थान	8	अछरोल-कोटपुतली खंड (162.500 से 231.00 कि.मी.) को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना तथा मौजूदा को सुदृढ़ करना।	69	93.66	71.80	जून, 1997
			उप जोड़	141	235.74		
II	राज्य सड़क परियोजनाएं						
1.	आंध्र प्रदेश	–	काकीनाड़ा-राजनगरम सड़क का सुधार	54.00	34.03	89.70	अक्तूबर, 1996
2.	उड़ीसा	–	राउरकेला-सम्बलपुर सड़क का सुधार	164.00	189.30	72.56	जून, 1997
3.	उत्तर प्रदेश	–	वाराणसी-शक्ति नगर सड़क का सुधार	182.00	108.67	31.85	जून, 1998
4.	पश्चिम बंगाल	–	पानागढ़-मोरेग्राम सड़क का सुधार	152.00	205.00	38.06	दिसम्बर, 1998
			उप जोड़	552.00	537.00		
			कुल जोड़	693.00	772.71		

विवरण-III

एशियाई विकास बैंक ऋण सहायता के तहत तृतीय सड़क सुधार परियोजनाओं के ब्यौरे

ऋण सं. 1274-इंड

ऋण राशि : 245 मिलियन अमरीकी डालर

एशियाई विकास बैंक से प्राप्त निधियां-कोई नहीं (मई, 1996 तक)

(राशि करोड़ रु.)

क्रसं.	राज्य	रा.रा.स.	कार्य का नाम	लम्बाई कि.मी.	अनुमोदित लागत करोड़ रु.	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	हरियाणा	8	गुडगांव-हरियाणा/राजस्थान सीमा (36.63 से 107.18 कि.मी.) खंड में 4 लेन बनाना तथा मौजूदा 2 लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करना।	70.55	177.86	1. कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
2.	राजस्थान	8	हरियाणा/राजस्थान सीमा से कोटपुतली (107.18 से 162.50 कि.मी.) खंड में 4 लेन बनाना और मौजूदा 2 लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करना।	55.38	120.64	2. एन एच ए आई को निविदाएं प्राप्त हुई हैं। संविदा करारों को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए इन पर कार्रवाई की जा रही है।
3.	पश्चिम बंगाल	2	रानीगंज से पानागढ़ (474 से 516 कि.मी.) तक 4 लेन बनाना तथा मौजूदा 2 लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करना।	42	143.35	अभी पूरा करने की लक्षित तारीखें नहीं बताई जा सकती।
4.	बिहार	2	बरवा अड्डा से बाराकर (398.75 से 441.44 कि.मी.) तक 4 लेन बनाना तथा मौजूदा 2 लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करना।	42.7	127.89	

1	2	3	4	5	6	7
5.	आंध्र प्रदेश	9	नन्दीगाम से विजयवाड़ा खंड (217 से 265 कि.मी.) पर मौजूदा 2 लेन कैरिजवे को सुदृढ़ करना तथा 252 से 265 कि.मी. तक 4 लेंन बनाना।	48	67.32	
6.	आंध्र प्रदेश	5	विजयवाड़ा से इलुरू (3.4 से 13 कि.मी. और 69.2 से 75 कि.मी.) तक मौजूदा 2 लेन कैरिजवे को सुदृढ़ करना तथा 3.4 से 13 कि.मी. तक 4 लेन बनाना और इलुरू कस्बे (53.80 से 69.20 कि.मी.) के लिए 17.88 कि.मी. लम्बा एक बाईपास।	74.08	135.42	
			जोड़	332.71	772.48	

एजेंसी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव संबंधी कार्य

333. **श्री मोहन रावले :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव का कार्य राज्य सरकारों को एजेंसी आधार पर सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन दिया है कि महाराष्ट्र को राजमार्गों को बनाने, रख-रखाव और मरम्मत हेतु आबंटित धनराशि में अपने लिए निर्धारित अंश से भी कम आबंटन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार को अधिक धनराशि आबंटित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से किए गए रख-रखाव कार्य के लिए उन्हें सौ प्रतिशत एजेंसी प्रभार का भुगतान किया जाता है।

(ग) से (च). राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए निधियां अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार सामान्यतः आवश्यकता का 50-55 प्रतिशत तक उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार इस कमी को सभी राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन करना होता है। तथापि, सामान्य रख-रखाव के लिए राज्य सरकारों को सामान्यतः आनुपातिक आधार पर (किसी विशेष राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के कैरिजवे लम्बाई और चौड़ाई पर आधारित निधियां आबंटित की जाती हैं।

पंजाब नैशनल बैंक, ग्वालियर में डकैती

334. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब नैशनल बैंक, ग्वालियर में 16 मार्च, 1995 को हुई पांच लाख रुपये की डकैती की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में अब तक कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या एहतियाती उपाए किए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि 16 मार्च, 1996 को पंजाब नैशनल बैंक, ग्वालियर में डकैती की कोई वारदात नहीं हुई। अलबत्ता, 16 मई, 1996 को पंजाब नैशनल बैंक, ग्वालियर की चेतकपुरी शाखा में तीन सशस्त्र डकैतों द्वारा पांच लाख रुपए की राशि कैशियर से उस समय लूट ली गई जब धन शाखा से करेंसी चेस्ट में रखने के लिए ले जाया जा रहा था। बदमाशों द्वारा गोलीबारी किए जाने से कैशियर और एक दिहाड़ी मजदूर घायल हो गए। पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाई गई है। क्षेत्र में पुलिस-गश्ती बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा मामला राज्य प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। शाखा को एक सशस्त्र बैंक-गार्ड उपलब्ध कराया गया है। बैंक ने भी अपने अंचल और क्षेत्रीय प्रबंधकों को यह सलाह दी है कि वे शाखा में उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।

उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया जाना

335. **डा. एम.पी. जायसवाल :**
श्री सुरेश कलमाड़ी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी बैंक के उपक्रमों तथा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित विभिन्न उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसे कौन-कौन से उद्योग हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग). इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए छः उद्योग आरक्षित हैं तथा "लघु क्षेत्र" में विनिर्माण के लिए 836 वस्तुएं आरक्षित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र/लघु क्षेत्र के लिए उद्योगों/वस्तुओं के आरक्षण/अनारक्षण की समीक्षा एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

चुनाव सुधार

336. **श्री रूप चन्द पाल :**
श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चुनाव सुधारों में आधारभूत परिवर्तन लाने के किसी ठोस प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख). सरकार ने निर्वाचन सुधारों के संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ शीघ्र ही चर्चा करने का प्रस्ताव किया है और निर्वाचन सुधारों के संबंध में एक पैकेज को यथासंभव शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए इच्छुक है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 16 का निर्माण

337. **श्री एल. राम्मना** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामाबाद से जगदलपुर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 16 की मरम्मत हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). रा.रा.-16. आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से गुजरता है। चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए, इन राज्यों को क्रमशः 6.13 करोड़ रु., 5.58 करोड़ रु. और 6.86 करोड़ रु. अनुरक्षण अनुदान के रूप में आबंटित किए गए हैं, जिसमें रा.रा.-16 भी शामिल है। अनुरक्षण कार्य कलाप एक सतत् प्रक्रिया है और ये कार्य उपलब्ध निधियों के तहत चरणबद्ध रूप में किए जाते हैं।

हल्दिया गोदी में तेल का रिसाव

338. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1996 माह के दौरान हल्दिया गोदी क्षेत्र में हुगली नदी में तेल का रिसाव हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इसकी जांच हेतु कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटना न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). जी हां। भारतीय तेल निगम द्वारा चार्टर पर लिए गए बार्ज "प्रेम तिष्ठा" से बार्ज जैटी सं.। पर दि. 31.5.1996 को प्रातः हाई स्पीड डीजल बह गया था। हल्दिया गोदी परिसर की मौजूदा दोनों बार्ज जैटियों पर पैट्रोलियम उत्पादों की लदाई पूर्णतः भारतीय तेल निगम (विपणन प्रभाग) द्वारा नियंत्रित और प्रचालित की जाती है।

(ग) और (घ). जी नहीं।

(ङ) भारतीय तेल निगम ने जो बार्ज जैटी पर संपूर्ण प्रचालनों को नियंत्रित कर रहा है, तट से बार्ज के लिए लदान प्रचालनों पर कड़ी निगरानी रखने के उपाय किए हैं और बार्ज प्रचालन करने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दे रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कार्य निष्पादन

339. **श्री के. प्रधानी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूर्णरूप से कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राधिकरण द्वारा परियोजना-वार किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) एन एच ए आई फरवरी, 1995 से एक अध्यक्ष, तीन पूर्ण-कालिक सदस्यों तथा दो अंशकालीन सदस्यों से काम कर रहा है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) एशियाई विकास बैंक ऋण सहायता के तहत हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्यों में रा.रा. 8,2,9 और 5 की 333 कि.मी. लम्बाई का उन्नयन। एन एच ए आई ने बोली आमंत्रित करके उनका मूल्यांकन कर लिया है, पर्यवेक्षी परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर दी गई है तथा परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां स्थापित कर दी हैं।

(2) बी ओ टी हेतु रा. रा.-6 पर दुर्ग बाईपास के लिए उद्यमियों का चयन कर लिया गया है।

(ग) अभी तक किसी परियोजना पर कोई व्यय नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश के लिए नीति

340. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेश के संबंध में कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति का कार्यान्वयन कब तक किया जाएगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग). यथा निरूपित विदेशी निवेश नीति की देश में विशेषता प्राथमिकता/मुख्य क्षेत्रों, जिसमें आधार-भूत क्षेत्र भी शामिल हैं, में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से नीति को अधिक गतिशील बनाने की दृष्टि से उसकी निरंतर समीक्षा की जाती है।

न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

341. श्री थावरचन्द गेहलोत :
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में 31 दिसम्बर, 1995 तक न्यायालयवार न्यायाधीशों के कुल कितने पद स्वीकृत थे;

(ख) 31 दिसम्बर, 1995 तक न्यायालयवार न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त थे;

(ग) मई, 1996 तक इनमें से कितने रिक्त पदों को भरा गया; और

(घ) न्यायालयवार शेष रिक्तियों को भरे जाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों की विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए संबद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया जारी है।

विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	मंजूर की गई संख्या (31.12.1995 को)	रिक्तियों	1.1.96 से 30.5.96 के दौरान की गई नियुक्तियां
1.	इलाहाबाद	71	4	3
2.	आंध्र प्रदेश	36	–	–
3.	मुम्बई	54	13	12
4.	कलकत्ता	48	6	–
5.	दिल्ली	31	3	2
6.	गौहाटी	17	3	4
7.	गुजरात	32	5	–
8.	हिमाचल प्रदेश	8	1	–
9.	जम्मू - कश्मीर	11	1	–
10.	कर्नाटक	34	–	–
11.	केरल	25	7	9
12.	मध्य प्रदेश	31	7	4
13.	मद्रास	29	9	5
14.	उड़ीसा	15	7	4
15.	पटना	37	5	5
16.	पंजाब और हरियाणा	37	8	7
17.	राजस्थान	26	2	8
18.	सिक्किम	3	1	–
	कुल	545	82	63
II	उच्चतम न्यायालय	26	3	2

[अनुवाद]

थाईलैण्ड के साथ निवेश संरक्षण समझौता

342. **श्री विनय कटियार :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाईलैण्ड के साथ एक निवेश संरक्षण समझौते का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) थाईलैंड सरकार के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार निष्पादित करने के संबंध में वार्ता-प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है।

(ख) द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार संबंधी वार्ताएं भारतीय मॉडल पाठ पर आधारित होंगी जिनमें अन्य बातों के अलावा ये शामिल होंगी : दोनों में से किसी भी देश के निवेशों का दूसरे देश में संरक्षण, निवेशों और निवेशकों के संबंध में सर्वाधिक अनुग्रह प्राप्त राष्ट्र का व्यवहार, निवेशों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार, अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम के जरिए निवेश विवादों का निपटान, स्वामित्वहरण/राष्ट्रीयकरण की स्थिति में क्षतिपूर्ति और प्राप्तियों के प्रत्यावर्तन की सुविधा आदि।

(ग) इस करार का निष्पादन थाईलैंड सरकार के साथ वार्ताओं के सफल समापन पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

आयकर की बकाया राशि

343. **श्री ताराचन्द भगोरा :**
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार ऐसे आयकर दाताओं की संख्या कितनी है जिनकी ओर 5 लाख रुपये अथवा इससे अधिक की धनराशि बकाया है;

(ख) यह धनराशि कब से बकाया है और इसमें कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) इस धनराशि की वसूली न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी वसूली के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु 31.12.1995 की स्थिति के अनुसार बकाया मांग से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :

(1) निगम कर/आयकर की बकाया मांग का समयवार विश्लेषण

(रु. करोड़ों में)

(1) एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	13069.57
(2) दो वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से कम	4367.88
(3) पांच वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम	963.81
(4) 10 वर्ष से अधिक	512.29

(2) आयकर/निगम कर की बकाया मांग का धनराशि वार विश्लेषण

(रु. करोड़ों में)

	संख्या	निवल बकाया धनराशि
(i) एक लाख रुपये तक के मामले	4624447	1641.61
(ii) एक लाख रुपये से अधिक परन्तु दस लाख रुपये से कम अनधिक	89629	1080.09
(iii) दस लाख रुपये से अधिक परन्तु एक करोड़ रु. से अनधिक	8801	1502.83
(iv) एक करोड़ रुपये से अधिक	1372	5943.11

(3) एक करोड़ रु. से अधिक की बकाया मांग के डोजियर मामलों में संबंधित सूचना नीचे दी गई है :—

	मामलों की संख्या	बकाया मांग
	1	2
		(रु. करोड़ों में)
पश्चिम बंगाल	143	869.59
महाराष्ट्र	493	13527.51
दिल्ली	167	1024.05

	1	2
पंजाब	14	57.57
हरियाणा	6	19.10
जम्मू और कश्मीर	3	15.60
मध्य प्रदेश	14	48.38
गुजरात	73	224.98
राजस्थान	15	68.70
केरल	4	6.84
आंध्र प्रदेश	22	59.92
बिहार	11	73.73
उड़ीसा	8	30.47
उ.पू. क्षेत्र	11	24.75
कर्नाटक	43	227.51
तमिलनाडु	72	246.53
उत्तर प्रदेश	40	180.37

(ग) बकाया मांग के कारण सामान्यतः निम्नलिखित हैं :—

(1) मांग का देय न होना

(2) ऐसी मांग जिसका भुगतान करने का दावा किया गया हो परन्तु उसका अभी सत्यापन किया जाना है।

(3) न्यायालयों, समझौता आयोग, न्यायाधिकरण और आयकर प्राधिकारयों द्वारा आस्थगित मांग

(4) ऐसी मांग जिसके लिए किस्तों की मंजूरी दी गई है।

(घ) बकाया मांग की वसूली के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न कार्रवाईयां की जाती हैं जैसे चूककर्ताओं की चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की, अभियोजन, अर्थदंड लगाना, जेल में रखना, चूककर्ता की सम्पत्तियों के प्रबंध के लिए रिसीवर की नियुक्ति। इसके अलावा, किस्तों की मंजूरी सहित मांग की वसूली को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं और जहां मामले अपील में रुके हुए हों वहां अपीलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है।

प्रतिभूति घोटाले में शामिल अधिसूचित व्यक्तियों से देय कर की बकाया धनराशि के मामलों में विशेष न्यायालय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित व्यक्ति से संबंधित चल और अचल सभी सम्पत्तियों को अधिसूचना जारी होने के साथ-साथ कुर्की किया गया माना जाता है। अतः ऐसी सभी मांगों के संबंध में जो अब बकाया हो गई हैं, विभाग ने बकाया करों के लिए निधियां रिलीज करने हेतु अभिरक्षक को निर्देश जारी करने के लिए विशेष न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं।

उद्योगों का विकास

344. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग और मध्यम दर्जे के उद्योग के विकास के लिए जापान की सरकार के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त समझौते को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

आयकरदाताओं को पहचान-पत्र

345. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयकरदाताओं को नए पहचान-पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). जी, हां। आयकर विभाग के व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में शुरू में दिल्ली, मुम्बई, और मद्रास के तीन शहरी क्षेत्रों में सभी आयकरदाताओं को लैमिनेटिड स्थायी खाता संख्या कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

कृषिविदों के साथ बैठक

346. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में कृषकों के एक दल से भेंट की थी और कृषि (फार्म) क्षेत्र के संबंध में उनके सुझाव मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंजूर कर लिए गए उन सुझावों का ब्यौरा क्या है जिन्हें कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) बजट-पूर्व बैठक में निवेश वृद्धि की आवश्यकता, ग्रामीण आधारित संरचना में सुधार, कृषीय उत्पादों के लाने-लें-जाने पर लगे प्रतिबंधों को हटाना और निवेशों पर शुल्कों का युक्तीकरण जैसे अनेक विषयों की ओर ध्यान अकर्षित किया है।

(ग) वित्त मंत्री के साथ हुई बजट-पूर्व बैठक में दिए गए प्रासंगिक सुझावों/विचार-विमर्श पर बजट निर्माण प्रक्रिया के लिए सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों का निजीकरण

347. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों का निजीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों और वित्तीय संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार का निर्णय लिए जाने का क्या कारण है; और

(घ) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं अर्थात्, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना

348. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए कोई अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शुरू में किन-किन स्थानों पर बैंक की शाखाओं की स्थापना किए जाने का विचार है; और

(ग) बैंक की स्थापना के संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन संबंधी अनेक वैकल्पिक (माडलों) पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलन पत्रों का "एकल" आधार पर निपटान करके उनका पुनर्गठन किया जाए। तदुनुसार, वित्त मंत्री जी के दिनांक 28 फरवरी, 1994 के बजट-भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में, वर्ष 1994-95 के दौरान व्यापक पुनर्संरचना हेतु 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 49 बैंक लिए गए, जिनमें उनके तुलनपत्रों का निपटान तथा नई पूंजी को लगाना भी शामिल था। वर्ष 1995-96 में, 53 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के दूसरे समूह के लिए ईक्विटी सहायता जारी की गई है। इसका उद्देश्य मौजूदा कमजोर एवं रूग्ण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय रूप से अर्थक्षम बनाना तथा उन्हें विकेन्द्रीकृत ग्रामीण बैंकिंग का प्रभावशाली साधन बनाना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चौड़ा करना

349. **श्री आर. साम्बासिवा राव :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने व्यापार और वाणिज्यिक यातायात को प्रभावित करने वाले नियमित यातायात की भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए विजयवाड़ा-मद्रास राजमार्ग संख्या 5 दिल्ली-अजमेर बरास्ता जयपुर और दिल्ली-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चार लेनों वाला बनाने का कार्यक्रम हाथ में लिया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) इन्हें पूरी तरह से चौड़ा करने और इन्हें प्रचालनात्मक बनाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) वर्ष 1995-96 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राशि आबंटित की गई और कितनी राशि का उपयोग किया गया?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ). जी हां। चार लेनें बनाने का कार्य चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। ब्यौरेवार स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) रा.रा.-5 विजयवाड़ा-मद्रास-434 कि.मी.

(क) चिलकयूरीपेट से विजयवाड़ा-आंध्रप्रदेश में 355 से 434 कि.मी. तक, भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। कार्य को अभी स्वीकृत किया जाना है।

(2) रा. रा.-8-मुम्बई 1514 कि.मी.

(क) दिल्ली में 0 से 36.63 कि.मी. तक	—	कार्य पूरा हो गया है।
(ख) हरियाणा तथा राजस्थान में 36.63 से 162.5 कि.मी. तक	—	भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है और कार्य स्वीकृत किया जा चुका है।

(ग) राजस्थान में 162.5 से 231.00 कि.मी. तक	—	कार्य प्रगति पर है। मार्च, 1997 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।
राजस्थान में 231.00 से 248 कि.मी. तक	—	कार्य पूरा हो चुका है।
(घ) गुजरात में अलग-अलग खंडों में 121.41 कि.मी. लम्बाई	—	कार्य पूरा हो चुका है।
(ङ) गुजरात में अलग-अलग खंडों में 64.235 कि.मी. लम्बाई	—	भमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। कार्य प्रगति पर है। अंतिम खंड को दिसम्बर, 1997 तक पूरा किया जाना है।

जीवन बीमा निगम, पश्चिम बंगाल में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

350. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में वर्ष 1994 और 1995 के दौरान कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन आश्रितों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक रोजगार मिल जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में उद्योगों में विदेशी सहयोग

351. **श्री कचरू भाऊ राऊत :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में विदेशी भागीदारी से कितने उद्योग/उपक्रम लगाए/लगाए जा रहे और परियोजनावार तथा स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : 01.8.91 से 31.5.96 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में उद्योग/उद्यम स्थापित करने के लिए 105467.20 मिलियन रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कुल 667 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं।

ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम तथा देश अंतर्गस्त इक्विटी/निवेश, विनिर्माण की मद/कार्य-कलाप मासिक न्यूजलेटर के पूरक के रूप में भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं तथा इनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

काला धन

352. **श्री जगमोहन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय अनुमानतः कुल कितना काला धन/बिना हिसाब वाला धन है;

(ख) क्या योजना आयोग या किसी स्वतंत्र अकादमिक संस्था या शोध संथा द्वारा काले धन के चलन के बारे में हाल ही में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उदारीकरण और आर्थिक सुधारों की शुरूआत के बाद काले धन में बेतहाशा वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). हाल ही में कोई प्रमाणिक अध्ययन नहीं किया गया है और इसलिए इस समय देश में काले/लेखाबह्य धन का अनुमान लगाना संभव नहीं है। राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 1983-84 में 31584 करोड़ रु. के बीच काला धन होने का अनुमान लगाया गया था।

(घ) और (ङ). हाल में किए गए किसी प्रमाणिक अध्ययन के बिना यह बताना संभव नहीं है कि क्या उदारीकरण/आर्थिक सुधारों के पश्चात् काले धन की राशि में भारी वृद्धि हुई है अथवा नहीं।

(च) सरकार काले धन की उत्पत्ति और वृद्धि में कमी लाने के लिए समय-समय पर ऐसे आवश्यक कानूनी, राजकोषीय और प्रशासनिक उपाय करती रहती है जिन्हें उचित समझा जाता है। कराधान की दर में उत्तरोत्तर कमी की गई है और आय की स्लैबों को उत्तरोत्तर युक्तिसंगत बनाया गया है। इसके साथ ही साथ, आयकर अधिनियम, 1961 में अनेक उपबंध निहित हैं जिनका उद्देश्य काले धन की उत्पत्ति पर रोक लगाना है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ धारा 44 क क और 44-कख के अन्तर्गत उचित मामलों में लेखाओं का अनिवार्य रूप से अनुरक्षण और उनकी लेखा परीक्षा करने के बारे में उपबंध, धारा 40-कं(3),269 ध ध और 269-न के अन्तर्गत नकद

लेन-देनों पर प्रतिबंध, अध्याय-XXV के अन्तर्गत सम्पत्तियों की पूर्व क्रय अधिकार और कर चूककर्ताओं को सजा देने के लिए अर्थदंड तथा अभियोजनों से संबंधित उपबंध शामिल हैं। इस अधिनियम में कर अपवंचन का पता लगाने के लिए सम्मनों, सर्वेक्षणों, तलाशियों और अन्य जांचों के बारे में भी उपबंध निहित हैं। उचित मामलों में इन उपबंधों का सहारा लिया जाता है।

यूरो इश्यूज

353. **श्री राम नाईक :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यूरो इश्यूज के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जी.डी.आर. (ग्लोबल डिपाजिटरी रेशियों) मार्केट में भारतीय निगमित और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या यूरो इश्यूज पर विदेशी ऋण लेने पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाने की मांग की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). मौजूदा आर्थिक स्थिति की आवधिक समीक्षा और मूल्यांकन के आधार पर सरकार ने भारतीय कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले यूरो इश्युओं के संबंध में 19 जून 1996 को प्रेस नोट के जरिए संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा की। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित की व्यवस्था की गई है:

(1) आधार-ढांचे संबंधी सुविधाओं वाली परियोजनाओं में निवेशों को वित्त-पोषित करने के लिए यूरो इश्यू जारी करने वाली कंपनियों के लिए ट्रैक-रिकार्ड संबंधी अपेक्षा में छूट,

(2) किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी या कंपनियों के समूह द्वारा जारी किए जा सकने वाले यूरो इश्युओं की संख्या पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाना,

(3) इश्यू से हुई आय के प्रयोग के क्षेत्र को व्यापक बनाना,

(4) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत) को "जी.डी. आर." इश्यू जारी करने की अनुमति देना बशर्ते कि इश्यू से हुई आय को स्टाक बाजार और स्थावर संपदा के क्षेत्र में न लगाया जाए।

भारतीय कंपनियों द्वारा विश्वव्यापी जी.डी.आर. बाजार का सफल लाभ उठाना अनेक बहिर्जात कारकों पर निर्भर करता है जिनमें संयुक्त राज्य अमरीका की ब्याज-दरों में घट-बढ़ अन्य उभरती बाजार इक्विटियों का आकर्षण, अन्तराष्ट्रीय पूंजी बाजारों का कार्य-निष्पादन आदि शामिल है।

(ग) और (घ). भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफ.सी.सी.बी.) को जारी करने संबंधी प्रस्ताव विदेशी वाणिज्यिक ऋणों (ई.सी.बी.) के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्त-प्रयोग के मापदंडों के अनुरूप होने चाहिए। दिनांक 19 जून, 1996 के यूरो संबंधी दिशा-निर्देशों में विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड जारी करने वाली भारतीय कंपनियों को एक छूट प्रदान की गई है ताकि वे कार्यकर पूंजी संबंधी आवश्यकताओं सहित सामान्य कार्पोरेट पुनसंरचना के प्रयोग हेतु इश्यू से हुई आय का अधिक से अधिक 25 प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल में ला सकें। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों से हुई आय का शेष हिस्सा विदेशी वाणिज्यिक ऋण संबंधी मापदंडों के अनुसार ही प्रयोग में लाया जाएगा।

साधारण बीमा निगम में उच्च पदों को भरना

354. **श्री सौम्य रंजन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले लगभग एक वर्ष से भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. में कोई अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या साधारण बीमा निगम की तीन अन्य सहायक कंपनियों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अगले कुछ ही महीनों में सेवा निवृत हो रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके सेवानिवृत होने से पूर्व ऐसे उच्च श्रेणी के पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय साधारण बीमा निगम में अध्यक्ष का पद पहली अप्रैल, 1995 को रिक्त हुआ तब से इस पद के लिए इस उद्योग से किसी आन्तरिक अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया था। सरकार ने देश के राष्ट्रीय दैनिकों में इस पद के लिए विज्ञापन दिया। ओरियंटल इंश्यारेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक का पद 5 जुलाई, 1996 से भर लिया गया है।

(ग) और (घ). यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक का पद पहली जून, 1996 को रिक्त हुआ। न्यू इंडियन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा इसके साथ ही नैशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के पद पहली अक्टूबर, 1996 से रिक्त होंगे। सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

आईसक्रीम उद्योग

355. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारतीय आईसक्रीम निर्माताओं के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समझौतों को अनुमति देने के क्या कारण है जबकि आईसक्रीम का उत्पादन लघु उद्योगों के लिए आरक्षित है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). मैसर्स क्वालिटी फ्रोजन फूड्स को मैसर्स बास्किन रोबिन्स इन्टरनेशनल लि. यू.एस.ए. के साथ एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की मंजूरी उनकी प्रौद्योगिकीय सहायता से स्वतंत्र लघु, एककों द्वारा उत्पादित आइसक्रीम का विपणन तथा विशेषाधिकारों से संबंधित कार्यकलाप करने के लिए दी गई है।

(ग) मंजूरी इस शर्त पर दी गई है कि (1) वे लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेंगे, और (2) लाभांश भुगतान के कारण विदेशी मुद्रा के बहिगर्मन को निर्यात आय से संतुलित किया जायेगा।

करों के माध्यम से अर्जित राजस्व

356. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान आयकर उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और लघु बचतों के माध्यम से राज्यवार कुल कितना राजस्व अर्जित किया;

(ख) एकत्र किए गए कुल राजस्व में से प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई; और

(ग) इस समय राज्यवार कितने आयकरदाता हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) गत दो वर्षों के दौरान आयकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क द्वारा आर्जित कुल राजस्व और छोटी बचतों द्वारा एकत्रित राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को आयकर, पूल उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (बिक्री कर की एवज में) के भुगतान किए गए हिस्से निम्न प्रकार से थे :—

(1) 1994-95 2484.79 करोड़ रु.

(2) 1995-96 29299.46 करोड़ रु.

राज्य वार आंकड़े संलग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं।

राज्य में निवल छोटी बचतों के संग्रहण का 75% आगे उसी राज्य को दीर्घावधि ऋण के रूप में दिया जाता है।

(ग) 31.3.1995 को आयकर निर्धारितियों की संख्या 1,02,84,606 आयकर प्राधिकारियों द्वारा राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

विवरण-I

1.	सीमा शुल्क	1994-95	26682.73
		1995-96(अनंतिम)	35500.31
2.	केन्द्रीय उत्पाद	1994-95	37466.55
	शुल्क	1995-96 (अनंतिम)	40784.81

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से एकत्रित आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते।

3. आयकर (निगम कर सहित)

राज्य	वर्ष (1993-94)	* वर्ष (1994-95)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	564.43	775.59
अरुणाचल प्रदेश	1.72	2.58
असम	107.00	202.78
बिहार	223.53	265.95
गोवा	102.30	106.10
गुजरात	1020.57	1225.29
हरियाणा	144.16	179.91
हिमाचल प्रदेश	28.49	27.45
जम्मू और कश्मीर	43.95	51.39
कर्नाटक	753.26	923.02
केरल	386.16	397.53
मध्य प्रदेश	307.44	364.55
महाराष्ट्र	7237.37	10558.10
मणिपुर	6.77	5.41
मेघालय	11.59	9.23
मिजोरम	0.03	0.08
नागालैंड	4.80	7.03
नई दिल्ली	2357.27	3462.39
उड़ीसा	109.18	125.49
पंजाब	357.51	443.87
राजस्थान	241.06	277.49
सिक्किम	0.16	0.27

1	2	3
तमिलनाडु	1273.51	1580.08
त्रिपुरा	5.41	7.15
उत्तर प्रदेश	678.62	882.42
पश्चिम बंगाल	1575.58	1744.50
कुल	17541.37	23625.65

* वर्ष 1995-96 के लिए सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

4. राष्ट्रीय बचत

(रु. करोड़ों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1994-95	1995-96 (प्रारंभिक)
1		2	3
1.	आंध्र प्रदेश	926.80	577.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.36	4.19
3.	असम	641.09	230.95
4.	बिहार	679.48	418.94
5.	गोवा	21.11	9.04
6.	गुजरात	857.80	1051.52
7.	हरियाणा	420.05	326.89
8.	हिमाचल प्रदेश	599.60	94.26
9.	जम्मू और कश्मीर	153.28	145.56
10.	कर्नाटक	1253.32	294.74
11.	केरल	636.14	272.84
12.	मध्य प्रदेश	407.65	390.76
13.	महाराष्ट्र	1417.48	-633.85
14.	मणिपुर	10.56	11.77
15.	मेघालय	18.66	-9.15
16.	मिजोरम	8.15	5.25
17.	नागालैंड	3.16	2.19
18.	उड़ीसा	335.35	260.35
19.	पंजाब	671.70	614.99
20.	राजस्थान	680.41	500.36
21.	सिक्किम	5.72	6.00
22.	तमिलनाडु	724.46	288.76
23.	त्रिपुरा	28.96	28.78
24.	उत्तर प्रदेश	2254.89	1803.12
25.	पश्चिम बंगाल	1994.04	1870.57
	कुल	14757.22	8566.11

विवरण-II

		आयकर		मूल उत्पाद शुल्क		अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	
		1994-95	1995-96	1994-95	1995-96	1994-95	1995-96
		1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	702.59	952.86	980.79	1408.33	199.97	201.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.25	18.80	122.79	103.05	2.79	2.67
3.	असम	225.21	313.38	521.18	567.88	71.42	63.50
4.	बिहार	1062.97	1449.44	1508.54	1832.15	216.56	203.86
5.	गोवा	9.42	20.01	71.54	45.06	5.94	5.98
6.	गुजरात	389.47	457.98	435.41	526.85	153.75	154.43
7.	हरियाणा	106.48	139.41	150.33	160.09	60.33	60.97
8.	हिमाचल प्रदेश	50.93	78.89	265.79	306.12	16.17	15.27
9.	जम्मू और कश्मीर	59.49	122.22	485.34	494.59	24.19	23.38
10.	कर्नाटक	421.83	600.93	561.39	696.09	152.71	147.65
11.	केरल	319.20	436.44	422.28	504.24	96.94	96.28
12.	मध्य प्रदेश	700.63	934.78	988.18	1073.20	186.53	186.33

		1	2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र	701.14	702.27	709.26	794.43	309.48	309.76
14.	मणिपुर	14.64	31.42	160.59	129.34	5.55	5.04
15.	मेघालय	17.80	31.60	121.88	123.27	4.95	4.84
16.	मिजोरम	6.25	16.50	151.70	105.12	1.77	2.05
17.	नागालैंड	6.22	20.50	184.39	162.50	3.12	3.55
18.	उड़ीसा	370.30	506.15	732.93	692.92	90.77	85.86
19.	पंजाब	146.03	165.51	186.31	188.34	91.99	87.92
20.	राजस्थान	413.95	623.57	755.64	733.95	122.09	125.70
21.	सिक्किम	2.57	17.64	35.57	45.82	1.35	1.37
22.	तमिलनाडु	678.88	753.38	872.59	853.87	183.93	198.33
23.	त्रिपुरा	25.94	42.32	212.85	178.60	7.24	7.37
24.	उत्तर प्रदेश	1436.95	2008.48	2139.14	2743.82	381.53	374.93
25.	पश्चिम बंगाल	682.74	844.29	902.82	966.37	212.60	206.61
	कुल	8559.83	11288.32	13679.14	2575.15	15436.00	2575.15

[हिन्दी]

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बैंक ऋण

357. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक बैंक से यह कहा है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करें और इस बारे में कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठायें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इसके बारे में कोई अध्ययन करवाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). वाणिज्यक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए नियत किए गए लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

(1) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक :

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल	
अग्रिम	शुद्ध बैंक ऋण का 40%
कुल कृषि अग्रिम	शुद्ध बैंक ऋण का 18%
कमजोर वर्गों को अग्रिम	शुद्ध बैंक ऋण का 10%

(2) भारत में कार्यशील विदेशी बैंक :

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल	
अग्रिम	शुद्ध बैंक ऋण का 32%
लघु-उद्योगों को अग्रिम	शुद्ध बैंक ऋण का 10%
निर्यात ऋण	शुद्ध बैंक ऋण का 10%

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा समय-समय पर उनसे प्राप्त विवरणियों के आधार पर की जाती है।

(घ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में निहित खण्ड इस प्रकार हैं :—

(1) कृषि
(2) लघु उद्योग
(3) लघु सड़क एवं जल परिवहन प्रचालक
(4) खुदरा व्यापार
(5) लघु व्यापार
(6) व्यावसायिक एवं स्व-नियोजित व्यक्ति
(7) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठन
(8) शिक्षा
(9) आवास
(10) उपभोक्ता ऋण

निर्यात ऋण केवल भारत में कार्य कर रही विदेशी बैंकों के लिए ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का एक हिस्सा है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण आवेदन

358. **श्री आर.एल.पी.वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण आवेदन के बारे में । मार्च, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 589 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में अब जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इसे कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम. आर.वाई.) में भाग नहीं ले रहे हैं और उनके लिए इस योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक को कोई आवेदन-पत्र नहीं भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि निदेशक, उद्योग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी पुष्टि की है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक वाणिज्यिक या निजी वाहनों की खरीद के लिए तथा आधुनिक गैजेट खरीदने के लिए ऋण दे रहे हैं तथा लघु एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों और उद्योगपतियों आदि को ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं दे रहे हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के जिन बैंकों ने उक्त सुविधाएं दी हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस तरह की जो सुविधाएं दी गई हैं, उनके ब्यौरे (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में दिल्ली के गैर-सरकारी बैंकों द्वारा-वाणिज्यिक या निजी वाहनों की खरीद के लिए आधुनिक गैजेट खरीदने के लिए ऋण तथा लघु एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों, उद्योगपतियों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधाओं को दर्शाने वाला विवरण

(राशि : लाख रुपए में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	खरीद के लिए ऋण वाहन आदि		आधुनिक गैजेट		लघु तथा मध्यम वर्ग के व्यापारियों, उद्योगपतियों को ओरवरड्राफ्ट सुविधा	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दि बैंक ऑफ मदुरा लि.	34	76.35	11	7.13	50	83.67
2.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	17	25.06	–	–	–	–
3.	दी पंजाब कोपरेटिव बैंक लि.	–	31.22	–	–	–	783.31
4.	दि वैश्य बैंक लि.	–	0.40	–	–	–	125.15
5.	दि बरेली कोपारेटिव बैंक लि.	–	62.74	–	2.50	–	18.94
6.	करूर वैश्य बैंक लि.	28	97.83	6	5.53	11	635.24
7.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	32	4.76	–	–	–	13.45
8.	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.	74	139.47	39	3.29	825	1583.82
9.	केथोलिक सीरियन बैंक लि.	22	28.23	–	–	15	510.38
10.	फैडरल बैंक लि.	43	33.06	3	9.50	295	1167.50
11.	दि साउथ इंडियन बैंक लि.	173	200.64	–	–	422	840.20
12.	तमिलनाडु मरकेंटाइल बैंक लि.	5	4.36	–	–	25	27.25

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	दि. नेनदुगदी बैंक लि.	2	0.50	6	1.30	5	1.55
14.	दि सांगली बैंक लि.	22	23.67	14	6.00	25	32.70
15.	यूटीआई बैंक लि.	–	–	–	–	2	178.26
16.	बनारस स्टेट बैंक लि.	1	1.40	–	–	11	–
17.	कर्नाटक बैंक लि.	32	45.49	6	1.43	17	20.40
18.	युनाइटेड वस्टर्न बैंक लि.	7	12.70	5	4.97	31	925.32
19.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	1	3.50	–	–	2	40.63
20.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	4	14.35	–	–	60	2430.29
21.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	9715	2636.17	–	–	64	142.53
22.	नैनीताल बैंक लि.	15	36.84	4	0.67	282	723.50
23.	आईसीआईसीआई बैंकिंग कारपोरेशन लि.	–	–	–	–	5	2573.00

टिप्पणी : सेन्चुरियन बैंक लि., इंडस इन्ड बैंक, टाइम्स बैंक और एच.डी.एफ.सी. बैंक लि.द्वारा कोई वित्तपोषण नहीं किया गया है क्योंकि उनकी नई दिल्ली स्थित शाखाओं का उद्घाटन हाल ही में किया गया था।

आंकड़े : अनन्तिम

स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 की मरम्मत

359. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर अरापुज्जा पुल और अन्य पुलों का व्यापक मरम्मत कार्य शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और ऐसी परियोजनाओं में राज्य सरकारों की सहभागिता, यदि कोई हो तो, क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). रा.रा.-17 पर धर्मोदम पुल पर 4.83 लाख रु. की लागत से विशेष मरम्मत के लिए मंजूरी दे दी गई है।

— रा.रा.-17 पर कालीकट बाईपास पर अरापूझा पुल के लिए एक नए पुल की आवश्यकता है।

— ये कार्य केरल राज्य सरकार द्वारा किए जाने हैं।

नशे में धुत होकर दिल्ली में गाड़ी चलाने के मामले

360. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नशे में धुत एक बस के ड्राइवर द्वारा घातक दुर्घटना के बारे में 21 जून, 96 के "दी टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले छः महीने के दौरान दिल्ली में नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने पर कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

(घ) नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने से पिछले एक वर्ष में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ङ) क्या सरकार का विचार पैदल यात्रियों को ऐसी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कोई कड़ा कानून बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों द्वारा फटे-पुराने करेंसी नोटों का वितरण

361. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान सरकार के ध्यान में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा फटे-पुराने करेंसी नोटों के वितरण के कुछ मामले लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल बैंकों का उनकी शाखाओं सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तथा (ख). सरकार को एक माननीय संसद सदस्य से दिनांक 13.6.96 को शिकायत मिली थी कि देना बैंक की कनॉट सर्कस शाखा के एक ग्राहक ने 10 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों में 1000/-रुपए का भुगतान प्राप्त किया था। बताया गया है कि नोटों की इस गड्डी में 57 नोट कटे/फटे/चिपके/प्रयोग नहीं किए जाने की स्थिति में थे। अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी सूचना मिली है। दो बैंकों यूनियन बैंक आफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने की सूचना दी है। इनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया :

बैंक को उनकी सुन्दर नगर शाखा, नई दिल्ली के विरूद्ध मैले और कटे-फटे नोट जारी करने सम्बन्धी शिकायत मिली है।

बैंक ऑफ इंडिया :

बैंक की जानकारी में तीन मामले आए हैं, जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(1) **सराफा बाजार शाखा** : दिनांक 20.3.96 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी 100 रुपए के नोटों की 3 गड्डी लेकर शाखा में आए। नोटों की एक गड्डी में शाखा की पर्ची थी। प्रत्येक गड्डी में 15-25 कटे-फटे नोट थे। नोटों को बांयी तरफ या बीच में नोटों के बराबर अनुपात के सादे कागज (टुकड़ों) से जोड़कर धोखा दिया गया था। सराफा बाजार शाखा की पर्ची में शाखा के खाता धारक की खाता संख्या लिखी गई थी और "मशीन से गिने गए" की पर्ची लगी थी। सभी तीनों गड्डियों में लगभग 5/6 स्टेपिल लगी थीं, जिनमें से दो गड्डी के बीच में लगीं थीं यह स्पष्ट था कि सराफा बाजार शाखा के नाम वाले नोट की पर्ची को पैकेट पर पुनः उपयोग कर यह दर्शाने का प्रयत्न किया गया था कि यह पैकेट ग्राहकों से प्राप्त किया गया था और उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था। शेष दो पैकेटों पर कोऑपरेटिव बैंक सहित अन्य बैंकों की पर्चियां लगी थीं।

(2) **खुदादाद सर्किल शाखा** : दिनांक 22.3.96 को इस बैंक की शाखा को सौ रुपए मूल्य वर्ग के नोटों के एक पैकेट का पता चला जिसपर लगभग 8 स्टेपल लगे थे जिसमें से कुछेक के बीचोंबीच लगे थे। यह पैकेट उस ग्राहक से प्राप्त पैकेटों से एक था जिसने 1 लाख रुपए नकद जमा कराए थे। संवीक्षा करने पर 35 छलपूर्वक चिपकाए गए वास्तविक करेंसी नोट पाए गए थे। इन वास्तविक करेंसी नोटों के मध्य या बाएं भाग में समाचार पत्र के टुकड़े चिपकाए गए थे इस पैकेट पर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की नोट की पर्ची लगी हुई थी। पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी गई है और सभी 35 छलपूर्वक चिपकार गए नोट उन्हें सौंप दिए गए हैं। सम्बद्ध खाताधारक ने बताया है कि वह ये नोट पुर्णे से लेकर आया था।

(3) **नरीमन प्वांइट शाखा** : दिनांक 20.5.1996 के इंडियन एक्सप्रेस के मुम्बई संस्करण में प्रकाशित समाचार के अनुसार किसी श्री के.एम. वकील ने दिनांक 12.4.96 को नरीमन प्वांइट शाखा से निकाली गई राशि से 50 रु. मूल्यवर्ग के एक पैकेट में 15 त्रुटिपूर्ण नोट पाए थे। तथापि, चूंकि श्री वकील ने पहले ही पैकेट खोल दिया था और काफी समय बाद वे खराब करेंसी नोटों को लेकर आए थे और वे नोट पर्ची इत्यादि जैसे दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत कर पाने की स्थिति में नहीं थे। अतः यह प्रमाणित नहीं हो पाया कि ये खराब नोट बैंक की नरीमन प्वाइंट शाखा से उनके द्वारा प्राप्त किए गए पैकेट के ही थे।

(ग) माननीय संसद सदस्य से दिनांक 13.6.96 को प्राप्त शिकायत के बाद, सरकार ने मामले को देना बैंक के साथ उठाया था। शिकायकर्ता ने जब 57 नोटों को बदलने के लिए शाखा से संपर्क किया था तो वह बैंक की स्लिप के साथ पैकेट देने में असमर्थ था और इसी कारण बैंक ने यह कहा था कि कटे-फटे करेंसी नोट उन्होंने जारी नहीं किए हैं। इसके बावजूद बैंक से कहा गया और वह इन नोटों को प्रयोग करने योग्य नोटों से बदलने के लिए राजी हो गया। शिकायतकर्ता ने अब तक कटे-फटे नोटों के बदले उपयोग करने योग्य नोटों को स्वीकार नहीं किया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, नोटों के ऐसे पैकेट के कुछ उदाहरण, जिसमें कुछ नोट के बायीं ओर कागज के छोटे-छोटे टुकड़े चिपकाये गये थे, के परिचालन में होने की जानकारी उन्हें मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18.4.96 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें जनता को सूचित किया गया था कि वे दैनिक लेन-देन में प्राप्त हुए करेंसी नोट पैकेटों की जांच करें चाहे उनपर बैंक की मोहर ही क्यों न लगी हो। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श पर, भारतीय बैंक संघ ने भी सभी सदस्य बैंकों को परिपत्र जारी किया है जिसमें बदमाशों की कार्यप्रणाली को बताया गया है और परिचालन स्टाफ की नकदी स्वीकार करते समय अधिक सावधान रहने को कहा गया है। माननीय सदस्य की शिकायत के आधार पर, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से भी अनुरोध किया है कि वह सभी बैंकों को पुनः यह अनुदेश जारी करे ताकि वे अपने ग्राहकों को उपयोग न हो सकने योग्य नोटों को जारी न करे और इसके लिए पर्याप्त उपाए करें।

कलकत्ता में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की खण्डपीठ की स्थापना

362. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की एक खण्डपीठ स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन

363. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को इस शताब्दी के अंत तक रोजगार के काफी अवसर सृजित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कुल कितनी धनराशि निवेश करने का विचार है; और

(ग) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान इस दिशा में कितनी प्रगति की गई है और इस पर अब तक कितनी धनराशि निवेश की जा चुकी है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि व्यापक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उसने कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। तथापि, जबकि नाबार्ड रोजगार के सृजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करता है फिर भी, वह विभिन्न कृषि तथा ग्रामीण कार्यों के लिए वित्त प्रदान करता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं।

नाबार्ड द्वारा स्वीकृत पुनर्वित्त कृषि तथा इससे संबंधित कार्यों के लिए होता है जैसे कि सामाजिक वानिकी, मत्स्य उद्योग (एक्वाकल्चर), रेशम उद्योग, मशरूम उत्पादन तथा अन्य कई प्रकार के परम्परागत क्षेत्रों के उद्योग धन्धे जैसे डेरी विकास, भेड़ पालन, सुअर पालन, बकरी पालन आदि। नाबार्ड ने सूचित किया है कि इसने वर्ष 1994-95 में 7813 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1995-96 में 8377 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न कार्यों के तहत उत्पादन और निवेश ऋण हेतु पुनर्वित्त सहायता के लिए प्रदान की है।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा का बन्द किया जाना

364. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की बहुत सी इकाइयां, विशेष रूप से कोटा इकाई, वित्तीय कठिनाई का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी हां।

(ख) कंपनी को घाटा हो रहा है क्योंकि यह बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रही है। परिणामस्परूप, यह कार्यशील पूंजी की कमी तथा विभिन्न देयताओं को पूरा करने में कठिनाई का सांमना कर रही है।

(ग) यह कंपनी रुग्ण और रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित है। कंपनी को गैर योजना बजटीय सहायता तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम हेतु निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ

365. **श्री अमर पाल सिंह** :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मेरठ और बरेली इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये खंडपीठें कब तक स्थापित कर दी जायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग). जसवन्त सिंह आयोग ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आगरा में एक स्थायी न्यापीठ और नैनीताल तथा देहरादून में उसकी दो सर्किट न्यायपीठें, स्थापित करने की सिफारिश की थी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने अपने तारीख 7.11.94 के पत्र में प्रस्ताव किया था कि आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित की जाएं। उन्होंने अन्य बातों के साथ जानकारी दी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति प्रस्ताव

के सहमत नहीं थे। अगले मुख्यमंत्री ने अपने तारीख 5.9.95 के पत्र में कथन किया कि उच्च न्यायालय की न्यायपीठ को स्थापित करने का मुद्दा संवेदनशील है और इस मामले पर विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना था। राज्य सरकार को दिसम्बर, 1995 में सूचित किया गया था कि राज्य सरकार से कोई निश्चित प्रस्ताव और विनिश्चय से प्रभावित घटकों के बीच मतैक्य के अभाव में केन्द्रीय सरकार के लिए इस मामले पर विनिश्चय करना संभव नहीं था।

[हिन्दी]

सड़कों के लिए विशेष निधियां

366. **श्री राधा मोहन सिंह :**
डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री अनन्त कुमार :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का सड़कों के रख-रखाव और मरम्मत हेतु विशेष निधियों की व्यवस्था करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल बंध पत्रों की तरह ही कर मुक्त सड़क बंध पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को वित्तीय रूप से अधिक आकर्षक और लागत प्रभावी बनाने के लिए अन्य कौन से कदम उठाये जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लगभग 40 करोड़ रु. के कर मुक्त बांड इश्यू को अभी हाल ही में अनुमोदित किया गया है।

(ङ) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को आर्थिक दृष्टि से अधिक आकर्षक और किफायती बनाने के प्रयोजन से कर से छूट, उपकरणों पर आयात शुल्क में कमी, मार्गस्थ सुविधाओं से राजस्व अर्जन जैसी कुछेक छूट दी गई हैं तथा परिवहन नगरों की घोषणा भी की गई है।

[अनुवाद]

व्यय नीति

367. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
डा. मुरली मनोहर जोशी :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री कचरू भाऊ राउत :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एक व्यापक व्यय नीति की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या कुछ श्रमिक संघों और अन्य संगठनों ने सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले प्रस्तावित मिव्ययिता संबंधी उपायों का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). सरकार ने व्यय प्रबंधन-वित्तीय नीति और उसका सरलीकरण पर दिनांक 17.6.96 को मार्ग-निर्देश जारी किए हैं, जिसका अभिप्राय व्यय बढ़ोतरी में नियंत्रण और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सरकारी इक्विटी पर वापसी को वृद्धि द्वारा केन्द्रीय सरकार के व्यय बजट में 3000 करोड़ रुपए की वार्षिक कटौती उपलब्ध करना है। मार्ग-निर्देशों के विशेष मदों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) चालू कार्यक्रमों और योजनाओं का उनकी सतत संबद्धता निर्धारित करने के लिए पुनरीक्षण और मूल्यांकन।

(2) निर्धारित बजटीय सीमा से विचलन पर कड़ाई से रोक लगाना।

(3) यदि आंबटनीय लाभ में गुंजाइश हो तो सार्वजनिक उद्यमों द्वारा इक्विटी पर 20 प्रतिशत न्यूनतम लाभांश अथवा करोत्तर लाभ के 20 प्रतिशत से न्यूनतम लाभांश की घोषणा (तेल, पेट्रोलियम, रसायन और अन्य आधारभूत क्षेत्रों में 30 प्रतिशत),

(4) योजनाओं में लगने वाले अधिक समय और अत्यधिक लागत को कड़ाई से रोकना; और

(5) जहां तक हो सके सरकारी कर्मचारियों को कम करना।

जहां तक मजदूरी और सरकारी कर्मचारी से संबंधित दिशा-निर्देशों का संबंध है कुछ स्थानों पर कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि :—

(1) केन्द्रीय सरकार के किसी भी मंत्रालय, संगठन या

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से किसी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों में प्रस्तावित कटौती, उन खाली पदों को न भरकर की जाएगी, जो सेवा निवृत्ति, मृत्यु से अथवा सरकारी कर्मचारी संबंधीयुक्ति संगत उपायों से प्राप्त हुए हैं;

(2) सरकारी कर्मचारियों की मजदूरी में कोई कमी नहीं की जाएगी क्योंकि वेतन भुगतान की व्यवस्था को सरकार द्वारा मंजूर किए गए मंहगाई भत्ते के फार्मूले के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाएगा; और

(3) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा मंजूर होते ही पूर्ण रूप से लागू हो जाएंगी।

[हिन्दी]

बिहार को केन्द्रीय सहायता

368. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री काशीराम राणा :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार और गुजरात राज्य के विशेष सन्दर्भ में विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य-वार कुल कितनी अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय राशि मांगी गई है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्य-वार, वर्ष-वार और परियोजना-वार वास्तव में कितनी राशि आवंटित की है;

(ग) राज्यों द्वारा मांगी गई पूरी सहायता राशि आवंटित नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मांगी गई अतिरिक्त सहायता दे दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च). राज्यों की वार्षिक योजनाओं को योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है, जिसको राज्यों के संसाधनों, केन्द्रीयकृत रूप से आवंटित संसाधनों जैसे मार्किट उधार, वार्ता-ऋण और केन्द्रीय सहायता द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वार्षिक योजनाएं पूर्ण रूप से वित्त पोषित होती हैं। केन्द्रीय योजना सहायता में सामान्यतः केन्द्रीय सहायता, बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, राज्यों को अंतरित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता निहित है। राज्यों को उनकी दावेदारी/आवंटन के अनुसार उपर्यक्त मदों के अन्तर्गत निधियां दी जाती हैं। राज्य विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता अवश्य मांगते हैं। केन्द्रीय सरकार अपनी संसाधन सीमाओं और वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अत्यन्त विशेष मामलों में अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। वित्त मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा और दी गई राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। तथापि, हमने बिहार और गुजरात सरकारों से इस विषय में सूचना मांगी है। राज्यों से प्राप्त कोई भी सूचना बाद में सदन के पटल पर रख दी जाएगी। भावी हकदारियों से संबंधित पूर्व प्रदत्त मांग संबंधी अनुरोध, प्राकृतिक आपदाओं के कारण केन्द्रीय सहायता की मांग सम्बन्धी ज्ञापन और पुनः अदायगी बाध्यताएं/अर्थोपाय अग्रिम का स्थगन उपर्युक्त विवरण-पत्र में शामिल नहीं किये गए हैं।

विवरण

राज्यों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता और वित्त मंत्रालय द्वारा 1993-94 से 1996-97 तक (8.7.1996 तक) दी गई राशि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	राशि (करोड़ रुपये में)	उद्देश्य	उपलब्ध कराई गयी धनराशि
1	2	3	4	5
क 1993-94				
1.	अरूणाचल प्रदेश	200.00	सड़कों के उचित विकास के लिए	शून्य
2.	हरियाणा	200.00	एन.टी.पी.सी. की बकाया राशि का निर्धारण करना	शून्य

1	2	3	4	5
3.	हिमाचल प्रदेश	270.00	270.00 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता को तत्काल अनुदान राशि अथवा सुलभ ऋण तुरन्त बदलने के साथ वर्ष 1993-94 के लिए 200 करोड़ रुपये और वर्ष 1994-95 के दौरान 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए	268.74 अग्रिम योजना सहायता के रूप में
4.	जम्मू एवं कश्मीर			
	(1)	178.00	178.00 करोड़ रुपये के व्यय से संबंधित प्रतिभूति की बकाया दावे की प्रतिपूर्ति	
	(2)	150.72	1993-94 के दौरान 150.72 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से संबंधित प्रतिभूति की अग्रिम अदायगी के लिए प्रबंध	112.50
	(3)		बकाया घाटे और 1993-94 योजना परिव्यय को सुरक्षित रखने की आवश्यकता को समर्थ बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना	शून्य
	(4)	160.00	राज्य में आतंकवादियों द्वारा की गई तोड़फोड़ के लिए सामुदायिक अवसंरचना और अन्य उपयोग की वस्तुओं के पुनः निर्माण पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए 160.00 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन	शून्य
5.	केरल	150.00	मध्यम अवधि ऋण	शून्य
6.	मणिपुर	62.79	मध्यम अवधि ऋण अथवा अनुदानों किसी भी रूप में सहायता द्वारा शुरू के घाटे को पूरा करना।	62.79 रुपए अग्रिम योजना सहायता के रूप में दिए गए।
7.	मेघालय			
	(1)	91.00	1993-94 के घाटे को पूरा करने के लिए अवधि ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वर्ष के दौरान ओवरड्राफ्ट से बचा जा सके।	48.97 करोड़ रुपए के बतौर अग्रिम योजना सहायता उपलब्ध करायी।
	(2)	42.00	अर्थोपाय अग्रिम को अनुदान में परिवर्तित करना।	इसको माना नहीं गया।
8.	नागालैण्ड			
	(1)	91.91	अग्रिम योजना सहायता को एक बार में बदलना।	91.91 करोड़ रुपए अग्रिम योजना सहायता के रूप में उपलब्ध कराए गए जिसमें 90% अनुदान और 10% ऋण हैं।
	(2)	55.07	लम्बित बिलों को क्लियर करना	शून्य
	(3)	26.61	राज्य की तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए।	शून्य
9.	उड़ीसा			
	(1)	699.57	1993-94 से 1997-98 की अवधि के लिए राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए।	शून्य
	(2)	50.00	अतिरिक्त बाजार ऋण	15.00

1	2	3	4	5
10.	त्रिपुरा			
	(1)	50.00	वर्ष 1993-94 के लिए संसाधनों के अंतराल को पूरा करना	शून्य
	(2)	100.00	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 और 1994-95 की देयताओं की पुनः अदायगी को पूरा करने के लिए।	शून्य
11.	उत्तर प्रदेश			
	(1)	250.00	विद्युत वित्त निगम की अतिदेयता को क्लियर करने के लिए अतिरिक्त बाजार ऋण।	118.00
	(2)	24.00	गैर-ग्रामीण बुनकरों को घाटा सहायता के लिए अतिरिक्त सहायता।	24.00 करोड़ रुपए अग्रिम सहायता के रूप में उपलब्ध कराए गए थे जिसे वर्ष 1993-94 के अंत में समायोजित किया गया।
ख.	1994-95			
1.	आंध्र प्रदेश	250.00	आंध्र प्रदेश सिंचाई-II परियोजना के बकाया संघटकों के कार्यान्वयन के लिए।	शून्य
2.	असम			
	(1)	220.00	अतिरिक्त बाजार ऋण	30.00
	(2)	300.00	1993-94 के बकाया घाटे को पूरा करने के लिए अग्रिम योजना सहायता	शून्य
3.	हिमाचल प्रदेश			
	(1)	550.00	भाखड़ा एवं ब्यास प्रबंध बोर्ड प्रणाली से ऊर्जा की हिस्सेदारी के बारे में पड़ोसी राज्यों से देय 1100.00 करोड़ रुपए की बकाया राशि के लिए तथा इन राज्यों को विद्युत की आपूर्ति	शून्य
	(2)	100.00	राज्य के सरकारी क्षेत्रों में सभी दैनिक मजदूरी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए।	शून्य
	(3)	268.74	1993-94 के दौरान उपलब्ध कराए गए 268.74 करोड़ रुपए के अग्रिम योजना सहायता को तत्काल अनुदान अथवा दीर्घ अवधि ऋण के रूप में बदलना।	शून्य
4.	जम्मू एवं कश्मीर			
	(1)	555.00	बजट संबंधी घाटे को पूरा करने के लिए अग्रिम योजना सहायता	973.00 करोड़ रुपए (विशेष योजना सहायता के रूप में)
	(2)	733.00	वसूलियों पर बिना प्रभाव डालते हुए वर्ष 1994-95 के दौरान देय 733.00 करोड़ रुपए का पुनः निर्धारण करना।	
	(3)	185.00	प्रतिभूति संबंधित व्यय के लिए।	96.55 करोड़ रुपए अलग से गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए।

1	2	3	4	5
5.	केरल	100.00	अतिरिक्त बाजार ऋण	50.00
6.	मणिपुर			
	(1)	35.00	बकाया देयताओं का निर्धारण करना।	शून्य
	(2)	119.00	मणिपुर के आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकज	शून्य
	(3)	10.00	आतंकवादियों से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई विभिन्न स्कीमों के लिए अनुरोध।	शून्य
7.	मेघालय	50.00	ओवरड्राफ्ट को क्लियर करने के लिऐ अर्थोपाय अग्रिम/लघु अवधि ऋण।	शून्य
8.	नागालैण्ड			
	(1)	152.75	केन्द्रीय सरकार के पैटर्न आदि पर प्रारम्भिक घाटे, मंहगाई भत्ते को पूरा करना।	योजना ऋण के रूप में 12.00 करोड़ रुपए और
	(2)	80.00	राज्य के गम्भीर वित्तीय संकट को पूरा करने के लिए अग्रिम योजना सहायता/अर्थोपाय अग्रिम	18.00 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।
9.	उड़ीसा	250.00	राज्य की वार्षिक योजना 1994-95 के वित्त पोषण के लिए संसाधनों के अंतराल को कम करने के लिए मध्यम अवधि ऋण	शून्य
10.	पंजाब	310.00	वार्षिक योजना 1994-95 के लिए संसाधनों के अंतराल को कम करने और मुख्य विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना।	शून्य
11.	त्रिपुरा	150.00	अनुदान राशि के लिए 50 करोड़ रुपए ब्याज युक्त ऋण के लिए 100 करोड़ रुपए और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए 10 प्रतिशत के लिए अनुरोध।	शून्य
12.	उत्तर प्रदेश			
	(1)	51.50	अनपारा "बी" तापीय विद्युत परियोजना की स्थानीय लागत के लिए व्यय का 50 प्रतिशत उपलब्ध कराने के लिए।	शून्य
	(2)	24.00	गैर-ग्रामीण बुनकरों को ऋण सहायता के लिए 1993-94 में दी गई अग्रिम योजना सहायता की एवज में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।	शून्य
ग.	1995-96			
1.	अरूणाचल प्रदेश	20.20	प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण के लिए।	2.00
2.	आंध्र प्रदेश			
	(1)	636	वार्षिक योजना 1995-96 के लिए अतिरिक्त योजना सहायता के बतौर 636 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।	शून्य
	(2)	150	150 करोड़ रुपए के आर्थोपाय अग्रिम को अवधि ऋण में बदलना।	शून्य
	(3)	-	निषेध नीति और 2 रुपए प्रति किलो-ग्राम चावल की आर्थिक सहायता योजना के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।	शून्य

1	2	3	4	5
3.	असम			
	(1)	50.00	बोडोलैण्ड स्वायत परिषद के लिए एक मुश्त अनुदान	शून्य
	(2)	136.00	अप्रैल, 1995 को दिए गए आर्थोपाय अग्रिम को अवधि ऋण में बदलना।	शून्य
4.	हिमाचल प्रदेश			
		516.00	1994-95 के लिए 416.00 करोड़ रुपए के घाटे को और राज्य में सरकारी क्षेत्र में दैनिक मजदूरी कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण देयता के लिए 100 करोड़ रुपए की राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।	शून्य
5.	जम्मू एवं कश्मीर			
	(1)	71.00	केन्द्रीय पैटन पर अपने कर्मचारियों को अन्तरिम राहत के लिए राज्य सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।	42.34 अतिरिक्त सहयता के रूप में उपलब्ध कराए गए।
	(2)	567.00	विद्युत आयात के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त अनुदान के रूप में उपलब्ध कराना।	शून्य
	(3)	155.21	प्रतिभूति मुद्दों से संबंधित 251.21 करोड़ रुपए बकाया राशि की प्रतिपूर्ति	143.16
6.	मणिपुर	18.50	राज्य पुलिस बल को मजबूत करने के लिए।	सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।
7.	मिजोरम	11.44	11.44 करोड़ रुपए तक की विशेष अनुदान सहायता दी गई, जो केन्द्रीय करों में शेयर के लिए दसवें वित्त आयोग के अनुमानों की तुलना में वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों में आई गिरावट के बराबर है।	शून्य
8.	उड़ीसा	2100.00	ऋणें को बट्टे खाते के लिए।	शून्य
9.	पंजाब	259.00	रंजीत सागर बांध सहित प्रमुख विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना।	कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई थी। तथापि भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप 1984-85 से 1993-94 के दौरान पंजाब को विशेष अवधि ऋण सुविधा उपलब्ध कराए जाने के कारण 1995-96 के दौरान मूल और ब्याज की पुन अदायगी को छोड़ देने से राज्य के स्त्रोत बढ़कर 291 करोड़ रुपए हो गए। वह वृद्धि राज्य सरकार को 1995-96 में 600.00 करोड़ रुपए की विशेष योजना ऋण की गैर उपलब्धता को हिसाब में लेने के बाद हुई।

1	2	3	4	5
10.	त्रिपुरा	18.95	दसवें वित्त आयोग के निर्णय और 1995-96 के लिए भारत सरकार से अनुमानित अंतरण के बीच के अंतरण को पूरा करने के लिए।	शून्य
11.	उत्तर प्रदेश			
	(1)	31.00	गैर-ग्रामीण क्षेत्रों के बुनकरों के ऋणों को छोड़ देना।	शून्य
	(2)	772.54	राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए मार्च, 1995 तक ग्रामी. विद्युतकरण को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युतीकरण बोर्ड (यू.पी.एस.ई.बी.) की देयताओं को क्लियर करने के लिए।	शून्य
घ-1996-97				
1.	आंध्र प्रदेश			
	(1)	636	वार्षिक योजना 1995-96 के लिए अतिरिक्त योजना सहायता बतौर 636 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।	क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष (1996-97) के लिए राज्य सरकारों की वार्षिक योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इन अनुरोधों पर सही समय पर विचार किया जाएगा।
	(2)	150	150 करोड़ रुपए के अर्धोपाय का अवधि ऋण में परिवर्तन।	
	(3)	–	मद्य-निषेध नीति के लागू होने के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्य को क्षतिपूर्ति करने के लिए।	
1.	असम			
	(1)	326.00	1990-95 के दौरान राज्य में आंतरिक सुरक्षा उपायों पर राज्य सरकार द्वारा वहन किए गए अधिक व्यय को पूरा करने के लिए।	विचाराधीन
	(2)	30.00	असम राज्य के वोकड़ाईड़ और बोंगांइ गांव जिलों में हाल ही में हुए जातीय झगडों में गृहदाह के शिकार परिवारों के राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए।	विचाराधीन
	(3)	500.00	राज्य के बजटीय संसाधनों में सुधार लाने के लिए।	राज्य की वार्षिक योजना 1996-97 को अंतिम रूप देते समय निर्णय लिया जाएगा।
	(4)	1000.00	असम की स्थायी राजधानी का निर्माण	
2.	हरियाणा	300.00	1995-96 के दौरान 300 करोड़ रुपए के मध्य अवधि ऋण को 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत अनुदान के बतौर परिवर्तन करने के लिए।	सहमति नहीं दी गई।
3.	हिमाचल प्रदेश	500.00	500.00 करोड़ रुपए के लम्बी अवधि के सुलभ ऋण के लिए अनुरोध।	1996-97 के लिए राज्य वार्षिक योजना को अंतिम रूप देते समय निर्णय लिया जाएगा।

1	2	3	4	5
4.	जम्मू और कश्मीर			
	(1)	422.50	1995-96 के स्तर पर विशेष योजना सहायता और विशेष योजना ऋण के कारण निधि जारी करने के लिए।	1996-97 के लिए राज्य वार्षिक योजना को अंतिम रूप देते समय निर्णय लिया जाएगा
	(2)	351.94	बजट अनुमान 1996-97 के कारण पूरे न हुए अंतर को भरने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देना।	वही
	(3)	67.94	वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय विनियोग को तकनीक के द्वारा विद्युत देयताओं की वसूली को स्थगित करने करने के लिए।	चूंकि चालू वित्तीय वर्ष (1996-97) के लिए राज्य की वार्षिक योजना को अभी अंतिम रूप नही दिया गया है। इन अनुरोधों पर उपयुक्त समय पर विचार दिया जाएगा।
4.	मिजोरम	45.00	वर्ष 1996-97 के राज्य के आदि घाटे को पूरा करने के लिए लम्बे समय के लिए ऋण।	वही
5.	नागालैण्ड			
	(1)	1.25	भू-पर्यावरणीय अध्ययन के लिए कोहिमा कस्बे को भू-स्खलन अध्ययन लैण्ड स्लाइड स्टडी के लिए।	वही
	(2)	55.07	किए गए कार्य के बकाया बिलों को क्लेयर करने के लिए परन्तु राज्य की वित्तीय क्रंच के कारण राज्य सरकार द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया।	वही
	(3)	19.54	दसवें वित्त आयोग द्वारा बनाए गए केन्द्रीय करों के शेयर और केन्द्रीय करों के शेयर और केन्द्रीय बजट 1995-96 में दिए गए केन्द्रीय कर के शेयर के अनुमानों में अंतर के कारण 19.54 करोड़ रुपए की कमी को पूरा करने के लिए।	सहमति नहीं मिली।
	(4)	18.00	18 करोड़ रुपए (30 करोड़ रुपए को विशेष योजना ऋण में से) विशेष योजना पुनर्वेधीकरण, जो कि बराबर राशि की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के बदले समायोजित किया गया।	वर्ष 1996-97 को राज्य की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देते समय निर्णय लिया जाएगा।
		225.98	राज्य को केन्द्रीय ऋण के 225.98 करोड़ रुपए बट्टे खाते डालना।	अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया।

[अनुवाद]

खादी पर छूट

369. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खादी पर छूट जारी रखने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या खादी के बारे में विपणन सहायता के लिए अनुदान के संबंध में उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). छूट की मंजूरी का मुद्दा बाजार विकास सहायता की मंजूरी के मुद्दे ये जुड़ा हुआ है। खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र को

पुनरूज्जीवित करने के उपायों के सुझाव के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति द्वारा बाजार विकास सहायता योजना की शुरूआत के लिए सिफारिश की थी। सरकार इस बारे में उचित निर्णय लेने के लिए कार्यवाही कर रही है।

[हिन्दी]

सी.सी.आई. कर्मचारियों द्वारा त्याग-पत्र

370. **डा. रमेश चन्द तोमर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आई.) द्वारा चलाई जा रही यूनिटों के बहुत से कुशल कर्मचारियों ने सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). जी हां। सी.सी.आई. को लगातार हानि होना तथा निजी क्षेत्र द्वारा लाभदायक शर्तों पर प्रस्ताव देना कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कर्मचारियों ने त्याग-पत्र दिए हैं।

(ग) सरकार ने सी.सी.आई. को अपने निष्पादन में सुधार के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान डीजल जनित्रण सेटों की खरीद तथा सी.सी.आई. की कुछ अन्य योजनाओ के कार्यान्वयन के लिए 30.00 करोड़ रुपए की योजना निधि जारी की है। जहां आवश्यक समझा गया है, कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन भी किया गया है।

[अनुवाद]

विदेशी पूंजी

371. **कुमारी उमा भारती** :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विदेशी पूंजी जुटाने के लिए नियमों को लचीला बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम रूप से निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) संगत नियमों को लचीला बनाने के परिणामस्वरूप देश में कितना अतिरिक्त पूंजी निवेश किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में विदेशी पूंजी के संचय की वृद्धि की दृष्टि से और मौजूदा आर्थिक स्थिति की आवधिक समीक्षा और मूल्यांकन के आधार पर सरकार ने भारतीय कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले यूरो इश्युओं के संबंध में 19 जून, 1996 को प्रेस नोट के जरिए संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा की। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित की व्यवस्था की गई है:

(1) आधार ढांचे संबंधी सुविधाओं वाली परियोजनाओं में निवेशों को वित्तपाषित करने के लिए यूरो इश्यू जारी करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए ट्रैक-रिकार्ड संबंधी अपेक्षा में छूट;

(2) किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी या कंपनियों के समूह द्वारा जारी किए जा सकने वाले यूरो इश्यूओं की संख्या पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाना,

(3) इश्यू से हुई आय के प्रयोग के क्षेत्र को व्यापक बनाना,

(4) बैंको, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत) को "जी.डी. आर." इश्यू जारी करने की अनुमति देना बशर्ते कि इश्यू से हुई आय को स्टाक बाजार और स्थावर संपदा के क्षेत्र में न लगाया जाए।

(घ) भारतीय स्क्रिपों में अन्तरराष्ट्रीय निवेशको का अवबोधन और रूचि, संयुक्त राज्य अमरीका में ब्याज दरों की घट-बढ़, अन्य उभरती हुई बाजार इक्विटियों के आकर्षण, अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के कार्य-निष्पादन आदि जैसे वहिर्जात घटकों सहित विभिन्न परिवर्तनों के कारण है। तदनुसार, जबकि सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का अभिप्राय भारतीय उद्योग में और अधिक निवेश को आकर्षित करना है, दिशानिर्देशों की घोषणा के परिणामस्वरूप पूंजी के अतिरिक्त अन्तर्प्रवाह की राशि का सुनिश्चित अनुमान लगाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार के लिए विश्व बैंक ऋण

372. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकास परियोजनाओं के लिए ऋण हेतु विश्व बैंक के पास कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने हेतु हाल ही में सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या है और राज्य सरकार को दिए जाने वाली ऋण की राशि कितनी होगी?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से बिहार में चालू परियोजनाओं के अलावा बिहार वानिकी परियोजना, स्वर्णरेखा सिंचाई

परियोजना, बिहार प्राथमिक शिक्षा परियोजना तथा बिहार राज्य बिजली बोर्ड के सुधार और पुनःसंरचना के लिए विश्व बैंक से संभावित वित्तपोषण हेतु प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर हैं। इन परियोजनों के लिए धनराशि सहित ब्यौरे का पता विश्व बैंक के साथ सहायता संबंधी बातचीत को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही चलेगा।

[अनुवाद]

यूरिया घोटाले में "फेरा" का उल्लंघन

373. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और आपके मंत्रालय ने 133 करोड़ रुपए के यूरिया आयात घोटाले में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के मानदंडो का उल्लंघन किए जाने के भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली के मामलों की कोई जांच की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). प्रवर्त्तन निदेशालय ने भारतीय स्टेट बैंक के कुछ अधिकारियों से इस संबंध में पूछताछ की है। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के भारतीय स्टेट बैंक की साउथ एक्सटेंशन (नई दिल्ली) शाखा का शीघ्र निरीक्षण भी किया है। भारतीय स्टेट बैंक के चार अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

374. **श्री हरिन पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उदारीकरण की प्रक्रिया का आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के वृद्धि से कोई संबंध है; और

(ख) यदि हां, तो आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर उदारीकरण के कुप्रभाव को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). आर्थिक उदारीकरण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कई तरीकों से प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, आवश्यक वस्तुओं का आयात सामान्यतः आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित रखने में सहायता करता है। दूसरी ओर, निर्यात नियंत्रण में उदारीकरण, थोड़े समय के लिए, कीमतों पर उर्ध्वमुखी दबाव डाल सकता है। आर्थिक उदारीकरण और कीमतों में उतार-चढ़ाव का गहरा संबंध है। थोड़े समय के लिए आपूर्ति और मांग के दबाव के आधार पर कभी-कभी कीमतों में वृद्धि हो सकती है। तथापि, वस्तुओं का मुक्त बाजार आगे चलकर लागतों और मूल्यों की अनुकूलता सुनिश्चित करता है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर उदारीकरण के अल्पावधिक विपरीत प्रभाव का सामना करने के लिए, सरकार ने सक्रिय आपूर्ति प्रबन्ध उपाय अपनाए हैं तथा राजकोषीय घाटे और मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। आवश्यक वस्तुओं की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार ने खाद्य तेलों, चीनी, दालों आदि के रियायती शुल्कों पर ओ.जी.एल. आयात की अनुमति दी है। सरकार ने सरकारी भंडारों से गेहूं और चीनी की बड़ी मात्रा में खुले बाजार में बिक्री भी आरंभ की है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 पर उपमार्ग (बाई-लेन)

375. **डा. अरूण कुमार शर्मा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार लखीमपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 पर एक उप-मार्ग (बाई-लेन) का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). जी नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में लखीमपुर बाईपास के लिए प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार कार्य, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं। बाई पासों को कम प्राथमिकता दी गई है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों को रियायती ब्याज दर पर ऋण

376. **श्री अनंत कुमार** :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार लघु उद्योग को रियायती ब्याज दर और प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने हेतु विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की उम्मीद है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान ब्याज दर नीति के अनुसार, ब्याज दर को ऋण की प्रमात्रा से जोड़ा गया है और उद्देश्यवार संयोजन को समाप्त कर दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर, उसने लघु उद्योग एककों की ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया सरल बना दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को हिदायते दी हैं कि वे लघु उद्योगों को उनकी अनुमानित वार्षिक टर्नओवर के 20 प्रतिशत के आधार पर एक करोड़ रुपए से कम तक की कार्यशील पूंजी सीमाओं के लिए मंजूरी दें। बैंकों को ये भी हिदायतें दी गई हैं कि वे लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करते समय, ग्रामोद्योगों, अत्यंत लघु उद्योगों और अन्य उद्योग एककों को उसी क्रम में वरीयता दें।

मूल्य वृद्धि

377. **श्री नीतिश कुमार :**
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 15 मई, 1996 के "डेली ट्रिब्यून" में प्रकाशित समाचार के अनुसार 100 वस्तुओं के मुल्यों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या मुद्रास्फीति को दर में गिरावट के बावजूद अप्रैल, 1995 और मार्च 1996 के बीच 33 खाद्य उत्पादों की कीमतों में दो अंकों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस मूल्य वृद्धि को रोकनें के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). मार्च, 1996 के अंत में थोक मूल्य सूचकांक एक वर्ष पहले के 286.8 की तुलना में 299.5 पर स्थिर था, इस प्रकार इस में 4.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष अप्रैल, 1995 से मार्च, 1996 के दौरान विभिन्न वस्तुओं के थोक मूल्यों में परिवर्तन की प्रवृति नीचे दी गई है:-

वस्तुओं की संख्या	प्रतिशत परिवर्तन
63	कोई परिवर्तन नहीं
84	नकारात्मक
72	5 प्रतिशत से कम
80	5-10 प्रतिशत
2	10 प्रतिशत
120	10 प्रतिशत से अधिक
26	उपलबध नहीं।
447	

(घ) मूल्य वृद्धि को नियंत्रित रखने के लिए पक्ष और प्रति पक्ष दोनों में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) 1995-96 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं की खुले बाजार में बिक्री को जारी रखना;

(2) शून्य या घटे शुल्कों पर चीनी, खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं की खुले बाजार में बिक्री को जारी रखना;

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकारी खाते पर चीनी और खाद्य तेलों का आयात;

(4) 1995-96 के बजट में राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 (सं.अ.) प्रतिशत तक की कमी लाना।

(5) उपायों की श्रृंखला के जरिए 1995-96 में मौद्रिक वृद्धि को 15.5 प्रतिशत से कम पर नियंत्रित रखना।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण की वसूली

378. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वितरित किये गये ऋणों की वसूली निर्धारित समयानुसार की जा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान उनकी उसूली की राज्य-वार प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इसकी कम वसूली को ध्यान में रखते हुए इस योजना की पुनरीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) 2 अक्टूबर, 1993 को शुरू की गई थी। पी.एम.आर.वाई योजना के अंतर्गत, 6 से 18 महीनों के प्रारंभिक अधिस्थगन के पश्चात वापसी अदायगी की अवधि 3 से 7 वर्ष है। अतः समय सारणी के अनुसार योजना के अंतर्गत संवितरित ऋण की वसूली हुई है या नहीं यह कहना समयपूर्व होगा।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने इस योजना के अंतर्गत बैंकों के वसूली कार्य जनवरी, 1996 मे एक त्वरित अध्ययन कराया है। यह पाया गया कि जांच किए गए मामलों के संबंध में मांग को तुलना में वसूली को प्रतिशतता 59.44 प्रतिशत थी। इस योजना की भारत सरकार के स्तर पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति, राज्य स्तर राज्य पी.एम.आर.वाई. समिति और भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर की अध्यक्षता वाले निगरानी कक्ष जैसे विभिन्न स्तरों पर पुनरीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता न्यायालय

379. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता न्यायालयों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि जारी की गई?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : भारत सरकार ने उपभोक्ता न्यायालयों की अवसंरचना सुविधा को मजबूत बनाने की दृष्टि से राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को 61 करोड़ रुपए की एक बार वित्तीय सहायता देने के लिए एक केन्द्रीय स्कीम आरंभ की है, जो 1995-96 और 1996-97 के दौरान चार अर्द्धवार्षिक किस्तों में जारी की जाएगी। प्रथम वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को 29.98 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

380. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यात्रियों की संख्या को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम को वर्तमान में कितनी बसों की आवश्यकता है;

(ख) वर्तमान कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के पास आज की स्थिति के अनुसार डिपोवार कितनी बसें चलने की स्थिति में हैं अथवा चलने योग्य बनाई जा सकती हैं और खस्ता हालत में पड़ी हुई बसों की डिपो-वार संख्या क्या है;

(घ) प्रतिदिन औसतन कितनी बसें चल रही हैं; और

(ङ) वर्ष 2000 तक दिल्ली में कितनी बसों की आवश्यकता होगी और इसे किस तरह पूरा किया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ख). जहां तक दि.प.नि. का संबध है, इसका बेड़ा 3500 पर स्थिर हो गया है। बसों की शेष आवश्यकताएं विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा पूरी की जा रही हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जून, 1996 माह के दौरान प्रतिदिन औसतन 1408 बसें प्रचालन में रहीं।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली के लिए सन् 2000 तक के लिए बसों की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान तैयार नहीं किया है।

विवरण

4.7.1996 को डिपो-वार बसों की स्थिति

क्र.सं.	डिपो	बसों की कुल सं.	प्रचालनरत/ प्रचालन योग्य बसों की सं.	ऐसी बसों की सं. जो मरम्मत के लिए/टूटी-फूटी स्थिति में रूकी हुई हैं, लेकिन आवश्यक मरम्मत के बाद जिन्हें प्रचालन योग्य बनाया जा सकता है। इनमें कुल बेड़े की 10% ऐसी बसें भी शामिल हैं जो वाहन निर्माताओं को सिफारिश के अनुसार सामान्य/निवारात्मक अनुरक्षण ब्रेक-हाऊन मरम्मत, एम वी आई हेतु तैयारी और अन्य जांचों के विभिन्न चरणों के लिए अपेक्षित होती हैं।
1	2	3	4	5
1.	एच बी एम-II	46	26	20
2.	बी.डी.	70	16	54
3.	जी टी के	54	31	23
4.	एन एल डी	56	33	23
5.	डब्ल्यू पी डी-I	96	34	62
6.	डब्ल्यू पी डी-II	96	61	35

1	2	3	4	5
7.	डब्ल्यू पी डी-III	96	25	71
8.	आर एच एन-I	64	20	44
9.	आर एच एन-II	34	13	21
10.	आर एच एन-III	41	19	22
11.	डी के डी	54	19	35
12.	एच एन डी-I	120	18	102
13.	एच एन डी-II	85	21	65
14.	एच एन डी-III	39	11	28
15.	के पी डी	30	24	06
16.	एम पी डी	121	69	52
17.	एन डी	81	32	49
18.	एस पी डी	75	41	34
19.	पी जी डी	78	27	51
20.	एस एच डी-I	83	29	54
21.	एस एच डी-II	79	31	48
22.	पी पी जी डी	103	67	36
23.	एन एन डी	101	63	38
24.	नोएडा	54	22	32
25.	एस एन डी	81	50	31
26.	वी वी डी	76	45	31
27.	ए एन डी	71	50	21
28.	जे जे डी	110	58	52
29.	ओ डी-I	80	58	22
30.	बी बी एम-I	110	66	44
31.	आई पी डी	151	99	52
32.	वाई वी डी	82	68	14
33.	ओ डी-II	127	88	39
		2645	1334	1311

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में स्वरोजगार योजना

381. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधान मंत्री की स्वरोजगार योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य क्या हैं तथा उसे कहां तक प्राप्त किया गया है;

(ख) राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में कितनी राशि निर्धारित की गई थी और कितनी राशि मंजूर की गई;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि महाराष्ट्र में शिक्षित बेरोजगार युवकों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और

(घ) यदि हां तो कठिनाइयों से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या निर्देश जारी किए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के लिए 35,900 लाभभोगियों का लक्ष्य था। इस लक्ष्य के प्रति 40,392 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किए थे जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया था।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभभोगियों को बैंकों द्वारा वर्ष 1994-95 और 1995-96 में क्रमशः 12,421.39 लाख रुपये और 19116.02 लाख रु. की राशि स्वीकृति की गई है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण देने के लक्ष्यों को व्यक्तियों के संदर्भ में दिया गया है अर्थात् लाभभोगियों की संख्या से है न कि स्वीकृत किए जाने वाले कोष की राशि से।

भारत सरकार प्रत्येक लाभभोगियों को दिए गए ऋण का 15 प्रतिशत राजसहायता देती है जिसकी अधिकतम सीमा 7500/- रु. है। यह कोष राजसहायता हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को दिए जाते हैं ताकि वह व्यक्तिगत लाभभोगियों को राजसहायता की अदायगी के लिए क्रियान्वयन हेतु बैंकों को जारी कर सके।

केन्द्र सरकार संचालन संबंधी खर्चों हेतु आवश्यकता पर आधारित कोषों को मुहैया करती है जा राज्य सरकारों को सीधे ही जारी कर दिए जाते हैं। वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को क्रमशः 2.66 करोड़ रुपये और 1.93 करोड़ रुपये के कोष जारी किए गए।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विचार विमर्श के दौरान कुछ आवेदकों के समपार्श्विक सिक्यूरिटी तथा ऋण के विपरीत फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए कुछ ब्रान्च प्रबंधों कों द्वारा जोर देने के बारे में शिकायत की है। विकास आयुक्त (लघु उद्योग) भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशनों के आधार पर तथा विभिन्न मंचों जैसे कार्य दल समिति बैठक, जिला सलाहकार समिति बैठक, ब्लाक स्तर की समन्वय समिति बैठक द्वारा समय-समय पर इन समस्याओं को निपटाया गया था (कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण से सृजित परिसम्पतियों को रेहन रखने के अतिरिक्त समपार्श्विक सिक्यूरिटी के लिए नहीं कहा जाना है।)

रुग्ण उद्योगों हेतु कार्यशील पूंजी का प्रावधान

382. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रुग्ण उद्योगों को बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके द्वारा जारी मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत, बैंक रुग्ण औद्योगिक यूनिटों को आवश्यकता पर आधारित कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराते हैं। संभाव्य रूप से अर्थक्षम समझी जाने वाली रुग्ण औद्योगिक यूनिटों के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार किए जाते हैं ओर इन पैकेजों मे, अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों से आवश्यकता पर आधारित कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा स्वीकृत पुनर्वास पैकेज बैंकों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के लिए बाध्यक हैं।

सरकारी उपक्रमों में विदेशी निवेश

383. **श्री ई. अहमद** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकृष्ट करने के लिए किसी नये कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत छह माह से विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की स्वीकृति हेतु कितने आवेदन लम्बित पड़े है; और

(घ) इन आवेदनों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). विदेशी निवेश के बारे में सरकार की नीति गतिशील है और देश में विशेष करके प्राथमिकता/प्रमुख क्षेत्रों , जिसमें आधारभूत क्षेत्र भी शामिल हैं, में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी निरंतर समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ). रिकार्ड के अनुसार, जनवरी, 1996 से जून, 1996 तक की अवधि में इस मंत्रालय में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के विचारार्थ 424 आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं। विदेशी प्रत्येक निवेश के आवेदन पत्रों को प्राप्त करना और उन पर विचार करना एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और प्रस्तावों पर शीघ्र मंजूरी देने के लिए अपेक्षित उपाय किये जाते हैं।

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

384. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूर-संचार और तेल के लिए विदेशी वाणिज्यिक ऋण हेतु निर्धारित मानदंड में छूट देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मानदंड और दिशानिर्देश क्या हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ख). 19 जून, 1996 को विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर जारी किए गए दिशानिर्देशों में दूरसंचार तथा तेल की खोज एवं विकास (परिष्करण को छोड़कर) की आधारभूत ढांचे वाली परियोजनाओं में लगे निगमों को यह अनुमति दी गई है कि वे पूर्व में निर्धारित 7 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता के विपरीत 15 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक समान उधारों हेतु 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता पर विदेशी वाणिज्य उधार जुटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूर-संचार के क्षेत्र में विदेशी वाणिज्यिक उधारों का अंतिम उपयोग लाइसेंस शुल्क सहित परियोजना संबंधी रुपए के व्यय के लिए हो सकता है।

बनारास से कलकत्ता तक जलमार्ग परिवहन

386. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बनारस से कलकत्ता तक जलमार्ग परिवहन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). बनारस और कलकत्ता के बीच गंगा-भागीरथी-हुगली नदी का खंड, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग-1 का एक भाग है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण प्रति वर्ष विभिन्न नदी सफाई कार्य करवाकर राष्ट्रीय जलमार्ग की नौगम्यता बनाए रखता है। इस समय, राष्ट्रीय जलमार्ग के चरणबद्ध विकास के तहत हल्दिया-पटना खंड को प्रथम, चरण के रूप में पूरे वर्ष भर नौचालन के लिए विकसित किया जा रहा है ताकि वर्ष में कम से कम 300 दिनों के लिए न्यूनतम 45 मीटर चौड़ा और न्यूनतम 2 मीटर गहरा चैनल उपलब्ध करवाया जा सके। राष्ट्रीय जलमार्ग सरकारी तथा निजी आपरेटरों के जलयानों के प्रचालन के लिए खुला है। पटना से वाराणसी और इलाहाबाद तक "अप-स्ट्रीम" नौगम्यता को बेहतर बनाने के लिए तल विनियम और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तन क्षेत्र में और अधिक निवेश

387. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तन क्षेत्र में और अधिक निवेश के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोचीन पत्तन न्यास की विद्यमान क्षमता को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). जी हां। 3216 करोड़ रु. के 8वीं योजना परिव्यय के अतिरिक्त पत्तन क्षेत्र को, सरकार की उदारीकरण की नीति के अनुरूप निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए खोल दिया गया है। बर्थों/कंटेनर टर्मिनलों, टैंक फार्मस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन के निर्माण, क्रेनेज/हैंडल करने वाले उपकरणों, आबद्ध ऊर्जा संयंत्र, शुष्क गोदी एवं जहाज मरम्मत सुविधाओं, भण्डारण, उपकरण एवं फ्लोटिंग क्राफ्ट पट्टे पर लेने और पायलटेज में निजी क्षेत्र की सहभागिता मांगी गई है।

(ग) और (घ). कोचीन पत्तन की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित स्कीमें शुरू की गई है :-

स्कीम का नाम	क्षमता वृद्धि (मिलियन टन)
सी ओ टी चैनल को गहरा करना	2.00
कन्टेनर टर्मिनल	0.60
जोड़	2.60

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

388. डा. कृपा सिन्धु भोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कितनी स्लैब देय हैं;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को किस दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) महंगाई भत्ते का भुगतान किस तिथि को जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के स्लैब के समय पर भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (1960 = 100) के 12 महीने के औसत में 608 के आधार सूचकांक, जिससे 1.1.86 से प्रभावी मौजूदा वेतन मान संबद्ध है, में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई से देय होती है। पहली जुलाई से देय महंगाई भत्ते की किस्त सामान्यतया सितम्बर महीने के वेतन के साथ भुगतान योग्य होती है।

महाराष्ट्र में निजी क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास

389. **श्री मोहन रावले :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषण हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों संबंधी कतिपय सड़क विकास परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(1) **रा.रा. 3 एवं 4 पर थाणे-भिवन्डी बाईपास :** अनुमोदित और करार कर दिया गया है।

(2) **रा.रा. 6 पर वेन-गंगा पुल :** राज्य से तकनीकी ब्यौरे प्राप्त हो चुके हैं।

(3) **रा.रा. 17 पर पाटल-गंगा पुल :** तकनीकी ब्यौरे अनुमोदिक कर दिए गए हैं।

(4) **रा.रा. 8 पर खंडाला-लोनावाला-पूणे खंड को चार लेन का बनाना :** तकनीकी ब्यौरे अपूर्ण पाए गए और राज्य को लौटा दिए गए।

"सेबी" को प्राप्त शिकायतें

391. **श्री दादाबाबूराव परांजपे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान आज तक निवेशकों द्वारा "सेबी" को की गई शिकायतों की कंपनी-वार और बैंक-वार संख्या कितनी है; और

(ख) अभी तक कितनी शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के एककों को घाटा

392. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के एककों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के प्रारंभ में तत्संबंधी एकक-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटे में चल रहे एककों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने एककों को बंद घोषित किया गया है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के घाटे में चलने वाले तथा बन्द पड़े एककों के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). जी हां, आठवीं योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात 1992-93 और 1993-94 तक की ही सूचना उपलब्ध है और उसके अनुसारन उक्त अवधि में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के क्रमशः 106 एवं 117 उद्यमों ने घाटा उठाया। पिछले पांच वर्षों के दौरान उठाए गए घाटे का ब्यौरा 22.3.95 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1994-95 के खण्ड-1 के विवरण संख्या 7-ख में दिया गया है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और यह प्रत्येक उद्यम में मामले में अलग-अलग है। इस संबंध में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार है: समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा समय-समय पर कार्य-निष्पादन, पुनरीक्षा बैठकों का आयोजन, उत्पाद-मिश्र का विविधीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या में कमी, पुनर्गठन आदि। सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा जाता है ताकि प्रचालम अभिकरण के माध्यम से उनके पुनरूद्धार/पुनर्स्थापन की योजनाएं बनाई जा सकें।

(घ) से (ङ). पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में तालाबंदी की कोई घोषणा नहीं हुई है। 24 जुलाई, 91 को घोषित औद्योगिक नीति वक्तव्य में रुग्ण तथा घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से निबटने के लिए नीति का उल्लेख किया गया है। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 को 1991 में संशोधित किया गया था ताकि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड पुनरूद्धार/पुनर्स्थापन पैकेज के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का पंजीकरण कर सके।

बंद परिसरों से शुल्क मुक्त सोना गायब होना

393. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सीमा शुल्क अधिकारियों ने नौएडा स्थित निर्यात संवर्द्धन क्षेत्र में बंद परिसरों से 18 कि.ग्रा. शुल्क मुक्त सोना गायब पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गायब सोने के कारणों का पता लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). नोएडा निर्यात प्रसंस्करण जोन में एक निर्यात एकक, मैसर्स असम जूअलरी एक्सपोर्ट (प्रा.) लि. के परिसर की 26.4.96 को ली गई तलाशी के दौरान न तो कोई सोना ओर न ही सोने से बने जेवरात पाए गए थे। तथापि, एक किलोग्राम से कम वजन के चांदी के कुछ सिक्के पाए गए थे। धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा इस एकक को सोने के आभूषणों के निर्माण और उन्हें निर्यात करने के लिए शुल्क मुक्त 16 किलोग्राम सोना जारी किया गया था। परन्तु, प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह एकक महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर अपनी निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने में सफल नहीं हुआ। जांच कार्य अभी चल रहा है।

लघु उद्योग

394. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :**
श्री प्रभूदयाल कठेरिया :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कंपनियो को ऐसी वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देने का है जिनका उत्पादन लघु उद्योगों द्वारा ही किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ग). सरकार की विद्यमान नीतियों के अनुसार, लघु उद्योग उपक्रमों के अलावा अन्य औद्योगिक उपक्रमों को सामान्यतः उन वस्तुओं का विनिर्माण करने की अनुमति नही है जा विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित हैं। तथापि, उन्हें वार्षिक उत्पादन के कम से कम 75 प्रतिशत के निर्यात दायित्व की शर्त के साथ ऐसा करने की अनुमति है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विदेशी निवेश

395. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं को इस संदर्भ में सूचीबद्ध किया गया है तथा इससे भारतीय उद्योग को कितना लाभ होगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ग). देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि करने के उद्देश्य से इसे विशेष रूप से आधारभूत क्षेत्र सहित प्राथमिकता/मुख्य क्षेत्रों में और अधिक गतिशील बनाने के लिये विदेशी निवेश पर सरकार की नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है।

रुग्ण कागज मिल

396. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ कागज मिल रुग्ण हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके बंद होने से कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें पुनः चालू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ग). रुग्ण पेपर मिलों के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय रूप से उद्योग मंत्रालय में नहीं रखे जाते है। तथापि, उपलब्ध सुचना के अनुसार रुग्ण पेपर मिलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) और (ङ). रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं से निपटने के लिये औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड नामक एक न्यायिक निकाय स्थापित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को निगरानी पद्धतियों को मजबूत बनाने तथा औद्योगिक रुग्ण इकाइयों को स्वस्थ्य एककों के साथ मिलाने के लिये ऐसे विलय के लिये उन्हें आयकर में छूट प्रदान कर स्वस्थ इकाइयों के साथ मिलाकर पुनर्जीवित भी किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	रुग्ण मिलों की संख्या
1	2	3
1.	असम	1
2.	बिहार	3
3.	पश्चिम बंगाल	15
4.	उड़ीसा	1
5.	उत्तर प्रदेश	13
6.	दिल्ली	1
7.	पंजाब	5
8.	हरियाणा	4

1	2	3
9.	चंडीगढ़	3
10.	हिमाचल प्रदेश	10
11.	राजस्थान	5
12.	गुजरात	8
13.	महाराष्ट्र	11
14.	मध्य प्रदेश	7
15.	आंध्र प्रदेश	14
16.	कर्नाटक	8
17.	तमिलनाडु	8
18.	केरल	2
19.	पांडिचेरी	2
	कुल	121

छंटनी किए गए कर्मचारियों के मामले में द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन

397. **श्री अमर रायप्रधान : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 17 नवम्बर 1987 को स्टेट बैंक के प्रबंधन तथा अखिल भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ के बीच हुआ द्विपक्षीय समझौता, छंटनी किए गए अस्थाई कर्मचारियों के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो संसद सदस्यों द्वारा वर्ष 1995 तथा 1996 के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक के कूच बिहार, पश्चिम बंगाल शाखा के संबंध में सरकार को जानकारी में लाए गए हैं, जिनमें उक्त समझौते का कथित रूप से उल्लंघन हुआ है; और

(ग) इस प्रकार के प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 17.11.87 को हस्ताक्षरित इसके द्विपक्षीय समझौते के प्रावधान उन भूतपूर्व अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू हैं, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, बशर्ते कि वे इनमें दी गई शर्तों की पूरा करते हों।

(ख) और (ग). बैंक ने आगे सूचित किया है कि दो अवसरों पर, दो माननीय संसद सदस्यों ने क्रमशः मुराराय शाखा और कूच बिहार जिला (दोनों पश्चिम बंगाल में) में एक और पांच भूतपूर्व अस्थायी कर्मचारियों को उनकी बारी आने और स्थान रिक्त होने पर बैंक की सेवा में शामिल किए जाने के लिए पैनल में पहले ही शामिल किया जा चुका है।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों का शाखा विस्तार कार्यक्रम

398. ***श्री सौम्य रंजन : क्या वित्त मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थान-वार कितनी शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव था; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं कहां-कहां खोली गयी?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1994-95 के दौरान गैर सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों को उड़ीसा में एक-एक शाखा खोलने और 1995-96 के दौरान गैर सरकारी क्षेत्र के पांच बैंकों को 12 शाखाएं खोलने के लिए प्राधिकृत किया था। स्थान-वार विवरण विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान उड़ीसा में गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं का स्थान-वार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-I

उड़ीसा में शाखाएं खोलने के लिए वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान सरकारी क्षेत्र बैंकों को जारी प्राधिकार

केन्द्र (जिले) का नाम	बैंक का नाम
1994-95	
1. पारादीप (जगतसिंहपुर)	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
2. सम्बलपुर (सम्बलपुर)	बैंक आफ बड़ौदा
1995-96	
3. भुवनेश्वर (भुवनेश्वर)	बैंक आफ इंडिया
4. शहीद नगर (खुर्दा)	केनरा बैंक
5. सहदेव खुटा (बालासोर)	केनरा बैंक
6. पुरी (पुरी)	विजया बैंक
7. मोसीम टेम्पल मार्ग (भुवनेश्वर)	इंडियन बैंक
8. सैलश्री बिहार (भुवनेश्वर)	इंडियन बैंक
9. झारसुगुडा (सम्बलपुर)	इंडियन ओवरसीज बैंक
10. बरगढ़ (बरगढ़)	इंडियन ओवरसीज बैंक
11. धरमगढ (कालाहांडी)	इंडियन ओवरसीज बैंक
12. नयागढ़ (नयागढ़)	इंडियन ओवरसीज बैंक
13. तालचर (अंगुल)	इंडियन ओवरसीज बैंक
14. बारीपादा (मयूरभंज)	इंडियन ओवरसीज बैंक

विवरण-II

वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान उड़ीसा में खोले गए सरकारी क्षेत्र के बैंको की शाखाएं

केन्द्र (जिले) का नाम	बैंक का नाम
1994-95	
1. जाजपुर रोड (जाजपुर)	इंडियन ओवरसीज बैंक
2. ब्रजराजनगर (झरसुगुड़ा)	भारतीय स्टेट बैंक
3. भुवनेश्वर (खुर्दा)	युको बैंक
4. सम्बलपुर (सम्बलपुर)	बैंक आफ बड़ौदा
1995-96	
5. भुवनेश्वर (खुर्दा)	बैंक आफ इंडिया
6. सहदेव खुंटा (बालासोर)	केनरा बैंक
7. केशाइबहल (सम्बलपुर)	भारतीय स्टेट बैंक
8. मधुपट्टना (कटक)	यूनियन बैंक आफ इंडिया
9. खरवेलनगर (खुर्दा)	इंडियन बैंक
10. डबरी प्रोजेक्ट (जयपुर)	भारतीय स्टेट बैंक
11. पुरी (पुरी)	विजया बैंक

केरल में औद्योगिक विकास केन्द्र

399. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में विशेषकर कण्णनोर और अल्लेपी में औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार की गयी मूल योजना के उद्देश्यों पर इसके विभाजन से होने वाले संभावित प्रभावों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विकास केन्द्र की विभाजित इकाइयों से संबंधित कार्य कब तक आरम्भ होने और पूरा होने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). विकास केन्द्र योजना, 1988 के अन्तर्गत केरल को दो विकास केन्द्र आबंटित किये गये हैं। प्रारंभ में एक एक विकास केन्द्र को अल्लेपी में शेरतलाई में विकसित करने के लिए चुना गया था और दूसरे विकास केन्द्र को कन्नानौर जिले के तेलीचरी में विकसित करने के लिए चुना गया था। तथापि, घनी जनसंख्या और भूमि की कमी जैसी विशेष समस्याओं के कारण विकास केन्द्र के लिए एक स्थान पर 1000 एकड़ के लगभग अपेक्षित संस्कृत भूमि के प्राप्त करने में राज्य द्वारा ऋण कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने फरवरी, 1994 में उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और दो विकास केन्द्रो को अधोलिखित पांच पृथक-पृथक स्थलों पर पुनः स्थापित करने के लिए स्वीकृति दी थी।

विकास केन्द्र का नाम	स्थापना स्थल	परियोजना लागत
1. अल्लेपी-पथनमथीटा	(1) अलापयुझा	1602 लाख रुपये
	(2) पथनसथीटा	1883 लाख रुपये
2. कन्नूर-कोजीकोड़े-मलप्पुरम	(1) कन्नूर	1191 लाख रुपये
	(2) कोजीकोड़े	1745 लाख रुपये
	(3) मलप्पुरम	1491 लाख रुपये

अल्लेपी-पथनमथीटा और कन्नूर-कोजीकोड़े-कोजीकोड़े-मलप्पुरम के विकास केन्द्रों के लिए अब तक क्रमशः 268 लाख रुपये और 884 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी किये गये हैं।

(ग) विकास केन्द्र 8वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान विकसित और स्थापित किये जायेंगे।

सीमा शुल्क लगाना

400. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर सरकार ने केन्द्र सरकार से म्यांमार मूल की इमारती लकड़ी चावल, दाल, राजमा तथा मसालों पर सीमा शुल्क हटाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि म्यांमार से मणिपुर में प्राकृतिक रूप से आने वाली इमारती लकड़ी पर सीमा शुल्क अधिकारी मनमाने ढंग से भारी जुर्माना लगा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार के अभ्यावेदन को दृष्टि में रखते हुए जुर्माना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). जी नहीं, मणिपुर सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

जहां तक लकड़ी का संबंध है, वह मद भारत - म्यांमार संधि में शामिल नहीं है। अतः इसके अप्राधिकृत आयात के मामलों पर न्याय-निर्णयन किया जाना है। यह बताया गया है कि ऐसे मामलों में, कानून में की गई व्यवस्था के अनुसार शुल्क, जुर्माना और अर्थदण्ड की अदायगी करने पर माल को मुक्त कर दिया गया है।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का पुनर्गठन

401. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री रूप चन्द पाल :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन करने और औद्योगिक रुग्णता के बारे में एक विधेयक लाने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। तथापि कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सोने की तस्करी

402. **श्री पिनाकी मिश्र :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही के महीनों के दौरान सोने तथा नशीली दवाइयों की तस्करी में भारी वृद्धि के बारे मे पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1996 से अब तक प्रत्येक के दौरान कितना निषिद्ध माल जब्त किया गया?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार के पास उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता है कि नशीले औषध द्रव्यों या सोने की तस्करी में भारी वृद्धि हुई है। तथापि, तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धंधा होने के कारण तस्करी की प्रवृत्ति के बारे में पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है।

(ख) जनवरी, 1996 से लेकर प्रत्येक मास के दौरान देश में पकड़े गए नशीले औषध द्रव्यों की मात्रा निम्नानुसार है :-

(पकड़ी गई मात्रा किलोग्राम में)

नशीले द्रव्य औषध	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून (अनन्तिम)
अफीम	37	630	153	228	13	3
हेरोइन	145	88	112	158	167	2
गांजा	2086	7287	4724	5159	91	–
हशीश	190	3622	731	17	19	–
कोकीन	–	–	–	0.097	0.135	–
मेन्ड्रेक्स	–	4	0.750	–	–	–

जनवरी, 1996 से प्रत्येक माल के दौरान देश में सोने सहित पकड़े गए निषिद्ध माल (नशीले औषध द्रव्यों के अलावा) का मूल्य निम्नानुसार है :—

(लाख रुपयों में)

मास	रुपये
जनवरी, 96	2414
फरवरी, 96	4524
मार्च, 96	6910
अप्रैल, 96	2441
मई, 96	1960
जून, 96	1704 (अनन्तिम)

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को समाप्त करना

403. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की उन प्रमुख परियोजनाओं को समाप्त करने अथवा बेचने का निर्णय लिया है जिन्हें अभी तक चालू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी परियोजनाओं का पता लगाया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग

404. श्री राम कृपाल यादव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये राष्ट्रीय राजमार्ग मरम्मत के अभाव में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन राजमार्गों पर किए जाने वाले प्रस्तावित मरम्मत कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की जाने वाली सड़कों की संख्या क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित हैं :-

रा.रा.सं.	रा.रा. का नाम
2	दिल्ली-कलकत्ता
6	कलकत्ता-धुले
19	गाजीपुर-पटना
23	वास-तालचार
28	लखनऊ-बरौनी
28-क	पिपराकोठी-रक्सौल
30	मोहनिया-बख्तियारपुर
31	बरही-गुवाहाटी
32	गोबिन्दपुर-जमशेदपुर
33	बरही-भारागोरा

(ख) तथा (ग). जी, नहीं। बिहार से होकर जाने वाले इन राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के भीतर सामान्यतः यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है और जब कभी जहां आवश्यक हो सामान्य मरम्मत, आवधिक नवीकरण और मानसून के कारण हुई टूट-फुट की मरम्मत की जाती है।

(ङ) गाजीपुर-पटना राजमार्ग को हाल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 19 घोषित किया गया है। तथापि, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अत्यन्त कम निधियां आबंटित किए जाने के कारण बिहार राज्य में किसी अन्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना कठिन है।

[अनुवाद]

वैश्य बैंक लिमिटेड, नयी दिल्ली में अनियमितताएं

405. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान वैश्य बैंक लिमिटेड की नयी दिल्ली स्थित शाखाओं में जालसाज़ी और अनधिकृत और अवैध रूप से चैक बुक जारी करने संबंधी मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जालसाजी और अनधिकृत तथा अवैध रूप से चैक बुक जारी करने के सभी मामलों की पुलिस की रिपोर्ट न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे मामलों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित किए गए अनुसार, वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान, दिल्ली में वैश्य बैंक लि. की कनाट प्लेस, करोलबाग और चांदनी चौक शाखाओं में धोखाधड़ी/अप्राधिकृत रूप से/गैर कानूनी ढंग से चैक बुक जारी किए जाने के मामलों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आर बी आई ने सूचित किया है कि बैंक ने करोलबाग से संबंधित दोनों मामलों की सूचना पुलिस को दे दी है। तथापि, चूंकि कनाट प्लेस शाखा वाले मामले में उक्त राशि ग्राहक को लौटा दी गई थी और सम्बद्ध अधिकारी से वह राशि वसूल करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया गया है, अतः पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है तथापि, आरबीआई बैंक को इस मामले की सूचना पुलिस को देने की सलाह दे रहा है। जहां तक चांदनी चौक शाखा में धोखाधड़ी के मामले का संबंध है, बैंक ने अपने नियंत्रक कार्यालय को तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा है।

(ग) और (घ). आर बी आई ने सूचित किया है कि हाल ही में घटित चांदनी चौक शाखा वाले एक मामले को छोड़कर सभी मामलों की सूचना उसे दे दी गई है।

विवरण

(राशि : लाख रुपए)

शाखा का नाम	वर्ष	अंतर्ग्रस्त राशि	वसूली गई राशि	टिप्पणी
कनाट प्लेस	1994	1.00	शून्य	एक अज्ञात व्यक्ति को प्राप्ति पर्ची को पेरॉक्स प्रति के आधार पर चैक बुक जारी किया गया था। जाली हस्ताक्षरों वाले तीन चैकों की मदद से । लाख रु. भुनाए गए थे। जाली चैक पास करने के लिए तीन कर्मचारियों को सजा दी गई है । लाख रु. की राशि सम्बद्ध सखाते में वापस कर दी गई है।
करोलबाग	1995	4.40	शून्य	एक व्यक्ति ने जाली प्राप्ति पर्ची प्रस्तुत कर एक चैक बुक प्राप्त कर लिया। यह प्राप्ति पर्ची ग्राहक के वास्तविक चैक प्राप्ति पर्ची से मिलती-जुलती है। दोषी व्यक्ति ने सात चैकों की मदद से 4.40 लाख रु. भुनाए और अगले चैक को भुनाते समय पकड़ा गया और उसे पुलिस को सौंप दिया गया।
करोलबाग	1995	2.90	2.23	खाताधारक के कर्मचारियों ने धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से इस शाखा से चैक बुक हासिल किया और निकासी के माध्यम से कई ग्राहकों को भुनाकर कुल 2.9 लाख रु. की राशि निकाल ली। शाखा के एक कर्मचारी को इसमें शामिल होने के संदेह में निलंबित कर दिया गया है।
चांदनी चौक	1996	0.80		दोषी व्यक्ति चैक प्राप्ति पर्ची मुद्रित कराई और जाली हस्ताक्षरों से चैक बुक प्राप्त कर लिया। इनमें से तीन चैक भुनाकर 1996 में कुल 0.8 लाख रु. की राशि निकाल ली गई थी। बैंक द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें

406. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार में राष्ट्रीकृत बैंकों की कितनी और कहां-कहां पर शाखाएं खोली गई हैं; और

(ख) निकट भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कहां-कहां पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोले जाने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्ष के दौरान बिहार में खोली गई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	शाखाओं की संख्या
1993-94	20
1994-95	04
1995-96 (31.12.1996 तक)	06

इन शाखाओं का स्थान-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) बिहार में उन ग्रामीण केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है जिनके संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शाखाएं खोलने का अधिकार दिया है।

विवरण-I

1993-94, 1994-95 और 1995-96 (31.12.1995 तक) के दौरान बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोले गए ग्रामीण केन्द्र

शाखा/केन्द्र का नाम	जिले का नाम	बैंक का नाम
1	2	3
1993-94		
1. दौदनगर	औरंगाबाद	पंजाब नैशनल बैंक
2. बंका	बंका	यूको बैंक

1	2	3
3. भाबुआ	भाबुआ	पंजाब नैशनल बैंक
4. कहलगैन	भागलपुर	इलाहाबाद बैंक
5. बोकारो स्टील सिटी शाखा	बोकारो	विजया बैंक
6. कटरासगढ़ शाखा	बोकारो	बैंक आफ इंडिया
7. कटरासगढ़, धनबाद	बोकारो	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर
8. बक्सर	बक्सर	यूको बैंक
9. दरभंगा	दरभंगा	इंडियान ओवरसीज़ बैंक
10. गया	गया	पंजाब नैशनल बैंक
11. टेकरी	गया	पंजाब नैशनल बैंक
12. गोपालगंज	गोपालगंज	केनरा बैंक
13. मधुबनी	मधुबनी	केनरा बैंक
14. पटना	पटना	भारतीय स्टेट बैंक
15. मोतीहारी	पूर्वी चम्पारण	केनरा बैंक
16. जमशेदपुर	पूर्वी सिंहभूम	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर
17. जमशेदपुर	पूर्वी सिंहभूम	यूनियन बैंक आफ इंडिया
18. रांची	रांची	कारपोरेशन बैंक
19. सासाराम	रोहतास	केनरा बैंक
20. हाजीपुर	वैशाली	यूनियन बैंक आफ इंडिया
1994-95		
21. औरंगाबाद	औरंगाबाद	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
22. पटना	पटना	केनरा बैंक
23. पटना	पटना	इंडियन बैंक
24. समस्तीपुर	समस्तीपुर	केनरा बैंक
1995-96 (31.12.95 तक)		
25. राक्सौल	पूर्वी चम्पारण	केनरा बैंक
26. बिस्तुपुर, जमशेदपुर	पूर्वी सिंहभूम	यूनियन बैंक आफ इंडिया
27. चुटिया रांची	रांची	केनरा बैंक
28. फुलवाड़िया	गोपालगंज	भारतीय स्टेट बैंक
29. तिनपलेट (गोलमूरी) जमशेदपुर	पूर्वी सिंहभूम	यूनियन बैंक आफ इंडिया
30. रांची	रांची	इंडियन ओवरसीज बैंक

विवरण–II

बिहार में वे ग्रामीण केन्द्र, जिनके संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने शाखाएं खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्राधिकृत किया है।

केन्द्र का नाम	जिले का नाम	बैंक का नाम
1. पूर्व बासूरिया	धनबाद	भारतीय स्टेट बैंक
2. सुदामदीह परियोजना	धनबाद	यूको बैंक
3. बेलहरी	सारन	पंजाब नैशनल बैंक
4. तुरमदीह (गांव पुरिहासा)	सिंहभूम	भारतीय स्टेट बैंक
5. जोजेबरा	सिंहभूमं (पूर्व)	भारतीय स्टेट बैंक
6. कुलेड	सिंहभूम (पश्चिम)	बैंक आफ इंडिया
7. मुरथाकुड़ा	सिंहभूम (पूर्व)	बैंक आफ इंडिया
8. मतियाबंधी	सिंहभूम (पूर्व)	बैंक आफ इंडिया

[अनुवाद]

बैंकों में धांधलियां

407. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आर्थिक नीति लागू करने के पश्चात् विदेशी तथा राष्ट्रीय बैंकों में धांधलियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वरिष्ठ बैंक प्रबंधकों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये का गबन किस प्रकार किया गया;

(ग) इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या कलकत्ता में करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उसकी जांच की गई; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में वर्ष 1990–95 की अवधि के दौरान हुई धोखाधड़ियों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि इस प्रकार हैं :–

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
1990	1687	105.93	29	0.20
1991	1559	65.41	32	0.17
1992	1717	144.49	59	0.71
1993	2213	320.32	167	9.05
1994	2266	200.07	137	2.18
1995	1890	115.51	168	2.35

(अनन्तिम आंकड़े)

(ख) धोखाधड़ी करने के लिए अपनाए गए तरीकों में कुछ तरीके इस प्रकार हैं : जाली दस्तावेजों से जमाखातों से पैसा निकालना, फर्जी नामों में खाते खोलकर परक्राम्य लिखतों में से धोखें से पैसा निकालना, लेख–पुस्तकों में हेरफेर करके दुर्विनियोजन, निकासी से संबंधित लेनदेन में धोखाधड़ी, उधार देने की शक्ति/विवेकाधिकार का दुरूपयोग/अतिक्रमण और झूठे आघात बिल/प्रस्तुत करके विदेशी मुद्रा में धोखाधड़ी आदि।

(ग) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुरोध पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने समय–समय पर भ्रष्टाचार को रोकने और धोखेबाजी को मिटाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इनमें कुछ कदम इस प्रकार हैं: बैंकों में नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापक मार्गनिर्देशों को जारी करना, धोखाधड़ी के मामलों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सतत् पुनरीक्षण, विचर्क्षेण मामलों में बैंकों को कार्यप्रणाली की जानकारी देने के साथ–साथ पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय करने की सलाह देना, प्रचालन कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण देना और रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के प्रमुख मामलों की छानबीन करना और उनकी संवीक्षा करना और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग द्वारा सूचित धोखाधड़ी की संभावना वाले क्षेत्रों के लिए स्नैप–निरीक्षण कवरिंग प्रणाली तथा प्रक्रिया और नियंत्रण व्यवस्था करना आदि।

(घ) और (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि धोखाधड़ी के विवरण, प्रयुक्त कार्यप्रणाली, अन्तर्ग्रस्त राशि, अन्तर्ग्रस्त बैंक निधियों की उगाही करने के लिए उठाए गए कदम और उत्तरदायी स्टाफ आदि से संबंधित रिपोर्ट संबंधित बैंकों से प्राप्त होती हैं। प्राप्त रिपोर्टों से कर्मचारियों द्वारा की गई घोर अनियमितताओं जैसे प्रतिफल के बिना सावधि जमा रसीदें/बैंकरों चैक जारी करना, असमाशोधित रकमों के बदले आहरण, अन्य पक्ष एफ सी एन आर के बदले अप्राधिकृत ओवर ड्राफ्ट आदि का पता चलता है।

इन रिपोर्टों से धोखाधड़ी के इन लेनदेनों का पता लगाने संबंधी आन्तरिक नियंत्रण मशीनरी की विफलता का भी पता चलता है।

रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को धोखेबाजों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली परिचालित की है और जिन कम्पनियों/व्यक्तियों के अन्तर्ग्रस्त होने का संदेह है उनकी सूची भी परिचालित की है और बैंकों को सलाह दी है कि इनसे लेन-देन करते हुए सावधानी बरतें। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है इस धोखाधड़ी को प्रारम्भिक स्तर पर न पकड़ पाने में सीधे तौर पर दोषी स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई करने के अतिरिक्त नियंत्रण अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी धोखाधड़ी के मामलों की छानबीन कर रहा है।

युनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. के किराए के आवास

408. **श्री सौम्य रंजन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. ने अपने निदेशकों अथवा उनके पति/पत्नियों के आवासीय परिसर किराए पर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परिसरों का ट्रांजिट-कैंप/गैस्ट हाउसिज के रूप में कब-कब प्रयोग किया गया और 1992 से जून, 1996 तक वर्ष-वार ऐसे परिसरों के किराए और अन्य खर्चों के लिए कितनी राशिका भुगतान किया गया;

(घ) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी के तुलनपत्रों में निदेशकों को दिए गए लाभों का उल्लेख किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. ने सूचित किया है कि 1986 से हैदराबाद में उसका एक यात्री गृह है। पहले के परिसर का मालिक उस परिसर को अपने निजी व्यवसाय हेतु चाहता था। इसके अतिरिक्त, वह परिसर पानी की अत्यधिक कमी के कारण यात्री गृह हेतु अनुपयुक्त था यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने हैदराबाद में वर्तमान परिसर, जो इसके बोर्ड में सरकार के अंशकालिक मनोनीत निदेशक से संबंधित है, से सितम्बर, 1993 में एक नए परिसर हेतु विज्ञापन देने के पश्चात् पट्टे के आधार पर और स्वीकृत मूल्यांक द्वारा परिसर के उचित मूल्य का मूल्यांकन और कम्पनी का अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही प्राप्त किया था। कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के बोर्ड के एक पूर्णकालिक निदेशक जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है द्वारा अपने परिसर को पटटे के आधार पर देने में कोई रोक नहीं है। मूल्यांकन द्वारा आंके गए 12,000/- रुपये प्रतिमाह पर किराए पर लिया है। यह प्रति वर्ग फुट 3/- रुपये से कुछ अधिक बैठता है। कर और अन्य खर्चे भूस्वामी द्वारा ही वहन किए जाएंगे।

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 बीमा कम्पनियों पर लागू नहीं होती, जो बीमा अधिनियम, 1938 की सूची-I में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपने तुलन-पत्र तैयार करते है जिसमें निदेशक द्वारा अपने स्वामित्व वाले परिसर से कम्पनी द्वारा दिए गए किराए की आय को प्रदर्शित करने के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्यायालयों में लंबित मामले

409. **प्रो. रासा सिंह रावत :**
श्री ई. अहमद :
श्री जगमोहन :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता को सुलभ, सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाने की सरकार की क्या योजना है; और

(ख) देश में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में आज तक राज्यवार कितने मामले उचित हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का गहन अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा 1989 में उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक समिति (न्यायमूर्ति मलिमथ समिति) गठित की गई थी। समिति ने विभिन्न पहलुओं के संबंध में कई सिफारिशें की है, जिनके अंतर्गत अधिकारिता संबंधी और प्रक्रिया संबंधी उपांतरण, न्यायपालिका में सुधार, विनिर्दिष्ट प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए अधिकरणों/आयोगों

जैसी विशेषज्ञ निकायों की स्थापना करना, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की पदसंख्या का निर्धारण और उनकी नियुक्ति, अधीनस्थ न्यायपालिका में और अधिक पदों का सृजन करना और कार्यालय उपस्कर के आधुनिकीकरण से संबंधित अनेक अन्य साधारण सिफारिशें और न्यायपालिका को और अधिक निधियों का आबंटन भी आते हैं। इन सिफारिशों को अन्य बातों के साथ-साथ सभी संघ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, न्यायालयो में बकाया मामलों की समस्या और उनको शीघ्र निपटाए जाने के संबंध में 4 दिसंबर, 1993 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की बैठक में भी विचार किया गया था। सम्मेलन में इसके द्वारा अंगीकृत संकल्प में न्यायालयों/अधिकरणों में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कई उपायों की सिफारिश की गई। इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों/अधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। दिसंबर, 1993 के संकल्प के कार्यान्वयन और कार्यकारी समूहों द्वारा की गई सिफारिशों का विधि मंत्रियों ने नवंबर, 1994 में कलकत्ता में और नवंबर, 1995 में हैदराबाद में हुए अपने खुले अधिवेशन में पुनर्विलोकन किया। इन अधिवेशनों में अंगीकृत संकल्पों को भी सभी संबद्ध प्राधिकरणों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

(ख) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत के उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की सं.	निम्नलिखित तारीखों को लंबित मामले
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	788448	30.6.95
2.	आंध्र प्रदेश	148648	31.12.95
3.	मुंबई	217111	31.12.95
4.	कलकत्ता	254369	31.12.95
5.	दिल्ली	148878	30.6.95
6.	गोहाटी	30667	30.9.95
7.	गुजरात	91953	31.3.95
8.	हिमाचल प्रदेश	20436	31.12.95
9.	जम्मू और कश्मीर	93700	31.12.95
10.	कर्नाटक	161493	31.12.95
11.	केरल	201551	31.3.96
12.	मध्य प्रदेश	84560	31.12.94
13.	मद्रास	302361	31.12.95
14.	उड़ीसा	51942	31.12.95
15.	पटना	95445	31.12.95
16.	पंजाब और हरियाणा	145792	30.9.95
17.	राजस्थान	95368	31.12.95
18.	सिक्किम	67	31.3.96

उच्चतम न्यायालय

नियमित मामले (फाइलों की वास्तविक सं.)	ग्रहण किए जाने वाले मामले (फाइलों की वास्तविक सं)	1-12-1995 को लंबित मामले
21,357	15,811	1.12.1995

रुग्ण औद्योगिक एकक

410. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994, 1995 और 1996 में अब तक कितने लघु/मध्यम/बड़े उद्योगों को रुग्ण घोषित किया गया है और आज तक राज्यवार ऐसे कुल कितने एकक हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने एककों को अर्थक्षम बनाया गया और इन एककों को वर्षवार एवं राज्यवार कितनी सहायता राशि प्रदान की गई; और

(ग) औद्योगिक क्षेत्र में रुग्णता को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और शेष सभी रुग्ण एककों को कब तक अर्थक्षम बनाया जाएगा?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती हैं वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त वार्षिक विवरणिका के आधार पर आर बी आई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, मार्च 1994 और मार्च 1995 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार, रुग्ण लघु उद्योग एककों और रुग्ण गैर-लघु उद्योग एककों के बारे में राज्यवार आंकड़े विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनरूज्जीवन के लिए संभावित रूप से अर्थक्षम समझे गए रुग्ण/कमजोर एककों (रुग्ण लघु उद्योग एककों सहित) के संबंध में पुनर्वास पैकेज के निरूपण/कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ, चरणबद्ध ढंग से देय राशियों की वापसी अदायगी के लिए बढ़ी हुई अवधि के साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की विद्यमान

देय राशियों के निधिकरण ब्याज रियायत, नई कार्यशील पूंजी सुविधाओं के रूप में नए सावधि ऋणों की मंजूरी का भी प्रावधान है। जहां तक गैर-लघु उद्योग रुग्ण कम्पनियों का संबंध है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) जो कि रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत स्थापित एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है, निवारक, तारात्मक, उपचारात्मक और अन्य उपाय करने और ऐसे उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है।

विवरण-I

वर्ष 1994 और वर्ष 1995 के लिए लघु उद्योग एककों के संबंध में राज्यवार आंकड़े

(करोड़ रु.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार			मार्च 1995 के अंत की स्थिति अनुसार		
	कुल रुग्ण एककों की संख्या	पोषण के अन्तर्गत रखे गए एकक		कुल रुग्ण एककों की संख्या	पोषण के अन्तर्गत रखे गए एकक	
		एककों की संख्या	बकाया राशि*		एककों की संख्या	बकाया राशि*
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	13842	729	65.13	13740	245	65.17
अरुणाचल प्रदेश	123	0	0.00	140	0	0.00
असम	14210	634	5.20	17984	649	*5.12
बिहार	17063	292	11.09	26749	289	15.34
गोवा	710	25	3.05	657	24	2.52
गुजरात	7812	288	21.18	7728	269	18.64
हरियाणा	1669	25	3.64	2339	24	2.78
हिमाचल प्रदेश	614	13	2.22	649	9	1.74
जम्मू और कश्मीर	162	1	0.13	127	1	0.15
कर्नाटक	15145	423	31.81	11399	409	25.59
केरल	10792	633	45.57	8631	367	23.10
मध्य प्रदेश	9795	161	14.05	11489	135	12.82
महाराष्ट्र	21350	771	135.41	21346	710	79.82
मणिपुर	2350	80	0.40	2370	95	0.48
मेघालय	317	22	0.06	367	22	0.06
मिजोरम	119	0	0.00	162	0	0.00
नागालैंड	1063	0	0.00	1728	0	0.00
उड़ीसा	17235	171	9.79	20498	180	12.46
पंजाब	2434	140	3.27	2473	140	3.06
राजस्थान	14665	75	7.20	17205	47	7.45
सिक्किम	77	0	0.00	96	0	0.00
तमिलनाडु	8125	458	59.99	7300	433	56.38
त्रिपुरा	764	0	0.00	921	6	0.03
उत्तर प्रदेश	33915	291	31.15	35988	274	44.58

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	56083	6055	49.45	50500	5914	60.07
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य	5516	74	15.62	5712	118	9.39
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	25	0	0.00	28	0	0.00
दमन व दीव	6	0	0.00	67	0	0.00
दादरा और नागर हवेली	10	0	0.00	–	–	–
चंडीगढ़	179	12	1.45	188	7	0.71
लक्षद्वीप	0	0	0.00	0	0	0.00
पांडिचेरी	282	3	1.59	234	4	1.62
कुल	256452	11376	522.42	268815	10371	449.08

* बकाया राशि

विवरण–II

वर्ष 1994 और वर्ष 1995 के लिए लघु उद्योग रुग्ण एककों के राज्य वार आंकड़े

(करोड़ रु.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च 1994 के अंत की स्थिति			मार्च 1995 के अंत की स्थिति		
	एककों की संख्या	एकक जिन्हें पोषित एककों कर स्वस्थ किया गया		की संख्या	एकक जिन्हें पोषित कर स्वस्थ किया गया	
		एककों की संख्या	राशि* बकाया		एककों की संख्या	राशि* बकाया
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	209	3	19.06	225	1	1.15
असम	10	–	–	31	–	–
बिहार	58	–	–	53	–	–
गोवा	5	–	–	4	–	–
गुजरात	184	1	0.31	169	3	4.44
हरियाणा	65	–	–	62	4	17.08
हिमाचल प्रदेश	26	–	–	22	1	1.57
जम्मू और कश्मीर	4	–	–	6	–	–
कर्नाटक	108	1	2.24	93	2	2.77
केरल	66	–	–	66	–	–
मध्य प्रदेश	87	1	0.82	98	–	–
महाराष्ट्र	350	5	9.87	357	1	4.85
मेघालय	2	–	–	2	–	–
नागालैंड	1	–	–	–	–	–
उड़ीसा	37	1	3.07	44	–	–

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	39	1	1.79	38	–	–
राजस्थान	67	–	–	62	–	–
सिक्किम	1	–	–	1	–	–
तमिलनाडु	152	1	0.90	137	5	15.46
त्रिपुरा	1	–	–	5	–	–
उत्तर प्रदेश	185	1	8.22	171	3	11.95
पश्चिम बंगाल	229	–	–	224	1	0.39
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	17	1	1.13	23	–	–
दमन व दीव	3	–	–	1	–	–
दादरा व नागर हवेली	3	–	–	2	–	–
चंडीगढ़	10	–	–	13	–	–
पांडिचेरी	10	–	–	6	–	–
कुल	1859	16	47.41	1915	21	55.69

* बकाया राशि

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास

411. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

बीमा क्षेत्र का निजीकरण

412. **श्री सुरेश कोडीकुनील** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बीमा क्षेत्र का निजीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश आरम्भ करने की भी कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). बैंकिंग क्षेत्र के कार्य और जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम आदि जैसे सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के सुदृढ़ीकरण से प्राप्त अनुभव के आधार पर सरकार के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में बीमा उद्योग के पुनर्गठन की संकल्पना की गई है।

कारों का निर्माण

413. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार निर्माण करने वाली भारतीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उपरोक्त कंपनियों द्वारा अनुमानतः कंपनीवार कितनी कारों का निर्माण किया गया;

(ग) इन कंपनियों द्वारा कितनी कारों का प्रतिवर्ष निर्यात किया गया;

(घ) इस शताब्दी के अंत तक इन कंपनियों द्वारा कारों के निर्यात के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). देश में कारों का विनिर्माण कर रही भारतीय कंपनियों के नाम तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान इन कंपनियों द्वारा विनिर्मित कारों की संख्या निम्न प्रकार है :-

नाम	उत्पादन		
	1993-94	1994-95	1995-96
डी सी एम, डेवू	0	0	9155
हिन्दुस्तान मोटर्स	25893	26177	28152
मारूति उद्योग लि.	151800	198601	268756
मर्सडीज बेन्ज	0	2	1053
पाल पिजोट्	0	0	10306
प्रीमियर आटोमोबिल्स	24718	27213	27738
टेल्को	7284	12475	10498

(ग) इन कंपनियों द्वारा निर्यात की गई कारों की संख्या वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 17,572; 23092; और 28,851 है।

(घ) और (ङ). कारों के निर्यात के लिए कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

विदेशी निवेश प्रस्ताव

414. **श्री दादाबाबूराव परांजपे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 31 मार्च, 1996 तक कितने विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) प्रत्येक निवेश करने वाली कंपनियों के नाम एवं राष्ट्रीयता क्या है तथा प्रत्येक कंपनी ने कितनी-कितनी राशि निवेश करने का प्रस्ताव किया; और

(ग) इन कंपनियों तथा सरकार के बीच किन-किन शर्तों पर सहमति हुई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 01.08.91 से 31.03.96 के दौरान 4473 ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल हैं।

(ख) और (ग). ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम तथा देश, सम्मिलित इक्विटी/निवेश, विनिर्माण/क्रिया कलाप की मदें मासिक न्यूजलेटर के पूरक के रूप में भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित की जाती हैं तथा इनकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

पत्तनों की स्थिति

415. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक पत्तनों की संचालनात्मक स्थिति दुर्दशापूर्ण है;

(ख) क्या पत्तनों की इस स्थिति के कारण निर्यात कार्य में रूकावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पत्तनों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

आर्थिक सुधार

416. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग ने भारत में शुरू किए आर्थिक सुधार की हाल ही में सराहना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार ने इस सुधार को इसी प्रकार जारी रखने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो नई आर्थिक नीति में क्या परिवर्तन किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) विश्व बैंक के प्रकाशन विश्व बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विभाग द्वारा तैयार एक वार्षिक रिपोर्ट, "विश्व व्यापी आर्थिक परिप्रेक्ष्य और विकासशील देश", 1996 में कहा गया है कि भारत ने "1991 के भुगतान संतुलन के संकट के बाद शुरू किए गए व्यापार और निवेश में उदारीकरण से काफी अधिक फायदे उठाना जारी रखा।"

(ख) और (ग). वर्तमान सरकार की आर्थिक सुधारों संबंधी नीति का न्यूनतम साझा कार्यक्रम में खुलासा किया गया है। सरकार की आर्थिक नीति को मौटे तौर पर "सामाजिक न्याय सहित विकास" के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

बैंक आफ महाराष्ट्र द्वारा शाखा विस्तार कार्यक्रम

417. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रत्येक राज्य में बैंक आफ महाराष्ट्र की शाखायें खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) बैंक आफ महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि फिलहाल सभी राज्यों में शाखाएं स्थापित करने की उनकी कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि आधारित विदेशी-निवेश

418. **श्री हरिन पाठक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने प्रस्ताव अनुमोदित और लागू किए गए; और

(ग) अनुमोदित प्रस्तावों को लागू करने में विलंब के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरोसोली मारन) : (क) गुजरात में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 1.1.1993 से 31.05.1996 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त और स्वीकृत विदेशी निवेश के प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग). प्रारंभिक अवधि में परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रत्येक परियोजना में भिन्न भिन्न होता हैं।

विवरण

1.1.1993 से 31.05.1996 तक गुजरात में कृषि आधारित उद्योगों में समाविष्ट विदेशी निवेश के संबंध में प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरे

अनुमोत्र क्र.सं./ अनुमो. तिथि (प्रकार/अभिकरण)	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	राशि (प्रतिशत इक्विटी) (लाख रु.)
1	2	3	4
1.	मक्केन फूड्स लि., द्वारा, कुर्फ्स एंड लिब्रांड प्रा. लि. 609/610 मेरिडियन कामर्शियल टार्व, विंडसर प्लेस, नई दिल्ली-110001	मै. मक्केन फूड्स लि . कनाडा	7887.50 (100.00%)
मद विवरण : फ्रोजेने फ्रेंच फ्राइड पोटैटो प्रोडक्ट्स के विनिर्माण व विपणन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी स्थापना स्थल : गुजरात			
2.	कोरोशो प्रोसेसिंग प्रा. लि., ए-1, हिमालय फ्लैट्स, नानाकुंभनाथ रोड़, नाडिया-387001 गुजरात	एक्पोर्ट होल्डिंग्स लि. पोस्ट बाक्स-602, टाऊन एम आई साऊथ, रू-डू-प्रे, एसटी पीटर पोर्ट जीयूई-आरएनएसई चैनेल आईलैंड	40.00 (100.00%)
मद विवरण : रोस्टेड या साल्टेड काजू का प्रसंस्करण स्थापना स्थल : खेड़ा (गुजरात)			
3.	इंडियामाल्ट प्रा. लि. मेप्ज, प्लाट बी 5 एंड बी 6 तम्बरम, मद्रास 600045	फ्रिडम केमिकल डायमाल्ट जर्मनी	296.00 (74.00%)
मद विवरण : कैसया गम पाउडर		स्थापना स्थल : वडोदरा (गुजरात)	
4.	उमाकोन एग्रो लि., दूसरा तल, प्लाट नं. 162, पेट्रोल पंप के सामने, सेक्टर-21 गांधीनगर-382021, गुजरात	माकोन एग्री. लि.	225.00 (9.14%)
मद विवरण : फ्रेश मशरूम, संरक्षित मशरूम और ह्लाईट बटन मशरूम ब्राइन घोल में संरक्षित स्थापना स्थल : सबरकंठा (गुजरात)			

1	2	3	4	
5.	एलएमपी एग्रो एक्सपोर्ट लि. बाक्स नं.2537, इलेम्पे, लोकमान्य तिलक रोड, वडोदरा-390005	अनिवासी भारतीय अनिवासी भारतीय	187.50	(27.00%)
	मद विवरण : डिहाइड्रेटेड प्याज व अन्य वेजीटेबल्स जैसे लहसुन, अदरख इत्यादि	स्थापना स्थल : वडोदरा (गुजरात)		
6.	ओएल ग्रो लि0 ओएल ग्रो हाऊस 31/1 एल, कोलोनी अम्बावाडी अहमदाबाद-380015, गुजरात	अनिवासी भारतीय अनिवासी भारतीय	440.00	(40.00%)
	मद विवरण : शिटेक मशरूम (लेंटिनस इलडोड्स)	स्थापना स्थल : गुजरात		
7.	बेस्ट बाय फूड्स लि. दूसरा तल, क्वाइन्स कार्नर, डा. याग्निक रोड, राजकोट, गुजरात-01	अनिवासी भारतीय अनिवासी भारतीय	100.00	(10.00%)
	मद विवरण : डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स प्याज, लहसुन, आलू इत्यादि	स्थापना स्थल : राजकोट (गुजरात)		
8.	अनूप कोठारी, एम-227, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-110048	डालसेम वेकिएप हालैंड	160.00	(20.00%)
	मद विवरण : हवाईट बटन मशरूम	स्थापना स्थल : वदोदरा (गुजरात)		
9.	ट्रोपिकल ग्रीन फ्रुट्स एक्सपोर्ट लि. बी-402, समुद्र काम्प्लेक्स सी.जी. रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009.	यूरसिया काऊंटरट्रेड प्रा. लि. सिंगापुर	20.00	(20.00%)
	मद विवरण : पपीता-अन्नास-सेब-आम-चीकू-नाशपाती-अंगूर-लीची इत्यादि का सांद्र और फ्रेश फ्रुट जूस	स्थापना स्थल : अहमदाबाद (गुजरात)		
10.	मै. राधेश्याम एग्रो फुड्स लि. दूसरा तल, नीमा हाऊस, अहमदाबाद-380001	मै. बेल्लई बार्टर ट्रेड प्रा. लि. सिंगापुर	64.00	(6.32%)
	मद विवरण : आलू पाऊडर	स्थापना स्थल : गुजरात		
11.	ग्रीन एक्सप्रोट लि. 11-"नेहा", 97, समपेत्राओ रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390007 गुजरात	स्वीफ्ट ट्रेडिंग इंक. यू.एस.ए	156.43	(30.00%)
	मद विवरण : केला पुरी (24 डेग. बाक्स तक)	स्थापना स्थल : खेड़ा (गुजरात)		
12.	रूची सोया इंडस्ट्रीज लि. 214, तुलस्यानी चैम्बर, नरीमन प्वाइंट बम्बई-400021.	अनिवासी भारतीय अनिवासी भारतीय	300.00	(20.00%)
	मद विवरण : सोया डि-ऑयल्ड केक	स्थापना स्थल : राजकोट (गुजरात)		
13. 59 31/10/96	अर्थ एनर्जी एक्सपोर्ट लि. 402, चौथी मंजिल, सोहाम टैरैस, एनआर, अमलतास बंगला, वस्त्रपुर, अहमदाबाद-380052	इराटेक इजरायल	120.00	(20.00%)
	मद विवरण : फ्रेश फ्रुट्स के रूप में निर्यात के लिए स्ट्राबेरी कल्टीवेशन का फ्रेश फ्रुट्स	स्थापना स्थल : मेहसाना (गुजरात)		

1	2	3	4	
14.	कामसोन फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि. मार्फत्, सासाजी होटल्स लि., कालाघोड़ा बड़ोदा-390005, गुजरात	मल्टीफ्लोर हालैंड एन.वी. हालैंड नीदरलैंड	90.65	(49.00%)
	मद विवरण : फ्रेश कट फ्लावर्स जैसे गुलाब, क्रिसेंथेमम, कारनेशन गेरबेरा (ग्रीन हाऊस कल्टीवेशन के अन्दर उगाये गए) स्थापना स्थल : वडोदरा (गुजरात)			
15.	गुजरात ब्लूस्त लि. 203, स्टर्लिंग सेंटर, आर.सी.दत्त रोड़, बड़ोदा, गुजरात	डालसेम एक्सपोर्ट प्रोजक्ट्रस बी.वी. हालैंड, नीदरलैंड नीदरलैंड	100.00	(12.50%)
	मद विवरण : कट फ्लावर्स रोज एंड अन्य फ्लावर्स	स्थापना स्थल : वडोदरा (गुजरात)		

औद्योगिक घराने

419. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान तथा जून, 1996 तक, बीस बड़े औद्योगिक घरानों की परिसंपत्ति, कारोबार तथा लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से किसी औद्योगिक घराने ने उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 27.9.1991 से एम आर टी पी (संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा एम आर टी पी अधिनियम 1969 की धारा 26 को समाप्त करने के परिणामस्वरूप बड़े औद्योगिक घरानों को भारत सरकार के पास पंजीकृत कराना अपेक्षित नहीं है, इसलिये 20 बड़े औद्योगिक घरानों की परिसंपत्ति, कारोबार तथा लाभ से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कश्मीर के विस्थापितों के लिए मतदान का अधिकार

420. **श्री पिनाकी मिश्र :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में ग्यारहवीं लोक सभा के लिये हुए चुनावों के दौरान यह सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रबंध किये गये कि जम्मू और कश्मीर के आतंकवाद-ग्रस्त क्षेत्रों से विस्थापित हुए लोग अपने मताधिकार का उचित प्रयोग कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी सफलता मिली तथा उन मतदाताओं का प्रतिशत कितना है जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख). जी हां। प्रवासी मतदाताओं को, जो 1-बारामुल्ला, 2-श्रीनगर और 3-अनन्तनाग की किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित थे और जो अपने मामूली निवास के स्थान से बाहर निवास कर रहे थे, ग्यारहवीं लोक सभा के लिए हाल में हुए मतदानों के दौरान डाक मतपत्र द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया था। प्रवासी मतदाताओं द्वारा मत देने की प्रक्रिया वह भी जो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग IIIक में अधिकथित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू-कश्मीर और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्कीम का व्यापक प्रचार किया गया था जिन्होंने संबंधित रिटर्निंग आफिसरों को डाक मतपत्रों के तत्पर निकासी और शीघ्र परिदान के लिए डाक-तार विभाग में भी व्यवस्था की थी।

(ग) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, क्रमशः बारामुल्ला, श्रीनगर और अनन्तनाग निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 36 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 29 प्रतिशत प्रवासी निर्वाचकों ने मत दिए।

प्रमुख उपग्रह टेलीविजन कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

421. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख उपग्रह दूरदर्शन कंपनियों द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा का चोरी-छिपे व्यापार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे व्यापार पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी अनेक कंपनियों के खिलाफ जांच की है। इनमें से एक कंपनी की जांच पर 6,80,000/- अमेरिकी डालर के प्रथम दृष्टया उल्लंघन का पता चला है।

(ग) निदेशालय द्वारा अनाचार को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाती है और अपराधियों के खिलाफ कानून के अंतर्गत परिकल्पित कार्रवाई की जाती है।

वकीलों की हड़ताल

422. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के न्यायालयों में वकीलों द्वारा कितनी बार हड़ताल की गई तथा प्रत्येक हड़ताल कितने समय तक चली;

(ख) बार-बार यह हड़तालें करने के मुख्य कारण क्या थे; और

(ग) न्याय की प्रक्रिया में विलंब दूर करने के साथ-साथ मुकदमा दायर करने वालों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सेंट किट्स के धोखाधड़ी के मामले

423. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेंट किट्स के धोखाधड़ी के मामले की जांच शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की अब तक जांच कर ली गई है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इस संबंध में जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) निर्णय लेने के लिए जांच के दौरान एकत्रित किए गए सबूतों का मूल्यांकन कर रही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की मानिटरिंग की जा रही है।

[हिन्दी]

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां

424. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** :
श्री ललित उरांव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में, विशेषकर बिहार में गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या गैर-बैंककारी प्रणाली के अंतर्गत कंपनी को बंद करके निर्धन लोगों के धनराशि का गबन किये जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने कोई अध्ययन किया है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देशभर में काम कर रही गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों और प्राइवेट लि. कंपनियों की सूची तैयार कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क), (ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उसकी डाक-सूची के अनुसार 1991-1996 की अवधि के दौरान भारत में कार्यरत गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) की कुल संख्या, और विशेषकर बिहार राज्य में उनकी संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	भारतीय रिजर्व बैंक की डाक-सूची के अनुसार वित्तीय कम्पनियों की संख्या	
(मार्च के अन्त तक)	भारत में	बिहार राज्य
1991	25085	151
1992	28378	161
1993	31811	112
1994	35411	294
1995	39454	306
1996 (लगभग)	42800	325

(ख) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा अपने कार्यालयों को बन्द कर के गरीब लोगों के धन के गबन किए जाने के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ङ) गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के क्रियाकलापों को और अधिक प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने के लिए प्रस्ताव प्रवर्तित किए गए हैं।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास केन्द्र

425. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल, विशेषरूप से कन्नान्नूर में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) ऐसे केन्द्र स्थापित करने में विलंब के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). विकास केंद्र योजना, 1988 के अंतर्गत केरल को दो विकास केंद्र आवंटित किये गये हैं जिनके लिए एल्लपी जिले में भेरतल्लई तथा केन्नानोर जिले में तेलीचेरी में प्रारंभिक रूप से स्थल का चयन कर लिया था। तथापि, एक ही स्थान पर एक विकास केंद्र के लिए अपेक्षित लगभग 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहीत करने में विशिष्ट समस्याओं जैसे जनसंख्या का घनत्व तथा भूमि की कमी के कारण राज्य सरकार द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मार्च, 1992 में उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया तथा विभक्त पुनः स्थान निर्धारण अनुमेय करते हुए दो केंद्रों के लिए स्थान पुनः निर्धारण के लिए अनुमोदन दिया है :-

(1) एल्लेपी-पाथनामिथईटा; तथा

(2) केन्नोर-कोजीकोड-मल्लापुरम

इस योजना को आठवीं पंच-वर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वित किया जाना है। ये दो केंद्र कार्यान्वयन की अग्रिम अवस्था में है।

उनके लिए अब तक जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता 11.52 करोड़ रु. है। राज्य सरकार ने भी इन दो विकास केंद्रों के लिए 11.74 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

[हिन्दी]

उदारीकरण की नीति के पश्चात् उद्योगों में परिवर्तन

426. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकरण की नीति लागू किये जाने के पश्चात् उद्योगों में गुणवत्ता, परिमाण और पूंजी निवेश की दृष्टि से क्या परिवर्तन आये हैं;

(ख) उदारीकरण की नीति लागू किये जाने के पश्चात् भारतीय उद्योगों में कुल कितनी विदेशी पूंजी का निवेश किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा देश में औद्योगिक विकास के संबंध में क्या नीति अपनाये जाने की संभावना है; और

(घ) लघु, कुटीर और मंझोले उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वदेशी और आत्म-निर्भरता" की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). 1991 से नीति के उदारीकरण के बाद, विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ लाइसेंसमुक्त करना, विदेशी सहयोगों हेतु स्वतः अनुमोदन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, आयात और उत्पाद शुल्क इत्यादि का यौक्तिकरण इत्यादि शामिल हैं। अगस्त 1991 से मई 1996 तक की अवधि में लाइसेंसमुक्त क्षेत्र में 25,781 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) दायर किए गए हैं जिनमें 5,04,782 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है और इसी अवधि में 71036.68 करोड़ की परिकल्पना के 4,679 विदेशी निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।

(ग) और (घ). लघु, मझौले और बड़े उद्योगों सहित उद्योग के समग्र विकास हेतु सरकारी नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है ताकि भारतीय उद्योग को आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से उद्योग को अपेक्षाकृत अधिक गतिशील बनाया जा सके और विशेषतया अवसंरचना सहित प्राथमिक/प्रमुख क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जा सके।

भारतीय स्टेट बैंक की ग्राहक सेवा

427. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड जारी करने और अपनी ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए अनुषंगी कंपनी स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय स्टेट बैंक का छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ग्राहक सेवा में सुधार लाने हेतु क्या-क्या विशेष उपाय करने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि अनुषंगी कम्पनी स्थापित करने का प्रस्ताव उसके विचाराधीन है और इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा अन्तिम निर्णय लेने के बाद तैयार किया जाएगा।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि महानगर, शहरी, अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण केन्द्रों में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में निरंतर आधार पर ग्राहक सेवा में सुधार का काम किया जा रहा है। बैंक ने आगे बताया है कि उसके स्थानीय प्रधान कार्यालयों/आंचलिक कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के कल

नियमित रूप से शाखाओं में जाते हैं और इसका मूल्यांकन करते हैं कि बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने संबंधी बैंक के अनुदेशों का जहां तक अनुपालन हो रहा है तथा जहां कहीं आवश्यक होता है, उपचारात्मक कार्रवाई की जाती हैं इसके अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षण दलों द्वारा जब शाखाओं का निरीक्षण और लेखा परीक्षा की जाती है तो ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की जांच भी की जाती है और उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

सीमेंट का निर्यात

428. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान सीमेंट के निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या वर्तमान निर्यात गति से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). चूंकि आठवीं योजना के दौरान सीमेंट के निर्यात के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, वर्ष 1995-96 के अलावा, जब घरेलू बाजार में मुख्य रूप से अपेक्षाकृत ऊंची मांग के कारण कमी आई थी, पिछले कुछ वर्षों के दौरान सीमेंट/क्लिंकर का निर्यात बढ़ता रहा है। सीमेंट/क्लिंकर का वर्ष-वार निर्यात निम्न प्रकार है :-

वर्ष	मिलियन टन
1991-92	0.36
1992-93	1.18
1993-94	2085
1994-95	3.17
1995-96	2.38

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

भारत की वित्तीय व्यवस्था

429. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मई, 1996 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार के अनुसार पालिटिकल एंड इकोनामिक रिस्क कंसलटेंट लि. द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भारत की वित्तीय व्यवस्था को विश्व में दसवां स्थान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश की वित्तीय व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जैसा कि दिनांक 22 मई, 1996 के स्टेट्समैन में विवरण दिया गया है पालिटिकल एण्ड इकानोमिक रिस्क कन्सलेटेंसी लि. द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वित्तीय व्यवस्था का 6.29 के दर-निर्धारण सहित 10वां स्थान है जबकि भौतिक आधारिक संरचना में 6.93 के दर-निर्धारण सहित इसका 9वां स्थान है। स्टेटसमैन में प्रकाशित इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, वियतनाम सबसे त्रुटिपूर्ण वित्तीय क्षेत्र पाया गया इसके बाद चीन, भारत और फिलिपाइन्स का स्थान है।

भारतीय वित्तीय व्यवस्था इस समय वर्ष 1991-92 में शुरू किए गए वृहत्तर सुधार कार्यक्रम के भाग के रूप में सुधार की प्रक्रिया से गुजर रही है। विभिन्न सुधार उपायों के कार्यान्वयन के परिणाम अब तक उत्साहवर्धक रहें हैं। मार्च, 1995 के अंत की स्थिति के अनुसार 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से 13 बैंकों ने 8 प्रतिशत, 11 बैंकों ने 4 प्रतिशत और 8 प्रतिशत के बीच तथा शेष 3 बैंकों ने 4 प्रतिशत से कम न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का अनुपात प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त वर्ष 1993-94 के दौरान परिचालन हानि की सूचना देने वाले बैंकों की संख्या 9 से कम होकर 6 होने की सकारात्मक प्रवृत्ति की पुष्टि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 1993-94 में 4349 करोड़ रुपए की निवल हानि की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान 1116 करोड़ रुपए के निवल लाभ के रूप में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में हुई। इसके साथ-साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों में वर्ष 1992-93 और 1993-94 में उनकी ऋण पोर्टफोलियों का लगभग 24 प्रतिशत से वर्ष 1994-95 में 20 प्रतिशत से कुछ कम की गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, ब्याज दर के अविनियमन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र

430. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी हेतु करवाये गये अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के वर्गीकरण संबंधी नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त रिपोर्ट की सिफारिशें कब तक लागू कर दी जायेंगी?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) उद्योग मंत्रालय के आदेश पर ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी बैंक

431. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन बैंकों ने अपनी शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली हैं; और

(ग) ये बैंक देश में व्यापार और उद्योग के विस्तार के लिए कितनी सहायता प्रदान कर रहे हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों का देशवार ब्यौरा और वे स्थान जहां उन्होंने अपनी शाखाएं स्थापित की हैं, संलग्न विवरण दिया गया है।

(ग) 31 मार्च, 1994 और 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का शाखा नेटवर्क, कुल जमाराशियां और अग्रिमों (अन्तर बैंक जमाराशियों और अग्रिमों को छोड़कर) में विदेशी बैंकों का बाजार शेयर निम्न प्रकार था :-

(करोड़ रुपए)

	की स्थिति के अनुसार		कुल जमाराशियां सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार		बैंक ऋण सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	
	31.3.94	31.3.95	1993-93	1994-95	1993-94	1994-95
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	61630	621000	315132	386859	164418	211560
विदेशी बैंक	146	151	24886	27641	10964	15471
विदेशी बैंकों का शेयर (प्रतिशत)	0.24	0.24	7.90	7.14	6.67	7.31

विवरण

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों का देशवार विवरण और वे स्थान जहां उन्होंने अपनी शाखाएं स्थापित की हैं.

क्र.सं.	विदेशी बैंक का नाम	देश	उन स्थानों के नाम जहां शाखाएं खोली गई और संख्या		
1	2	3	4		
1.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	यू.एस.ए	मुम्बई	1	
			कलकत्ता	1	
			नई दिल्ली	1	
			मद्रास	1	(4)
2.	बैंक आफ अमेरिका	यू.एस.ए	मुम्बई	1	
			कलकत्ता	1	
			नई दिल्ली	1	
			मद्रास	1	(4)
3.	सिटी बैंक	यू.एस.ए	मुम्बई	2	
			कलकत्ता	2	
			नई दिल्ली	1	
			मद्रास	1	(6)

1	2	3	4		
4.	चेस मनहटन बैंक	यू.एस.ए	मुम्बई	1	(1)
5.	ब्रिटिश बैंक आफ मिडिल ईस्ट	यू.के.	मुम्बई	1	
			त्रिवेन्द्रम	1	(2)
6.	स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	यू.के.	अमृतसर	1	
			मुम्बई	6	
			कलकत्ता	8	
			कोचिन	1	
			कानपुर	1	
			मद्रास	3	
			दिल्ली	2	
			गोवा	1	
			कालीकट	1	(24)
7.	बार्कलेज बैंक	यू.के.	मुम्बई	1	
			नई दिल्ली	1	(2)
8.	बैंक नैशनल डि पेरिस	फ्रांस	मुम्बई	1	
			कलकत्ता	1	
			नई दिल्ली	1	
			बंगलौर	1	
			पूणे	1	(5)
9.	बैंक इंडोसूज	फ्रांस	मुम्बई	1	(1)
10.	सोसायटी जेनरल	फ्रांस	मुम्बई	1	
			नई दिल्ली	1	
			बंगलोर	1	(3)
11.	क्रेडिट लायोनेस	फ्रांस	मुम्बई	1	
			नई दिल्ली	1	
			अहमदाबाद	1	(3)
12.	बैंक आफ टोकिया मित्सूबिशी लि.	जापान	मुम्बई	1	
			कलकत्ता	1	
			नई दिल्ली	1	(3)
13.	सकूरा बैंक लि.	जापान	मुम्बई	1	(1)
14.	सनवा बैंक लि.	जापान	नई दिल्ली	1	(1)
15.	फूजी बैंक	जापान	मुम्बई	1	(1)
16.	ड्यूश बैंक	जर्मनी	मुम्बई	1	
			दिल्ली	1	
			बंगलोर	1	(3)
17.	ड्रेस्डनर बैंक	जर्मनी	मुम्बई	1	(1)
18.	कामर्ग बैंक	जर्मनी	मुम्बई	1	(1)

1	2	3	4		
19.	एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक	आस्ट्रेलिया	मुंम्बई	12	
			अमृतसर	2	
			बंगलोर	1	
			कलकत्ता	18	
			कोचिन	1	
			एर्नाकुलम	1	
			दार्जलिंग	1	
			दिल्ली	10	
			कानपुर	1	
			मद्रास	4	
			कोयम्बटूर	1	
			शिमला	1	
			श्रीनगर	1	
			गुवाहाटी	1	
			हैदराबाद	1	(56)
20.	हांगकांग बैंक	हांगकांग	मुम्बई	7	
			कलकत्ता	9	
			मद्रास	1	
			विशाखापत्तनम	1	
			दिल्ली	2	
			बंगलोर	1	(21)
21.	आबूधाबी कामर्शियल लि. बैंक	यू.ए.ई.	मुम्बई	1	(1)
22.	माशरेक बैंक	यू.ए.ई.	मुम्बई	1	(1)
23.	ओमान इन्टरनेशनल बैंक एसएओ	सुल्तानेट आफ ओमान	मुम्बई	1	
			कोचिन	1	(2)
24.	बैंक आफ बेहरिन एंड कुवैत बीएससी	बेहरिन	मुम्बई	1	
			हैदराबाद	1	(2)
25.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	कनाडा	मुम्बई	1	
			दिल्ली	1	(2)
26.	एबीएन आमरो बैंक एनवी	नीदरलैंड	मुम्बई	1	
			कलकत्ता	1	
			नई दिल्ली	1	
			मद्रास	1	(4)
27.	आईएनजी बैंक	नीदरलैंड	मुम्बई	1	(1)
28.	सोनाली बैंक	बांग्लादेश	कलकत्ता	1	(1)
29.	अरब बांग्लादेश बैंक	बांग्लादेश	मुम्बई	1	(1)

1	2	3	4		
30.	स्टेट बैंक आंफ मारिशश लिमिटेड	मारिशश	मुम्बई	1	(1)
31.	डेवलपमेंट बैंक आफ सिंगापुर	सिंगापुर	मुम्बई	1	(1)
32.	बैंक आफ सीलोन	श्रीलंका	मद्रास	1	(1)
33.	सियाम कमर्शियल बैंक पीसीएल	थाईलैंड	मुम्बई	1	(1)
34.	बैंक आफ इन्टरनैशनल इन्डोनेशिया	इन्डोनेशिया	मुम्बई	1	(1)
35.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	ताईवान	नई दिल्ली	1	(1)
36.	चौ हुंग बैक	दक्षिण कोरिया	मुम्बई	1	(1)
	सारांश (i) विदेशी बैंकों की संख्या			36	
	(ii) शाखाओं की संख्या			165	

बंदियों को मतदान करने का अधिकार

432. **श्री पिनाकी मिश्र :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक अधिकारों के लिए अखिल भारतीय अधिवक्ता फोरम ने हाल ही के लोक सभा चुनावों के दौरान यह सुनिश्चित करने की अपील की थी कि देश की विभिन्न जेलों में कैद बंदी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस आशय से क्या प्रबंध किये गये हैं कि बंदी अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : आगरा, मथुरा, राजस्थान और हरियाणा में बाढ़ आई है। प्रधान मंत्री जी आगरा गये थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आगरा में जहां भीषण बाढ़ आई है, कोई सहायता नहीं पहुंची है। कई लोग मर गये हैं, करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया हैं लगभग 15 दिन से बाढ़ की विभीषिका चल रही हैं सेना की सेवाएं भी मांगने पर उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसके कारण तबाही तेजी से चल रही है। राहत काम धीमा चल रहा है। मेरा प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां तात्कालिक और दीर्घकालीन राहत कार्य शुरू कराए जाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से इसको देखने के लिये कहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनके आश्वासन के बावजूद भी वहां कोई राहत कार्य शुरू नहीं हुए हैं। हमने कई बार निवेदन किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी ने आपकी बात सुन ली है। मैं उनको पहले ही बता चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : राजस्थान में भी बाढ़ आई हुई है।...**(व्यवधान)**

श्री ब्रहमानन्द मंडल (मुंगेर) : मैं मुंगेर का मामला उठाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं खड़ा हुआ हूं। आप खड़े नहीं हो सकते हैं। कृपया बैठ जाइये। यह तरीका ठीक नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

माननीय सदस्यों, मैं आपसे सहयोग करने का विशेष अनुरोध करना चाहता हूं। आज गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का दिन हैं दोपहर में हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे। इसके पूर्व हमको कश्मीर के संबंध में संकल्प पारित करना है क्योंकि आज अंतिम दिन है। सोमवार को इसे राज्य सभा को भेजा जाना है। इसलिये, आज यह पारित होना ही है। आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय के निर्वाचन हेतु चुनाव भी किया जाना है। अगर शून्य काल स्थगित नहीं किया जाता है तो इन सभी मामलों को निपटाने के लिये पर्याप्त समय शेष नहीं बचेगा। इसलिये, मैंने निर्णय लिया है कि आज शून्य काल नहीं होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मेरा प्रधान मंत्री जी से निवेदन है...

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग करें। आज उपाध्यक्ष का चुनाव करना है, बहुत कम समय है। मैंने आपकी बात को देखने के लिए प्रधान मंत्री जी से कहा है। आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। मैंने प्रधान मंत्री जी को कह दिया है। अब आप बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 37/96]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 213(अ), जो 17 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी मोटर यान की चेसिस पर बाडी के निर्माण के लिए गढ़े हुए और कारखानागत रूप में प्रयुक्त पुर्जों और संघटकों पर 28 फरवरी, 1993 को प्रारम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क की अदायगी से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 254(अ), जो 25 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह उपबन्ध करना है कि चूना, जिसे सीमेंट क्लिंकर्स निर्माण में कारखानागत रूप से प्रयोग किया जाता है, पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान अपेक्षित नहीं होता तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) दिनांक 19 मार्च, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 38/3/96 के.उ.शु., जो अधिसूचना में दर्शाये गये कतिपय निर्माताओं से प्राप्त किये गये कतिपय शुल्क्य माल को 31 मार्च, 1996 तक उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) दिनांक 2 अप्रैल, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 40/5/96 के.उ.शु. जो अधिसूचना में दर्शाये गये शुल्क्य माल और निर्माताओं से प्राप्त किये माल की एक निश्चित मात्रा को 31 मार्च, 1996 तक उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क की उतनी मात्रा से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) दिनांक 2 अप्रैल, 1996 का तदर्थ छूट संख्या 41/6/96-के. उ.शु., जो अधिसूचना में दर्शाये गये कतिपय अस्पताल लॉन्ड्री उपस्करों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 38/96]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 293क की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 117(अ), जो 8 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 293क का क्षेत्र बढ़ाकर उसमें खनिज तेल के लिए पूर्वेक्षण या निष्कर्षण आदि से संबंधित कारबार में सहभागिता को शामिल करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 39/96]

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 174(अ), जो 3 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 55 विनिर्दिष्ट राजनयिक मिशनों या उनके सदस्यों को टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा उपलबध कराई गई कर योग्य

सेवाओं को उन पर उद्ग्रहणीय पूर्ण सेवा कर छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 40/96]

(4) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिक्का-निर्माण ["8वां विश्व तमिल सम्मेलन 1995" के अवसर पर ताम्र-निकल मिश्र धातु (75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले) से निर्मित दो रुपये और पांच रुपये के स्मारक सिक्कों का मानक वजन तथा गुणों के अंतर की सीमा] नियम, 1996, जो 19 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 135(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 41/96]

आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एस.आर.बालासुब्रहमण्यन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

आठवीं लोक सभा

(1) विवरण संख्या 34 - आठवां सत्र, 1987
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 42/96]

(2) विवरण संख्या 42 - दसवां सत्र, 1988
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 43/96]

नौवीं लोक सभा

(3) विवरण संख्या 39 - आठवां सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 44/96]

(4) विवरण संख्या 34 - दसवां सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 45/96]

दसवीं लोक सभा

(5) विवरण संख्या 33 - पहला सत्र, 1991
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 46/96]

(6) विवरण संख्या 29 - तीसरा सत्र, 1992
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 47/96]

(7) विवरण संख्या 26 - चौथा सत्र, 1992
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 48/96]

(8) विवरण संख्या 24 - पांचवां सत्र, 1992
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 49/96]

(9) विवरण संख्या 23 - छठा सत्र, 1993
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 50/96]

(10) विवरण संख्या 19 - सातवां सत्र, 1993
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 51/96]

(11) विवरण संख्या 18 - आठवां सत्र, 1993
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 52/96]

(12) विवरण संख्या 16 - नौवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 53/96]

(13) विवरण संख्या 11 - ग्यारहवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 54/96]

(14) विवरण संख्या 9 - बारहवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 55/96]

दसवीं लोक सभा

(15) विवरण संख्या 7 - तेरहवां सत्र, 1995
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 56/96]

(16) विवरण संख्या 4 - चौदहवां सत्र, 1995
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 57/96]

(17) विवरण संख्या 2 - पन्द्रहवां सत्र, 1995
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 58/96]

(18) विवरण संख्या 1 - सोलहवां सत्र, 1996
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 59/96]

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान मद संख्या 4 की ओर दिलाना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : **अध्यक्ष महोदय**, बहुत गम्भीर मामला है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत ही गम्भीर मामला है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा। मैं उनकी बात पहले सुनूंगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : अध्यक्ष महोदय, बिहार में एक दिन में 20 आदमी मारे गये हैं। बहुत गम्भीर मामला है। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है।

[हिन्दी]

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : अध्यक्ष जी, बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। एक दिन में 20 आदमी मारे गये हैं। मुंगेर में 8 लोगों की हत्या हुई है। भोजपुर में 5 लोगों की हत्या हुई हैं वहां कानून नाम की कोई चीज नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : मद संख्या 4 में आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण दर्शाये गए हैं और सर्वप्रथम प्रतिवेदन आठवीं लोक सभा, 1987 से संबंधित है, अर्थात दस वर्ष के पश्चात की गई कार्यवाही दर्शाने वाला प्रतिवेदन सभा में रखा गया है। मंत्रिगण सभा में सभी प्रकार के आश्वासन दे देते हैं और जब उनको पूरा करने की बात आती है तो वे तत्परता नहीं दिखाते हैं और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति इन पर विचार करती है। परन्तु, इसके बावजूद भी मंत्रिगण इन आश्वासनों को तत्परता से पूरा नहीं करते हैं। की गई कार्यवाही दर्शाने वाला प्रतिवेदन दस वर्ष पश्चात रखा गया है और वर्तमान में इसका कोई औचित्य नहीं है। हम आपसे अनरोध करना चाहते हैं कि आप मंत्रियों और आश्वासनों संबंधी समिति को दिशा निर्देश दें कि यह प्रक्रिया कितनी अवधि में पूरी हो जानी चाहिये, अर्थात दो वर्ष अथवा चार वर्ष अथवा पांच वर्ष में। दस वर्ष पश्चात प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कोई लाभ नहीं है। मैं वर्तमान सरकार को दोषी नहीं मानता हूं, परन्तु आपको मंत्रियों और समिति को दिशा-निर्देश देने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री उपेन्द्र जी, मेरे विचार से दिशा-निर्देश पहले ही तय किये जा चुके हैं। बेहतर यह होगा कि आप सभा पटल पर रखे गए पत्रों से संबंधित समिति से संपर्क कीजिये।

श्री पी. उपेन्द्र : यह तो सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप ठीक कह रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है, परन्तु समय का अभाव है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगारप्पा जी, ऐसा नहीं है कि मैं आप को अनुमति नहीं देना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों के महत्व को समझता हूं। परन्तु, कई बार हम समयाभाव में कार्य करते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामले भी हैं। आप मुख्य मंत्री रह चुके हैं। आपको कठिनाइयां मालूम हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगारप्पा जी, कृपा करके आप सहयोग करिये?

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है।

[अनुवाद]

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा) : अध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति देंगे? कल...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगारप्पा जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपा करके आज सहयोग कीजिये। मैं आपसे माफी मांगता हूं कि कल मैंने आपसे वायदा किया था, परन्तु आज की स्थिति का मैंने अनुमान नहीं लगाया था। मुझे दुख है। यह मेरी गलती है। कृपा करके आज मेरे साथ सहयोग कीजिये क्योंकि अगर मैं एक मामले को उठाने की अनुमति दे देता हूं तो मुझे सभी को अवसर देना होगा।

(व्यवधान)

श्री एस. बंगारप्पा : महोदय, मुझे दुख है।...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का अध्यक्ष होने के कारण मुझे कई ऐसे उदाहरण मालूम है जब समिति ने सिफारिश की है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके मुझे कहने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : बहुत गम्भीर मामला है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिये मैं इस मामले को उठाना चाहता हूं। वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके, मेरी बात सुनिये। आप पहले मेरी बात सुनिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : बहुत गंभीर मामला है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। कृपा करके मेरी बात सुनिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको मालूम है कि जब अध्यक्ष खड़े हैं तो आप खड़े नहीं हो सकते है? क्या आप कृपया कुछ तौर तरीके सीखेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पुनः फिर वही कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद पटेल (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, उमा भारती जी के नेतृत्व में तीन सांसद रेल भवन के सामने छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के मसले को लेकर धरने पर बैठे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि प्रत्येक मामला महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे? सभा अध्यक्ष की बात क्यों नहीं सुनती है? यह क्या हो रहा है?

श्री बंगारप्पा जी, शून्य काल में आपको सिर्फ कुछ ही मिनट मिलते हैं और सरकार की प्रतिक्रिया भी मालूम नहीं चलती हैं। अगर आप नियम 377 के अधीन मामले को उठायेंगे तो आपको सरकार यह बतायेगी कि क्या कार्यवाही की गई है। परन्तु, अगर शून्य काल में आप मामला उठायेंगे तो मालूम नहीं चलेगा कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है शून्य काल में सिर्फ मामला ही उठाया जा सकता है। यही प्रथा है। कावेरी जैसे मामले को शून्य काल में उठाने का कोई लाभ आपको होने वाला नहीं है। आप किसी अन्य तरीके का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? आप कोई प्रस्ताव क्यों नहीं लाते हैं? मैं उस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री एस. बंगारप्पा : मुझे यह सभी नियम मालूम है। महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने इस मामले को शून्य काल में उठाने का भी प्रयास किया है और नियम 377 के अधीन मामला उठाने की भी सूचना दी है, क्योंकि मुझे शून्य काल में मामला उठाने की स्थिति मालूम है। कल मैंने शून्य काल में मामला उठाने का प्रयास किया था। परन्तु, आपने कहा था कि कल अर्थात आज इस मामले को प्रथम मामले के रूप में लिया जायेगा। महोदय, क्या हुआ? आपने कहा कि कुछ अविलम्बनीय मामले हैं। परन्तु, आप बता नहीं रहे हैं कि मेरी सूचना का क्या हुआ। आप हमको संरक्षण दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों का बैलट किया जाता है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है।

श्री एस. बंगारप्पा : आज मामले को नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि अन्य अति महत्वपूर्ण कार्य निपटाने हैं। मामले को सोमवार अथवा मंगलवार अथवा किसी अन्य दिन के लिये स्थगित किया जा सकता है। कावेरी का मामला कोई छोटा मामला नहीं है। यह महत्वपूर्ण मामला है। आपको इसका महत्व मालूम है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं। कृपा करके आप हमें संरक्षण दें आप मुझको कोई अन्य नियम बता दें जिसके अंतर्गत् मैं आज ही मामला उठा सकूं। कृपा करके सुझाव दीजिये। अन्य सदस्यों ने भी सूचनाएं दी हैं। मामला बहुत अविलम्बनीय है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगारप्पा जी, आप मेरे कक्ष में आइये। हम चर्चा करेंगे और कोई हल निकालेंगे। हम आज ही मुलाकात करेंगे। हम यह मालूम करेंगे कि किस प्रकार यह किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है।...**(व्यवधान)** उस राज्य का कोई उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है या नहीं...**(व्यवधान)** इस तरह से घटनायें घट रही हैं। इस मुद्दे को उठाने के लिए हम आपसे संरक्षण चाहते हैं।...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, वहां की सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं है। एक दिन में तीस लोग मारे जा रहे हैं। गृह मंत्री जी इस बारे में जवाब दें।...**(व्यवधान)** बिहार राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वहां अपराधियों के समानान्तर सरकार चल रही है, जिसका नेतृत्व वहां के शासकदल के लोग करते हैं... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उससे आगे मत जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, यह मामला सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के पास जाना चाहिए। मैंने श्री उपेन्द्र को एक विनिर्मय दिया है कि यह मामला सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के पास जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का दो वर्ष से भी अधिक समय तक सभापति रहा हूं और मैंने आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की गई कई सिफारिशों को देखा है। उन सिफारिशों को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया है इसलिए, महोदय, मैं चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें ताकि सभा में दिए गये आश्वासनों को निर्धारित समय के भीतर अर्थात तीन माह के अन्दर क्रियान्वित किया जाये। मैं यह महसूस करता हूं कि की गई सिफारिशों की, विशेषकर सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की सिफारिशों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। उन सिफारिशों को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित किया जाना चाहिए और माननीय अध्यक्ष द्वारा उस तरह का निर्देश दिया जाना चाहिए।

महोदय, मुझे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल का मामला भी उठाना है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह आपका कार्य करने का तरीका है। आप मुझे कैसे भ्रमित करते हैं? आप मुझे इस तरह भ्रमित करने का प्रयास क्यों करते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति के बिना आज मेरा बोलने का कोई इरादा नहीं था। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, आप बोलिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, आपने बिहार के एक माननीय सदस्य को, वहां जो कालाजार के कारण भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई है उसका उल्लेख करने का अवसर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह विषय पूरी गंभीरता के साथ सदन में आया है। कालाजार बड़े पैमाने पर एक महामारी का रूप ले चुका है। सैंकड़ों लोग मर रहे हैं, दवाएं नहीं मिल रही हैं। कल हमने टी.वी. पर एक प्रोग्राम देखा जिसमें कहा गया, डा. कह रहे हैं कि दैवाएं दिल्ली से जानी हैं और दिल्ली बेखबर है। बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। हर साल की महामारी इस बार फिर प्रचंड रूप से पैदा हुई है। यह मामला उठा भी दिया है लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि आप इस पर सरकार का ध्यान खीचें और इस पर सरकार को वक्तव्य देने के लिए कहें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या इस विषय पर सरकार कुछ कहना चाहती है? यह एक बहुत गंभीर बात है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, इस विषय में सरकार एक व्यक्तव्य देना चाहती है। विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के पश्चात् इस मामले पर एक व्यक्तव्य दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आज?

श्री श्रीकान्त जेना : यदि संभव हुआ, तो आज; अन्यथा सोमवार को।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। मेरे विचार से, यह पर्याप्त है।

[अनुवाद]

सभा का कार्य

अपराह्न 12.18 बजे

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि सोमवार, 15 जुलाई, 1996 से सरकारी कार्य की निम्नलिखित मदें होगी :

(1) आज के आदेश पत्र से आगे ले जाई गई किसी सरकारी कार्य की मद पर विचार किया जाना।

(2) निम्नलिखित अध्यादेशों के निरनुमोदन के लिए सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों के स्थान पर विधेयकों पर विचार करना और उनको पारित करना :-

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1996

(ख) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996

(ग) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अध्यादेश, 1996

(घ) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, 1996

(ङ) कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1996

(3) वर्ष 1996-97 के रेल बजट पर सामान्य चर्चा।

(4) वर्ष 1996-97 के लेखा अनुदानों (रेलवे) की मांगों पर चर्चा और मतदान।

जैसा कि सदस्यों को जानकारी है, कि वर्ष 1996-97 के लिए रेल बजट, मंगलवार, 16 जुलाई, 1996 को प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात प्रस्तुत किया जायेगा।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में पिछले 3 साल से बाढ़ से फसलें और मकान तबाह हो गये हैं और जो सहायता राशि दी गयी थी वह सही तरीके से खर्च नहीं हुई हैं, उसकी जांच होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. साहब, इसके बारे में तो चर्चा चल रही है, हाउस में टाइम एलोकेशन हो चुका है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में आपने अपना सबमिशन दिया है, उसकी हाउस में चर्चा तो हो रही है।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : यह फ्लड के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो दिया है वह तो फ्लड पर नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में है।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष जी, मैं फ्लड के बारे में बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है, बोलिये।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष जी, पंजाब और हरियाणा को घग्घर दरिया से बहुत नुकसान होता है और करोड़ों रुपयों की फसलें और मकान तबाह हो जाते हैं। हम आपके माध्यमं से सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि वहां एक डैम बनाया जाए। डैम के दो फायदे हो सकते हैं एक तो उससे बाढ रूक सकती है और दूसरे सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस डैम के लिए कुछ पैसा मुहैया करेगी।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजेमर) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय सम्मिलित कर कृतार्थ करें :-

(1) अजमेर जिले में बढ़ती हुई रसोई गैस की प्रतीक्षा सूची एवं मांग की आपूर्ति हेतु शीघ्र ही गैस एजेसियों को अतिरिक्त कोटा स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता।

(2) सुप्रसिद्ध तीर्थ राज एवं पर्यटन केन्द्र पुष्कर में पुष्कर सरोवर की रेत एवं मिट्टी निकलवाने हेतु चल रहे खुदाई कार्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष सहायता दिये जाने की आवश्यकता।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय और जोड़े जाएं :-

(1) कोटा, बूंदी व बारां जिले में गत् 15 वर्षों से एक भी नये डाकघर की स्वीकृति संचार मंत्रालय द्वारा नहीं की जा रही है। वर्तमान में कोटा स्टेट के एक खंडहर में एक डाकघर एक रुपये माह के किराये पर चल रहा है, जिसमें बरसात में कर्मचारी तो परेशान होते ही हैं, सारी डाक भी भीग जाती है।

(2) बूंदी में जो 10 मेगावाट का टी.वी. ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, वह पूरी क्षमता से नहीं चलाया जा रहा। कम क्षमता पर चलने के कारण इस क्षेत्र (कोटा, बूंदी, बारां) के उपभोक्ताओं के टी. वी. जल जाते हैं। उस पर चर्चा की जाए।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डा. चव्हाण (कराड) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित को शामिल किया जाये :

(1) भारत की खेलकूद नीति; अटलांटा ओलम्पिक के लिए तैयारी, टीम चयन, निधि प्रदान करने और प्रशिक्षण की समस्याएं।

(2) भारत का आणविक कार्यक्रम, विद्युत उत्पादन लक्ष्य और वित्तपन की कमी, और पाकिस्तान की आणविक क्षमता, और सी.टी.बी.टी. के संबंध में हाल ही में हुए विकास को देखते हुए सामरिक तैयारी।

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित सुझाव सम्मिलित किये जाएं :-

(1) हापुड़ (गाजियाबाद) में अवैध रूप से चल रही हड्डी मिलों को तुरन्त बंद कराया जाए, क्योंकि इन हड्डी मिलों से पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोग अनेक बीमारियों के शिकार हो रहे है।

(2) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में फैले भ्रष्टाचार की सी.बी. आई. द्वारा जांच करवायी जाए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित सम्मिलित किया जाये :-

(1) वेतन आयोग के प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने में हुए अत्यधिक विलम्ब के कारण अन्तरिम राहत की मांग कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल।

(2) हावड़ा गुडस शेड के बन्द किए जाने से उत्पन्न गंभीर स्थिति जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल तथा भारतीय रेलवे की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।

श्री कृपासिन्धु भोई (सम्भलपुर) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित सम्मिलित किया जाये :

(1) प्रसार भारती संशोधन विधेयक

(2) लोक पाल विधेयक

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित सुझाव सम्मिलित करें :-

(1) समस्तीपुर बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, जहां उद्योग के नाम पर सिर्फ दो चीनी मिल, एक बीमार जूट मिल, एक बंद पड़ा कागज का कारखाना है। ऐसी परिस्थिति में रेल कारखाने को स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से बंद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका विस्तार होना चाहिए।

(2) समस्तीपुर-खगड़िया मीटर गेज रेल लाइन के आमान परिवर्तन पर विचार होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाई गुड़ी) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाये :

(1) पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में पर्यटन में सुधार करना।

(2) अम्बारी, फलाकटा और जलपाईगुड़ी में हवाई अड्डों को पुनः खोलना।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.25 बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के नाम से दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाये जिसमें कुल पन्द्रह सदस्य हों, जिनमें से दस इस सदन के और पांच राज्य सभा से हों। ऐसे सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक सदन के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जायेगा :
>
> कि संयुक्त समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :-
>
> (i) सभी विद्यमान "समितियों" [उनसे भिन्न समितियां जिनकी जांच उस संयुक्त समिति द्वारा, जिसे संसद् (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 1957 सौंपा गया था, की गई थी] और बाद में गठित की जाने वाली सभी "समितियों" के गठन और स्वरूप की जांच करना, जिनकी सदस्यता के कारण कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हित हो सकता है;
>
> (ii) संयुक्त समिति द्वारा जांच की गई "समितियों" के संबंध में यह सिफारिश करना कि किन पदों के कारण निरर्हता होनी चाहिए और किन पदों के कारण नहीं;
>
> (iii) संसद् (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर समीक्षा करना और उक्त अनुसूची में किसी संशोधन की सिफारिश करना चाहे वह संशोधन परिवर्धन द्वारा हो अथवा लोप द्वारा या अन्य किसी प्रकार से :
>
> कि संयुक्त समिति उपरोक्त सभी या किन्हीं बातों के बारे में संसद के दोनों सदनों को समय-समय पर रिपोर्ट देगी;
>
> कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक पद धारण करेंगे;
>
> कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति, समिति की कुल सदस्य संख्या की एक-तिहाई होगी;
>
> कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों के संबंध में इस सदन के प्रक्रिया नियम ऐसे रूपभेद और उपान्तरणों के साथ, जैसे अध्यक्ष करे, लागू होंगे; और
>
> कि यह सदन राज्य सभा से सिफारिश करता है कि राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और इस सदन को उन सदस्यों के नाम सूचित करे जो राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किए जाएं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के नाम से दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाये जिसमें कुल पन्द्रह सदस्य हों, जिनमें से दस इस सदन के और पांच राज्य सभा से हों। ऐसे सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक सदन के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जायेगा :
>
> कि संयुक्त समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :-
>
> (i) सभी विद्यमान "समितियों" [उनसे भिन्न समितियां जिनकी जांच उस संयुक्त समिति द्वारा, जिसे संसद् (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 1957 सौंपा गया था, की गई थी] और बाद में गठित की जाने वाली सभी "समितियों" के गठन और स्वरूप की जांच करना, जिनकी सदस्यता के कारण कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद के किसी सदन का सदस्य

चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हित हो सकता है;

(ii) संयुक्त समिति द्वारा जांच की गई "समितियों" के संबंध में यह सिफारिश करना कि किन पदों के कारण निरर्हता होनी चाहिए और किन पदों के कारण नहीं;

(iii) संसद् (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर समीक्षा करना और उक्त अनुसूची में किसी संशोधन की सिफारिश करना चाहे वह संशोधन परिवर्धन द्वारा हो अथवा लोप द्वारा या अन्य किसी प्रकार से :

कि संयुक्त समिति उपरोक्त सभी या किन्हीं बातों के बारे में संसद के दोनों सदनों को समय-समय पर रिपोर्ट देगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक पद धारण करेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति, समिति की कुल सदस्य संख्या की एक-तिहाई होगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों के संबंध में इस सदन के प्रक्रिया नियम ऐसे रूपभेद और उपान्तरणों के साथ, जैसे अध्यक्ष करे, लागू होंगे; और

कि यह सदन राज्य सभा से सिफारिश करता है कि राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और इस सदन को उन सदस्यों के नाम सूचित करे जो राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.28 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

पहला प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 11 जुलाई, 1996 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 11 जुलाई, 1996 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.29 बजे

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज हमारे पास कार्य सूची में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हम लोक सभा के उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्तावों पर विचार करेंगे।

श्री शरद पवार (बारामती) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री सूरजभान, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष में प्रस्ताव करता हूं,

"कि श्री सूरजभान, जो कि इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती विजयराजे सिंधियां की ओर से प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : श्रीमती विजयराजे सिंधिया कहां हैं?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक पत्र मुझे लिखा है। वह बहुत सजग हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि श्री सूरजभान, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर बालासुब्रमण्यन) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि श्री सूरजभान, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाये।"

[अनुवाद]

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि श्री सूरजभान, जो कि इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री मधुकर सर्पोतदर (मुम्बई-उत्तर दक्षिण) महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि श्री सूरजभान जो कि इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि श्री सुरजभान, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री ओ.पी. जिन्दल (कुरूक्षेत्र).: मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि श्री सूरजभान, जो कि इस सभा के सदस्य हैं, को सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मैं श्री जगतवीर सिंह द्रोण की ओर से प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं .

"कि श्री सूरजभान, जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि प्रस्तावों की संख्या बहुत है। अतः मैं श्री शरद पवार द्वारा प्रस्तुत प्रथम प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि सूरजभान, जो कि इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं घोषणा करता हूं कि श्री सूरजभान को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है।

अपराह्न 12.33 बजे

(प्रधान मंत्री, श्री एच.डी.देवेगौड़ा, सभा के नेता, श्री राम विलास पासवान, विपक्ष के नेता, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री संतोष मोहन देव, श्री सूरज भान को उनके आसन तक ले गए)

[हिन्दी]

अपराह्न 12.34 बजे

उपाध्यक्ष महोदय को बधाइयां

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष जी, मैं सदन के नेता की हैसियत से पूरे सदन की ओर से श्री सूरजभान जी को, जो लोकसभा के पुराने सदस्य रहे हैं और मेरे भाई के समान हैं, को धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज उन्होंने उपाध्यक्ष जैसे पद की शोभा बढ़ाने का काम किया है।

यही हमारा जनतंत्र है कि हम सारे विरोधों के बावजूद भी जो लोकतंत्र की परंपरा है, जो जनतंत्र की मांग है और जो संसदीय लोकतंत्र में आस्था का सवाल है, उसका हम हमेशा से आदर कर रहे हैं। जिस दिन सूरज भान जी का नाम उपाध्यक्ष पद के लिए आया और हमारे साथी संसदीय कार्य मंत्री श्री जेना ने ज्यों ही प्रधान मंत्री जी के समक्ष इनका नाम लिया तो एक सैंकंड की देर लगाए प्रधान मंत्री जी ने कहा कि यह बहुत अच्छा हुआ और होना चाहिए।

हम तो बहुत पुराने साथी रहे हैं। 1977 में जब मैं पहली बार यहां संसद में आया, उस समय भी सूरज जी पुराने सदस्य थे। हम लोगों को साथ काम करने का मौका मिला था। हम लोग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति से सदस्य थे। पार्लियामेंटरी फोरम में हम लोगों ने साथ-साथ काम किया और जहां

कहीं भी गरीबों के प्रति जुल्म और अत्याचार हुए, हम लोग साथ-साथ गए और काम करते रहे। संसद सदस्य के रूप में नहीं रहने के बावजूद भी इन्होंने जिस तरह से राज्यों में कार्यभार संभालने का काम किया, इसलिए नहीं कि ये अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जिसको हम प्रतिभा कहते हैं, हमारे सूरज भान जी, सभी प्रतिभाओं से संपन्न हैं। ये एम.ए., बी.एल. हैं और किसी भी विषय पर जो पकड़ होती है, जो गहराई होती है, वह सारी क्षमता इनमें मौजूद है। ये प्रोफेशन से लॉयर हैं लेकिन सोशल ऐक्टिविस्ट के रूप में इन्होंने अपना नाम कमाया है। मैं समझता हूं कि इनके आने से पद की गरिमा और बढ़ेगी और मैं सरकार की ओर से तथा पूरी यूनाइटेड फ्रण्ट गवर्नमेंट की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों का पूरा सहयोग भाई सूरज भान जी को प्राप्त होगा और सूरज भान जी डिप्टी स्पीकर के रूप में न सिर्फ पद की गरिमा को बढ़ाने का काम करेंगे बल्कि वहां बैठकर देश के जो करोड़ों गरीब लोग हैं, जो अनप्रिविलेज्ड क्लास के लोग हैं, उनके भी हित का ख्याल पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के माध्यम से रखेंगे।

इन्ही शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपनी ओर से तथा अपनी यूनाईटेड फ्रंट सरकार की ओर से, सदन के नेता की हैसियत से भाई सूरज भान जी को उपाध्यक्ष के पद पर चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, श्री राम विलास पासवान जी ने जो कुछ कहा है, मैं उसके साथ अपने को पूरी तरह से संबद्ध करता हूं। ऐसे मौके कम ही आते हैं कि हमारी राय मिलती हो, लेकिन आज एक ऐसी शुभ घड़ी आई है। उपाध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है। यह इस बात का एक और प्रमाण है कि मतभेद होते हुए भी हम कुछ लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में एक राय रखते हैं।

अध्यक्ष जी, आपका निर्वाचन भी सर्वसम्मति से हुआ था। उसके बाद जब उपाध्यक्ष के निर्वाचन का प्रश्न आया तो सत्ता पक्ष से बात हुई और मैं यह कहना चाहूंगा कि जब प्रधान मंत्री जी के ध्यान में यह बात लायी गई तो वे तत्काल इसके लिए तैयार हो गए। सूरज भान जी का नाम भी उन्हें पसंद था। सूरज भान जी चौथी बार लोक सभा के सदस्य चुने गए हैं। वे कर्मठ सदस्य हैं, मुखर हैं, मुद्दे उठाते रहे हैं और संसदीय गतिविधि के साथ संसद के बाहर के क्रियाकलाप का मेल बैठाकर समाज में परिवर्तन लाने का जो काम है, उसमें वह बहुत महत्वपूर्ण ढंग से योगदान देते रहे हैं।

मुझे थोड़ी चिन्ता इस बात की है कि हमारा एक मुखर सदस्य, एक सक्रिय सदस्य अब उस कुर्सी पर बैठकर, हमें किस तरह से चुप किया जाए, इसके तरीके निकालने में शामिल हो जाएगा लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे आप हमारे अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह से सूरजभान जी, जब उपाध्यक्ष के रूप में पीठासीन होंगे तो सारे सदन की मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे और सबको बोलने का अवसर देंगे।

अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनके साथ स्थान बदलने में मुझे कोई ऐतराज नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सरकार को अपना काम करना है मगर प्रतिपक्ष को अपनी बात कहनी है। इसे अंग्रेजी में यों कहते हैं-

गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स वे, बट दी अपोजिशन मस्ट हैव इट्स से। कठिनाई उस समय पैदा होती है जब सरकार जो काम उसे करना चाहिए, ठीक से नहीं करती और अपोजीशन को बोलने से रोका जाता है लेकिन इस अवसर पर मैं उसमें जाना नहीं चाहता।

[अनुवाद]

डा. मल्लिकार्जुन (महबूब नगर) : अध्यक्ष महोदय, वो 'वे' नहीं हूं। वास्तव में वह है दी गवर्नमेंट शुड हैव दी वे, बट दी अपेक्षित शुड प्ले।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये 'प्ले' क्या है?/क्या खेले?

डा. मल्लिकार्जुन : आप जो भी खेलना चाहें...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से चौधरी सूरज भान जी को बधाई देता हूं और सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं क्यों सभी दलों के सदस्यों ने उनके नाम का प्रस्ताव किया है और समर्थन किया है। अब वे हमारी सम्पत्ति नहीं रहे, अब वे सार्वजनिक सम्पत्ति हो गये है जिसका सदुपयोग होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, सभा की परम्पराओं के अनुसार हुए आज हमने मुख्य विपक्षी दल से सभा का उपाध्यक्ष का चुनाव किया है। जहां तक मैं जानता हूं कि यह पहली बार हुआ है जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजाति और अनूसूचित जाति को गये हैं। लगता है ब्राह्मणों के दिन चले गये हैं।. ..**(व्यवधान)** महोदय, हम बहुत खुश हैं।

जैसा कि मेरे मित्र श्री राम विलास पासवान ने ठीक ही कहा था कि श्री श्रीकान्त जेना ने रात्रि को कई बार मुझे फोन किया और कहा कि यह उनकी सोच है—यह मुझे मालूम नहीं कि अन्य व्यक्तियों से उन्होंने कब बातचीत की। मैंने अपने नेता को फोन किया और उन्होंने

तुरंत कहा, "हां, यह होना चाहिये," और हम सभी ने इसे स्वीकार किया।

श्री सूरजभान श्री वाजपेयी के बिलकुल समीप बैठे हैं। लेकिन उनका दिमाग हमारे समीप होना चाहिए न कि श्री वाजपेयी के 1980-85 में श्री सूरज भान एक बहुत ही सक्रिय सदस्य थे, तब हम भी सदस्य थे। मैंने उन्हें बाद-विवादों में हिस्सा लेते हुए भी देखा है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके और श्री सूरजभान के मेल से हमें बेहतर अवसर मिलेंगे जो कि निष्पक्ष होंगे। हम वही सहानुभूति पाने का उत्सुकता से इन्जार करते हैं जो हम पहले श्री मल्लिकार्जुनैया से पाते थे। हम आज पूर्व उपाध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुनैया को याद करते हैं। मैं नहीं जानता कि उसका चयन किसने किया था चाहे वे श्री वाजपेयी थे अथवा हम सभी लोग लेकिन वे एक बहुत अच्छे उपाध्यक्ष थे। उन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। श्री शिवराज पाटिल की तरह जिन्हें हमेशा एक अच्छे अध्यक्ष के रूप में याद किया जायेगा; आज हम श्री मल्लिकार्जुनैया को याद करते हैं जो एक बहुत अच्छे उपाध्यक्ष थे। मुझे विश्वास है कि श्री सूरज भान भी अपने आपको एक बहुत अच्छा उपाध्यक्ष सिद्ध करेंगे। मुझे विश्वास है कि श्री सूरजभान उनकी नीति, उनके विनिर्णयों तथा उनकी बुद्धिमता का अनुसरण करेंगे। उन्होंने यह देख लिया है कि शून्य काल क्या होता है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष जी, आज सूरजभान जी को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना जाना है, इसलिए मैं उनको बधाई दूंगा। यह बहुत खुशी की बात है कि आज एक ऐसे सदस्य, जो बहुत अनुभवी और सक्रिय व्यक्ति हैं वे इस पद के लिए चुने गए हैं। सातवीं लोकसभा में, 1980 से, जब वे पहली बार चुनकर आए थे, तभी से हम उनसे परिचित हैं। हमारे देश की आम जनता की समस्याओं को किस ढंग से लोक सभा में उठाना चाहिए, किंस गंभीर मामले को इस सभा में उठाना चाहिए उसको ये उठाते थे। आज हमारी इस लोक सभा में करीब-करीब आधे नए सदस्य हैं। वे अपने इलाके की समस्याएं यहां उठाना चाहते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि सूरजभान जी सबका ख्याल रखेंगे। हमारी जो परम्परा है वह भी बनी रहेगी और हमारी लोक सभा की मर्यादा सूरजभान जी के उपाध्यक्ष चुने जाने से और बढ़ेगी। हमारी पार्टी की ओर से हम पूरा सहयोग करेंगे। आप इस हाउस की और इस लोक सभा की परम्परा की रक्षा करेंगे। मैं सूरजभान जी का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए व धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि जिनका मर्यादा पुरुषोत्तम पर विश्वास है ऐसे सूरजभान जी हमारे सदन के उपाध्यक्ष बन चुके हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि पूरे सदन ने इनका चुनाव किया है, यानी यूनानिमस चॉइस ऑफ दी हाउस। अध्यक्ष महोदय, आपका भी ऐसा ही हुआ था और अभी डिप्टी स्पीकर का भी इसी ढंग से चुनाव हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोनों के माध्यम से इस हाउस का काम बहुत बढ़िया ढंग से चलेगा। यह हो सकता है कि आपस में हम लोग हमारी समस्याओं के लिए लड़ेंगे, लेकिन आपके वहां बैठने के बाद हमें आपसे सिर्फ न्याय चाहिए और संतुलित चाहिए। जो कुछ हमारी समस्या है वह जनता की समस्या है। आपके माध्यम से जनता तक पहुंचने के लिए जिस ढंग से आप इस हाउस को चलाते हैं उसी ढंग से सूरजभान जी भी इस हाउस को चलाएंगे और समय आने पर हमें न्याय देने की कोशिश करेंगे। उससे बढ़कर बात है कि 287 नए सदस्य इस बार चुनकर आए हैं। इनको संभालने की भी बहुत जरूरत है। मैं यहां पर देख रहा हूं कि ये लोग अपनी बात कहने के लिए व समस्याएं उठाने के लिए तरसते हैं, लेकिन उनको जो मौका मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। आहिस्ता-आहिस्ता वह मिल जाएगा। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे मौका मिल जाएमा।

श्री सूरजभान जी से मेरा इतना ही अनुरोध है कि वे तो इस सदन के पुराने सदस्य हैं और जो नए सदस्य हैं, उनका ठीक ढंग से ख्याल रखें। व्यक्तिगतरूप से पहचान होने में तो थोड़ी देर लगेगी, जब नाम जान जाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नए लोगों को भी अपनी-अपनी समस्याओं को उठाने के लिए, इस सदन के समक्ष अपने क्षेत्र की समस्याओं को पेश करने के लिए आपकी तरफ से पूरा मौका दिया जाएगा।

मैं सूरजभान जी को अपनी तरफ से अपने दल की तरफ से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में अपने उपाध्यक्ष के पद के अनुरूप अच्छा कार्य करेंगे और आशा करता हूं कि भविष्य में उन्हें और भी अच्छे काम करने का अवसर मिलेगा।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर) : स्पीकर साहब, आज सूरजभान जी के यूनैनिमस इलेक्शन पर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं उनको बधाई देता हूं। पहले आपका इलेक्शन इसी तरह यूनैनिमस हुआ। अब उनका हुआ है। यह बहुत अच्छी परम्परा है जो इस हाइस में पड़ रही है। उनके यूनैनिमस इलैक्शन के बाद सारा हाउस यह एक्सपैक्ट करता है कि सारे हाउस पर उनकी एक सी नजर रहेगी। सबको एक नजर से देखा जाएगा। ऐसी अपेक्षा उनसे सभी की है। जैसी कृपा आपकी हाउस में होती रही है वैसी इनसे भी हम उम्मीद करते हैं।

सूरजभान जी इस सदन के पुराने सदस्य रहे हैं। इस, बार इनका चौथी दफा इलैक्शन हुआ है। 1977 में ये हमारे मैम्बर रहे हैं। ये बहुत सोबर आदमी हैं। बहुत सोच-समझ कर बात करने वाले हैं। फिजूल बात नहीं करते हैं। थोड़ी बात करते हैं। इनको हंसना कम आता है। आपकी तरह हंसना नहीं आता। इस बारे में इनसे हमारा थोड़ गिला जरूर रहेगा।

हम इनको इसलिए भी जानते हैं कि ये हमारे पड़ौसी हैं। ये अम्बाला से हैं इसलिए हम इनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी जानते हैं। अब ये चौथी दफा मैम्बर बने हैं। जब ये पहली दफा मैम्बर बने थे और जैसे गरीब उस समय थे, वैसे ही गरीब ये अब भी हैं। मैं यह एक बहुत बड़ी क्वालिटी समझता हूं कि एक इंसान, एक मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट चौथी बार चुनने के बाद भी वह पहले जैसा ही सीधा और

सच्चा है और जैसी क्वालिटी इनमें है, जैसा ये काम करते हैं, जैसी इनकी शोभा है और न केवल बैकवर्ड क्लास के लिए बल्कि सब लोगों का इनमें विश्वास है।

मुझे इस बात की खुशी है कि इनका सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है और मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि ये सारे सदन से हंस कर बात करेंगे और एक सी नजर से सारे हाउस को देखेंगे। बहुत-बहुत बधाई देते हुए, मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, मैं भी सूरजभान जी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे हमारी चौथी लोक सभा का अनुभव याद आ रहा है। उस समय रघुनाथराव खांडेलकर अध्यक्ष होते थे। उस समय हम इन्तजार करते रहते थे कि अध्यक्ष कब कुरसी से उतर जाएं और उपाध्यक्ष जी आकर बैठ जाएं। उसका कारण यह है कि अध्यक्ष जी के हाथ में बहुत अधिकार हैं। उनके "न" शब्द बोलने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते और वैसे भी अध्यक्ष कितने भी हंसमुख हों, कितने भी लोगों के साथ उठने-बैठने वाले हों, कितने भी मिलनसार हों, लेकिन इस कुरसी पर बैठने के बाद उनसे डरना पड़ता है और जब उपाध्यक्ष जी आकर बैठ जाते थे, तो जिन मुद्दों को सुबह उठाने में परेशानी होती थी, वे तत्काल उठा दिए जाते थे। हालांकि उस समय जीरो आवर जैसी कोई चीज नहीं होती थी, लेकिन दोपहर को खाने के बाद वही सिलसिला आधा घंटा चलता था। हम लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने में, उपाध्यक्ष महोदय के वहां बैठ जाने से बहुत सहूलियत होती थी और हम उनको उठा पाते थे।

मुझे याद आ रहा है, अभी यहां श्री सन्तोष मोहन देव जी ने एक और डिप्टी स्पीकर श्री मल्लिकार्जुनैय्या जी का नाम लिया। उन्होंने भी इस सदन को बहुत बढ़िया ढंग से चलाया था।

हम आशा करते हैं कि आज वे अज्ञातवास में हैं लेकिन जल्दी ही इस सदन में उनकी वापसी होगी और उनका योगदान इस सदन में हम लोगों को मौका मिलेगा। मैं श्री सूरजभान जी से वही अपेक्षा करता हूं कि जिस पद के लिए आज उन्हें सर्वानुम्मति से इस सदन ने चुना है, वे उस पद की गरिमा रखेंगे और इस सदन का कार्य चलाने में अपना योगदान देंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में आमराय का स्वागत करता हूं। मैं अपनी पार्टी आर.एस.पी. की ओर से श्री सूरजभान का स्वागत करता हूं। मैं खुशी तथा कामनाएं व्यक्त करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि उनके उपाध्यक्ष बन जाने से इस सभा की गरिमा और बढ़ेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं भी श्री सूरजभान जी के सर्वसम्मति से हुये निर्वाचन के सम्बन्ध में खुशी व्यक्त करने के लिए अपने साथियों में शामिल हूं। उनके योग्यता के बारे में पहले ही बहुत कहा जा चुका है जिससे मैं पूर्णरूपेण सहमत हूं। पिछड़े वर्ग का जिक्र करते हुए मुझे विश्वास है कि उपाध्यक्ष के नाते वे न केवल प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखेंगे अपितु विशेषकर महिला सदस्यों का भी ध्यान रखेंगे जो पिछड़े वर्गों से संबंध रखती हैं। महोदय, मैं भी उन अपने साथियों में शामिल हूं जिन्होंने मल्लिकार्जुनैयाजी की प्रशंसा की है। उनमें ये सभी गुण थे। मुझे विश्वास है कि सूरजभान जी इस उच्च पद की गरिमा को बनाए रखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं उनके उपाध्यक्ष पद की सफलता के लिए कामना करती हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं इस शुभ अवसर पर इस सम्माननीय सभा का सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने जाने पर श्री सूरजभान जी को बधाई देने के लिए अपने प्रतिष्ठित साथियों में शामिल होता हूं। महोदय, वे मेरे पुराने साथी हैं। मैं न केवल उनकी दोस्ती की प्रशंसा करता हूं अपितु जिस मुद्दे के लिए वे लड़ते हैं उसकी भी प्रशंसा करता हूं। वे अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और वे हमेशा उन मुद्दों को उठाते रहे हैं जो उनके समुदाय को प्रभावित करते हैं। मोटेतौर पर वे उन मुद्दों को उठाने में कड़े वाबी हैं जो मुद्दे दलितों, निर्धनों तथा समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति से संबंधित हैं। अब वर्तमान समय में समय की मांग है उन आवाजों तथा शिकायतों को पहले सुना जाना चाहिये और सहानुभूति तथा अनुभूति के साथ सुना जाना चाहिये। अतः जब वे यहां बैठते हैं तो मैं महसूस करता हूं कि वे इतने ही शक्तिशाली हैं जितने कि आप हैं। महोदय, इस सभा में आपने सदस्यों की भावनाओं को समझने में अपनी योग्यता अथवा क्षमता का परिचय दे दिया है, ऐसी ही आशा सूरजभान जी से है कि वे उन पद दलितों तथा समाज के नकारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की कामनाओं तथा भावनाओं को भी मद्देनजर रखेंगे।

अपराह्न 1.00 बजे

मुझे विश्वास है कि वे सभी राजनैतिक धारणाओं तथा विश्वासों का ध्यान किया बिना ही अवसर प्रदान करेंगे। मैं समझता हूं कि उनके योगदान से इस सभा की गरिमामयी परम्परा और मजबूत होगी तथा इस सभा के कार्यकरण के बारे में नयी परम्पराएं तथा नयी अनुभूतियां होंगी।

महोदय, मैं अपनी पार्टी तथा अपनी ओर से उन्हें बधाई देने में अपने सभी साथियों में शामिल होता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब एक बजा है। सभा की अनुमति से हम इस मुद्दे को निपटायेंगे। श्री जी-जी स्वैल।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चिन्ता मत कीजिये मैं आपका नाम भी पुकारूंगा। प्रत्येक को अवसर दिया जाएगा।

श्री जी.जी. स्वैल (शिलांग) : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि श्री सूरजभान उपाध्यक्ष के उच्च पद के लिए चुने गये हैं। वे मेरे पुराने मित्र रहे हैं।

अनेक वर्ष पूर्व जब हम युवा थे, हमने एक साथ ही इस देश का भ्रमण किया, श्री सूरजभान से अधिक सज्जन, अधिक प्रेमी, अधिक शालीन व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। उनके बारे में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वह थी उनकी मुस्कान तब से, जब भी हम मिले, चाहे वह इस सभा के सदस्य थे या चाहे मैं इस सभा का सदस्य था, उन्होंने हमेशा सहृदयता से मेरा स्वागत किया। मुझे विश्वास है कि उनका यह व्यक्तित्व उद्भूत होगा और इस सभा की भावना को अनुप्राणित करेगा। मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह उसी कुशलता से करेंगे जैसा कि आपने किया है और मुझे विश्वास है कि जब विभिन्न मुद्दों को लेकर हम उत्तेजित होते हैं, तो वह अपनी मोहक मुस्कान से हम सभी को सम्मोहित करेंगे। मेरी उनको शुभ कामना है और जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं उन्हें पूरा समर्थन और सहयोग दूंगा जिसकी उन्हें इस सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता है जिस प्रकार मैं वही समर्थन और सहयोग आपको देता रहा हूं। अध्यक्षपीठ की प्रतिष्ठा और अधिकार की मर्यादा हर समय बनाये रखी जानी चाहिए ताकि यह सभा सुचारू रूप से चल सके।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : मैं इस सभा के नेताओं द्वारा उपाध्यक्ष के अभिनंदन में व्यक्त भावनाओं से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं और मैं अपनी ओर से तथा अपने दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से श्री सूरजभान को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपकी तरह ही पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी यहां उठाये गये मुद्दों खासतौर पर दलितों और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भावुक रहते थे। मुझे विश्वास है कि श्री सूरजभान-हालांकि मुझे उन्हें जानने का अवसर नहीं मिला मेरी उनसे कम जानपहचान है, भी अपने पूर्ववर्ती और उपाध्यक्षों और आपके पद्चिन्हों का अनुसरण करेंगे।

मैं उन्हें उनके पूर्ववर्ती उपाध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुनैया का स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने बिना डर और पक्षपात के और प्रेम सहित तथा किसी सदस्य के प्रति द्वेष भावना के बिना बड़ी प्रतिष्ठा से इस सभा की कार्यवाही का संचालन किया। मुझे विश्वास है कि श्री सूरजभान श्री मल्लिकार्जुनैया ने जो किया था उससे ज्यादा करेंगे।

इस अवसर पर, मैं श्री सूरजभान को पूरा समर्थन देता हूं और मुझे विश्वास है कि वह उपाध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों के निवर्हन में प्रत्येक सदस्य विशेषकर छोटे दलों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। मैं नई भूमिका में उनकी सफलता की कामना करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सारे सदन का धन्यवाद करता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा को निभाते हुए सर्व-सम्मति से श्री सूरजभान जी का उपाध्यक्ष के लिए चुनाव किया। श्री सूरजभान जी वैसे तो हमारे से दूसरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन हरियाणा प्रदेश में कई मर्तबा हमारा भाजपा से गठबंधन रहा, जैसे कि अब की बार भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी-हरियाणा विकास पार्टी की सरकार है।

इन्होंने जहां संसद में अच्छा कार्य किया, वहीं बाहर रह करके भी पार्टी के प्रचार के लिए, पार्टी के कार्यक्रम के लिए और सार्वजनिक जीवन में भी बहुत अच्छे कार्य किये, इसलिए मैं श्री सूरजभान जी से एक प्रार्थना जरूर करूंगा और वह मैंने आपसे भी एक बार की थी कि जो नये माननीय संसद सदस्य चुन करके आते हैं, उनका खास करके ध्यान रखा जाय, क्योंकि पुराने जो नेतागण हैं, वह एक बार हाथ खड़ा कर लें तो उनको बुलाया जाता है, लेकिन हमारे जो नये मित्र, साथी हैं, जो पहली बार चुन कर आये हैं, खास कर उनके अधिकारों की सुरक्षा करना आप दोनों लोगों की जिम्मेदारी बनती है। श्री सूरजभान जी से जैसा जार्ज साहब कह रहे थे कि पहले डिप्टी स्पीकर जब आते थे तो हम अपने पुराने मुद्दों को उठाते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी यह चाहूंगा कि आपके रहते हुए नये सदस्यों के अधिकारों की अपेक्षा नये सदस्यों को ज्यादा सुना जाय।

एक बार फिर मैं सारे सदन का धन्यवाद करता हूं और श्री सूरजभान जी को उपाध्यक्ष चुने जाने पर मुबारकबाद देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ऐसा उम्मीदवार दिया, जो सारे सदन को मान्य है। इसके लिए मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवतुपुजा) : महोदय, मैं अपने दल केरल कांग्रेस की ओर से नए उपाध्यक्ष श्री सूरजभान को बधाई देना चाहता हूं, जो हम सबके परिचित हैं। वह एक चरित्रवान, सिद्धांत वाले व्यक्ति हैं, जो अपने सिद्धान्तों को क्रियान्वित कर सकते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कई वर्षों से गरीबों और दलितों के लिए कार्य करते रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। किसी व्यक्ति का काम, जो अध्यक्षपीठ पर बैठता है, ऐसे समय पर जब इस इलैक्ट्रोनिक संचार माध्यमों के युग में सभा की कार्यवाहीं का सीधा प्रसारण किया जाता है, बहुत कठिन होता जा रहा है। लोगों ने हाल ही में इस सभा में हुए दो प्रस्तावों का सीधा प्रसारण देखा। भारत के लोगों में यह भावना है कि कार्य संचालन के समय यह सभा हमेशा अपनी सीमाओं से परे जा रही है जब सदस्य एक दूसरे पर चिल्लाते हैं या जब सदस्य अपनी सीमाओं, जिसकी संसद-सदस्यों से आशा की जाती है, से ऊपर उठ रहे हैं।

महोदय, यह उस व्यक्ति का एक बड़ा कर्तव्य हो जाता है जो अध्यक्षपीठ पर बैठता है, जिसका उसे निर्वाह करना होगा और मैं उपाध्यक्ष महोदय को विश्वास दिलाता हूं कि इस सभा के सभापति के रूप में जब वह अध्यक्षपीठ पर बैठेंगे, हम उन्हें पूरा समर्थन देंगे और सभी पक्षों द्वारा जिस उचित ढंग से उनका निर्वाचन हुआ है, उन्हें हम बधाई देते हैं।

इस तरह, मैं इस अवसर पर उन्हें और इस सभा को धन्यवाद देता हूं।

डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा (गुवाहाटी) :अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा के उपाध्यक्ष महोदय, श्री सूरजभान को अन्य सदस्यों के साथ बधाई देना चाहता हूं। श्री सूरजभान के निर्वाचित होने की प्रक्रिया से उनके व्यक्तित्व उनकी कर्तव्यनिष्ठा तथा विद्वता का पता चलता है।

मैं, अपनी ओर से तथा असम गण परिषद की ओर से, श्री सूरजभान को बधाई देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि जो जिम्मेदारी श्री सूरजभान को सौंपी गई है। वह उसे निभाएंगे और सभा की मर्यादा तथा सम्मान को बनाए रखेंगे।

मैं, एक नया सदस्य होने के नाते, आशा करता हूं कि श्री सूरजभान इस महान और महत्वपूर्ण जन-प्रतिनिधि सभा में अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर देंगे। महोदय, छोटे दलों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता है। मुझे इस बात का तर्क समझ में नहीं आता है कि बड़े दलों की अपेक्षा छोटे दलों को कम समय क्यों मिलता है। अगर तर्क युक्तिसंगत नहीं है और छोटे दलों को भी अपने लोगों, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, के विचारों को प्रकट करने का समान समय उपलब्ध कराने के लिये कोई तरीका अथवा नियम होना चाहिये। हमें सभा की प्रक्रिया और नियमों की उचित जानकारी नहीं है तथा इसलिये हम कई बार गलती कर देते हैं। जब कभी कार्य सूची सभा में रखी जाती है तो इसको कई बार बदल दिया जाता है। हम कार्यसूची के अनुसार सभा में तैयार होकर आते हैं परन्तु कई बार उस पर चर्चा नहीं होती है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके इन सब बातों में मत जाइये। यह सिर्फ अभिनंदन के लिये है। आप इन सब बातों में क्यों जा रहे हैं?

डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा : महोदय, हम कई बार पाते हैं कि कार्यसूची बदल दी जाती है। इसलिये, हम चाहते हैं कि कोई प्रक्रिया हो जिसके अनुसार हम तैयार होकर आ सकें।

हम माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कल और परसों एक प्रबोधन कार्यक्रम होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके इन सब बातों को मत उठाइये।

(व्यवधान)

डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा : महोदय, मैं अपनी ओर से तथा मेरे दल ए.जी.पी. की ओर से, नए उपाध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूं।

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : महोदय, मैं अपने दल की ओर से श्री सूरजभान को उनके सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई देना चाहता हूं। श्री सूरजभान उस जाति से आते हैं जिसको मूक और मौन समझा जाता था, परन्तु, बाबासाहेब डा. अम्बेडकर जी के महान प्रयासों के कारण उच्च शिक्षा पाकर तथा राजनीतिक अधिकार पाकर वह इस उच्च पद तक पहुंच पाए हैं। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं।

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा) : महोदय, मेरी आदत प्राय : हाथ उठाने की नहीं है। मैं अपना हाथ केवल दिखाता भर हूं। मुझे इस महान सदन में शामिल किया गया है।...**(व्यवधान)** महोदय, मुझे आशा है, आप इस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हां जी, आप बोलिए।

श्री एस बंगारप्पा : अध्यक्ष महोदय, श्री सूरजभान को बधाई देने में मेरी भावनाएं समूचे सदन के साथ हैं जिन्हें इस माननीय सदन के उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित किया गया है। यह ठीक है कि मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर अच्छी तरह से नहीं जानता हूं। लेकिन मैं इस बारे में थोड़ा बहुत फर्क करना चाहता हूं। इस माननीय सदन को सभी माननीय सदस्यों ने श्री सूरजभान के महान गुणों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं भी यहां बैठे अपने समस्त मित्रों के साथ श्री सूरजभान को बधाई देता हूं। निश्चित रूप से ये पार्टियां इस सदन के लिए चुने गए नए सदस्यों से अपील करेंगी कि वे नए उपाध्यक्ष को अपना सहयोग दें।

जहां तक इस माननीय सदन की गरिमा, मर्यादा, परम्परा और मान्यताओं का संबंध है, निश्चय ही इन सब बातों का अनुसरण किया जायेगा। हमारे पूर्ववर्ती साथियों ने इन बातों का पूरा-पूरा ख्याल रखा है और इन्हें अक्षुण्ण रखा है। अतएव, हम निश्चय ही श्री सूरजभान को इस माननीय सदन के कार्य संचालन के मामले में आवश्यक सभी प्रकार के सहयोग देंगे। महोदय, श्री सूरजभान को बधाई देने में मैं भी आपका साथ देता हूं। जिन्होंने इस पद को शोभायमान किया है और मुझे पक्का यकीन है कि वह इस महान सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसाकि पहले हमारे मित्र कह चुके हैं, कि सदन में बड़ी छोटी और मझली राजनैतिक पार्टियां हैं और सदन में कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं जो किसी भी राजनैतिक दल के नहीं हैं। अतः वह इन सबका ख्याल रखेंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी यह बात कह रहे थे। मेरे ख्याल से वह इस पहलू पर कल बोल रहे थे। उन्होंने यह बात कल ही कही थी।

मैं श्री सूरजभान को बधाई देता हूं और समूचे सदन के साथ उन्हें भविष्य में हर प्रकार की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

श्री तिरुची शिवा (पुडुक्कोट्टई) : माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं श्री सूरजभान को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने जाने पर अपनी बहुत-बहुत बधाइयां देता हूं। इस सदन ने एक बार पुनः विपक्षी दल से उपाध्यक्ष का चुनाव कर अपनी अद्वितीयता का प्रदर्शन किया है और इसका सुखद पहलू यह है कि वह दलित समुदाय के हैं। उन्हें बधाई देने के इस सुखद अवसर का लाभ उठाते हुए मैं कहूंगा कि हम नए सदस्य आशा करते हैं कि अब हमें विशेषकर नवयुवकों और पिछली सीटों पर बैठने वालों को बोलने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे हमें यकीन है कि आपके कार्य काल के दौरान हम एक नया इतिहास बनाएंगे और इस देश के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। एक बार हम पुनः वायदा करते हैं कि जितना सहयोग सदस्य अध्यक्ष पीठ को दे

सकते हैं, उतना सहयोग हम पूरी तरह से देंगे और हम अध्यक्ष पीठ से आशा करते हैं कि वह हम नौजवानों और नव-आगन्तुकों के प्रति नरम रवैया अपनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं समूचे सदन के साथ श्री सूरज भान को इस महान सदन का सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। अध्यक्ष चुने जाने के समय से मैं केवल दो बातों के बारे में सोच रहा था कि इस सदन का कार्य संचालन कैसे किया जाय तथा मेरा सहकर्मी कौन होने जा रहा है। प्रतिदिन मैं इस बारे में सोचता था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : असल में, मुझे बड़ी उत्सुकता थी और मैं गुपचुप तरीके से कभी इस तरफ से कभी उस तरफ यह जानने की भी कोशिश करता था कि उपाध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है। और जब अंततः मुझे पता चला कि इस पद के लिए केवल एक ही नाम आया है और वह है श्री सूरज भान एक ऐसा व्यक्ति जो काफी परिपक्व और जिसे जीवन का काफी अनुभव प्राप्त है-तो मुझे काफी प्रसन्नता हुई।

मैं श्री सूरजभान को 1977 से जानता हूं। जब मैं छठी लोकसभा में इस सदन में पहली बार आया था। आज मैं कह सकता हूं कि अब से मैं काफी राहत महसूस कर रहा हूं। श्री सूरजभान मेरे लिए एक मजबूत स्तम्भ होंगे, उनसे मुझे काफी सहायता मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि हम एक साथ काम करेंगे और एक साथ सदन का कार्य संचालन करेंगे। मैं एक बार पुनः श्री सूरजभान को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं और उन्हें हर प्रकार की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय, अपने इस चुनाव के बाद कुछ और कहने से पहले उर्दू का एक शेर मेरी जबान पर आ रहा है :—

"पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है,
शर्त यह है कि करीने से तराशा जाये।"

खुशकिस्मती से श्रद्धेय वाजपेयी जी जैसे शिल्पकार के हाथों मैंने ट्रेनिंग ली है और फिर आपने इस पर रंग चढ़ा दिया है। जो कुछ कहा गया है, मैं कुछ लम्हों के लिए सोच रहा था कि यह किसके बारे में कहा जा रहा है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। इस सम्मानीय सदन में राजनैतिक मामलों में एक राय न होते हुए भी एक बार फिर आदरणीय स्पीकर जी के चुनाव की मिसाल को दोहराकर मुझे सर्वसम्मति से डिप्टी स्पीकर चुना है। यह अपने आप में सदन की गरिमा का अनूठा इजहार हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभारी हूं। यह मेरे राजनैतिक जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस संबंध में जो मोशन्स सदन में आई हैं, वे सभी देश के शीर्ष नेताओं की तरफ से हैं। उनमें श्रद्धेय राजमाता जी, श्रद्धेय चन्द्रशेखर जी, भाई राम विलास पासवान जी, श्री बालासुब्रमण्यन जी, श्री शरद पवार जी, श्री संतोष मोहन देव जी, श्रद्धेय डा. मुरली मनोहर जोशी जी, श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी, श्री मधुकर सर्पोतदार जी, श्री जार्ज फर्नान्डीज जी, श्री जय प्रकाश जी, श्री ओम प्रकाश जिंदल जी, श्री नीतीश कुमार जी, श्री प्रमोद महाजन जी, श्री जगमोहन जी, श्री संतोष कुमार गंगवार जी और श्री जगतवीर सिंह द्रोण शामिल हैं।

आप सबने मुझे यह सम्मान दिया है इस सम्मान में पूरे सदन का भरोसा भरा है। मैं आपसे एक और अपेक्षा करता हूं कि सदन के काम-काज में और इस जिम्मेदारी को निभाने में आप मुझे सहयोग और दिशा देंगे। आपकी सर्वसम्मति में मेरा कर्तव्य भी उभर कर सामने आया है। मैं सदन के काम-काज में माननीय सदस्यों के हितों की देखभाल अपना फर्ज समझूंगा और यह फर्ज निभाने के लिए मैं इस कुर्सी पर आप सब का प्रतिनिधि बनकर बैठूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे शक्ति दे कि मैं अपने फर्ज को सही तरीके से निभा सकूं।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। कई बार इस लोकतन्त्र के सामने प्रश्न-चिन्ह लगाए जाते हैं, परन्तु जिस प्रकार सर्वसम्मति से इस बार फिर माननीय अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उसने इस सवाल का उत्तर अपने आप दे दिया है और इससे यह लोकतन्त्र और शक्तिशाली होकर निकला है। आप सबको धन्यवाद।

[अनुवाद]

अपराह्न 11.21 बजे

मंत्री का परिचय

अध्यक्ष महोदय : भोजनावकाश के लिए सभा स्थगित करने से पूर्व, प्रधान मंत्री एक और मंत्री का सभा से परिचय करायेंगे। पिछली बार परिचय करवाये जाने के समय मंत्री विदेश गये हुए थे।

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं अपने सहयोगी श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य, इस्पात और खान मंत्री का सभा से परिचय करवाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यक्ति के जान के सवाल को लेकर एक छोटा सा मुद्दा उठाना चाहता हूं, क्योंकि यह सदन आज के बाद दो दिन के लिए उठ जाएगा और सोमवार को फिर बैठेगा।

एक मुकद्दमा अदालत में चल रहा है, जिसको सी.बी.आई. चला रही है। एक गवाह है, जिसका नाम लखुभाई पाठक है। इस व्यक्ति की जान खतरे में है यह बात साबित हो चुकी है, जब भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की ओर से इनका सम्मान हो रहा था। एक व्यक्ति की जान का सवाल है। इसमें चन्द्रास्वामी नाम के व्यक्ति की गवाही हो रही है। जो जेल में हैं। इस सारे मुकदमें में इस प्रकार की हरकतें चल रही हैं, तो लोगों को डर लगना स्वाभाविक है। जब सम्मान हो रहा था, तो वहां पर मार-पीट की कोशिश हुई...**(व्यवधान)** मैं एक वाक्य और कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज, सारा मामला न्यायालय के समक्ष है। हमें सभा में इस तरह की बातों की पूर्व आशा नहीं करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, सी.बी.आई. की ओर से उस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि वह देश छोड़ कर चला जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज मैं इसकी अनुमति प्रदान नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.23 बजे

अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य) 93-94

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं वर्ष 1993-94 के लिए बजट (सामान्य) से संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक व्यक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक विधेयक पुरःस्थापित करना है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, पुरस्थापन स्तर पर आपत्ति है। मुझे इस विधेयक को पुरस्थापित करने के संबंध में एक माननीय सदस्य से एक सूचना मिली है। इसमें समय लगेगा। इसलिए, यह हम भोजनावकाश के पश्चात् करेंगे। अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिए अपराह्न 2.25 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.24 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.25 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.30 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कावेरी जल-विवाद के बारे में

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कावेरी विवाद के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण और अविलंबनीय लोक महत्व का मामला उठाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। आप मुझे या तो आप अपनी अवशेष शक्तियों अथवा किन्ही अन्य नियमों के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करें क्योंकि यह मामला अत्यधिक अविलंबनीय है। यदि आप मुझे यह मामला अगले सप्ताह उठाने की अनुमति प्रदान करते हैं, तो इसका समस्त महत्व समाप्त हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री बंगारप्पा, मैं आपको इसकी अनुमति प्रदान कर रहा हूं क्योंकि मैंने कल आपको वचन दिया था। आज सुबह, मुझे यह याद नहीं रहा क्योंकि हम शून्य काल नहीं कर सके। एक विशेष मामले के रूप में, मैं आप को इसकी अनुमति प्रदान कर रहा हूं, लेकिन कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, इसके लिए आपका धन्यवाद।

डा. के.पी. रामालिंगम (तिरुचेगोडे) : महोदय, कृपया मुझे भी अनुमति प्रदान करें।

श्री एस. बंगरप्पा : अध्यक्ष महोदय, यह मामला कावेरी जल-विवाद से संबंधित है। मैं उच्चतम न्यायालय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित मामले के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं स्वयं को केवल दो अथवा तीन पहलुओं तक सीमित रख रहा हूं। इस मामले का परस्पर समझौता-वार्ताओं के माध्यम से निपटान किया जाना है। वह सभी राजनैतिक दलों का सर्वसम्मत रुख था जो कर्नाटक विधानपालिका के दोनों सदनों द्वारा निर्विरोध संकल्प के द्वारा अपनाया गया था। मैं तमिलनाडु और पाण्डिचेरी जैसे अन्य राज्यों से भी ऐसी ही आशा करता हूं।

महोदय, मैं किसी राज्य के हिस्से अथवा वहां के लोगों के हिस्से के विरूद्ध नहीं हूं। यह मेरी चिन्ता का विषय नहीं है।

यह विवाद चार राज्यों के बीच में है। केरल कुछ सीमा तक ही इसमें शामिल है। कर्नाटक ऊंचे-तटीय-क्षेत्र में आता है और तमिलनाडु और पांडिचेरी निम्न तटीय क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं। मैं इस मामले के विस्तृत तथ्यों की ओर आपका ध्यान बिल्कुल आकृष्ट करना चाहता नहीं। मैं केवल दो या तीन मुद्दों तक ही अपने आपको सीमित रखूंगा। पहली बात तो यह है कि इस मसले का समाधान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लेने के, बाद ही किया जा सकता है। श्री पी.वी. नरसिम्हाराव की

अध्यक्षता वाली विगत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पहले भी निर्णय लिया गया था। उन्होंने सम्बद्ध सरकारों को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया था और इन सब मुद्दों पर विचार किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक राष्ट्रीय जल नीति को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता तब तक इस मामले पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले का सम्बन्ध केवल कावेरी से नहीं है। पूरे देश में ऐसे कितने ही बेसिन हैं और मामले का सम्बन्ध इन सबसे है। यदि भारत सरकार कावेरी बेसिन के बारे में कोई एक सिद्धान्त तय करती है तो बेसिन के पास वाले राज्य वही सिद्धांत नीति लागू नहीं कर सकते इस मुद्दे को उठाने से पहले इन सब बातों पर विचार करना होगा।

अब भारत सरकार ने इस मामले पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है और वह गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार कर रही है। मैं जानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी गम्भीरतापूर्वक इस विषय पर विचार कर रहे हैं; जब वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अनुभव किया कि जब तक राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार नहीं हो जाता सभी सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा दिशा-निर्देश तैयार और स्वीकार नहीं कर लिए जाते और उसे भारत सरकार सम्मति नहीं प्रदान करती तब तक इस मसले को नहीं उठाया जाना चाहिए और तब तक अन्तर्-राज्य जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरण के पास लम्बित अपीलें यथा-स्थिति आदेश के अन्तर्गत ही रहनी चाहिए। यह कर्नाटक सरकार का निर्णय था। जब श्री पी.वी. नरसिम्हाराव वहां थे तो तमिलनाडु और पांडिचेरी राज्यों द्वारा दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को, श्री नरसिम्हाराव सरकार को यह निर्देश दिया था कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और संबंधित राज्य सरकारों को बताना चहिए कि वे अधिनियम के अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरण के द्वारा पारित अन्तरिम आदेश का पालन करें। जब श्री देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 5 टी एम सी जल निकास के आदेश जारी किए थे और तदानुसार उतना पानी छोड़ा गया था। तमिलनाडु ने और अधिक जल की मांग की है। मैं उनके दृष्टिकोण को गलत ठहराने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मुद्दा तो यह है। कि अब कर्नाटक राज्य की वर्तमान सरकार ने 5 टी एम सी पानी और छोड़ा है।

जलग्रहण क्षेत्र में हमारे पास घाटी में चार जलाशय हैं। जलग्रहण क्षेत्र में हमारे पास पर्याप्त जल है, लेक़िन हमारे जलाशयों में पर्याप्त जल नहीं है। हम पड़ोसी क्षेत्रों को पानी सप्लाई नहीं कर सकते। जब हमारे पास इतना जल ही नहीं है जो इतना जल सप्लाई करने का प्रश्न ही कहां उठता है? मुद्दा यही है कर्नाटक सरकार ने पुनः पांच टी.एम. सी. पानी छोड़ा है। यह उन पर छोड़ दिया गया है। मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा। परन्तु मुद्दा यह है कि यह भारत सरकार के निर्देश पर अथवा स्वयं श्री देवेगौड़ा जी के निर्देश पर ऐसा किया गया है। यह सारे मामले का सार है। सारा मामला इसी मसले से जुड़ा है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने श्री पी.वी. नरसिम्हाराव की अध्यक्षता वाली सरकार को यह निर्देश दिया था। परन्तु अब उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बिना ही भारत सरकार को यह आवश्यकता कहां से आ पड़ी कि वह कर्नाटक सरकार एक निश्चित मात्रा में पानी छोड़ने के आदेश दे । मैं यह जानना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश सरकार को दिया है अथवा नहीं। यह पहला मुद्दा है समाचार पत्रों से मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। मुझे कुछ जानकारी नहीं है कोई अन्य सूचना-माध्यम मेरे पास नहीं है। अतः मैं इस मामले के तथ्य जानना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी को सारी सूचना देनी चाहिए। उन्हें इस प्रश्न का उपयुक्त जवाब देना चाहिए कि आखिरकार भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार को इतना जल सप्लाई करने का आदेश क्यों दिया अब आन्दोलन चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एस. बंगरप्पा : मांड्या, बैंगलौर तथा ऐसे ही अन्य नगरों में आंदोलन चल रहे हैं। इसी कारण मैंने अनेक बार आपसे इस मुद्दे को उठाने की अनुमति मांगी थी।

चूंकि आपने हमें अपना मुद्दा उठाने की इजाजत दी है, अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्री राम विलास पासवान यहां बैठे हैं। ऐसा लगता है कि वह कोई उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ भी हो हमें आज ही इसका उत्तर चाहिए। मैं सदन में किसी तरह की धमकी नहीं दे रहा हूं। आपको शायद वास्तविक स्थिति का पूरा पता नहीं है। वहां आन्दोलन भी चल ही रहा है अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह आज ही कोई न कोई उत्तर दें। कर्नाटक में दोनों सदनों में कार्य ही नहीं हो पा रहे हैं। राज्य में कल भी कोई कार्य-व्यापार नहीं हुआ। अतः मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि सरकार इस विषय पर कोई वक्तव्य जारी करे। आदरणीय प्रधान-मंत्री जी आ रहे हैं और मुझे आशा है कि वह इस सम्बन्ध में कोई उत्तर देंगे।

श्री अनन्त कुमार (बगलौर दक्षिण) : 1.7.96 को कर्नाटक सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार.कर्नाटक में 175 ताल्लुकों में से 27 ताल्लुकों में बहुत ही कम वर्षा हुई है। 126 ताल्लकों में तो बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। कर्नाटक में यह स्थिति है। कर्नाटक राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कावेरी नदी बेसिन के जलाशयों में मात्र 23.218 टी.एम.सी. फुट पानी उपलब्ध है। माननीय प्रधान मंत्री जी सिंचाई मंत्री रहे हैं वह कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग मंत्री भी रहे हैं। वह कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। कावेरी जल के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। परन्तु जब जलाशय में जल क्षमता ही मात्र 23 टी.एम.सी. फुट है जबकि जुलाई 96 में कर्नाटक की आवश्यकता 24 टी.एम.सी. पानी की है। अतः सम्पूर्ण कर्नाटक और बैंगलौर शहर में पेयजल की कमी है।

राज्य तीव्र जल संकट दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में जनता दल सरकार ने 5 टी.एम.सी. फुट पानी जारी कर दिया है और हमारी सूचना के अनुसार यह पानी उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप जारी नहीं किया गया। यह न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं है। यह माननीय प्रधानमंत्री के कहने पर जारी किया गया है। अतः आपके माध्यम से हम यह जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने राज्य-सरकार

को ऐसे निर्देश क्यों जारी किए। कर्नाटक के लोगों के मन में काफी शंका रही है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। इसके बाद जम्मू और कश्मीर संकल्प पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

श्री अनन्त कुमार : जैसा कि मैंने कहा है कर्नाटक के लोगों के मन में शंका थी कि राजनीतिक कारणों से, संयुक्त मोर्चा सरकार के साथ संबंध बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में जनता दल को तथा मुख्य मंत्री श्री जे.एच. पटेल को यह निर्देश दिए हैं कि वे 5 टी.एम.सी. पानी जारी कर दें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया श्री बंगरप्पा की बात मानिए और केवल ठोस सुझाव दीजिए।

श्री अनन्त कुमार : मैं 5.9.1992 की चर्चा का कुछ अंश उद्धृत करना चाहता हूं। उस समय माननीय प्रधानमंत्री इस सभा के सदस्य थे और उन्होंने ऐसा कहा था।

अध्यक्ष महोदय : यह पूर्ण चर्चा नहीं है। मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता हूं। आप चिन्ता का विषय उठाना चाहते थे। आपने उस मुद्दे को उठाया है। हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री अनन्त कुमार : महोदय, मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। उन्होंने 5.4.1992 को यह कहा था और मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "न्यायाधिकरण ने कर्नाटक के लोगों को फांसी की सजा देने का आदेश दिया है।"

अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल तीन मांगें रख रहा हूं। सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी.नरसिंहराव ने वचन दिया था कि राष्ट्रीय नदी जल नीति की घोषणा की जाएगी और जब तक कि राष्ट्रीय नदी जल नीति की घोषणा नहीं हो जाती कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की कार्यवाही को रोक दिया जाएगा; उसके पश्चात् इन राज्यों को जल का अनुपात से वितरण किया जाएगा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे चर्चा में बदल रहे हैं। मुझे खेद है। कृपया मेरी छूट का नाजायज फायदा नहीं उठाइए।

श्री अनन्त कुमार : मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इसका उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।...(व्यवधान)

श्री वी.धनन्जय कुमार (मंगलौर) : महोदय, सर्वप्रथम, मैं तमिलनाडु के अपने मित्रों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे मन में तमिलनाडु के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। अब केवल इसके राजनैतिक पुट को समझना होगा। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री यहां चुपचाप बैठे हुए हैं। सम्पूर्ण स्थिति गम्भीर हैं। मुझे इस बात का खेद है मुझे बहुत ही कठोर शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है कि जलाशय से जिस गोपनीय ढंग से तमिलनाडु के लिए 5 टीएमसी फुट जल छोड़ा गया, उससे सम्पूर्ण स्थिति गम्भीर बन गई है।

महोदय, अब एक विशेष स्थिति उभर आई है। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। अब न्यायाधिकरण कार्य नहीं कर रहा है। जैसाकि तमिलनाडु के हमारे मित्रों ने सुझाया है, उच्चतम न्यायालय में इससे संबंधित कोई भी मामला लम्बित नहीं है। केवल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ही कहते रहते हैं कि हम उच्चतम न्यायालय में मामला दायर करेंगे। लेकिन उच्चतम न्यायालय में इससे संबंधित कोई मामला लम्बित नहीं है। आज, नयी फसल बरबाद हो रही हैं। सम्पूर्ण कर्नाटक में सूखे जैसी स्थिति होने के कारण, बीज बोने के सारे कार्य लम्बित हो रहे हैं। मैं, आज बहुत ही भारी मन से कर्नाटक की जनता की ओर से कहता हूं।, कि...(व्यवधान)

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरमण) : इस सन्दर्भ में न्यायाधिकरण का एक आदेश है। आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। सदन को गुमराह मत कीजिए। हम चुप नहीं बैठेंगे। आप को अपनी बातें वापस लेनी चाहिए...(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार : मुझे आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्डों को पूरी तरह से देखूंगा। आप ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा

(व्यवधान)

श्री वी. धनंजयें कुमार : मैं एक निवेदन करने जा रहा हूं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका है। अब और ज्यादा मत बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार : यह रचनात्मक सुझाव है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल श्री बंगारप्पा को दिए गये अपने वचन को पूरा करना चाहता था। अब और नहीं मेरे विचार से, प्रधान मंत्री बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार : मैं प्रधान मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि कर्नाटक के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे...(व्यवधान)

प्रधानमंत्री (श्री एच.डी.देवेगौड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम, मैं यह कहने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं कि इन संवेदनशील मामलों में समान्तया प्रधानमंत्री द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। लेकिन यह मामला एक राजनैतिक उद्देश्य से उठाया गया है। उससे परे कुछ नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी है कि किन परिस्थितियों में यह मुद्दा उठाया है...(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार : पानी छोड़ा गया है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आप प्रधानमंत्री की बात सुनिये। प्रधानमंत्री को बोलने दीजिए। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। आप अपनी बात कह चुके। कृपया प्रधानमंत्री की बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने भविष्य के बारे में सोचिए। अवसरवादी मत बनिये। यह कोई तरीका नहीं।

(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : आपकी अनुमति से मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, भारत सरकार ने किसी व्यक्ति को, किसी राज्य को कोई निर्देश नहीं दिये हैं। यह पहली बात है। दूसरा, मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। तमिलनाडु सरकार ने मेंडेमस रिट दायर की है जिसमें उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह कावेरी न्यायाधिकरण द्वारा दिये गए अंतरिम पंचाट के अनुसार पानी छोड़ने के आदेश जारी करे।...**(व्यवधान)**

श्री वी. धनंजय कुमार : मुझे खेद है, प्रधान मंत्री सभा को गुमराह कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रधान मंत्री सभा को गुमराह कर रहे हैं तो आपके पास अन्य विकल्प खुले हैं। अब आप यहां ऐसा नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : उच्चतम न्यायालय ने भी परसों मामले को अन्य तारीख के लिए स्थगित कर दिया—मुझे ठीक से मालूम नहीं है क्योंकि यह मामला 22 या 24 को उठाया गया था, अर्थात् अगले हफ्ते तक मामला फिर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाया जायेगा। यह पहली सूचना है। मुझे जो मालूम है, उसकी जानकारी मैं सभा को दे रहा हूं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। अंतरिम पंचाट जो न्यायाधिकरण बता रहा हूं कि अंतरिम पंचाट जो न्यायाधिकरण ने दिया था उस पर कर्नाटक सरकार ने इसके प्रभाव और प्रतिकुल प्रभाव के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेकिन अन्ततोगत्वा, भारत सरकार ने उस अंतरिम पंचाट को प्रकाशित किया है। मैं जो कुछ पहले हो चुका है उस सबको पुनः दोहराना नहीं चाहता हूं। इसका कोई फायदा नहीं है। इसे भारत सरकार ने पहले ही अधिसूचित कर दिया है जिसका हम सबने विरोध किया था। यह अलग बात है। मुख्य मंत्री के रूप में श्री बंगरप्पा ने एक अधिनियम पारित किया था। उसको भी निरस्त कर दिया गया है। यह भी एक अलग बात है। परन्तु, मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं राजनीति से बाध्य होकर हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मंत्री होने के कारण मैं कहना चाहता हूं कि आरम्भ से ही हमारा उद्देश्य इस समस्या को बातचीत के द्वारा सुलझाने का था। प्रधान मंत्री की हैसियत से मैंने कोई भी निर्देश नहीं दिया है क्योंकि यह सम्बद्ध राज्यों की आपसी समस्या है। वे उच्चतम न्यायालय और न्यायाधिकरण में विवाद को ले गए हैं। यही उचित स्थिति है।

महोदय, मैं इस सभा को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिया गया है। यह पहली बात है।

अगर राज्य सरकारें इसको आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाना चाहती हैं तो हम बीच में नहीं आयेंगे, इस मुद्दे पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहते हैं। अगर सम्बद्ध राज्य आपसी बातचीत के द्वारा किसी समझौते पर पहुंचना चाहते हैं तो हम कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं। अगर वे आपसी बातचीत के द्वारा निर्णय लेना चाहते हैं और अगर भारत सरकार सहयोग करना चाहती है तो हम पूरा सहयोग देने के लिये तैयार हैं।

दूसरे, न्यायाधिकरण के गठन के पूर्व भी कर्नाटक और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने आपसी बातचीत के द्वारा समस्या को सुलझाने के लिये कई बैठकें की थीं। दुर्भाग्यवश न्यायाधिकरण का गठन घटित घटनाक्रम से सम्बद्ध है। परन्तु, दोनों पक्षों ने ही प्रयास किये थे। दोनों मुख्य मंत्रियों ने कोशिश की थी। आपसी बातचीत के द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने के प्रयास किये गए थे। इसी के साथ मैं इस सभा के माध्यम से कर्नाटक और तमिलनाडु के किसानों को आश्वासन देना चाहता हूं कि कमी अथवा प्रचुरता के वर्षों में हमको पर्याप्त पानी मिलता रहेगा। वर्ष 1992, 1993 और 1994 में कोई समस्या नहीं थी। कावेरी बेसिन में प्रचुर पानी उपलब्ध था। श्री बंगारप्पा जी दो वर्षों तक मुख्य मंत्री रहे थे। जब वह मुख्य मंत्री थे तब कोई विवाद नहीं था। पिछले वर्ष वर्षा कम हुई थी। निःसंदेह दोनों ओर की खड़ी फसलों को बचाया जाना था। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री को दखल देने तथा यह देखने के लिए निर्देश दिए कि दोनों राज्यों के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाना चाहिए, उनके विचार जानने के सभी राजनीतिक नेताओं को बुलाया जाना चाहिए, ऐसा हल निकालना चाहिए यहां भारत सरकार तमिलनाडु तथा कर्नाटक की खड़ी फसल को बचा सके।

श्री वी. धनंजय कुमार : इस बार कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं ...**(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

श्री ई. अहमद : पिछली बार प्रधान मंत्री ने कैसे दखल दिया था? उन्होंने स्वयं ऐसा नहीं किया था...**(व्यवधान)**।

श्री वी. धनन्जय कुमार : अब आप भूमिका बना रहे हैं ... **(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद : प्रधान मंत्री ने दखल दिया था...**(व्यवधान)**

श्री वी. धनन्जय कुमार : श्री अहमद यह केवल राजनीतिक है। आप इसे नहीं समझ पाएंगे...**(व्यवधान)** अब प्रधान मंत्री राज्य के हितों की बलि दें रहे हैं...**(व्यवधान)** यह एक अंदरूनी झगड़ा है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रधान मंत्री जी बात सुनिए। आप ऐसे बाधा नहीं डाल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार : श्री अहमद इसे नहीं समझ पाए... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रधान मंत्री की बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बंगारप्पा यहां उपस्थित हैं। क्या यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नहीं है? भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने दखल दिया या नहीं, उन्हें बताने दो। इन्होंने ही यह मामला उठाया था। उन्हें स्पष्ट करने दें कि क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने स्वयं दखल दिया था या कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर। जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए तब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने दोनों राज्यों के नेताओं को बुलाया जिसमें न केवल मुख्य मंत्री बल्कि सभी राजनीतिक दलों के नेता थे तथा उन्होंने उनके विचारों को सुना। उस शिष्टमण्डल में बंगारप्पा भी शामिल थे। भाजपा के नेता, विपक्ष के नेता श्री येदीयुरप्पा भी उसमें शामिल थे। दोनों पक्षों ने अपने-अपने मामले सामने रखे। प्रधान मंत्री जी ने इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति को नियुक्त किया और समिति ने दोनों राज्यों का दौरा करने के बाद, वहां की फसल की स्थिति का अध्ययन करने के बाद जल की कुछ मात्रा छोड़ने का निर्णय दिया है। वह भी न्यायाधिकरण के आदेशानुसार केवल ।। टी.एम.सी. जल छोड़ने को कहा गया है। इस सीमित दायरे के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में तत्काल प्रधान मंत्री को हस्तक्षेप करने हेतु निर्देश जारी किया था।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं के प्रधान मंत्री जी आप के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा) : यह ।। टी.एम.सी. जल के संबंध में न्यायाधिकरण का अस्थायी आदेश था।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : केवल ।। टी.एम.सी. जल के संबंध में आदेश था। यही तो मैं कह रहा हूं। मैंने इसके आगे कुछ भी नहीं कहा है।

श्री अनन्त कुमार : मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि एक मिनट के लिए वे हमारी बात सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। यह आपकी बात स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : उनका कहना है कि मैंने कर्नाटक राज्य के हितों को दांव पर रखकर, राज्य को यह निर्देश दिया है कि 5 टीएमसी जल को छोड़ दिया जाए और 'उनको जाने दें'। मैंने कई चुनौतियों का सामना किया है। आप उस ख्याल में मत रहिए। मैं कावेरी बेसिन का रहने वाला हूं...**(व्यवधान)** आप इन सब के बारे में चिन्ता मत करिए। मैं यह देखना चाहता हूं कि अनुकूल वर्षों में दोनों राज्यों को अधिक से अधिक जल प्राप्त हो और प्रतिकूल वर्षों में जो भी कठिनाइयां उत्पन्न हो, दोनों राज्य समान रूप से उन का सामना करें। मैं इसके आगे और कुछ कहना नहीं चाहता।

यहां तक कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस महीने उनको न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेशानुसार 40 टीएमसी जल छोड़ना पड़ेगा लेकिन जलाशय में पानी नहीं है। मैंने अपने साथियों से ही नहीं बल्कि मुझसे मिलने आये शिष्टमण्डल के सदस्यों से भी कहा कि बांध का दौरा करने में कोई मनाही नहीं है। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वह खुद व्यक्तिगत रूप से वहां जायें और देखें। इस मामले में राजनीति को बीच में लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोनों राज्यों के बीच जो भी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं इसका दोनों राज्य समान रूप से सामना कर सके इसलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 5 टी एम सी जल को छोड़ने का निर्णय लिया है क्योंकि जलाशय में जल नहीं है। चूंकि सभी प्रदेशिक दल मेरे साथ हैं, इसलिए इस मामले में राजनीति को लाने की आवश्यकता नहीं है...**(व्यवधान)** मैं समझ सकता हूं कि यह मामला क्यों उठाया गया था। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। मैं एक बात का आश्वासन दूंगा। किसी के प्रति कोई अन्याय होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि यह मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके।

[अनुवाद]

अपराह्न् 2.58 बजे

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा। श्री बलवंत सिंह रामूवालिया।

डा. जयंत रंगपी (स्वशासी-जिला असम) : **खड़े हुए —**

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। आप मुझे बताइए।

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): मैं समझता हूं कि उन्हें विधेयक पुरःस्थापित किए जाने के संबंध में कोई आपत्ति है।

लेकिन मैंने विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति अभी नहीं ली है। मुझे विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति लेने दीजिए उसके बाद वह अपनी आपत्ति उठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह विधेयक पुरः स्थापित करने का विरोध कर रहे है। अतः आप पहले इसे पुरः स्थापित करने की अनुमति लीजिए।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं असम राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच-राजबोंगशी को शामिल करने के लिए प्रावधान करने हेतु विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि असम राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच-राजबोंगशी को शामिल करने के लिए प्रावधान करने हेतु विधेयक पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।"

अपराह्न 3 बजे

डा. जयंत रंगपी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सरकार से तथा समूचे सदन से अपील करता हूं कि वह असमको उस सन्निकट संकट अथवा बल्कि एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति से बचाएं जो इसे विशेष विधेयक के पुरःस्थापित होने, विचार करने और पारित होने से उत्पन्न हो सकती हैं।

मुझे यकीन है कि प्रमुख विरोधी दलों अथवा अन्य बड़े दलों ने इस विधेयक का विस्तार पूर्वक अध्ययन नहीं किया है अथवा जहां तक असम और पूर्वोत्तर राज्यों का संबंध है, वे इस विधेयक में अन्तर्निहित आशय से अवगत हैं। अतः मैं समझता हूं कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि जहां तक असम का संबंध है, मैं इस सभा को इस विशेष विधेयक के निहितार्थ आशयों से अवगत कराऊं।

अध्यक्ष महोदय : डा. रंगपी, इस अवस्था में हम विधेयक के गुणावगुणों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। हम इस अवस्था में अभी विधेयक की अच्छाइयों अथवा बुराइयों को लेकर चर्चा करने की स्थिति में नहीं हैं। आपको केवल यह बताना है कि क्या यह संसद इसे विधि का रूप देने में सक्षम है अथवा नहीं। आपको केवल यह सीमित प्रश्न पूछना है। आप जो भी बात इस समय कह रहे हैं अथवा कहना चाहते हैं; उन सब पर ध्यान विधेयक पर चर्चा के दौरान दिया जाएगा। इस समय तो केवल यह सीमित प्रश्न है कि क्या संसद इस विधान को पारित करने में सक्षम है अथवा नहीं?

डा. जयंत रंगपी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया से अवगत हूं लेकिन यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह से विधेयक को प्रस्तुत किया गया है, उसमें एक प्रक्रियात्मक समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप उसे वाद विवाद के समय बता सकते हैं। आप सरकार से इस बारे में संशोधन करने को कह सकते हैं; आप उसमें संशोधन ला सकते हैं और आप सरकार से उसे वापस लेने को कह सकते हैं। इस अवस्था में तो केवल यह प्रश्न है कि क्या संसद सक्षम है कि...

(व्यवधान)

डा. जयंत रंगपी : महोदय, केवल एक पहलू है। आप उस पर बाद में वाद विवाद करवा सकते हैं लेकिन अन्य पहलुओं पर आप एक सदस्य को अपनी बात कहने का मौका दे सकते हैं। मैं बहस के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया यह है कि मौजूदा जनजातीय निकायों, जनजातियों के आम निकायों, जनजातिय प्राधिकरणों और अन्य संस्थाओं से परामर्श किया जाता है। यहां, इस विशेष मामले में, अनेक साधारण जनजातीय निकाय है तथा जनजातीय विकास प्राधिकरण हैं लेकिन उनसे कोई भी सलाह-मशविरा नहीं किया गया। दूसरे; भारत सरकार और असम राज्य सरकार के वे संस्थान जैसे जनजातिय अनुसंधान संस्थान भी उपेक्षित किए गए हैं जिन्हें यह पता लगाने का कार्य सौंपा गया है कि क्या कोई विशेष समुदाय सूची में शामिल किए जाने लायक है अथवा नहीं। अनुसूचित जनजाति आयोग की उपेक्षा की गई है। इन समस्त प्रक्रियाओं की ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप पुनः विधेयक के गुणावगुणों पर जा रहे हैं।

डा. जयंत रंगपी : मैं विधेयक के गुणवगुणों पर नहीं बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप विधेयक की विशेषताओं पर बोल रहे हैं। आप केवल उस संविधानिक प्रावधान के बारे में पूछिए कि क्या यह संसद इस विधेयक को पारित करने में सक्षम है अथवा नहीं।

डा. जयंत रंगपी : मैं जो कुछ कह रहा हूं वह यह है कि जिस तरह से इस विधेयक को यहां प्रस्तुत किया गया है, संसद के पास शक्ति है कि...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं मुझे खेद है कि आप समय नष्ट कर रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं देता। आपकी आपत्ति को आगे नहीं माना जा सकता। अब, श्री रामूवालिया।

(व्यवधान)

डा. जयंत रंगपी : महोदय, यह एक बहुत गंभीर मामला है। इससे...**(व्यवधान)** मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाय। मैं वाद विवाद की मांग नहीं कर रहा हूं। कोच-रनबोंगशी को पुनः त्रुटिपूर्ण ढंग से उद्धृत किया गया है। यह कोच-राजबोंगशी क्षत्रीय सम्मेलन है। असम में इस विशेष समुदाय की 90 लाख की आबादी है। यदि बिहार के यादव समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाता है तो बिहार के सन्दर्भ में इसका निहितार्थ क्या होगा? यदि कर्नाटक के वोक्कलिगा और लिंगयात समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाता है तो कर्नाटक मे उससे क्या उलझने पैदा होंगी?...**(व्यवधान)** जी हां, यह विशेष

समुदाय एक पिछड़ी जाति है। अब, उन्हें शामिल किया जाता है तो ...(व्यवधान)...

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है, सरकार यह विधेयक क्यों लाई है। हम उसे जानना चाहते है। अतः कम से कम उन्हें बोलने दीजिए।

डा. जयंत रंगपी : यदि विधेयक प्रस्तुत करके पारित कर दिया जाता है तो उस में बहुसंख्य लोग अनुसूचित जनजाति हो जाएंगे। असम को जनजातीय राज्य के रूप में घोषित करना होगा। साठ (60) प्रतिशत से ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हो जाएंगी तथा सात से भी अधिक स्वायत्तशासी परिषदों का गठन करना होगा जबकि वित्तीय विवरण में आपने कहा है कि यदि विधेयक पारित हो जाता है तो अधिक वित्तीय व्यवस्था नहीं उपलब्ध होगी तथा जो भी निधि कल्याण मंत्रालय को आंबटित की गयी है, वह काफी होगी। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। यदि कोच-राजगोंबाशी क्षत्रिय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है तो असम की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या सामान्य जनसंख्या के मुकाबले काफी अधिक हो जाएगी और यदि आप आरक्षण का आनुपालिक कोटा बढ़ाना चाहेंगे तो आपको यह आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक करना होगा जिसकी अनुमति उच्चतम न्याययला अथवा न्यायालय का मौजूदा आदेश नहीं देता है। आप पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते हैं। लेकिन यदि इस समुदाय को अनुसूचित जन जाति में शामिल कर लिया जाता है तो आपको साठ प्रतिशत आरक्षण करना होगा। असम में अनेक जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए अन्य कई मांगें भी है लेकिन आपने तथा सरकार ने इस सूची में शामिल करने के लिए समाज के सर्वाधिक विकसित समुदाय को चुना है। यह बात मैं केवल सभा की जानकारी के लिए बता रहा हूं। यह वह समुदाय है जिसने असम को तीन मुख्य मंत्री दिए हैं अर्थात् सर्वश्री विष्णुराम मेढी, सूरत चन्द्र सिन्हा और महेन्द्र मोहन चौधरी। और इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा रहा है। ये सभी तीनों मुख्य मंत्री कोच समुदाय के थे। मुझे राजबोंगसी को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। पर यहां कोच समुदाय को भी शामिल किया जा रहा है। बंगाल और त्रिपुरा में राजबोंगशी समुदाय को.अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा केवल मेघालय राज्य जहां के अध्यक्ष महोदय हैं, में कोच समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन वह कोच समुदाय डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के कोच समुदाय से भिन्न है। वह पूर्णतया एक भिन्न जनजाति है। केवल कुछ कोच लोग चोलपुरा जिले में मेघालय की सीमा पर हैं जिन्हें मेघालय में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। एक तरह से यह एक अनुसूचित नाम है। पहले इस क्षत्रीय सम्मेलन कहा जाता था और पिछली सरकार ने कहा था कि यदि आप इसे क्षत्रीय कहते हैं तो हम इसे अनुसूचित जनजाति की सूची में नहीं शामिल कर पाएंगे अतः आप इस क्षत्रिय की मांग को छोड़ दीजिए। अतः इससे प्रशासनिक अव्यवस्था उत्पन्न होगी क्योंकि कोई भी गैर-ब्राम्हण गैर-कौस्त असमी भाषी व्यक्ति स्वयं को कोच-राजगोंबशी होन का दवा कर सहता है और ऐसा कोई मानदण्ड नहीं है जिसके आधार पर आप कह सके कि नहीं, आप इस जाति के नहीं है। इस प्रकार पूरा असम ही अनुसूचित जनजातियों से भर जाएगा। इससे गंभीर परिस्थितियां एवं जटिलताएं उत्पन्न होंगी। उत्तर पूर्व से आवाज उठाने वाला मैं अकेला हूं और चूंकि मेरी आवाज अकेली है, मेरी आवाज बहुत मद्धिम और कमजोर है। इसीलिए मैं बड़े दलों की बड़ी पाटियों से अनुरोध करता हूं कि इसमें हड़बडी नहीं बरतनी चाहिए। संसद के समक्ष सच्चाई अवश्य आनी चाहिए। सभी लोगों को इसका समर्थन करना चाहए अन्यथा असम में स्थिति पहले से ही बहुत नाजुक है। इससे आपकों सात और स्वायत्तशासी परिषदें गठित करनी होंगी।

अध्यक्ष महोदय : डा. रंगपी, आपने अपनी बात कह दी है। हमारे पास समय बहुत कम है।

डा. जयंत रंगपी : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं क वह इस विधेयक को अभी टाल दे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह वहां पर जाएं, लोगों से तथा जनजातिय निकायों से बात करें, जनजातीय प्राधिकरणों एवं जन प्रतिनिधियों से वार्ता करें और उसके बाद ही एक विस्तृत विधेयक उस बारे में लेकर आएं। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि सम्पूर्ण सभा को अपना समर्थन देना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना बहुत देरी से मिली थी। अगली बार आप सूचना समय पर भेजना।

(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मुझे बोलने दीजिए ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, डा. रंगपी ने सदन को जा जानकारी दी है, उसके आधार पर और जिस ढंग से जब कहीं से मांग उठती है तो किसी भी जातीय समूह को शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल करने का क्या आधार है? संविधान में एस.सी. और एस.टी. के लिए हर जगह रिजर्वेशन का प्रोविजन है और उसमें जो आबादी है, उसी के अनुपात से रिजर्वेशन होता है। आये दिन नयी जातियां और समूहों को एस.सी./एस.टी. में शामिल कर दिया जाता है लेकिन जो रिजर्वेशन का क्वान्टम है वह वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए यह प्रवृति होती चली जा रही है कि उस खेमे में हम शामिल हो जायें। यह प्रवृत्ति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि एस.सी. और एस.टी. के लिए जो आरक्षित जगह हैं, वे रिक्त रह जाती हैं इसलिए बाकी जातियां उसमें जाना चाहती हैं और लाभ उठाना चाहती हैं।

यह प्रवृत्ति है जिसके आधार पर यह मांग उठती है और हद तक शुरू में जो गलती हुई है, उसके परिमार्जन के लिए मांग उठती है कि इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी डा. रंगपी ने कहा है,

जिस जातीय समूह को शैड्यूल्ड कास्ट्स में शामिल करने के लिए यह ऑर्डिनेंस हुआ और उसके बाद अब यह बिल लाया जा रहा है, मैं नही जानता कि ऑर्डिनेंस पुरानी सरकार ने जारी किया होगा। यह उसके बाद की सरकार है यह बिल ला रही है। इसके बारे में इन्होंने अपना माइंड एप्लाई किया है या नहीं? आखिर जो कुछ भी डा. रंगपी ने कहा है, जब यह बात सही है तो फिर यह एक भयानक स्थिति उत्पन्न करेगा।...**(व्यवधान)** इससे कांस्टीट्यूशनल पॉइंट भी संबंधित है, क्योंकि संविधान के मुताबिक शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आबादी के मुताबिक आरक्षण दिया गया है। यह बात ओ. बी.सी. के लिए नहीं है। ओ.बी.सी. को कमोवेश 50 प्रतिशत वेटेज दिया गया है और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का सेंट परसेंट वेटेज है, इसलिए यहां कांस्टीट्यूशनल पॉइंट इन्वॉल्व्ड है। आप किसी जाति को समूह में शामिल कर देंगे, उनकी आबादी बढ़ जाएगी, लेकिन उनका आरक्षण का प्रतिशत तो नहीं बढ़ रहा है। एस.सी. और एस.टी. के आरक्षण का प्रतिशत सीमित है, इसलिए यहां पर संविधान भी सामने आता है। इसलिए अगर किसी जातीय समूह को आप शामिल कर रहे हैं तो उसके बारे में व्यापक दृष्टि से मापदंड होना चाहिए। इस तरह से किसी प्रमुख जाति को यूं ही बिना सोचे समझे आप शामिल कर देंगे तो एक भयानक स्थिति आयेगी। श्री प्रियरंजन दास मुंशी जी भी कह रहे हैं कि बंगाल में भी वे जातियां हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस समय केवल उचित सूचना देकर ही कोई मुद्दा उठाया जा सकता है। आप ऐसे नहीं उठा सकते। हर कोई इस मामले को नहीं उठा सकता है।

श्री नीतीश कुमार : मैं बात को समाप्त कर रहा हूं।

इस प्रकार से प्रवृत्ति पैदा होगी तो कोई भी अधिकार में रहेगा। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नोटिस दिया हुआ है इसलिए वह कह रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता।

श्री नीतीश कुमार : इस प्रकार वह अपने को एस.सी. और एस. टी. में शामिल कर देगा तो एक विचित्र वातावरण उत्पन्न होगा, विचित्र स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि कृपया जो कुछ भी डा. रंगपी ने कहा, उसके और इसके पीछे जो कुछ भी सरकार का मंतव्य है, है दोनों को अपने स्तर पर पहले देख लें। इस पर सभी दल के लोगों को बुला लें तब जाकर इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की बात करें क्योंकि इससे कोई आसमान नहीं टूट जायेगा, इसलिए इसको रोका जाये।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले मैं भी यह कहना चाहूंगा कि हम भी सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं पहले से यह कहा जाता रहा है कि सारे देश में कई राज्यों के अंदर वहां की राज्य सरकारों ने केन्द्र को लिखा है। कई जातीय समूह या जातियों ने भी लिखा है कि हमको अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाये। केवल एक जाति के लिए एक-एक करके बिल लाया जा रहा है। जब देश के कई राज्यों के अंदर एस.सी. और एस.टी. की संख्या में वृद्धि करने के लिए या नये जातीय समूह को जोड़ने के लिए कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी ने जो आश्वासन दिया था कि इस संबंध में शैड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन या शैडयूल्ड ट्राइब्स कमीशन वगैरह सारे देश में जाकर जो-जो जातियां हैं, उनकी लिस्ट बनाकर एक समग्र बिल लाया जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि समग्र बिल लाया जाए ताकि बार-बार एक-एक जाति के लिए अलग-अलग इस प्रकार की समस्या न खड़ी हो और जैसा कि हमारे मित्र ने कहा, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए कि किन आवश्यकताओं के कारण यह बिल लाना इतना आवश्यक हो गया। इसलिए आज इस बिल को प्रस्तुत नहीं किया जाए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक को पुरःस्थापित किया जाना है। एक माननीय सदस्य ने इसके पुरः स्थापन के बारे में आपत्ति की सूचना दी और इसलिए मैं उसकी इजाजत दे रहा हूं। यह ऐसी चर्चा नहीं है जहां पर मैं हर किसी को इजाजत हूं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? श्री रावत ने एक सूचना दी है और इसलिए मैंने उन्हें अपनी बात कहने की इजाजत दी। मैं यहां पर हर किसी को बोलने की इजाजत नहीं दे सकता।

अब श्री रामूवालिया जी आप बोलिए।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : महोदय, मैंने कोच राजबंगशी लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने संबंधी सभा के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को बहुत ध्यान से सुना है। आने वाले दिनों में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन आपने मुझे संक्षेप में यह बताने का निदेश दिया है कि सरकार इस विधेयक को क्यों ला रही है। अतः मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अन बाधाओं को जानता हूं जिनका हमें आज सामना करना है क्योंकि अन्य मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं...**(व्यवधान)** 27 जनवरी 1996 को अध्यादेश जारी किया गया था। चूंकि समय बीत चुका था इसलिए अध्यादेश को दोबारा जारी किया गया।

श्री नीतीश कुमार : क्यों?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह तो बताइए कि इसमें अरजेंसी क्या है? मांग तो बहुत सी जातियों के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आप सुन लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : कृपया मेरी बात सुनिए... **(व्यवधान)**। मुझे पूरी बात कहने दो। मैं आवश्यकता की बात कर रहा हूं। यदि मेरी सरकार वर्तमान अध्यादेश को समाप्त होने देती है तो 3 जुलाई के बाद कोच-राजबंगशी लोग न तो अनुसूचित जाति की सूची में होते और न ही अनुसूचित जनजाति की सूची में वे कहीं के न रहते। अतः मैं विधेयक को पुरः स्थापित करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

आपने पहले ही सरकार को निर्देश दे दिए हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरी सरकार चर्चा के दौरान सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं पर विचार करेगी। सरकार को केवल चिंता ही नहीं बल्कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए भी वचनबद्ध है। अतः मुझे विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। श्री नीतिश कुमार आप इस सभा की काफी समय से अध्यक्षता कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : नहीं इसमें एक पाइंट है। किसी जाति के जुड़ने से आबादी तो बढ़ जाएगी, लेकिन उस हिसाब से रिजर्वेशन नहीं बढ़ रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 72 बहुत स्पष्ट है। इस समय इसका इस आधार पर विरोध किया जा सकता है कि विधेयक में सभा की विधायी दक्षता के बाहर के विधान का प्रावधान है। मामले पर इस सभा की विधायी दक्षता के आधार का विरोध नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को इजाजत है। इसे सभा की अनुमति से पुरःस्थापित किया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि असम राज्य के लिए विशेषरूप से निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच राजबंगशी को शामिल करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर चर्चा के समय संशोधन लाए जा सकते हैं।

अपराह्न 3.19 बजे

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के बारे में वक्तव्य

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : महोदय, मुझे संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) तीसरा अध्यादेश 1996 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

अपराह्न 3.20 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे दो मिनट की अनुमति चाहिए। इस पद पर आपको आसीन देखकर और आपको उपाध्यक्ष शब्द से सम्बोधित करके मुझे जो व्यक्तिगत खुशी का एहसास हो रहा है, उसकी शिरकत मैं सदन के साथ करना चाहती हूं। कहते हैं शिरकत करने से दुःख बंट जाता है और खुशी दुगुनी हो जाती है। यदि आप अनुमति दें तो अपनी खुशी को दुगुना कर लूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों की चर्चा इस सदन में हुई आपके अनेक गुणों का बखान इस सदन में किया गया। मैं उन सब पर प्रामाणिकता से सहमति की मोहर लगा सकती है, क्योंकि मैंने और आपने इक्ट्ठे राजनीति की है। एक विधान सभा के हम दोनों सदस्य रहे और एक मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। लेकिन एक बात जो मैं अपने सांसद सहयोगियों के साथ शिरकत करते हुए कहना चाहती हूं वह यह है कि मैं और आप एक ही शहर से आते हैं। एक प्रदेश, एक जिला और एक नगर और जिस शहर को कुछ वर्षों पहले तक राजनैतिकरूप से लावारिस माना जाता था, आज उस शहर की एक विशिष्ट पहचान देश के राजनैतिक नक्शे पर बनी है, जब उस शहर का प्रतिनिधि भारतीय संसद के उपाध्यक्ष पद पर आसीन हुआ है। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने सर्वसम्मति से चयन करके हमारे शहर को गौरव बख्शा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : शहर का नाम भी बताइए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हरियाणा प्रदेश के अम्बाला जिले का अम्बाला छावनी नगर, जिसकी मैं बेटी हूं और सूरजभान जी बेटे हैं।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.21 बजे

जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम जम्मू और कश्मीर राज्य में 18 जुलाई 1996 से राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने और बढ़ाए जाने संबंधी सांविधिक संकल्प पर विचार करेंगे।

अब श्री चमन लाल गुप्ता बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्ता (उधमपुर) : उपाध्यक्ष जी, आपको इस जगह पर बैठने के लिए मैं बधाई देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर में और छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव सदन में आया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। आर्टिकल 356 के तहत जब हाउस में रिजालुशन पूट हो जाता है और असेम्बली का चुनाव वहां ड्यू हो तो उसमें सरकार को चाहिए की इलेक्शन कमीशन की कंसेंट हासिल करे। वह कंसेंट हासिल करके इस रिजोलुशन को हाउस में पुट करे। मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं कि जब रिजोलुशन हाउस में आ गया, उसमें किसी भी जगह यह तसकरा नहीं है कि सरकार ने इलेक्शन कमीशन की कंसेंट हासिल की है, यह रिजोलुशन बगैर इलेक्शन कमीशन की कंसेंट के हाउस में पेश हो चुका है, तो क्या आर्टिकल 356 में सेक्शन 5 पैरा 2 बी के तहत यह हो सकता है?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। वह संकल्प प्रस्तुत करने पर आपत्ति कर रहे हैं। संकल्प पहले ही प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है और सभा ने अनुमति दे दी है तथा इस समय, जबकि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं नहीं जानता कि उन्हें यह कहा से मिला है, वे इससे क्या चाहते हैं तथा किस नियम के अंतर्गत उनका व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है जबकि हम संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं तब इसके लिए कोई नियम का उपबंध नहीं है...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, जहां तक ग्राह्यता का प्रश्न है इसका कोई औचित्य नहीं है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : इस सदन में दो दिन से इस पर चर्चा चल रही है और यह कंटीन्यूड डिसकशन है। इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां से आयेगा। जब इंट्रोडक्ट्री स्टेज थी, तब रेज करते।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : आज बहस को तीसरा दिन है। इस समय जबकि इस रिजालुशन को पास होना है, इसका कोई औचित्य नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसका कोई औचित्य नहीं है। श्री गुप्ता आप उपनी बात जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मैं इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सपोर्ट इसलिए करना चाहता हूं कि आज भी जो जम्मू-कश्मीर की स्थिति है, वह इस योग्य नहीं है कि वहां से राष्ट्रपति शासन को हटाया जाये। अभी कुछ दिन पहले ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब श्रीनगर गये थे। कहा यह गया था कि वह वहां बड़ी सख्त बाढ़ आई है, उसको देखने के लिए गये थे। बहुत अच्छा किया। आठ सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब कश्मीर गये हैं। यह बहुत अच्छी बात है। इसके लिए वह सही मायनों में मुबारकबाद के हकदार हैं। लेकिन यह देखिये कि वह वहां बाढ़ देखने के लिए जाते हैं और वहां पर 7 करोड़ रुपया भी रिलीज करके आये हैं। लेकिन उनके वहां आने पर सारी की सारी वैली बन्द थी। वहां पर कम्पलीट हड़ताल थी। लेकिन सरकार ने यह जतलाने की कोशिशा की कि हड़ताल इसलिए हो रही है कि पैट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं लेकिन हकीकत यह थी कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट को अपोज किया और यह कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो यहां पर आ रहे हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कश्मीर के अन्दर आज भी मिलिटेंट्स की रिट चल रही है। मैं गवर्नमेंट से यह कहना चाहता हूं कि वहां पर इस समय राष्ट्रपति शासन है। आज भी वहां पर गवर्नमेंट होती तो जिस तरह से डोडा जिले के अन्दर हत्याएं हो रही हैं, मैं स्वयं कलवाड़ी गया था, वहां जो कुछ मैंने देखा कि एक परिवार के ही सात लोगों को एक कमरे में चाकू से हलाल कर दिया गया था। एक बूढ़ा दादा और दादी, उनका लड़का और लड़की और उनका भी एक लड़का और एक बड़ी बच्ची। दो छोटी बच्चियां जिनमें एक की उम्र दो साल की है और दूसरी की साढ़े तीन साल की है। उस लहू के तालाब में पड़ी हुई हैं। यह घटना रात को सात बजे होती है। उग्रवादी कलवाड़ी के उस गांव में आते हैं और दूसरे दिन शाम चार बजे वहां पर पुलिस पहुंचती है।

सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग वहां पहुंचते हैं और ये दोनों छोटी बच्चियां लगातार पन्द्रह घंटे तक अपने मां-बाप की लाशों के साथ चिपकी रहती हैं। भगवान उनको कैसे बचायेगा और आगे वे जीवन में क्या कर पायेंगी। लेकिन यह एक हकीकत है जो आज भी डोडा के अंन्दर हुई है। दिनांक 24 को दो बच्चे जिनमें एक 18 वर्ष का लड़का है और दूरा 19 वर्ष का लड़का है, वहां से अगवा कर लिये जाते हैं और उसके बाद उन दोनों बच्चों की लाशें वहां पर मिलती हैं। वरशाला के अन्दर 15 लोग मारे गये थे। घटनास्थल से डेढ़ कि.मी. की दूरी पर बी.एस. एफ. है या सी.आर.पी. की चौकियां है। लेकिन 12 घंटे तक वहां पर कोई पुलिस नहीं पहुंचती। जब पूछा जाता है कि किसकी जिम्मेदारी है तो सी.आर.पी वाले कहते हैं कि बी.एस.एफ. की जिममेदारी है। बी.एस.एफ. वाले कहते कि आर.आर. की जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर साहब यहां पर नहीं हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेढ़ साल से एक फाइल सिर्फ इसीलिए उनके ऑफिस में पड़ी हुई है नरसिंह रांव जी के पास कि यह फैसला किया जाये कि वहां पर राष्ट्रीय राइफल्स सुपीरियर है या बी.एस.एफ.सुपीरियर हैं आज तक सरकार डेढ़ साल से इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर पाई है। हम क्या समझें कि वहां पर सरकार चल रही है। अनंतनाग के डी.सी. के घर से बम बनाने वाले बच्चे पकड़े गये। डी.सी. को उसके अन्दर फंसा पाया गया। बाकायदा यह ऐलान हुआ कि डी.सी. उसके अन्दर इम्पलीकेटेड हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। चार महीने तक वही डी.सी. उसी जगह डी.सी. के नाते काम करता रहा और चार महीने के तहत उसको एक जगह से ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दिया गया। अब बताइये कि जब डी.सी. के घर से बम बनाते हुए लोग पकड़े जाये और डी.सी. के ऊपर कोई उंगली भी न उठा सके, क्या उसे हम सरकार कहेंगे? गवर्नर ने 90 लोग जो पुलिस के थे, उनको डिसमिस कर दिया। कुछ सरकारी कर्मचारी थे। कुछ कर्मचारी और पुलिस के लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान गये थे और पाकिस्तान से आते हुए पकड़े गये। जेल में थे। लेकिन दो-दो वर्ष तक उनकी तनख्वाह निकलती रही। दो साल तक व्यक्ति जेल में हैं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आये हैं, सरकारी नौकर हैं और तनख्वाह वे लेते रहे। अब इस पर गवर्नर ने सात लोगों को डिसमिस किया। उनके डिसमिस करने के कुछ दिनों के बाद वहां स्ट्राइक हो जाती है और वह कमेटी आज तक उन लोगों के केसेज को रिव्यू कर रही है जिनकों उन्होंने डिसमिस किया हुआ है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन बज चुके हैं, इसलिए प्राइवेट मैम्बर बिजनेस लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : चमन लाल गुप्तजी, साढ़े तीन बज चुके हैं, इसलिए प्राइवेट बिजनेस लिया जायेगा। आप अपना भाषण बाद में जारी रखिएगा।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, हम छः बजे के बाद जम्मू और कश्मीर सम्बन्धी सांविधिक विधेयक पर चर्चा जारी रख सकते हैं। हम सदन के समय को बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमें इसे आज ही पारित करना है। ताकि यह कल राज्य-सभा में चला जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो सदन पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : गैर सरकारी सदस्यों का कार्य निपटाने के पश्चात्, यदि हम सब सहमत हों तो कुछ देर बैठ कर इस विधेयक को पारित कर सकते हैं, ताकि इसे दूसरी सभा को भेजा जा सके, चूंकि इसे 17 जुलाई 1996 से पूर्व पारित करना परमावश्यक है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : महोदय, साढ़े तीन बज चुके हैं। प्राइवेट मैम्बर बिजनेस लिया जाना चाहिए।

श्री चमन लाल गुप्त : मुझे तो आप जितनी देर में कहेंगे उतनी देर में मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : हमें कोई एतराज नहीं है। हम छः बजे के बाद भी इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सभा में ऐसे कई दृष्टांत हुए हैं जब किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को दृष्टिगत रखते हुए गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को 10 से 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। अतः आप उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मैम्बर बिजनेस साढ़े तीन बजे शुरू होता है और दो मिनट का समय पहले ही ऊपर हो चुका है। अभी आप प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस लीजिए। इसके बाद फिर छः बजे सोचेंगे कि क्या किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : गुप्तजी, आप छः बजे के बाद शुरू करेंगे।

[अनुवाद]

अब सभा श्री कठेरिया द्वारा प्रस्तुत किए गए बेरोजगारी संबंधी गैर सरकारी सदस्य के संकल्प पर विचार करेगी। इस संकल्प पर विचार करने से पूर्व हमें इसके लिए समय निर्धारित करना होगा। क्या इसके लिए दो घन्टे का समय पर्याप्त होगा।

कई माननीय सदस्य : जी हां, श्रीमान्।

[हिन्दी]

अपराह्न 3.33 बजे

बेरोजगारी के बारे में गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज आप देश की सबसे बड़ी संसद की कुर्सी पर आसीन हुए हैं, इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप इस पद के लिए सर्वसम्मति से चुने गए हैं और इस कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

"बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने तथा रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने हेतु यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह—

(एक) विद्यमान लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करें;

(दो) नए लघु उद्योग स्थापित करे और ऐसे उद्योगों को आवश्यक बुनियादी सुविधायें जैसे ऋण, बिजली, विपणन, आदि सुविधाएं प्रदान करें;

(तीन) लघु उद्योगों के लिए उत्पादन के कतिपय क्षेत्र आरक्षित करे; और

(चार) चए राष्ट्रीय कारीगर विकास बैंक की स्थापना करें।"

महोदय, आज देश के अन्दर बेकारी, लाचारी, गरीबी भुखमरी कोड़ की तरह से पनप रही है और ललकार रही है कि अगर लघु उद्योगों की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों से की गई होती, तो आज देश के अन्दर जो बेकारी, लाचारी और गरीबी बढ़ रही है, वह नहीं बढ़ रही होती। 47 वर्षों की आजादी के बाद भी लघु उद्योगों के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। सरकार द्वारा नीतियां तो बनती रही है, कानून बनते रहे हैं, लेकिन नीयत ठीक नहीं रही है।

इन लोगों की नीति ठीक नहीं रही। ये बड़े उद्योगों को तमाम तरीके के प्रोत्साहन देते रहे। लघु उद्योगों को जिस प्रकार से प्रोत्साहन देना चाहिए था उतना उनको नहीं दिया। इसी का कारण है कि आज बेरोजगारी और भुखमरी है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता, जैसे कि बिजली, पानी आदि को बुनियादी सुविधाएं मिली होती तो आज लघु उद्योग अपने पैरों पर खड़े होते।

महोदय, आज बड़े उद्योगों को सरकार पूरा संरक्षण देती है लेकिन आज भी दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद जो लघु उद्योग इस देश के अंदर कार्य कर रहे हैं उनके अंदर इंसपेक्टर राज लागू है इसलिए लघु उद्योग पनप नहीं पा रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो लघु उद्योग चलाना चाहते हैं उनका पहले लघु उद्योग विभाग के लोग दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। उसके बाद बिजली विभाग में, बैंको में दोहन होता है। आखिरकार वह इतना मजबूर हो जाता है। कि वह अपना उद्योग चला नहीं पाता है।

महोदय, मैं 10वीं लोकसभा में पार्लियामेंट का मेम्बर था तो उस समय सरकार के वित्त मंत्री जी ने घोषण की थी जो देश के लघु उद्योग हैं उनके लिए उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर इस इंसपेक्टर प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा, जो आज तक खत्म नहीं हुई। किसी शायर ने सही कहा है—

"वह वायदा ही क्या जिस पर अमल हो जाए"। महोदय, आज भी इंसपेक्टर राज लागू है। आज भी बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा और इसीलिए छोटे उद्योग नहीं पनप पा रहे हैं।

महोदय, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में 19 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, अगर इनके लिए रोजगार की व्यवस्था ठीक की गई होती तो आज यह हालत न होती। आज जो ग्रामीण क्षेत्रों से इतनी बड़ी मात्रा में पलायन हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, जो इस देश के बड़े-बड़े महानगर हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में पलायन हो रहा है और इस कारण से प्रदूषण भी फैल रहा है। अगर ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में इन गरीब मजदूर किसानों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, उनके जीवनयापन के लिए व्यवस्था की जाएगी तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में उनका पलायन नहीं होगा, क्योंकि आज तक इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया इसलिए यह सब हो रहा है। यहां जो सरकारें सत्तासीन रहीं उन्होंने देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ही संरक्षण दिया, अगर उन्होंने लघु उद्योगों को संरक्षण दिया होता तो आज यह स्थिति न होती।

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लघु उद्योग किस बात में पीछे हैं। आज देश के उत्पादन में 45 परसैंट उत्पादन लघु उद्योग कर रहे हैं, 35 परसैंट निर्यात में इनकी भागीदारी है मैं समझता हूं कि लघु उद्योग किसी बात में भी पीछे नहीं हैं। अगर मुझ से पूछा जाए तो मैं सरकार की आलोचना करता हूं। भारत जैसे विकासशील देश को जापान से सीख लेनी चाहिए। एशिया का सबसे छोटा देश जापान है। वहां लघु उद्योग आज भी अपनी धाक जमाए बैठे हैं। वहां घर-घर में लघु उद्योग स्थापित हैं। छोटे-छोटे जो इलैक्ट्रोनिक उद्योग हैं, चाहे टेलीविजन के पुर्जे हों या टेप रिकार्डर हो। वहां के उद्योगपति छोटी-छोटी चीजों का उत्पादन कर रहे हैं। आज भी जापान लघु उद्योगों में दुनिया के अंदर अपनी धाक जमाए बैठा है लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में सरकार की गलत नीतियों के कारण लघु उद्योग रुग्ण हो गए हैं।

आखिर यह किसकी जिम्मेदारी है? उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग सत्तासीन रहे हैं उन्होंने छोटे उद्योगों को संरक्षण न देकर केवल बड़े उद्योगों को ही संरक्षण दिया है। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार इसी सदन में कहा था कि जब तक काले धन से चुनाव लड़े जाते रहेंगे तब तक हमारी जनतंत्रीय पद्धति सुदृढ़ नहीं हो सकती

क्योंकि देश में भ्रष्टाचार इसी से फैलता है। देश के बड़े-बड़े उद्योगपति काले धन से संसद सदस्यों को चुनाव लड़वाते हैं, मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को करोड़ों रुपये काला धन चुनाव लड़ने के लिए देते हैं। यही कारण है कि उद्योगपति मनमाने ढंग से अपने काम करवाते है। जब तक यह होता रहेगा भ्रष्टाचार मेन मुद्दा रेहेगा यही कारण है कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को सरंक्षण मिल रहा है लेकिन छोटे उद्योगों को संरक्षण नहीं मिल रहा है।

हमारे सी.पी.एम. के कम्युनिस्ट मित्र यहां नहीं बैठे हैं। आज कलकत्ता की हालत कैसी है? ये लोग अपने को दलितों और अल्पसंख्यकों का हिमायती कहते हैं। आज कलकत्ता में पर्यटक आते हैं वहां यह सब होता है और हमारे कम्युनिष्ट मित्र उन्ही दलितों और अल्पसंख्यकों के हिमायती बनते हैं। अगर हमारे कम्युनिष्ट साथियों ने वहां ठीक से काम किया होता तो यह स्थिति आज वहां न होती।

उपाध्यक्ष जी, मैं फिरोजाबाद से आता हूं। वहां पर 400 के करीब ऐस लघु-उद्योग हैं जो भारत में ही नहीं अपितु विदेशों को भी अपना माल भेजते हैं और भारी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। 1995 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां 300 युनिटें बंद कर दी थीं। हमने उसको भी माना। यहां पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी व रावत जी के विरोध स्वरूप सरकार ने उन युनिटों को गैस देना स्वीकार किया था। आज भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो 400 युनिटें चूड़ी और ग्लासिज का काम कर रही हैं वे आज रुग्ण होती जा रही हैं। वहां पर श्रमिकों के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है। ऐसे हालात में वे वहां काम करते हैं।

जो दैनिक मजदूर वहां काम करते हैं उनका प्रौविडेंट-फंड उनके कार्यालय में जमा हो जाता है लेकिन नहीं मिलता है। मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस पॉइंट को भी नोट किया जाए।

सरकार ने 1996 तक प्राकृतिक गैस देने का वायदा किया था। आज फिरोजाबाद में हमारे साथ इसमें भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अन्य जिलों में जो गैस दी जा रही है उसका मूल्य है 3500 रुपये प्रति हजार घन मीटर और हमारे लिए 5100 रुपये पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह दोगली नीति क्यों अपनाई जा रही है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा क्षेत्र फिरोजाबाद सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, उसके साथ इतना भेदभाव क्यों है? मेरा यह पॉइंट भी नोट किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की बात पर मैं फिर जा रहा हूं। आज भी 19 फीसदी लोग ऐसे हैं, सब्जी मंडी में जो सब्जी फैंक दी जाती है उसको घर लाकर अपने बच्चों का जीवन-यापन करते हैं।

मैं दुख और विडम्बना से यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण ही यह व्यवस्था उत्पन्न हुई है। आज वही लोग सामजिक समानता की बात करते हैं। आज भी देश में 20 परसैंट लोग ऐसे हैं जो बिना खाना खाये खुली छत के नीचे सोते हैं। उनके पास अपना सिर छुपाने के लिये झोंपड़ी नहीं है। देश में 30 परसैंट ऐसे लोग हैं जिन के बाथरूम पर ही 20-20 करोड़ रुपया लगा हुआ है। उन्होंने भी जन्म लिया है। हम उनकी आजादी का बात क्या कहें। यह कैसी आजादी है? वे इस आजादी को ओढ़े या बिछायें। आज भी उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। यह एक निन्दनीय कार्य है। जब तक लघु ओर कुटीर उद्योग नहीं पनपेंगे तब तक बेरोजगारी, लाचारी और भुखमरी दूर नहीं होगी। इसलिए ग्रामीण उद्योगों को जरूरी सुविधायें दी जाएं और वह देना अति आवश्यक भी है।

हमारे देश में पांच करोड़ लोग बेरोजगार हैं कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन के नाम एम्पलायमैंन्ट एक्सचेंज में दर्ज हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन के नाम एम्पलायमैंट एक्सचेंज में दर्ज नहीं हैं। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि देश में कितनी बेकारी फैली हुई है।

मैं यह मांग करना चाहता हूं कि लघु उद्योगों को दी जाने वाली प्राकृतिक गैस 5100 रुपए प्रति हजार घन मीटर से घटा कर 3600 रुपए प्रति हजार घन मीटर की जाए। लघु उद्योगों की पूंजी लागत जो कि न्यूनतम 75 लाख रुपये है, उसको बढ़ाकर तीन करोड़ किया जाए। लघु उद्योगों में जो दैनिक वेतनभोगी श्रमिक हैं, उनको प्राविडैंट फंड डायरेक्ट दिया जाए। प्राविडैंट फंड दिया जाए। प्राविडैंट फंड दफ्तर में जमा होने पर उन्हें मिल नहीं पाता हैं।

मेरा चौथ पाइंट है कि 1981 में लघु उद्योगों को अपना उत्पादन करने के लिए 65 इंसपैक्टरों को संतुष्ट करना पड़ता था। मैं यह पाइंट कह चुका हूं, इसलिए दोहराना नहीं चाहता हूं।

मेरा पांचवा पाइंट है कि आज लघु उद्योगों के सामने जो एक बड़ी चुनौती है, उससे उन्हें बाहर निकालना चाहिए। आज उन्हें बड़े कम्पीटिशन से गुजरना पड़ता है। यह एक बड़ी विडम्बना है। इसलिये कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाए। जिस चीज का छोटे-छोटे लघु और कुटीर उद्योग उत्पादन करें, उनका बड़े उद्योग उत्पादन न कर सकें। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भारत जैसे विकासशील देश में मल्टीनैशनल कम्पनियां आलू के चिप्स और भुजिआ बना रही हैं। इनको लघु उद्योग भी बना सकते हैं। आपने यह मल्टीनेशनल को दे दिया। उदारीकरण की नीति के चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी आंधी में हमारे तीन लाख लघु उद्योग जो कि रुग्ण बन गए हैं, वे मिट न जाएं इसलिये कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाए। इसके लिये संसद में सशक्त कानून बनाया जाए। अगर सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी तो वह चाहे कितने ही कानून बना ले, मल्टी नैशनल को ये चीजें बनाने से रोक नहीं पाएगी। यह वही बात हो रही है कि बड़ा मगरमच्छ छोटी मछली को निगल रहा है। बहुत सी मल्टीनेशनल कम्पनियां हिन्दुस्तान की तरफ आ रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका राइट आफ रिप्लाई भी होगा। आप उसके बाद भी आपनी बात कह पाएंगे।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। मल्टीनेशनल कम्पनियां भारत में प्रवेश कर रही हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं लेकन उनको आलू के चिप्स और भुजिआ बनाने और बेचने से रोका जाए। उदारीकरण के लिये सरकार उपबंध बना चुकी हैं। मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर सवाल है।

मेरा लास्ट पाइंट है कि हमारे देश में बड़े कुशल कारीगर हैं। वे विदेशों में भी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ऐसे माल अपने हाथों से उत्पादन करके तैयार किये हैं जैसे- हथकरघा, कालीन और तांबे के बर्तन। इनके लिये कारीगरों की विदेशों में ख्याति हुई है। मेरी प्रार्थना है कि उन कारीगरों के लिये राष्ट्रीय कारीगर विकास बैंक खोले जायें जिससे उनके लिये आर्थिक सहायता की व्यवस्था हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा क्योंकि जैसा आपने कहा, इसके जवाब देने के लिये और समय मिलेगा और अभी कम है। इसलिये सरकार कानून बनाने के बाद उसे गंभीरता से लागू करेगी तो मैं समझता हूं कि लघु उद्योग क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा होगी, उससे काफी क्षेत्रों में बेरोजगारी और भुखमरी दूर हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी के बारे में मेरे मित्र श्री प्रभु दयाल कठेरिया द्वारा एक संकल्प लाया गया है जो लघु उद्योग के विकास से विशेषतया संबद्ध है। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है।

इस समय बेरोजगार युवा पीढ़ी पूरे राष्ट्र में अपने भविष्य के प्रति चिन्तित होकर सरकार की ओर देख रही है। इस संदर्भ में जब मैंने इस संकल्प को देखा, तो मैं इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए लालायित हो गया। ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहता हूं परन्तु मुझे लगता है कि इस समय दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हमें अपना रचनात्मक योगदान इस प्रकार देना चाहिए जो इस देश के बेरोजगार युवकों के भाग्य का निर्णय करने में देश की सहायता कर सके ताकि भविष्य के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प में जिस ढंग से मेरे साथी और मित्र श्री कठेरिया ने तथ्यों को प्रस्तुत किया है, उससे समस्या से निपटने क लिए काफी कुछ सुझाव दिए गए हैं।

पूरे देश में, जैसा कि आप जानते ही है, पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या पांच करोड़ से कुछ ऊपर है। मेरे चुनाव-क्षेत्र पश्चिम बंगाल में ही बेरोजगार युवाओं की संख्या 65 लाख है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि अगले दो वर्षों के भीतर, यह संख्या एक करोड़ तक पहुंच जाए।

मुझे वर्ष 1967 और 1970 के बीच के वर्षों में वो दिन याद आते हैं, जब मैं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था। प्रतिदिन प्रसिद्ध नक्खलवादी आन्दोलन के दौरान सड़कों पर रक्तपात के दृश्य दृष्टिगोचर होते थे। प्रख्यात लेखक उन दिनों समाचार-पत्रों के कालमों में लिखते थे कि यह सब युवाओं में बेरोजगार के कारण पाई जाने वाली कुन्ठा के परिणाम स्वरूप है और इसीलिए यह उसका मुख्य कारण था। वह आन्दोलन अब समाप्त हो चुका है। बहुत से लोगों की जानें गई। उन दिनों पश्चिम बंगाल में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या 7.5 लाख थी। आज यह सख्या 65 लाख है। फिर भी हम इस समस्या पर गहन दुख के साथ विचार करते हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र को आजकल औद्योगिक दृष्टि से लघु उद्योग को संकुचित नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। यह वही क्षेत्र है जो सम्पूर्ण राष्ट्र की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। सुबह उठने पर टूथ-पेस्ट इस्तेमाल करने से लेकर रात को बिस्तर में जाने तक जितना सामान एक आम व्यक्ति प्रयोग करता है उसमें 10 में से 8 वस्तुओं का लघु क्षेत्र में उत्पादन होता है। वह क्षेत्र विशेष अब गम्भीर संकट में है। यही कारण है कि अतिरिक्त रोजगार सृजन कार्यक्रम ठप्प होने की हालत में है। इस संकल्प पर प्रत्येक बात की व्याख्या करने का मेरे पास समय नहीं है। परन्तु मैं कुछ तथ्यों पर ही प्रकाश डालूंगा क्योंकि कुछ अन्य वक्ता भी इस संकल्प पर चर्चा में भाग लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में जब मैं महात्मा गांधी के विषय में पढ़ता था। तो मुझे मालूम हुआ कि वे महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि से कुछ ऐसी योजना बनाई जिससे बड़े से बड़े जन समुदाय को आत्म-निर्भर आर्थिक कार्यक्रम से जोड़ कर रोजगार कैसे प्राप्त किया जाए, और उसके साथ-साथ वे देश के प्रति रचनात्मक योगदान की भावना भी उनमें रहे। यह तब की योजना है जब देश में अंग्रेज-शासित विदेशी एकाधिकार प्रबन्धन की बड़े उद्योग थे, विशेषकार मानचेस्टर द्वारा बनाया गया कपड़ा था। गांधी जी ने चरखे की धारणा को जन्म दिया और उसी से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात शुरूआत हुई खादी और ग्रामोद्योग की। इस उद्योग में लाखों लोग जुड़े हैं। आज तक चरखा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और आदर्शों का प्रतीक-चिन्ह बना हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा गांधी ने अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा।

आज खादी और ग्रामोद्योग बुरी हालत का शिकार है। मैं इसे सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र है जहां लघु उद्योग कार्यक्रम शिल्पियों के लिए आधार बना रहा है। इसमें आधे से अधिक शिल्पी हैं। बेरोजगार युवाओं की सहायता के नाम पर सबको प्रमाण-पत्र वितरित किए जा रहे हैं। मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूं कि यदि सीबीआई ग्रामोद्योग आयोग का कार्य देखने और खादी और ग्रामोद्योग के लाइसेस लेनेवालों की जांच करने के लिए सम्बद्ध भागों में जाए, और यह देखें कि वे लोग निम्नतर स्तर पर कैसे प्रबन्ध कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि इससे केवल युवाओं को लाभ नहीं हो रहा है अपितु कुछ व्यक्ति अपराधियों के साथ मिलकर बेनामी प्रबन्ध के नाम पर खादी पर राज सहायता को लूट रहे है और राष्ट्र के भविष्य

से खेल रहे हैं और ग्रामीण युवाओं को वंचित कर रहे हैं। एक तथ्य तो यह है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यदि सरकार ईमानदारी से कार्य करे तो इसे तत्काल ठीक कर सकती है। यही एकमात्र क्षेत्र है जहां सरकारी धन युवाओं और शिल्पियों को बिना कोई लाभ पहुंचाये व्यर्थ जा रहा है।

दूसरा मुद्दा बैंक है। अधिकतर बैंकों में प्रस्ताव, बाजार-दृष्टिकोण और उस वस्तु का अध्ययन किया जाता है, जो बाजार में पहुचती है। यह सब उन कुछ निहित स्वार्थी लोगों से मिलीभगत में हो रहा है जो ऋण देते हैं और भली भान्ति यह जानते हैं कि इनका दुरूपयोग होगा और अनेक इकाईयां तो मूर्तरूप ले ही नहीं पाती हैं।

अतः यदि सरकार मेरे प्रस्ताव पर विचार कर सकती हो, तो यह है। पिछले सप्ताह मैंने लघु उद्योग इकाई परिसंघ, कलकत्ता की बैठक को संबोधित किया था, चूंकि मेरे चुनाव क्षेत्र, हावड़ा में ऐसी लघु उद्योग इकाईयां सर्वाधिक हैं जो बन्द हैं, मैंने पूरी स्थिति का अध्ययन किया है। यह बहुत ही विशिष्ट और हास्यास्पद स्थिति है। कभी-कभी बैंक बड़े उद्योगों की मिली भगत से पहले ही बैठक कर लेते हैं कि उन छोटे उद्योगों की इकाईयों को अग्रिम राशि में विलम्ब किया जाए जिन्हें कच्चा माल समय पर चाहिए और जिन्हें खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए जाना है ताकि वे इकाईयां रुग्ण हो कर बन्द हो जाएं और जब वे रुग्ण हो जाती हैं तो उन्हें अपना प्रबन्धन स्वयं करना पड़ता है चाहे उसे बेचना पड़े या पट्टे पर देना पड़े या पूरी तरह बन्द ही करना पड़े। इस तरह के अनेक दृष्टांत हैं। मैं अनेक दृष्टांत दे सकता हूं किन्तु इस समय मेरे पास समय नहीं है। अतः सरकार और बैकों की थोड़ी सी सतर्कता के फलस्वरूप कोई विशेष निगरानी तंत्र तैयार किया जाए जो छोटे उद्योगों के कार्यकरण का प्रबंध करे।

अब मैं दो उदाहरण देता हूं। गैस्ट, कीन और विलियमज सबसे बड़ी ईकाइयों के रूप में जाने जाते हैं। लघु उद्योग की इकाइयों द्वारा एक ही स्थान पर लघु पैमाने पर वही उपकरण बनाए जाते हैं।

बैंक इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि जब तक कि गेस्ट कीन विलियम्स का सामान बाजार में नहीं आ जाता तब तक उन सहायक कम्पनियों, जो वही पुर्जा बनाती हैं, बैंक से समय पर अग्रिम राशि ने मिले। यह खास इंतजाम काफी वर्षों से चला आ रहा है। देश के प्रत्येक भाग में जहां कहीं भी बड़े पैमाने के तथा लघु पैमाने के उद्योग हैं और किसी को रोकने वाला नहीं है वहां विश्वभर में बहुत गलत प्रबंध है। मैं देखता हूं कि केवल एक बात है। जब बैंक के लोग सेवा निवृत होते हैं तो उन्हें उन्हीं एककों में परामर्शदाता अथवा किसी और पद पर वहीं रख लिया जाता है। यही कारण हैं कि लघु पैमाने के उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं और यह उद्यमियों की गलती के कारण नहीं है।

अन्त में मुझे यह अवश्य कहना चाहिए क्योंकि यह गैर सरकारी सदस्य का संकल्प है। मैं उस दल का सदस्य हूं जिसने उदार अर्थव्यवस्था की संकल्पना की विचारार्थ प्रस्तुत किया है। लेकिन मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। जिस तरह से उदारीकरण की स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे जानबूझ कर लघु पैमाने के उद्योगों की स्थापना को तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के पंडित जावहर लाल नेहरू के स्वप्न को आघात पहुंच रहा है।

मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। जिस दिन श्री मनमोहन सिंह ने यह घोषणा की कि "मैं इतनी-इतनी छूट दे रहा हूं, मैं इतनी इतनी रियायत दे रहा हूं अथवा सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में इतनी छूट दे रहा हू," तो उस समय एक संदेश जापान तथा कोरिया जाया करता था कि भारत का वातावरण बहुत अच्छा है। उसी दिन-एक लघु पैमाने का उद्यमी - जिसने अपनी पत्नी के जेवर बेचकर अपने लड़के को एम. बी.ए. तक पढ़ाया ताकि वह अपने लघु पैमाने के एकक का कार्यभार संभाल सके जो कि कल एक मध्यम पैमाने का एकक बन जाएगा, जिसमें कुछ और युवा रोजगार प्राप्त कर सकेंगे जिससे उनकी बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी और वह एक मशीन लगा सकेंगे जिसका उत्पाद छः महीने के बाद बाजार में आएगा — वह यह देखते हैं कि बाजार की लागत प्रणाली और आर्थिक उत्पादन का कोई अर्थ नहीं है।

अपराह्न 4 बजे

ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा रियायती दरों के लाभ का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया जाएगा। मंदी के समय में लघु पैमाने के उद्योगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा अथवा यहां तक कि बैंकों द्वारा भी कोई प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि ऋण चुकाने के लिए कानूनी मोहलत तथा शुल्क में किसी तरह की कोई रियायत भी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन एककों को बन्द कर दिया जाए। कई क्षेत्रों में ऐसा हुआ है। उदारीकरण की नीति द्वारा किसी एक एकक को ही नुकसान नही पहुंचा है बल्कि पिछले चार वर्षों के दौरान हजारों उभरते हुए लघु पैमाने के उद्योगों को अपने एकक बन्द कर देने पर मजबूर कर दिया जिससे हजारों हजार व्यक्ति बेरोजगार हो गए। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं कि कैसे नुकसान पहुंचा है। निश्चय ही, मेरे मित्र ने जापान, सिंगापुर तथा दक्षिण कोरिया के उदाहरण दिए हैं। मुझे इन देशों के प्रति कोई विरक्ति नहीं है। मैं वहां गया हूं, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। उन्होंने लघु उद्योगों तथा बड़े-बड़े उद्योग तथा अनेक चीजें विकसित की हैं। जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया तथा सिंगापुर का अपना अन्तरनिर्मित प्रबंध है। उन्होंने कभी जनसंख्या की समस्या अथवा युद्ध की समस्या का सामना नहीं किया। उन्हें नहीं मालूम कि रक्षा किसे कहते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के खुशामदियों के रूप में उनकी रक्षा की जाती है और अभी भी सुरक्षा के मामले में वे उसी देश पर ही निर्भर हैं। भारत की तुलना में अपने औद्योगिक क्षेत्र में अन्तरनिर्मित अर्थव्यवस्था के प्रबंध का उनका तरीका बिलकुल भिन्न है। इसलिए मैं उस मुद्दे पर बहस नहीं करूंगा।

मेरे साथी ने सुझाव दिया है कि ऋण सीमा को 75 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बढ़ा देना चाहिए। लेकिन लघु पैमाने के उद्योगों के संघ ने मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की

है कि यह सीमा पांच करोड़ रुपए की होनी चाहिए। पांच करोड़ रु. की राशि कुछ भी नहीं है। आधुनिक संयंत्र तथा मशीनरी की परिकल्पित गणना भी साढ़े तीन करोड़ की बैठती है। यदि मैं एक लघु पैमाने का उद्योग आरम्भ करना चाहता हूं तो वह 75 लाख रुपए रु. की सीमा में आरम्भ नहीं किया जा सकता है। यह सीमा कम से कम पांच करोड़ रुपए की होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 75 लाख रु. की इस इस सीमा के कारण कोई लघु उद्योग किसी महान कल्पना शक्ति के साथ आरम्भ नहीं किया जा सकता है। कलकत्ता के जाधवपुर विश्वविद्यालय के इंजीनियरों को ही लीजिए। उन्होंने कलकत्त दक्षिण एवेन्यू रोड पर एक रेस्टोरेन्ट स्थापित किया। वे इंजीनियर खाना परोसते हैं। जब मैंने इस बारे में पूछताछ की कि उन्होंने एक रेस्टोरेन्ट क्यों खोला है तो उन्होंने कहा, "हम इंजीनियर हैं। हम 75 लाख रु. से क्या कर सकते हैं? हम कौनसी मशीनरी लगा सकते हैं? हम कौन सी चीज बनाए? हम प्रशिक्षित इंजीनियरिंग स्नातक हैं। हम क्या करें। हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। कौन हमारी बात सुनेगा? यदि हम बैंक से बातचीत करते हैं, तो बैंक कहेगा कि यह सरकार की नीति है।"

अतः मैं महसूस करता हूं कि पांच करोड़ रु. की सीमा अनेक बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। जिनके पास एम.एस.सी., बी.एस.सी., बी.काम. तथा इंजीरियरिंग इत्यादि की डिग्री है, वे अपने आपको एक जुट कर सकेंगे और कृषि तथा लघु उद्योग जैसे क्षेत्रों में अनेक अन्य बातों की योजना बना सकेंगे।

महोदय, अन्त में मैं एक बात कहूंगा। मेरे साथी ने नए लघु पैमाने के उद्योग स्थापित करने और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का सुझाव दिया है। अब कोई राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्र पर निगरानी नहीं रखती है। वहां रोड हैं प्लाट हैं और भूमि है लेकिन उनका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है?

मैं अपने राज्य का हवाला देता हूं। आज तक डा.बी.सी. राय के बाद कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हुआ है। मेरे जिले में, राज्य औद्योगिक क्षेत्र का एक साइन बोर्ड है। वहां झुग्गियां बनी हुई हैं जहां शाम को नशीली दवाएं बेचने वाले गप्पे मारते हैं। बेरोजगार युवा देखते हैं कि वहां एक बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है। वहां कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। किसी उद्यमी को कोई नया अवसर प्रदान नहीं किया गया है। सम्बन्धित जिलों में डी.आई.सी. को कार्य केवल इतना रह गया है कि वे केवल राजनैतिक संरक्षण के बल पर दस्तावेज प्राप्त करें और कुछ नहीं। स्थिति इतनी घृणित है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। आज कल बेरोजगार युवा की पहचान यह नहीं है कि वह बेरोजगार है बल्कि उसकी पहली पहचान यह है कि वह किस दल से संबंध रखता है। जब तक कि उसे राजनीतिक दृष्टिकोण से पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं किया जाता है बैंक प्राधिकारी द्वारा उसके दस्तावेजों की जांच नहीं की जाती है। वे कब तक लड़ते रहेंगे? इससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है।

मैं वर्ष 1967-71 के दौरान के नक्सलवाद के दिनों के बारे में जानता हूं। मुझे इस बात की चिन्ता हो रही है कि जिस तरीके से यह उभर रहा है, तो वह दिन दूर नहीं जब हमें सब चुनौती देंगे।

हम सब को युवा व्यक्ति संसद के बाहर तब तक चुनौती देंगे जब तक कि सरकार इस मुद्दे को उच्चतम प्राथमिकता नहीं देती है। मैं संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में सुन रहा था। यह एक अच्छा कार्यक्रम था। लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को एक चीज के बारे में अनुरोध करूंगा वह है बेरोजगारी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे बेरोजगारी की समस्या को शीघ्र दूर कर दें। कम से कम प्राथमिकता पर आधारित एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए ताकि शिक्षित बेरोजगारों का ध्यान रखा जा सके, बैंकों तथा अन्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को दूर करने पर विचार किया जा सके और यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता तो इस स्थिति से निपटना कठिन हो जाएगा। यहां तक कि ऋण देने के लिए भी वे पूछते हैं कि "आप कितना प्रतिशत मुझे वापस देंगे? अन्यथा ऋण नहीं दिया जाएगा। मेरे पास ऐसे तीन मामले हैं जिनको सतर्कता विभाग को भेजा गया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने ऊपर तक फोन किये और उन्हें बचा लिया गया। मैंने ऐसा एक बैंक में किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या किया जाए? यहां तक कि युवाओं को ऋण मिल जाता है। यदि मुझे 75 लाख रु. का ऋण लेना है और यदि मुझे उसका 10 प्रतिशत तत्काल ऋण लेने के लिए देना पड़ता है, तो मैं व्यापार किससे करूंगा? मुझे कौन संरक्षण प्रदान करेगा? इस देश के बेरोजगार युवाओं के साथ यह एक अन्य समस्या है।

अतः, महोदय, मैं आपको तीन बातों का अनुरोध करता हूं और तत्पश्चात् अपना भाषण समाप्त करूंगा।

प्रथम, ऋण की सीमा को पांच करोड़ रु. तक बढ़ाया जाना चाहिए।

दूसरा, लघु पैमाने के कार्यकरण और विकास के क्षेत्रों में, भारत सरकार के उद्योग मंत्री द्वारा अनिवार्य निर्देश दिए जाने चाहिए कि सभी बड़े एककों की सहायक वस्तुओं की आपूर्ति लघु पैमाने के उद्योगों से की जानी चाहिए और उनको लघु पैमाने के क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, चाहे अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की नीति कुछ भी क्यों न हो।

तीसरा, यदि कोई एकक विदेश से इस उदार अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए भारत से आना चाहता है तो उन्हें आने देना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वह भारत सरकार के चुने हुए प्राथमिकता के क्षेत्रों में से होने चाहिएं जैसे जीवन-रक्षक दवाएं, पैट्रोलियम, विद्युत क्षेत्र इत्यादि। जिस क्षेत्र का प्रबंध हमारे भारतीय लघु पैमाने के उद्यमियों द्वारा किया जा सकता है, उनको विदेशी कम्पनियों को नहीं सौंपा जाना चाहिए जैसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में अपने पैर जमा लिए।

संक्षेप में मैं इस देश के बेरोजगार युवाओं की ओर से यही अपील करना चाहता हूं। मैं श्री प्रभुदयाल कठेरिया का आभारी हूं जिन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया।

से खेल रहे हैं और ग्रामीण युवाओं को वंचित कर रहे हैं। एक तथ्य तो यह है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यदि सरकार ईमानदारी से कार्य करे तो इसे तत्काल ठीक कर सकती है। यही एकमात्र क्षेत्र है जहां सरकारी धन युवाओं और शिल्पियों को बिना कोई लाभ पहुंचाये व्यर्थ जा रहा है।

दूसरा मुद्दा बैंक है। अधिकतर बैंकों में प्रस्ताव, बाजार-दृष्टिकोण और उस वस्तु का अध्ययन किया जाता है, जो बाजार में पहुचती है। यह सब उन कुछ निहित स्वार्थी लोगों से मिलीभगत में हो रहा है जो ऋण देते हैं और भली भान्ति यह जानते हैं कि इनका दुरूपयोग होगा और अनेक इकाईयां तो मूर्तरूप ले ही नहीं पाती हैं।

अतः यदि सरकार मेरे प्रस्ताव पर विचार कर सकती हो, तो यह है। पिछले सप्ताह मैंने लघु उद्योग इकाई परिसंघ, कलकत्ता की बैठक को संबोधित किया था, चूंकि मेरे चुनाव क्षेत्र, हावड़ा में ऐसी लघु उद्योग इकाईयां सर्वाधिक हैं जो बन्द हैं, मैंने पूरी स्थिति का अध्ययन किया है। यह बहुत ही विशिष्ट और हास्यास्पद स्थिति है। कभी-कभी बैंक बड़े उद्योगों की मिली भगत से पहले ही बैठक कर लेते हैं कि उन छोटे उद्योगों की इकाईयों को अग्रिम राशि में विलम्ब किया जाए जिन्हें कच्चा माल समय पर चाहिए और जिन्हें खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए जाना है ताकि वे इकाईयां रुग्ण हो कर बन्द हो जाएं और जब वे रुग्ण हो जाती हैं तो उन्हें अपना प्रबन्धन स्वयं करना पड़ता है चाहे उसे बेचना पड़े या पट्टे पर देना पड़े या पूरी तरह बन्द ही करना पड़े। इस तरह के अनेक दृष्टांत हैं। मैं अनेक दृष्टांत दे सकता हूं किन्तु इस समय मेरे पास समय नहीं है। अतः सरकार और बैकों की थोड़ी सी सतर्कता के फलस्वरूप कोई विशेष निगरानी तंत्र तैयार किया जाए जो छोटे उद्योगों के कार्यकरण का प्रबंध करे।

अब मैं दो उदाहरण देता हूं। गैस्ट, कीन और विलियमज सबसे बड़ी ईकाइयों के रूप में जाने जाते हैं। लघु उद्योग की इकाइयों द्वारा एक ही स्थान पर लघु पैमाने पर वही उपकरण बनाए जाते हैं।

बैंक इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि जब तक कि गेस्ट कीन विलियम्स का सामान बाजार में नहीं आ जाता तब तक उन सहायक कम्पनियों, जो वही पुर्जा बनाती हैं, बैंक से समय पर अग्रिम राशि ने मिले। यह खास इंतजाम काफी वर्षों से चला आ रहा है। देश के प्रत्येक भाग में जहां कहीं भी बड़े पैमाने के तथा लघु पैमाने के उद्योग हैं और किसी को रोकने वाला नहीं है वहां विश्वभर में बहुत गलत प्रबंध है। मैं देखता हूं कि केवल एक बात है। जब बैंक के लोग सेवा निवृत होते हैं तो उन्हें उन्हीं एकको में परामर्शदाता अथवा किसी और पद पर वहीं रख लिया जाता है। यही कारण हैं कि लघु पैमाने के उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं और यह उद्यमियों की गलती के कारण नहीं है।

अन्त में मुझे यह अवश्य कहना चाहिए क्योंकि यह गैर सरकारी सदस्य का संकल्प है। मैं उस दल का सदस्य हूं जिसने उदार अर्थव्यवस्था की संकल्पना को विचारार्थ प्रस्तुत किया है। लेकिन मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। जिस तरह से उदारीकरण की स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे जानबूझ कर लघु पैमाने के उद्योगों की स्थापना को तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के पंडित जावहर लाल नेहरू के स्वप्न को आघात पहुंच रहा है।

मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। जिस दिन श्री मनमोहन सिंह ने यह घोषणा की कि "मैं इतनी-इतनी छूट दे रहा हूं, मैं इतनी इतनी रियायत दे रहा हूं अथवा सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में इतनी छूट दे रहा हू," तो उस समय एक संदेश जापान तथा कोरिया जाया करता था कि भारत का वातावरण बहुत अच्छा है। उसी दिन-एक लघु पैमाने का उद्यमी - जिसने अपनी पत्नी के जेवर बेचकर अपने लड़के को एम. बी.ए. तक पढ़ाया ताकि वह अपने लघु पैमाने के एकक का कार्यभार संभाल सके जो कि कल एक मध्यम पैमाने का एकक बन जाएगा, जिसमें कुछ और युवा रोजगार प्राप्त कर सकेंगे जिससे उनकी बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी और वह एक मशीन लगा सकेंगे जिसका उत्पाद छः महीने के बाद बाजार में आएगा — वह यह देखते हैं कि बाजार की लागत प्रणाली और आर्थिक उत्पादन का कोई अर्थ नहीं है।

अपराह्न 4 बजे

ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा रियायती दरों के लाभ का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया जाएगा। मंदी के समय में लघु पैमाने के उद्योगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा अथवा यहां तक कि बैंकों द्वारा भी कोई प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि ऋण चुकाने के लिए कानूनी मोहलत तथा शुल्क में किसी तरह की कोई रियायत भी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन एककों को बन्द कर दिया जाए। कई क्षेत्रों में ऐसा हुआ है। उदारीकरण की नीति द्वारा किसी एक एकक को ही नुकसान नही पहुंचा है बल्कि पिछले चार वर्षों के दौरान हजारों उभरते हुए लघु पैमाने के उद्योगों को अपने एकक बन्द कर देने पर मजबूर कर दिया जिससे हजारों हजार व्यक्ति बेरोजगार हो गए। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं कि कैसे नुकसान पहुंचा है। निश्चय ही, मेरे मित्र ने जापान, सिंगापुर तथा दक्षिण कोरिया के उदाहरण दिए हैं। मुझे इन देशों के प्रति कोई विरक्ति नहीं है। मैं वहां गया हूं, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। उन्होंने लघु उद्योगों तथा बड़े-बड़े उद्योग तथा अनेक चीजें विकसित की हैं। जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया तथा सिंगापुर का अपना अन्तरनिर्मित प्रबंध है। उन्होंने कभी जनसंख्या की समस्या अथवा युद्ध की समस्या का सामना नहीं किया। उन्हें नहीं मालूम कि रक्षा किसे कहते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के खुशामदियों के रूप में उनकी रक्षा की जाती है और अभी भी सुरक्षा के मामले में वे उसी देश पर ही निर्भर हैं। भारत की तुलना में अपने औद्योगिक क्षेत्र में अन्तरनिर्मित अर्थव्यवस्था के प्रबंध का उनका तरीका बिलकुल भिन्न है। इसलिए मैं उस मुद्दे पर बहस नहीं करूंगा।

मेरे साथी ने सुझाव दिया है कि ऋण सीमा को 75 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बढ़ा देना चाहिए। लेकिन लघु पैमाने के उद्योगों के संघ ने मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की

है कि यह सीमा पांच करोड़ रुपए की होनी चाहिए। पांच करोड़ रु. की राशि कुछ भी नहीं है। आधुनिक संयंत्र तथा मशीनरी की परिकल्पित गणना भी साढ़े तीन करोड़ की बैठती है। यदि मैं एक लघु पैमाने का उद्योग आरम्भ करना चाहता हूं तो वह 75 लाख रुपए रु. की सीमा में आरम्भ नहीं किया जा सकता है। यह सीमा कम से कम पांच करोड़ रुपए की होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 75 लाख रु. की इस इस सीमा के कारण कोई लघु उद्योग किसी महान कल्पना शक्ति के साथ आरम्भ नहीं किया जा सकता है। कलकत्ता के जाधवपुर विश्वविद्यालय के इंजीनियरों को ही लीजिए। उन्होंने कलकत्त दक्षिण एवेन्यू रोड पर एक रेस्टोरेन्ट स्थापित किया। वे इंजीनियर खाना परोसते हैं। जब मैंने इस बारे में पूछताछ की कि उन्होंने एक रेस्टोरेन्ट क्यों खोला है तो उन्होंने कहा, "हम इंजीनियर हैं। हम 75 लाख रु. से क्या कर सकते हैं? हम कौनसी मशीनरी लगा सकते हैं? हम कौन सी चीज बनाए? हम प्रशिक्षित इंजीनियरिंग स्नातक हैं। हम क्या करें। हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। कौन हमारी बात सुनेगा? यदि हम बैंक से बातचीत करते हैं, तो बैंक कहेगा कि यह सरकार की नीति है।"

अतः मैं महसूस करता हूं कि पांच करोड़ रु. की सीमा अनेक बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। जिनके पास एम.एस.सी., बी.एस.सी., बी.काम. तथा इंजीरियरिंग इत्यादि की डिग्री है, वे अपने आपको एक जुट कर सकेंगे और कृषि तथा लघु उद्योग जैसे क्षेत्रों में अनेक अन्य बातों की योजना बना सकेंगे।

महोदय, अन्त में मैं एक बात कहूंगा। मेरे साथी ने नए लघु पैमाने के उद्योग स्थापित करने और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का सुझाव दिया है। अब कोई राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्र पर निगरानी नहीं रखती है। वहां रोड हैं प्लाट हैं और भूमि है लेकिन उनका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है?

मैं अपने राज्य का हवाला देता हूं। आज तक डा.बी.सी. राय के बाद कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हुआ है। मेरे जिले में, राज्य औद्योगिक क्षेत्र का एक साइन बोर्ड है। वहां झुग्गियां बनी हुई हैं जहां शाम को नशीली दवाएं बेचने वाले गप्पे मारते हैं। बेरोजगार युवा देखते हैं कि वहां एक बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है। वहां कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। किसी उद्यमी को कोई नया अवसर प्रदान नहीं किया गया है। सम्बन्धित जिलों में डी.आई.सी. को कार्य केवल इतना रह गया है कि वे केवल राजनैतिक संरक्षण के बल पर दस्तावेज प्राप्त करें और कुछ नहीं। स्थिति इतनी घृणित है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। आज कल बेरोजगार युवा की पहचान यह नहीं है कि वह बेरोजगार है बल्कि उसकी पहली पहचान यह है कि वह किस दल से संबंध रखता है। जब तक कि उसे राजनीतिक दृष्टिकोण से पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं किया जाता है बैंक प्राधिकारी द्वारा उसके दस्तावेजों की जांच नहीं की जाती है। वे कब तक लड़ते रहेंगे? इससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है।

मैं वर्ष 1967-71 के दौरान के नक्सलवाद के दिनों के बारे में जानता हूं। मुझे इस बात की चिन्ता हो रही है कि जिस तरीके से यह उभर रहा है, तो वह दिन दूर नहीं जब हमें सब चुनौती देंगे।

हम सब को युवा व्यक्ति संसद के बाहर तब तक चुनौती देंगे जब तक कि सरकार इस मुद्दे को उच्चतम प्राथमिकता नहीं देती है। मैं संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में सुन रहा था। यह एक अच्छा कार्यक्रम था। लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को एक चीज के बारे में अनुरोध करूंगा वह है बेरोजगारी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे बेरोजगारी की समस्या को शीघ्र दूर कर दें। कम से कम प्राथमिकता पर आधारित एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए ताकि शिक्षित बेरोजगारों का ध्यान रखा जा सके, बैंकों तथा अन्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को दूर करने पर विचार किया जा सके और यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता तो इस स्थिति से निपटना कठिन हो जाएगा। यहां तक कि ऋण देने के लिए भी वे पूछते हैं कि "आप कितना प्रतिशत मुझे वापस देंगे? अन्यथा ऋण नहीं दिया जाएगा। मेरे पास ऐसे तीन मामले हैं जिनको सतर्कता विभाग को भेजा गया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने ऊपर तक फोन किये और उन्हें बचा लिया गया। मैंने ऐसा एक बैंक में किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या किया जाए? यहां तक कि युवाओं को ऋण मिल जाता है। यदि मुझे 75 लाख रु. का ऋण लेना है और यदि मुझे उसका 10 प्रतिशत तत्काल ऋण लेने के लिए देना पड़ता है, तो मैं व्यापार किससे करूंगा? मुझे कौन संरक्षण प्रदान करेगा? इस देश के बेरोजगार युवाओं के साथ यह एक अन्य समस्या है।

अतः, महोदय, मैं आपको तीन बातों का अनुरोध करता हूं और तत्पश्चात् अपना भाषण समाप्त करूंगा।

प्रथम, ऋण की सीमा को पांच करोड़ रु. तक बढ़ाया जाना चाहिए।

दूसरा, लघु पैमाने के कार्यकरण और विकास के क्षेत्रों में, भारत सरकार के उद्योग मंत्री द्वारा अनिवार्य निर्देश दिए जाने चाहिए कि सभी बड़े एककों की सहायक वस्तुओं की आपूर्ति लघु पैमाने के उद्योगों से की जानी चाहिए और उनको लघु पैमाने के क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, चाहे अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की नीति कुछ भी क्यों न हो।

तीसरा, यदि कोई एकक विदेश से इस उदार अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए भारत से आना चाहता है तो उन्हें आने देना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वह भारत सरकार के चुने हुए प्राथमिकता के क्षेत्रों में से होने चाहिएं जैसे जीवन-रक्षक दवाएं, पैट्रोलियम, विद्युत क्षेत्र इत्यादि। जिस क्षेत्र का प्रबंध हमारे भारतीय लघु पैमाने के उद्यमियों द्वारा किया जा सकता है, उनको विदेशी कम्पनियों को नहीं सौंपा जाना चाहिए जैसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में अपने पैर जमा लिए।

संक्षेप में मैं इस देश के बेरोजगार युवाओं की ओर से यही अपील करना चाहता हूं। मैं श्री प्रभुदयाल कठेरिया का आभारी हूं जिन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले श्री प्रभुदयाल जी कठेरिया को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके द्वारा एक ज्वलंत सवाल पर संकल्प लाया गया है। बेरोजगारी जिस प्रकार से इस देश में बढ़ती चली जा रही है वह चिंता का विषय है। हमारे देश के नीति-निर्माताओं ने इस देश की बेरोजगारी को खत्म करने की दृष्टि से औद्योगीकरण पर जोर दिया था। उद्योगों में भी छोटे उद्योगों को संरक्षण देने की नीति घोषित की थी। लेकिन अनुभव यही बताता है कि छोटे उद्योगों को किसी भी प्रकार के संरक्षण का लाभ नहीं मिला। छोटे व कुटीर उद्योग उजड़ते जा रहे हैं और उनके स्थान पर बड़े उद्योग, और अब तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती चली जा रही हैं। कठेरिया जी ने ठीक ही पूछा कि विदेशी कंपनियों को कौनसे उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी।

आज संयुक्त मोर्चा की सरकार चल रही है। उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी प्रकाशित हुआ। उस प्रोग्राम को पढ़ने के बाद यह जानकारी मिली कि इन लोगों ने एलान किया है कि नॉन-प्रायरटी सैक्टर में हम विदेशी कंपनियों को नहीं आने देंगे। लेकिन यह एक जनरल स्टेटमेंट के तौर पर ही है। हकीकत में इनका इरादा क्या है यह अब तक प्रकट नहीं हो सका है। अब मुरासोली मारन साहब उद्योग मंत्री बने हैं अब वे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? उनकी एक घोषणा को लेकर विवाद शुरू हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री अलग-अलग बोली बोल रहे हैं। उनके अंदरूनी संचालन के लिए जो संचालन समिति बनी है उसमें क्या चर्चा होती है, क्या नहीं होती है, कुछ बातें बाहर आती हैं, उन पर प्रतिक्रिया होती है, फिर उसमें सुधार करने का नाटक होता है।

अब युनाइटेड फ्रण्ट गवर्नमेंट ने कहने के लिए तो कामन मिनीमम प्रोग्राम में कह दिया कि नान प्रायर्टी सैक्टर में हम इनको प्रवेश नहीं करने देंगे। अब पता नहीं चलता इनका कौन सा प्रायर्टी सैक्टर है। बिजली के क्षेत्र में आएं, सड़क बनाने के लिए आएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आएं और हवाई जहाज बनाने के लिए आएं, तो बात समझ में आती है, लेकिन बीकानेरी भुजिया बनाने, सब्जियां बेचने और पापड़ बनाने के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं। यहां दिल्ली में कोई खोमचे वाला सब्जियां बेचता है, तो उसका काम आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम से करवाएंगे, तो एक तरह से उसको तो आप बेदखल करना चाहते हैं। कांग्रेस की यही आर्थिक नीति थी, जिसे आप चला रहे हैं, हालांकि आपने बड़े गर्व के साथ कह दिया कि हम कांग्रेस की आर्थिक नीति को नहीं चलाएंगे। कहने के लिए तो आपकी सरकार में जनता दल एक घटक के रूप में शामिल है, लेकिन प्रमुख घटक है और जनता दल का विश्वास तो गांधीवादी आर्थिक नीति में था। गांधी जी तो हमेशा छोटे उद्योगों की बात बोलते रहे और जब ये विपक्ष में थे, तब ये गांधीवादी विचारों के समर्थक थे, उनकी ही नीतियों पर चलने की बात कहते थे, लेकिन जब से ये सत्ता पक्ष में आए हैं, तब से इनकी बोली और भाषा बदलती जा रही है।

किस प्रकार से छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों को संरक्षण मिलेगा और जिन लोगों को रोजगार मिला है वह छिन न जाए, यह नीति-विषयक मामला है। यह सरकार मुल्क को कहां ले जाएगी। क्या आप इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं? यदि आप मुल्क को डुबाना चाहते हैं, तो पुरानी नीतियों को जारी रखिए और यदि बचाना चाहते हैं, तो आपको यह एक अवसर मिला है जब आप अपने साहस का परिचय देकर, अपनी हिम्मत दिखाकर और पुरानी आर्थिक नीतियों जिनको कांग्रेस ने शुरू किया, उनका विरोध कर के उनको बन्द कर के, मुल्क को बचा सकते हैं। यदि मन साफ हो, तो आप अपनी नीतियों को देश में लागू कर सकते हैं और इस मुल्क को बचा सकते हैं। यदि मन साफ नहीं है, तो कांग्रेस का बहाना बनाकर, उनकी ही नीतियों को चलाते रहिए और कहते रहिए कि हमें कांग्रेस को नाराज नहीं करना है।

मैं आपको बताता हूं देश में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों की कैसी दुर्गति होती है। बेरोजगार नौजवान को कर्जा लेने के लिए बैंकों के धक्के खाने पड़ते हैं। हम वी.पी. सिंह जी के नेतृत्व में सरकार में रहे हैं। उस सरकार की नीति थी कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाएगा। इस बारे में हमने संविधान संशोधन विधेयक तैयार कर लिया था। यदि रोजगार को मौलिक अधिकार बना दिया जाए, तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं आपको कांग्रेस के समय की बात बताना चाहता हूं। उस समय एक "प्रधान मंत्री रोजगार योजना" नाम से योजना चली। उसमें बेरोजगार नौजवान को अपना रोजगार आरंभ करने के लिए एक लाख रुपए का ऋण दिया जाता था। उसको लेने के लिए बेरोजगार नवयुवकों को बैंक के धक्के खाने पड़ते थे। इस योजना का उस समय बड़ा विज्ञापन देखा। कभी लड़की को उस विज्ञापन में दिखाया जाता था और कभी लड़के को अपना रोजगार करते दिखाया जाता था और बताया जाता था कि इस योजना के कारण हमारे देश में किस प्रकार से तरक्की हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि उस योजना के अन्दर भी जब तक बैंक के मेनेजर को घूस के रूप में एक मोटी रकम नहीं मिल जाती थी, तब तक उसको कर्ज नहीं मिलता था। इस तरह से इस योजना के नाम पर फ्राड चलता रहा और सिर्फ इलैक्ट्रोनिक मीडिया पर एक प्रचार चलता रहा । वास्तव में किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचा। कुछ खास लोगों को पहुंचा होगा, तो मैं नहीं कह सकता।

हम जनप्रतिनिधि हैं। हमारे यहां अनेक लोग आते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है एक नौजवान का केस प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंदर पास हो गया और सब जगह से पास होकर बैंक गया, लेकिन उसको बैंक से लोन नहीं मिला। मैंने मैनेजर को चिट्ठी लिखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने फायनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, परन्तु कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से मैंने बैंक मैनेजर से फायनेंस मिनिस्टर तक चिट्ठी लिख दी, लेकिन उसको बैंक से ऋण नहीं मिला। नीचे से सब जगह से से उसका केस पास हो गया, लेकिन बैंक मैनेजर ने उसको लोन नहीं दिया और एक एम.पी. की चिट्ठी को बैंक मैनेजर ने फाड़कर उसी लड़के के सामने फेंक दिया। यह स्थिति देश में बेरोजगार नौजवानों की है। जब मैं यहां इस सत्र के लिए आ रहा

था, तब भी वह लड़का रो रहा था कि मुझे अभी तक ऋण नहीं मिला। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कांग्रेस के नक्शे-कदम पर मत चलिए। मजबूती दिखाइए। मैं तो आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं। आपको उत्प्रेरित कर रहा हूं कि आप अपनी नीतियों के अनुसार निर्णय लीजिए।

नहीं तो आप भी कसूरवार ठहराये जायेंगे कि आप भी अपनी नीतियों से भटक गये हैं, आपने अपनी समस्याओं को बदल दिया है और आपका हृदय परिवर्तन हो गया। आज आप गांधी जी के बजाय मल्टी नेशनल की तरफ चले गये। गांधी जी को तो आपने पहले ही छोड़ दिया है। अब गांधी जी की बात आती है, कुटीर उद्योग की बात आती है। गांधी जी ने लोगों को खादी पहनने के लिए कहा। कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनने के लिए बुनियादी शर्तें हैं। उसमें एक शर्त यह भी है कि वह आदमी हथकरघा का कपड़ा पहनेगा या खादी का पहनेगा। आप जरा आज कांग्रेस पार्टी का सर्वेक्षण कराइये? कितने लोग आज खादी पहनते हैं। हम बिहार और यू.पी. वाले अभी भी खादी को बचा कर रखे हुए हैं।...**(व्यवधान)** मैं आपको मानता हूं। आप सफारी वाले नहीं हैं। हमने श्री अर्जुन सिंह जी को देखा। वह जब तक कांग्रेस पार्टी में रहे तब तक हमने उनको खादी पहने हुए नहीं देखा। हमेशा सफारी पहने देखा। जब वह कांग्रेस पार्टी से बाहर आ गये और यह पक्का हो गया कि वे अपने को असली कांग्रेसी साबित नहीं करा सके, उस दिन से हम उनको खादी पहने हुए देख रहे हैं। मतलब यह है कि आज जो कांग्रेसी हैं, वे सफारी क्लचर वाले हैं। आप क्या कुटीर उद्योग को बढ़ावा देंगे?

गांधी जी ने कहा था कि सूत कातो और बुनो। इससे तुम्हारा समय लगेगा तथा लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए आज तक खादी उद्योग को संरक्षण दिया जाता है। लोग खादी कपड़ा पहने इसलिए उसमें कमीशन दिया जाता है। मैं तो हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि खादी वस्त्र को जो कमीशन मिलता था, मुझे अखबार के द्वारा मालूम हुआ है कि वह भी बंद हो गया है। कृपया आप इस पर ध्यान दीजिये। यहां उद्योग मंत्री के स्थान पर श्री देवेन्द्र जी बैठे हुए हैं। श्री रघुवंश प्रसाद व खलप जी बैठे हुए हैं। आप इसको देखिये कि खादी पर जो कमीशन मिलता था, वह बंद न हो जाये।...**(व्यवधान)**

श्री भूपिन्द्र सिंह हुडा (रोहतक) : हम सब आपसे सहमत हैं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : खादी उद्योग के अंदर जो भ्रष्टाचार है, उस पर आप सख्ती से निपटिये। इसका मतलब यह है कि जो खादी वस्त्र पहनते हैं, गांधी जयंती के अवसर पर खादी पर जो छूट मिलती थी, वह बंद न हो जाये क्योंकि उस वक्त हम लोग भी खादी खरीदते हैं। उपाध्यक्ष जी, शायद आप भी खरीदते होंगे। उस पर केन्द्र सरकार जो छूट देती थी, वह घटा दे। इसलिए इसको संरक्षण देना चाहिए। जब तक छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया जायेगा तब तक काम नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में बहुत बड़ा झूठ चला हुआ है और वह है चाईल्ड लेबर। चाईल्ड लेबर के नाम पर क्या-क्या हो रहा है? श्री संगमा जी अब अध्यक्ष बन गये हैं। पहले वह श्रम मंत्री थे। पिछली लोकसभा में जब हमने उनसे सवाल पूछा कि चाईल्ड लेबर के नाम पर जो कालीन उद्योग में लगे लोग हैं, उनको कालीन बनाने के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कुछ संस्थायें हैं जो उनको सर्टिफिकेट देती है कि उसमें चाईल्ड लेबर इस्तेमाल नहीं होगी तब जाकर वह विदेशों में उसको बेच पाते हैं। हिन्दुस्तान में बने हुए कालीन की मांग दुनिया में सबसे ज्यादा है। जो सिंथेटिक कालीन बनता था, उसकी विदेशी कम्पनियों ने देखा कि उनके कालीन का मार्किट घटती जा रही है और हिन्दुस्तानी कालीन की मार्किट जोर पकड़ती जा रही है। इसकी मांग बहुत ज्यादा है तो उन्होंने इसको डिसकरेज करने के लिए चाईल्ड लेबर का सवाल उठा दिया गया। एक दिन हम लोग इस पर सवाल पूछ रहे थे लेकिन वे समझे नहीं और उन्होंने कह दिया कि हम चाईल्ड लेबर पर सख्ती से रोक लगा रहे हैं। जो बच्चा चाय की दुकान पर काम कर रहा है, खदान पर काम कर रहा है, होटल पर काम कर रहा है, आप उस पर रोक लगाइये। लेकिन जो हुनर सीखने का काम है, ये अंगुलियां हैं, वे पांच-सात साल में ही हुनर सीख सकती हैं। यह तो परम्परागत है। यह तो एक जेनेटिक गुण है। एक संस्कार दूसरे के पास आता है। बहुत से लोग जो मांसाहारी समूहों से आते हैं तो उनको दांतों की बनावट भी वैसी ही हो जाती है। जो मांसाहारी नहीं हैं, उनके दांतों की बनावट भी दूसरी रहती है। उनको मांस चबाने में दिक्कत होती है। उसी तरह से ये जो हाथ की अंगुलियां हैं, वे कम उम्र में हुनर सीखती हैं। अब जो कालीन बनाने का काम है, वह बहुत कम समय में ही सीखा जाता है। चाईल्ड लेबर के नाम पर आप इसे खत्म कर देंगे तो कालीन उद्योग खत्म हो जायेगा। छोटा उद्योग खत्म हो जायेगा। उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा कि बड़ा उद्योग इसमें आयेगा। पता चलेगा कि हम लोगों के यहां भी मल्टी नेशनल वाली कम्पनियों के सिंथेटिक कालीन का प्रचलन हो जायेगा। विदेशों में हमारी मार्किट घट जायेगी। इसलिए इस मामले में कई आस्पैक्ट हैं।

कठेरिया जी धन्यवाद के पात्र हैं। सरकार ने कहा कि कर्ज देंगे। बैंक के यहां रनिंग केपिटल के लिए लोग आते हैं प्रियरंजन दास मुंशी ने कहा है कि वहां बोर्ड लगा हुआ है। सब जगह से यही आ रहा है। आप हमारे राज्य में चलिये। हमारे निर्वाचन क्षेत्र मे जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट है, पहले वहां सरकार ने स्कूटर फैक्ट्री लगाई थी फिर ट्रैक्टर फैक्ट्री लगा। लेकिन अब वह स्कूटर और ट्रैक्टर फैक्टरियां कहां गयी? वहां एच.एम.टी. को करना था। वह एक सरकारी कम्पनी है। हम लोगों ने इस बारे में कितनी बार पत्र लिखे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब किसी राज्य सरकार पर आप छोड़ दीजिये तो उससे काम चलने वाला नहीं है।

यह कहकर कि राज्य सरकार करे तो कांग्रेस के जमाने में जो बात बिगड़ गई अब किसी के संभाले नहीं संभल रही हैं पटना में चले जाइए, इंडसिट्रयल ऐस्टेट का बोर्ड लगा हुआ है, उसको कौन संभाले। देशभर में इंडस्ट्रियल ऐस्टेट की यही हालत है। इसलिए जिस विचार के साथ छोटे उद्योग उद्यमियों को देने की बात थी तो उनका जब कर्जा मिलेगा और रनिंग कैपिटल मिलेगा, तभी वे अपने उद्योग स्थापित कर

सकते हैं नहीं तो जो कुछ भी कर्जा मिला उसको बेचकर लोगों ने सोना खरीद लिया और निकलकर भाग गए। अब वह इण्डस्ट्री सिक हो गई तो वे भाग गए और औद्योगीकरण नहीं हो सका। बैंक कर्जा नहीं देते। वे लोगों को परेशान करते हैं। इसको देखना होगा। छोटे उद्योगों में जो माल पैदा होता है उसको कोई बाजारी संरक्षण नहीं दिया जाता। जब तक हम उनको बाजार में संरक्षण नहीं देंगे तो वे बड़े उद्योगों के साथ प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते। इसलिए अगर कुटीर उद्योग को जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश में दस्तकारी को बचाना चाहते हैं तो उनको बाजारी संरक्षण मिलना चाहिए।

ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ढाका के मलमल की हम बहुत प्रशंसा सुनते हैं कि एक अंगूठी में से पूरा थान निकल जाता था। अंग्रेज आ गए और उन्होंने उसको खत्म कर दिया। उनके अंगूठे काट लिए गए। आज वहीं स्थिति हो रही है। लोगों को दूसरे तरीके से बेदखल किया जा रहा है। अब अंगूठा काटना संभव नहीं है तो दूसरे तरीकों से उनको बेरोजगार किया जा रहा है। इस स्थिति में हमारा सरकार से आग्रह होगा कि जी कुछ भी इन्होंने कहा, चाहे लिमिट के सवाल पर हो, चाहे आईटम्स को रेस्ट्रिक्ट करने का सवाल हो कि ये छोटे उद्योग में ही बनेंगे, चाहे रनिंग कैपीटल का सवाल हो, जितने इनके प्रोग्राम हैं उनको देखने का सवाल हो, जब भी बजट आता है तो छोटे उद्यमियों का समूह संसद सदस्य को अपनी समस्या लिखकर भेजता है। उनको कभी संरक्षण नहीं मिलता। वित्त मंत्री खड़े होकर कुछ बात बोल देते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। उनकी समस्याओं पर ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया जाता है। यह प्रस्ताव बजट के पहले आया है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि इस पर गौर करते हुए छोटे और कुटीर उद्योगों को हर प्रकार का संरक्षण और सहारा दें। हर हाथ को काम मिले। बापू ने कहा था-इस देश में सबसे बड़ी पूंजी श्रम है। हमारे पास धन नहीं है। हमको छोटे उद्योगों को लगाना चाहिए, जिनमें आदमी की जरूरत ज्यादा हो और पैसे की जरूरत कम हो। तभी जाकर हम सबको रोजगार भी दे सकते हैं और देश का औद्योगिकरण कर सकते हैं तथा देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। हमको वैसी मशीनों की जरूरत है जो हमारे हाथ की एफिसिएंसी को बढ़ा दें, न कि हमारे हाथों को बेकार कर दें। इस प्रकार की नीति आप लाएं। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जहां इस प्रस्ताव को, जो कठेरिया जी ने रखा है सरकार स्वीकार कर ले और अपनी तरफ से भी इस संबंध में संरक्षण देने की उद्घोषणा करें, वहीं दूसरी तरफ रोजगार को मौलिक अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। जब तक रोजगार को मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तब मल्टीनेशनल्स के चंगुल से इस देश को नहीं बचाया जा सकेगा। जिस दिन हम रोजगार को मौलिक अधिकार दे देंगे उसी दिन हर नौजवान को यह अधिकार होगा कि जब वह बेरोजगार है तो सरकारी दफ्तार में जाकर दावा कर सकता है कि हमको या तो काम दो या भत्ता दो। वैसी स्थिति में देश को ऐसी नीतियां बनानी पड़ेगी। ...**(व्यवधान)**

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़) : पैसा कहां से आएगा।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : पैसा आएगा।...**(व्यवधान)** जिस ढंग से कहा गया कि चोरी हो रही है, घोटाले हो रहे हैं, उनको रोकिए। संसद सदस्यों के लिए बाहर मैटाडोर लगी हुई है, उसे मंत्रियों के लिए भी लगा सकते हैं। अलग-अलग मंत्री का अलग-अलग बंगला है। एक मल्टी स्टोरी फ्लैटस में सारे मंत्रियों को रख दीजिए। एक ही सुरक्षा के क्वच में रखिए। यदि उनको पार्लियामेंट में लाना है तो एक मैटाडोर में बिठाइए और सुरक्षा में ले आइए।...**(व्यवधान)** बस में ले आइए।...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नितला (कोटटायम) : जब आप मंत्री थे तब आपको यह बात सिखानी चाहिए थी।...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : हम तो जुम्मा-जुम्मा आठ दिन रहे हैं और उस समय रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की बात हो रही थी। उस समय मौलिक चिन्तन था, आज तो सब चिंतन बिखर गया है। अब उन चीजों को ये लोग भी भूलते चले जा रहे हैं।

इन लोगों ने भी मितव्ययता का त्याग कर दिया। अब तो यह स्टेटस सिम्बल होता चला जा रहा है, जब तक 10 गाड़ियों का काफिला मंत्री के पीछे न चले, तब तक लगता नहीं है कि वह मंत्री है।...**(व्यवधान)** वह अलग है। देवेन्द्र कुमार यादव जी तो बैठे हुए हैं, इसके पहले मैम्बर थे, इनकी तस्वीर छप गई और एक दूसरे व्यक्ति की जगह पर छप गई तो इनकी सुरक्षा के लिए खतरा हो गया। इनको एक बॉडी गार्ड दिया गया। और बहुतेरे मैम्बर हैं, जिन्होंने कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं लिया। लेकिन कितने ही लोग हैं, जो स्टेटस सिम्बल के लिए ब्लैक कैट और पता नहीं क्या-क्या लिए चले जा रहे हैं। जिनको कोई मारने वाला धरती पर नहीं हैं, कोई अपनी एक बुलेट बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन आज वह पूरा स्टेटस सिम्बल हो गया है। इसलिए यहां पर मितव्ययता बरतिए। रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की बात जब आती है तो आप यहां पैसे का सवाल मत उठाइए। जब रोजगार मौलिक अधिकार बनेगा तो उसका दबाव पैदा होगा और उसी के दबाव में उस ढंग की नीतियां बनेंगी।

आज तो लिब्रलाइजेशन है, उदारीकरण है, खगोलीकरण है, हम विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं। भला कहीं एक लंगड़ा और एक स्वस्थ आदमी एक दौड़ में शामिल हो सकता है? कहां हिन्दुस्तान की लूली लंगड़ी अर्थव्यवस्था और कहां अमेरिका और जापान जैसी मुस्टंडी अर्थव्यवस्था, उन के साथ आप दौड़ में शामिल हो जाएंगे? नरसिंह राव जी हम लोगों को उपदेश देते रहे, डा. मनमोहन सिंह जी उपदेश देते रहे और वही उपदेश लेकर चिदम्बरम जी भी आएंगे, इसलिए आपसे आग्रह है, चिदम्बरम जी पर जरा नियंत्रण रखिए, नहीं तो यह एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। इस देश में सबसे अधिक जो तथाकथित लिब्रलाइजेशन का कोई वकील है तो डा. मनमोहन सिंह जी से भी दस कदम आगे बढ़कर उसकी वकालत करने वाले आपके वित्त मंत्री है, इसलिए जरा संभलिए।

प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करें। कर्नाटक के मुख्य मंत्री

के रूप में 18 बार कर्नाटक की चर्चा उन्होंने की थी, जब कान्फीडेंस मोशन का वह जवाब दे रहे थे, तब उस समय उन्होंने चर्चा की थी। कर्नाटक में क्या हुआ, केंटुकी फ्राइड चिकन खुल गया। छोटे उद्योगों को बढ़ावा दीजिए, यूनाइटिड फ्रंट के घोषणा-पत्र में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपने यह कहा है कि हम नॉन प्रायरटी सैक्टर में विदेशी कम्पनियों को नहीं आने देंगे। केंटुकी फ्राइड चिकन क्या है? वहां नंजुंडास्वामी ने आन्दोलन किया, वहां के किसान कहते हैं कि हम हम्बल फार्मर है। मैं विनम्र किसान हूं और जब नंजुडास्वामी के नेतृत्व में वहां के किसानों ने आन्दोलन खड़ा किया तो नंजुडास्वामी जेल के अन्दर बन्द किए गए। केंटुकी फ्राइड चिकन की रक्षा में कर्नाटक की सरकार खड़ी हुई थी। क्या वही तौर-तरीका यहां भी चलेगा? ...**(व्यवधान)**

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति नागरिक उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : फर्टिलाइजर का दाम घट गया है, सरकार का जो अच्छा काम हुआ है, वह भी तो कहिए।

श्री नीतीश कुमार : कृषि पर यह चर्चा नहीं है। यह चर्चा छोटे उद्योगों पर हो रही है और माननीय मंत्री जी, देवेन्द्र बाबू आपकी सरकार ने कहा है कि गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में हम विदेशी कम्पनियों को नहीं आने देंगे। हम तो आपसे पूछना चाहते हैं कि केंटुकी फ्राइड चिकन किस क्षेत्र में आता है, बीकानेरी भुजिया किस क्षेत्र में आती है, अंकल चिप्स किस क्षेत्र में आता है, उसको आप बन्द कीजिए, अगर वह यूनाइटिड फ्रंट के घोषणा पत्र में है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : डी.ए.पी. में 100 रुपया प्रति बोरी दाम घट गया है।

जो अच्छा काम हुआ है, उसको भी तो कहिए।

श्री नीतीश कुमार : वह ठीक है, डी.ए.पी. खाद में आपने सब्सिडी बढ़ा दी, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन एक हाथ में सब्सिडी आपने बढ़ा दी और दूसरे हाथ से उसके लाभ को डीजल का दाम बढ़ाकर, नेपथा का दाम बढ़ाकर छीन लिया। आप एल.पी.जी. पर जितना चाहे, दाम बढ़ा दीजिए, चूंकि एल.पी.जी. से कुछ लोगों का खाना बनता है। एल.पी.जी. की चर्चा आ गई है लेकिन इस विषय से उसका मतलब नहीं है।...**(व्यवधान)** मैं व्यक्तिगत रूप से इस राय का हूं कि एल.पी.जी पर किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इस देश में कुछ लोग एल.पी.जी सिलेंडर का यूज करते हैं...**(व्यवधान)** इन्होंने कह दिया कि एल.पी.जी की बात है, पाणिग्रही जी, सरकार की तरफ से सब्सिडी की बात कह दी... **(व्यवधान)** हम पूरा लिब्रली बोलने देते हैं, हम वहां जाएंगे तो उस रूप में बोलने देंगे। इन्होंने जो कहा है, आज से चार साल पहले ही मंत्री जी ने बताया था कि एक एल.पी.जी. सिलेंडर पर 70 रुपये की सब्सिडी दी जाती है, किन्तु एल.पी.जी. सिलेंडर पर जो सब्सिडी दी जाती है, वह कुछ लोगों को मिलती है, इसलिए उस पर से सब्सिडी हटाइए। यह सब्सिडी माननीय सदस्यों का हैडेक है कि आप तीन महीने में 25 एल.पी.जी. के सिलेंडर बांटिए। आप इसको हटाइए, इसको मैम्बर पार्लियामेंट से छीनिए, यह जान का जंजाल है। ...**(व्यवधान)**

वह अलग बात है। इन्होंने हमसे सवाल पूछ लिया तो हम उसपर रिएक्ट कर रहे थे, हम उसपर रैस्पोंड कर रहे थे, विषयान्तर तो इन्होंने किया है। माननीय मंत्री जी ने हमको डिरेल करने की कोशिश की है ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : नहीं,-नहीं, मैंने कोई डिरेल नहीं किया।

श्री नीतीश कुमार : इसलिए हमने कह दिया। हम तो कहना चाहते हैं कि कोई कुटीर-उद्योग...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अब आपकी बुद्धि का इतना विस्तार हो गया है। जब आप इधर थे तो आप यह बुद्धि बता नहीं रहे थे। आपकी बातों से आज पूरा सदन चिन्तित है, क्योंकि आपका भाषण इतना देश के लिए और समाज के लिए हो रहा है कि आप एल.पी. जी. की चर्चा कर रहे हैं।

आपने खाद की चर्चा नहीं की, जो अच्छा काम सरकार ने किया है उसको भी अच्छा कहें।

श्री नीतीश कुमार : आप छोटे उद्योगों से शुरू हुई बहस को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। असल चीज है कि माननीय सदस्य कठेरिया जी ने जो अपने रिजोलुशन को यहां रखते हुए चार बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, मैं उनका समर्थन करता हूं। उसके साथ ही साथ जो संयुक्त मोर्चो का न्यूनतम साझा कार्यक्रम है उसके आलोक में, रोशनी में सरकार का वक्तव्य आना चाहिए और यह वक्तव्य इवेजिव नहीं होना चाहिए, वह एक जनरल स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए। एक ठोस और कालबद्ध कार्यक्रम के रूप में रखना चाहिए कि हम छोटे और कुटीर उद्योगों को संरक्षण देने के लिए तथा बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन-सा कदम उठाना चाहते हैं।

सन् 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी। उस सरकार ने रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने का फैसला किया था। क्या इस सरकार का भी उस सम्बन्ध में वही दृष्टिकोण है, यह भी स्पष्ट करें? हमारी यही मांग है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कठेरिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक लोक-हित के प्रश्न को यहां रखा है, जो पूरे देश से सम्बन्धित है, जिन करोड़ो बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा है, उनसे सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में उनको रोजगार मिलेगा। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, अगर सरकार इस पर अमल करे।

[हिन्दी]

श्री पी.नामग्याल (लद्दाख) : मैं श्री कठेरिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने के बारे में सदन में

प्रस्ताव रखा है। उन्होंने देश में जो बेरोजगारी है, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है।

अपराह्न 4.33 बजे

[श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए]

मैं समझता हूं हमारे देश का यह सबसे बड़ा बर्निंग प्रश्न है। इसको हल किये जाने की जरूरत है। सवाल है कि इसे किस तरह हल किया जाए। इन्होंने सुझाव दिया है कि मौजूदा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को वित्तीय मदद दी जाए और नई स्माल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप की जाएं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए बेरोजगार लोगों को लोन देने की बात भी कही गई है। वैसे तो और सरकारों ने भी, खासकर कांग्रेस दल की सरकार ने भी बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। लेकिन उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई मुश्किलात आई। खसूसी तौर पर जो लोन देने का सिलसिला है, वह दुरूस्त नहीं है। बैंक और वित्तीय संस्थान जो लोन देते हैं, उनमें काफी करप्शन है। जो सम्बन्धित अधिकारी हैं जब तक उनको पाम ग्रीस न किया जाए।

तब तक उनको सही मायने में जरूरत है, उनको मिलना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे अनएम्प्लायड यूथ हैं जो चाहते हैं कि कुछ करें लेकिन वे लोन हासिल करने के लिए कुछ लेन-देन का जो मसला होता है, उसको देने में असमर्थता रखते थे और उन्हें लोन नहीं मिलता था जिसकी वजह से मैं समझता हुं कि बहुत सारे जो अनएम्प्लायड यूथ हैं, खास तौर पर जो तालीमयाफ्ता बेरोजगार हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाये। मैं उस जम्मू-कश्मीर स्टेट से आता हूं जिसकी चर्चा हर रोज आपके हमारे नेशनल डेलीज के हैडलाइन्स में आप पायेंगे। आपको मालूम है कि 1989 से लेकर आज तक मिलिटेंसी में वहां के निजाम को दरहम-बरहम करके रखा है। इसकी वजह क्या है? आपको मालूम है कि 1965 में पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि कश्मीर के लोग वहां रिवोल्ट करें और नाजायज तरीके से कश्मीर को अपने कब्जे में लिया जाये। लेकिन कश्मीर के लोगों ने उस वक्त उनका साथ नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने एक लम्बी स्कीम बनाई जिसके तहत कश्मीर में कैसे इनका हाथ मजबूत किया जाये और कैसे वहां पर दाखिला दिया जाये, उसी स्कीम के तहत एक तो उन्होंने यह बनाया कि चैन ऑफ स्कूल्स बनाया। जमाते-इस्लामी के नाम पर जिस तरह से वहां पर फन्डामेन्टेलिज्म की ट्रेनिंग दी जाती थी और दूसरे उनका मौजू यह था कि जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको अपनी तरफ करें और उन्हें हथियार सप्लाई करें। इस बिना पर कि नौकरी तो नहीं मिलती थी, वे पैसे देते थे, फाइनेंस देते थे। इस तरह से मिलिटेंसी की शुरूआत होने की एक वजह यह है और दूसरी वजह यह भी थी कि इसे पहले के इलेक्शन में वहां पर रिगिंग का सिलसिला बहुत जोरों पर रहा। कभी भी सही इलेक्शन नहीं हो पाये। यह एक और दूसरा मुद्दा बन गया। यह सारे मिलाकर जितने भी अनएजुकेटेड अनएम्प्लायड यूथ हैं, वे मिलिटेंसी के हाथों में लग गये। उनके हाथ में बन्दूक आ गई। तो उन्होंने यह सिलसिला वहां पर शुरू किया। इस तरह से जम्मू-कश्मीर में इस वक्त मेरा ख्याल है लगभग एक लाख से ज्यादा अनएम्प्लायड यूथ हैं और मेरा निर्वाचन क्षेत्र जो कि पोपुलेशन के लिहाज से बहुत छोटा है, लगभग दो लाख से ऊपर आबादी है लेकिन इलाके का जहां तक सवाल है, वह हिमाचल प्रदेश स्टेट से 7000 स्क्वायर कि.मी. बड़ा है।

रोजगार के साधन वहां पैदा करने के लिए काफी साधन हैं। वहां पर लगभग पांच लाख बेरोजगार युवक मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ तवज्जह दे। खास तौर से, जैसा मैंने पहले कहा, फाइनेंशियल इन्स्टीच्यूशन की वजह से जो समस्या आ रही है, उसको दूर करने के लिए जब तक सरकार कदम नहीं उठाएगी, तब तक इस बेरोजगारी की समस्या को दूर नहीं किया जा सकेगा। जहां तक शिक्षित बेरोजगारों का सवाल है, यह समस्या भी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं एक वक्त ऐसा आएगा, जब सरकार इन सौ-फीसदी लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाएगी और ऐसे लोगों को स्माल-स्केल उद्योगों की तरफ ले जाना होगा। मेरा सुझाव है कि सरकार द्वारा इन शिक्षित बेरोजगारों का ध्यान स्वरोजगार की ओर आकर्षित करना चाहिए।

इसके साथ ही मैं बैंकों द्वारा पैदा की जा रही समस्या की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति लोन लेने के लिए जाता है, तो उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए, किसी को एक लाख रुपए की आवश्यकता है, तो बैंक द्वारा कहा जाता है कि लोन का पचास प्रतिशत कैश और एक मुश्त गारन्टी होनी चाहिए। यदि किसी के पास 50 हजार रुपए मौजूद हैं, तो फिर उसको सरकार से लोन लेने की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ, मेरे विचार से यदि गारन्टी देने का सवाल है, तो वह तो दी जानी चाहिए। नौजवान चाहते हैं कि वे ट्रक खरीदें, खुद चलायें और कमायें। कोई टैक्सी खरीदना चाहता है और कोई छोटे-छोटे उद्योग खोलना चाहता है, लेकिन समस्या बैंकों द्वारा पैदा की जा रही समस्या पर आकर रह जाती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक स्टेट बैंक है। इस बैंक में लोगों का काफी पैसा जमा है, लेकिन वह जमा राशि लोगों को लोन के रूप में उपलब्ध नहीं होती है। लोगों को जो फायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। जब तक सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगी, तब तक इन शिक्षित बेरोजगारों को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं श्री प्रभु दयाल कठेरिया जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव के जरिए इस समस्या को सदन में उठाया। मैं इस प्रस्ताव की तवक्को करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाएगी।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : माननीय सभापति जी, मेरे विद्वान साथी ने एक संकल्प प्रस्तुत किया है जो हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मेरे विचार से, सभी सदस्यों का यह मत है कि यह हमारे देश की एक प्रमुख और ज्वलंत समस्या है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है, इसकी अपेक्षा मुझे यह कहना पड़ रहा है,

कि हम जब इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं तो सदन में सदस्य ही उपस्थित नहीं है हम सभी इस बात से सहमत हैं कि यह एक हमारे देश का एक ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन हम इस मामले पर जब सदन में चर्चा कर रहे हैं तो सदन में सदस्य ही उपस्थित नहीं है।

आप जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न श्रेणियों की बेरोजगारी है। पहले शिक्षित युवाओं की एक बड़ी संख्या है संभवतः विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या की गिनती करना संभव नहीं है। उन्होंने कस्बा क्षेत्र अथवा शहर क्षेत्रों में रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज करवाये हैं। लेकिन उन युवा लोगों के अलावा काफी ऐसे युवा है जिन्होंने विश्वविद्यालयों अथवा महाविद्यालयों से उपाधियों प्राप्त नहीं की है जो गांव के एक दूरस्थ कोने में रह रहे हैं, वे अपने नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज नहीं करा सकते।

उनकी संख्या की गिनती करना भी संभव नहीं है क्योंकि हमारे गांवों के दूरस्थ कोनों में रहने वाले अत्यधिक युवा रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज नहीं करवा सकते।

सभापति महोदय, बेरोजगारी की एक अन्य श्रेणी भी है और वह है कृषि श्रमिक। कृषि श्रमिकों को विशेषकर हमारे क्षेत्र अर्थात पश्चिम बंगाल में 24 परगना में कोई रोजगार नहीं मिलता है। काफी मत्स्य गृह और कृषि भूमि ऐसे है जो क्षारीय पानी से आप्लावित है और इसलिए उक्त भूमि खेती करने के योग्य नहीं है। इसलिए कृषि श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्हें किसी कृषक द्वारा भूमि जोतने अथवा धान आदि उगाने के लिए नहीं लगाया जाता है। इसलिए उन्हें लगभग पूरे वर्ष भर बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, बंगाल सरकार ने कृषि श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए कुछ उपाय किए है। पश्चिम बंगाल सरकार उनको न्यूनतम मूल्यों पर राशन प्रदान कर रही है। मेरे विचार से, केन्द्र सरकार को भी राज्यों में ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि कृषि श्रमिकों को इस तरह की राहत प्रदान की जा सके।

महोदय, कई अन्य वर्ग भी बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कामगार वर्ग। कामगार वर्ग कई उद्योगों में कार्य कर रहा है। लेकिन हम सभी यह जानते हैं कि हमारे देश के अधिकतर उद्योग अब बन्द कर दिए गये हैं और उसके कारण कामगार वर्ग जो उद्योगों में लगे थे, वे अब बेरोजगार हो गये हैं।

सभापति महोदय, जैसा कि हम सभी जानते है कि गंगा नदी के दोनों किनारों पर काफी पटसन मिलें हैं जिनमें बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के लोग काम करने आते हैं। श्रमिक वर्ग के लाखों लोग पटसन मिलों में कार्य कर रहे थे। लेकिन पटसन मिलों को अब बन्द कर दिया गया है। इसलिए वह श्रमिक वर्ग भी अब बेरोजगार है। पटसन मिलों को छोड़कर देश में काफी और भी ऐसी कई मिलें और कारखाने हैं जिन्हें बन्द कर दिया गया है। अतः सरकार को रूग्ण और बन्द उद्योगों को पुनः चालू करने और उनका पुनरूद्धा करने के लिए पहल करनी चाहिए ताकि उन उद्योगों में लगे श्रमिकों को पुनः रोजगार प्रदान किया जा सके।

सभापति महोदय, आज योजनावकाश से पूर्व, बैंकों के बारे में चर्चा थी कि बैंकों में बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई प्रावधान हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, विशेषकर बैंक के अधिकारी वास्तविक बेरोजगार युवाओं, जो अपने कार्यों के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने का अनुरोध करते हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करने में बहुत आनाकानी करते हैं। लेकिन मुझे यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि कई चालाक व्यक्तियों की मिलीभगत से बैंक अधिकारी और कर्मचारी बेरोजगार युवाओं को ऋण प्रदान नहीं कर रहे हैं। अतः, बैंक अधिकारी उनको ऋण प्रदान नहीं करते। कुछ चालाक व्यक्ति, जो ऋण प्राप्त करना चाहते हैं वे बैंक अधिकारियों की मिली भगत से बैंकों से ऋण प्राप्त कर रहे हैं। यह हमारे देश की वास्तविकता है।

मेरे विचार से, सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए कुछ प्रयास, कुछ उपाय किए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल संरकार ने यद्यपि बेरोजगार लोगों के रोजगार के लिए रूग्ण उद्योगों को पुनः चालू करने और उनका पुनरूद्धार करने के लिए गंभीरतापर्वक प्रयास और उपाय किए हैं। फिर भी उनकी सबको रोजगार प्रदान करने की गुंजाइश कम है। अतः महोदय, मैं चाहता हूं कि रोजगार के अधिकार और कार्य के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए और उनको रोजगार प्रदान करने के लिए एक केबीनेट मंत्री के पर्यवेक्षण में भारत सरकार में एक विभाग होना चाहिए। मेरे विचार से, यह सरकार, जिसने अपने न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में इतनी घोषणाएं की हैं और जो एक बड़ी संख्या में सदस्यों के समर्थन से बनाई गई है, इस मामले को देखेंगी और इस समस्या का समाधान करेगी। उन्हें हमारे देश से बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए सकारात्मक उपाय करने चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने मित्र श्री प्रभु दयाल कठेरिया का धन्यवाद करता हूं कि वे बेरोजगारी से संबंधित इस संकल्प को लाये जिससे देश की इस स्वतंत्र समस्या पर मोटे तौर पर चर्चा करने का अवसर हमें मिला। इस समस्या की गंभीरता पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। हम में से प्रत्येक सदस्य इस समस्या से परिचित है। अपने क्षेत्रों में हम नाराज बेरोजगार युवाओं का सामना करना पड़ता है। हम अपने युवाओं के चेहरों पर निराशा भी देखते हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, हमारी प्रणाली में शिक्षित युवा आमतौर पर नौकरी ज्यादा पंसद करते हैं, चाहे वह नौकरी सरकारी हो अथवा सरकारी उपक्रमों अथवा प्रतिष्ठित निजी फर्मों में। रोजगार के अवसरों

के न होने पर कुछ औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने के लिए बाध्य होते हैं, अर्थात कोई उद्योग अथवा कारोबार लगाने के लिए।

बेरोजगारी की इस समस्या के कई पक्ष हैं। यह बहु पक्षीय है। हमारे यहां बिल्कुल बेरोजगार लोग और बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कृषि क्षेत्र में हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग लगा हुआ है। लगभग 80 प्रतिशत लोग प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कृषि से जुड़े हुए हैं। मैं आंकड़े नहीं देना चाहता; वे पहले ही दिए जा चुके हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि यह आंकड़ा लगभग 5 करोड़ का है। वह हमारे रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में उपलब्ध है, लेकिन उससे भी वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगता। सभी बेरोजगार लोग अपने नाम पंजीकृत नहीं करवाते है। काफी बेरोजगार ऐसे भी हैं जिनका रजिस्टर में नाम नहीं है। मैंने कहा था कि दो श्रेणियां हैं शिक्षित बेरोजगार और अशिक्षित बेरोजगार। अशिक्षित बेरोजगार को ग्रामीण विकास के लिए निधियां प्रदान करके दूर करना आसान है। उस क्षेत्र में, पूर्ववर्ती सरकार ने काफी कुछ किया है यहां तक कि उनमें शत्रुओं को भी यदि वे सत्य को स्वीकार करें तो इससे सहमत होना पड़ेगा। आप ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां यह रोजगार आश्वासन योजना चले रही है, जहां यह क्रियान्वित की जा रही है, वहां धन की कमी की समस्या नहीं है।

यह प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन अन्य समस्या यह है कि उस धनराशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है। इसका उपयोग सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि ग्राम पंचायतें, सरपंच और प्रधान जो दस वर्ष पूर्व अपने साथियों और चपरासियों को वेतन तक देने में असमर्थ थे, अब उनके पास लगभग 8 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक बकाया है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम । लाख रुपये दिया जाता है। जिन गांवों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिक होती है, यह धनराशि प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये या उससे भी अधिक दी जाती है। इस सबसे, मैं इस विषय की गम्भीरता कम करना नहीं चाहता लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यदि अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति शारीरिक काम करना चाहते हैं, यदि वे शारीरिक परिश्रम करना चाहते हैं, तो ऐसा काम काफी मात्रा में उपलब्ध हैं और उपलब्ध कराया जा सकता है। मैं यही सब कहना चाहता हूं। जिन्होंने छठी या आठवीं तक ही पढ़ाई पूरी की है, वे भी चतुर्थ श्रेणी का पद प्राप्त करना चाहते हैं। शारीरिक काम, कृषि कार्य, भवन निर्माण का कार्य आदि उनकी अंतिम वरीयताओं में आते हैं। इस तरह से यह एक दृष्टिकोण का प्रश्न है, जिसे बदलना होगा। कृषि-प्रधान देश में इसे कैसे बदला जा सकता है?

हमें कृषि को और अधिक महत्व और ऊंचा दर्जा देना होगा। बड़े किसानों के बच्चे भी सरकारी नौकरी करना पंसद करते हैं। यह ऐसी बात है जिस पर सम्पूर्ण सभा को दलगत मतभेदों से ऊपर उठ कर ध्यान देना चाहिए।

श्रीमान, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आपने भी इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया और कुछ बातें जो आपने यहां कही उनका विरोध करना मेरे लिए कठिन हो गया है क्योंकि आप अध्यक्षपीठ पर बैठे हैं। कृपया मुझे अनुमति दें, मैंहोदय ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया।

सभापति महोदय : आप नाम लेकर कहिए। 'चेअर' का कोई नाम नहीं होता है। चेअर चेअर होता है।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं इससे सहमत हूं। हां, माननीय सदस्य नीतीश कुमार जी...(व्यवधान) नीतीश कुमारजी ने ऐसा कहा था। लेकिन, मैंने कहा, समस्या इतनी बड़ी और चुनौतीपूर्ण है कि जो कुछ भी आप करते हैं, वह आवश्यकता से कम ही रह जाता है।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन यदि कोई यह कहता है कि कुछ भी नहीं किया गया है तो यह सच नहीं है। इस विधेयक की एक और समस्या है। यह संकल्प लघु उद्योग क्षेत्र से सम्बन्धित है। वस्तुतः लघु उद्योग क्षेत्र को इस समस्या से निपटने में एक बड़ी भूमिका अदा करती है। इस कठिन समस्या से निपटने में लघु उद्योग इकाईयों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। कृपया मुझे इसे पढ़ने की अनुमति दें। इसमें कहा गया है, "बेरोजगारी से निपटने और और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि से, यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि विद्यमान लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करे।" क्या ऐसा नहीं किया जा रहा है? ऐसा किया जा रहा है। यह नीति में भी है। लेकिन प्रश्न यह है कि इसे कैसे लागू किया जा रहा है। इसे ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। काफी परेशानियां हैं। अधिक सहायता दी जानी चाहिए। यह एक अलग बात है। लेकिन क्या ऐसा नहीं किया जा रहा है? इसमें आगे कहा गया है: "और अधिक लघु उद्योग स्थापित करें और ऐसे उद्योगों को आवश्यक आधारभूत जैसे ऋण, बिजली, विपणन की सुविधाएं आदि प्रदान करें। "क्या सरकार की यह नीति, औद्योगिक नीति का भाग नहीं है कि बेरोजगारी की समस्या से निपटा जाए? लघु उद्योगों के लिए उत्पादन के कुछ क्षेत्र आरक्षित कर दो यह ठीक है। महोदय जैसा आप जानते हैं, हमारा समाज एक समान नहीं है, यह फुटबाल के मैदान की तरह एक समान नहीं है, इसमें अनेक उतार-चढ़ाव आते हैं। यह असमानताओं से भरा हुआ है। जब यही समान नहीं है तो स्वाभाविक रूप से हमें कमजोर वर्गों दलितों के लिए कुछ आरक्षण करना होता है, उसी प्रकार लघु उद्योगों के लिए

हमें कुछ आरक्षण करना चाहिए। महोदय, यह हम सभी जानते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। यही बात इस क्षेत्र के मामले में भी सही है। अतः, सावधानियां बरतनी होगी।...**(व्यवधान)** हां, इसीलिए मैंने कहा कुछ आरक्षण होना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, कमजोर वर्गों और अब अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण क्यों है? ऐसा इस कारण है कि हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि इन सभी की उन्नति अच्छी तरह से नहीं हो सकती। कुछ लोग हैं जो सामाजिक आदि क्षेत्र में उन्नति और विकास की दौड़ में पीछे रहे गये हैं। क्या यह किया नहीं जा रहा है? मैं आंकड़े बतलाता हूं। 1980 में, 836 उत्पादों को अनन्य रूप से लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया था। यदि वे इसे उचित रूप से क्रियान्वित करेंगे, बड़ी इकाईयों बड़े उद्योगों को इन सब वस्तुओं का उत्पादन करने से निषेध होगा। हाल ही में, जनवरी माह में बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। मुझे इस बारे में पता नहीं है कि समिति ने अपना प्रतिवदेन दिया या नहीं दिया। मेरे विचार से आरम्भ में उस समिति को तीन माह का समय दिया गया था। इसे समयावधि बढ़ा दिया गया होगा। मेरे विचार से, समिति योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की गई थी।

अपराह्न 5.04 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए)

बदलती हुई परिस्थिति पर फिर से विचार करने के लिए समिति गठित की गई थी। प्रिय रंजनदास मुंशीजी अभी यहां उपस्थित नहीं हैं। हमारी औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति में भारी बदलाव हुआ है। और इसी कारण आज भारत खड़ा है। पूर्व सोवियत संघ का क्या हाल हुआ? अन्य देशों का क्या हश्र हुआ? वे तहस-नहस हो ढह गये हैं। चूंकि हमने सही समय पर परिवर्तन किया, इसलिए हम किनारे से वापस बच निकले। 1991 में अर्थव्यवस्था आर्थिकरूप से ढहने के कगार पर खड़ी थी। लेकिन आज हमारी विश्व में सम्मानजनक स्थित है। वस्तुतः बदलती हुई परिस्थिति में, हमारी नीति में इस सभी परिवर्तनों के कारण ही, लघु उद्योगों, उनकी समस्याओं आदि पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि इस समिति में लघु क्षेत्र एककों का लघु उद्योगों का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं है। यदि उन्हें भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो अच्छा होगा लेकिन तथापि जैसा आपको मालूम है, उद्योग के लिए वित्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ प्रमुख बैंकों के कुछ प्रतिनिधियों को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि वे एक साथ चल सकें इस समिति को केवल दिल्ली में ही बैठने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा करना चाहिए। उनकी लघु उद्योगों के उद्यमियों से सीधे परस्पर बातचीत करनी चाहिए, गहराई से उनकी समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए कि निष्पक्ष और व्यवहारिक सुझाव देने चाहिए, सरकार को भी समिति की सिफारिशों को पूरा महत्व देना चाहिए। यही बात है जिसकी आज आवश्यकता है। इसीलिए मैंने यह सब बातें कहीं। सभी खामियों के बावजूद जिनकी हमने शिकायत की है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि इस क्षेत्र की पूर्णरूपेण उपेक्षा की गई है। इसके बावजूद, औद्योगिक क्षेत्र के सम्पूर्ण परिदृश्य में, लघु उद्योग कुल विनिर्मित वस्तुओं में से 40 प्रतिशत वस्तुओं का विनिर्माण करता है यह भी बिल्कुल सही है कि यह केवल 40 प्रतिशत ही है।

जहां तक निर्यातों का सम्बन्ध है कुल उत्पादन में उनका योगदान 40 प्रतिशत है और देश के निर्यात में भी उनका हिस्सा 40 प्रतिशत ही है। एक बार फिर लघु उद्योग क्षेत्र का उत्पादन दो या तीन वर्षों की अवधि में बहुत अधिक बढ़ा है...**(व्यवधान)**। मैं आंकड़े बताता हूं। 1990-91 में 9664 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया वर्ष 1994-95 में निर्यातों का अनंतिम अनुमान 26000 करोड़ रुपये हैं 1995-96 के लिए उत्पादन, रोजगार और निर्यात लक्ष्य क्रमशः 300,000 करोड़ रुपये, 1.45 करोड़ रुपये और 30,000 करोड़ रुपये है। इस तरह से इसमें वृद्धि हो रही है। इसमें प्रगति हो रही है। लेकिन उनकी अपनी समस्याएं हैं। जैसा पहले कहा गया है। कुछ क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्र के नाम पट्ट लगे हुए हैं लेकिन ऐसे स्थानों के लिए सम्पर्क मार्ग नहीं हैं। इस सभा में पहले, दसवीं लोक सभा में इन जिला उद्योग केन्द्रों का आधारभूत संरचना के निर्माण आदि के बारे में कई प्रश्न उठाये गये थे।

धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है और क्रियान्वयन का काम राज्य सरकारों के जिम्मे है। इसके देखभाल की आवश्यकता है। केवल धनराशि देने से ही प्रयोजन हल नहीं होता है। इसके लिए केन्द्र द्वारा प्रभावी और दिन-प्रतिदिन के निरीक्षण की आवश्यकता है। इस तरह से, हम और बातें भी देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा, बिक्री और वरीयता का व्यवहार आदि बातें पहले ही नीति में विद्यमान हैं। लेकिन किस सीमा तक और कितने वर्षों तक आरम्भ में इसे बिक्री कर और अन्य करों से छूट दी जानी चाहिए, यह देखना चाहिए।

अब मैं पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई वृद्धि के बारे में बोलूंगा। निश्चय ही सोमवार को इस वाद विवाद में भाग लेते समय मैं इसके ब्यौरों पर चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि संकल्प के साथ जुड़ा अन्य तथ्य यह है कि हमें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा। हमारे उद्योग को अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे अवश्य ही हाथ पैर मारने चाहिए। अन्यथा यह रूग्ण हो जाएगा। आप कब तक इसे संरक्षण दे सकते हैं? मैं समझता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बड़ी एक व्यावहारिक समाधान हैं हमें दो तरह की कीमतों का निर्धारण करना होगा। यहां तक कि लघु उद्योग द्वारा प्रयोग किए जाने वाले डीजल इत्यादि के मामले में भी कीमतें दूसरी होनी चाहिए। अन्यथा हम अपने उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्विता का क्षय कर रहे होंगे। उस स्थिति में हमारा निर्यात कुप्रभावित होगा। उनमें से अनेक उद्योग बंद हो जाएंगे और उनमें में से लघु उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित होंगे। पूर्व में भी मैंने इंगित किया था कि कीमतों का भिन्न निर्धारण क्यों करना पड़ेगा।

अब मैं बेरोजगार युवकों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। लघु उद्योग की विभिन्न आकार-प्रकार और विभिन्न आयाम के है -मसले, साधारण और बहुत ही छोटे किन्तु कभीकभार लघु उद्योग होते हुए भी उनका आकार-प्रकार अच्छा खासा होता है। लघु उद्योग-कुटीर

उद्योग हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन की जड़ में रचा बसा था। राष्ट्रपिता गांधी जी ने मैनचेस्टर निर्मित वस्त्रों को जलाकर आन्दोलन शुरू किया। उन्होंने खादी और हाथ से बुने हुए कपड़ों का प्रयोग जारी रखा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में, कृषि क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता हैं उसके बाद कपड़ा क्षेत्र या लघु उद्योग कुटीर क्षेत्र का स्थान आता है आप चाहे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जाएं अथवा उड़ीसा जाएं, आप बुनकरों-हरिजन लोग, दलित लोग को बहुत दयनीय स्थिति में पाएंगे। वे बुनाई से अपनी रोजीरोटी कमाते हैं। आज के प्रतियोगी युग में हमारे यहां हस्तकरघा और अन्य करघा उद्योग कपड़ा मिले हैं। आज हमें देखना होगा कि जितना ज्यादा हम गांधी जी के रास्ते से भटके हैं उतने ही ज्यादा संकट का सामना हम अपने देश में कर रहें हैं। इसीलिए आज का समय इस संबंध में भी विचार करने का है।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : क्या आर्थिक नीति और गांधीवादी रास्ता एक दूसरे से मेल खाते हैं?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : ये सारी बातें हो सकती हैं। दोने के बीच एक विस्तृत समन्वयन हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में हम इसे कर सकते हैं। अन्यथा, आप दुनिया में प्रतियोगी नहीं बन सकते। कतिपय क्षेत्रों में आप इसे नहीं ला सकते। आप विद्युत उत्पादन को देखिए। आप लघु उद्योगों में क्या कर सकते हैं? इसके बारे में मुझे बताइए...**(व्यवधान)** इसी तरह, कतिपय बातें और भी हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, जनसंख्या वृद्धि हमारी नम्बर एक दुश्मन है। हमने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। चूंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ रहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले रोजगार अवसर जनसंख्या वृद्धि का सामना नहीं कर पाते हैं। ये हमारी जनसंख्या वृद्धि का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और वही समस्या है। खैर, इस वक्त हमें इस विषय पर विचार करना चाहिए।

"आज आप उपाध्यक्ष चुने गए हैं। मैं भी आपको बधाई देता हूं। मैं कामना करता हूं कि आपका कार्यकाल बहुत ही सफल हो। मैं नहीं चाहता कि आप घंटी बजाकर मुझे बैठने के लिए कहें। उससे पहले ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

मैं कहूंगा कि बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर है जिससे प्रत्येक व्यक्ति, खासतौर तो उड़ीसा के लोग त्रस्त हैं। अतः बेरोजगार संबंधी कम से कम एक संसदीय समिति होनी चाहिए।

स्थायी समितियों की प्रणाली के अस्तित्व में आने के पूर्व हमने पर्यावरण कृषि इत्यादि संबंधी समितियां गठित की थी। अतः हम रोजगार संबंधी संसदीय समिति क्यों नहीं बनाते और इस समस्या के विभिन्न पहलुओं को पर्याप्त समय देकर इस बोर में ठोस सुझाव क्यों नहीं देते?

श्री रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : हम इस उद्देश्य हेतु एक भिन्न मंत्रालय का गठन क्यों नहीं करते हैं...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : हमारे देश में काफी समितियां हैं; हमारे देश में समितियों की कमी नहीं है। समस्या बेरोजगारी की हैं आप इतने अनुभवी और सुसभ्य सदस्य हैं ...**(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जो बात केरल के हमारे युवा मित्र कह रहे हैं, उसमें वजन हैं हमारे यहां अनेक समितियां हैं। कभीकभार हम कतिपय चीजों को टालना चाहते हैं और उसके लिए समितियों, उप-समितियों, आदि का गठन कर देते हैं। मैं इसे किसी और भावना से नहीं कहा रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि एक समिति का गठन रोजगार और उससे संबंधित पहलुओं की जांच करने के लिए किया जाना चाहिए...**(व्यवधान)**। चूंकि मामला अब एक संकल्प के रूप में आया है अतः हमारे पास मामले पर चर्चा करने के लिए अवसर मिला हुआ है। लकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि स्थायी सम्मिति का गठन हो जाता है और रोजगार संबंधी मामलों को देखने के लिए एक विभाग की स्थपना हो जाती है तो यह एक बहुत अच्छी बात होगी। हमारी अनेक नीतियां अच्छी हैं लेकिन उन्हें पुनः एक नयी दिशा दिए जाने तथा फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है- खासतौर से उद्योग और लघु उद्योग नीति के संबंध में मेरा मन्तव्य यह है कि उनका क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं है और उनके क्रियान्वयन में सुधार किए जाने की बहुत सारी गुंजाइश है। नीतियों का क्रियान्वयन बहुत ही दोषपूर्ण है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के अंतर्गत बेरोजगार लोगों के लिए एक योजना है। इसके लिए लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। बैंक प्राधिकारियों से मिलकर वे ऐड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक लाख रु. में से 5000 से 10,000 रु. वे उस कार्यालय को आने तथा उच्च पदों पर आसीन विभिन्न लोगों की मुटठी गरम करने पर खर्च कर रहे हैं। वैसा करने से, उन लोगों का हित भी मारा जाता है। अतः आपको नीतियां अद्यतन करनी चाहिए। एक विशेषज्ञ समिति इसकी जांच कर रही है हम यह कार्य इस समिति की सिफारिशों के प्रकाश में भी कर सकते हैं। उसके साथ-साथ माननीय सदस्यों से भी सुझाव आमंत्रित किए जा सकते हैं ताकि हमारी नीति का क्रियान्वयन शब्दशः किया जा सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे सुनिश्चित किया जाना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए यह संकल्प लाने हेतु धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रभुदयाल जी कठेरिया द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है- "बढ़ती हुई बेरोजगारी को सेंकने तथा रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने हेतु यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि यह (एक) विद्यमान लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करे, (दो) नये लघु उद्योग स्थापित करे और ऐसे उद्योगों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जैसे ऋण, बिजली, विपणन आदि सुविधाएं प्रदान करे, (तीन) लघु उद्योगों के लिए उत्पादन के कतिपय क्षेत्र आरक्षित करें, और (चार) एक राष्ट्रीय कारीगर विकास बैंक की स्थापना करें।", मैं उस संकल्प का

पुरजोर समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से इस संकल्प को पारित करें, ताकि सरकार बेरोजगारी को दूर करने का निरन्तर प्रयत्न कर सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामायण के अंदर एक बात उठती है।

जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा,
तासु दुन कपि रूप दिखावा।

श्री हनुमान जी जिस समय सीता जी का पता लगाने के लिए लंका गए थे उस समय सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाही। सुरसा ने स्वतः अपना विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने भी उससे दुगुना रूप धारण कर लिया। जब सुरसा ने उनसे दुगुना रूप धारण किया तो हनुमान जी ने उससे चौगुना रूप धारण कर लिया। ठीक यही स्थिति आज बेरोजगारी की हो रही है।

चाहे जो भी सरकार आई, आजादी से लेकर आज तक, आप देख लीजिए हर सरकार ने कहा कि हम बेकारी को मिटांएगे, बेकारी को दूर करेंगे, लेकिन कोई नहीं कर सका। अभी जो मेरे साथ बोल रहे थे, इनकी पार्टी के घोषणापत्र में, 1991 में इन्होंने बताया कि हम 100 दिन में महंगाई को कम कर देंगे, लेकिन पांच साल निकल गए, महंगाई कम होने की बजाय और बढ़ी। वही ढाक के तीन पात वाली कहावत चरितार्थ हुई। महंगाई दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं महंगाई और बेकारी की स्थिति के बारे में बताउंगा, तो आपको पता लगेगा कि इस देश में बेकारी की कितनी भयावह स्थिति है। आज हमारे देश में साढ़े चार करोड़ से अधिक लोग बेकार हैं। उनमें 75 लाख से अधिक लोग शिक्षित बेरोजगार हैं और उनमें भी कई प्रकार के लोग हैं। शिक्षित बेरोजगार हैं, अशिक्षित बेरोजगार हैं, शहरी बेरोजगार हैं, ग्रामीण बेरोजगार हैं, प्रशिक्षित बेरोजगार हैं और सामयिक बेरोजगार (यानी कुछ समय के लिए) बेराजगार हैं। बेरोजगारी के तो इस प्रकार से नाना रूप हैं।

महोदय, बेरोजगारी के कारण भारत में बड़ा व्यापक असंतोष है। इसके कारण देश में राजनीतिक, सामाजिक असंतोष पैदा हो रहा है ओर जन-जन में आक्रोष बढ़ता ही जा रहा है। पढ़ने-लिखने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद, यहां तक कि डाक्टरेट की डिग्री लेने के बाद भी जब व्यक्ति समाज के अंदर जाता है, तो उस समय उसको बेरोजगारी चारों तरफ से घेर लेती है जिससे वह निराशा और कुंठा से घिर जाता है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। यह हमारे शासन के लिए अच्छी बात नहीं है।

महोदय, हम लोग भी इस बात को कहते रहे हैं कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और मजदूर को सही दाम मिलें। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि रोजगार के अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, तब तक बात बनेगी नहीं। जिस प्रकार से हमारे फंडामेंटल राइट (मूल अधिकार) हैं, देश के हर युवा को, हर काम करने वाले हाथ को काम प्राप्त हो, इसको भी फंडामेंटल राइट में शामिल किया जाए। जब तक रोजगार नहीं मिलता है, तब तक बेकारी बढ़ती जाएगी।

महोदय, हम देखते हैं कि लोक सेवा आयोग की रिक्तियां निकलती हैं, उनके अंदर पोस्टल आर्डर लगाते-लगाते, फार्म भरते-भरते और परीक्षा तथा साक्षात्कार देते-देते हमारे नौजवान कितना पैसा खर्च करते हैं, इसका यदि हिसाब लगाएं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनको कितना अधिक धन खर्च करना पड़ता है। एक तो पहले ही वे बेरोजगार हैं और ऊपर से उनको यह तमाम खर्च करना पड़ता है, जो कि उनके तथा उनके मां-बाप पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और कुछ नहीं, तो कम से कम इस बोझ को ही आप समाप्त कर दें। हमारे देश में बेकारी और बेरोजगारी की समस्या इतनी भयावह है कि हम इसको केवल विवाद का विषय या प्रदर्शन करने का विषय या इसका लम्बा-चौड़ा चित्रण कर दें और उसके बाद वही ढाक के तीन पात वाली बात हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए जैसा मैंने कहा रोजगार प्राप्त करने का अधिकार हमारे देश के संविधान में मूल अधिकारों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

मान्यवर, हमारे देश की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है और जनसंख्या की तुलना में बेरोजगारों की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 40 सालों की जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारों की संख्या की वृद्धि की यदि तुलना की जाए, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बेकारों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है, वह जनसंख्या वृद्धि की तुलना में दस गुनी से ज्यादा है। इससे आपको बेकारी की भयावहता की स्थिति की जानकारी होगी।

महोदय, विश्व बैंक ने हमारे देश के बारे में जो आंकड़े दिए हैं, उनके अनुसार 31 करोड़ 50 लाख लोग हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे हैं। जब निर्धनता की यह स्थिति है, तो ये "गरीबी हटाओ" का नारा लगाने वाले मित्र भली प्रकार से इस बात को सोचे और समझे कि वे किस प्रकार से नारा लगते रहे और वस्तुस्थिति जो होनी चाहिए, वह नहीं हुई है।

महोदय, आज कहा जा रहा है ग्रामीण विकास के लिए 30 हजार करोड़ रुपए दिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से जवाहर रोजगार योजना के अंदर गांवों में काम हो रहा वह ठीक नहीं हो रहा है। थोड़े समय के लिए मस्ट्रोल बना दिया जाता है और जो साधन सम्पन्न लोग नाम लिखवा देते हैं, जो तीन-चार साल पहले चयनित परिवार बने, उनको काम पर लगा दिया जाता है और यहां आकर आंकड़े बता दिए जाते हैं कि हमने इतने लोगों को काम दिया और इतने मानव दिवसों का सृजन किया।

लेकिन क्या उससे बेरोजगारी घटती है? उससे बेरोजगारी घटने वाली नहीं है। और इसी प्रकार से चुनाव के समय प्रधानमंत्री रोजगार योजना का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। आज बैंक इस मामले में बिल्कुल सहायता नहीं कर रहे हैं। हमारे शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जब श्रमिक विद्यापीठों के माध्यम से या अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों से ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद जिला उद्योग केन्द्र या जिला उद्योग विकास केन्द्र उनका नाम चयन करके बैंकों के पास भेजते हैं कि वे अपना लघु

उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। बैंक उनको रोज चक्कर कटवाता है कि इसमें यह नहीं है, वह नहीं है, इसमें गारंटी लाओ आदि। इस प्रकार से परिणाम यह होता है कि पांच या छः महीने चक्कर काटने के बाद वह युवक असंतोष का शिकार होकर, निराशा का शिकार होकर घर बैठ जाता है और उसकी ली हुई ट्रेनिंग भी बेकार चली जाती है। उनको प्रधान मंत्री रोजगार योजना का पैसा भी नहीं मिलता है। अगर वह मिल भी गया तो बैंक वाले उसमें से कमीशन ले लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सदन के कई मित्र इस बात को जानते होंगे कि बैंक में कुछ ले-देकर ही थोड़ा बहुत लोन दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसका जो अभीष्ट लक्ष्य है, उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। मान्यवर, सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 50 उद्योग बंद हो जाने के कारण या रूग्ण हो जाने के कारण 125 एन. टी.सी. राष्ट्रीय वस्त्र कपड़ा मिलों के घाटे में हो जाने के कारण, कम्प्यूटरीकरण के कारण और उद्योगों में आधुनिक टैक्नोलॉजी अपनाये जाने के कारण या मजदूरों की छंटनी के कारण, रेलवे के निजीकरण के कारण अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आ जाने के कारण देश की आर्थिक स्थिति गिर रही है।

मान्यवार, हमारे राजस्थान में भुजिया बनाने का उद्योग है। अगर भुजिया उद्योग के अंदर भी मल्टीनेशनल कम्पनी आ जायेंगी, पोटेटो चिप्स बनाने के लिए मल्टीनेशनल कम्पनी आ जायेंगी तो हिन्दुस्तान के गांवों के अंदर जो लघु उद्योग हैं, चाहे वह हथकरघा के हों, कालीन बनाने के हों, मुरब्बा बनाने के हों, अचार बनाने के हों या सूजी, पापड़ और मैदे की चीजें बनाने के हों, वे सब कहां जायेंगे?

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर जापान जो कि दो-दो लड़ाइयों में तबाह हो गया था लेकिन तबाह होने के बाद भी आज जापान ने बहुत तेजी से बेरोजगारी को मिटाया है और औद्योगिक समृद्धि को बढ़ाया है, अपनी मुद्रा की कीमत को बढ़ाया है। इसका एकमात्र कारण लघु उद्योग को बढ़ावा देना है। जापान के अंदर इलैक्ट्रानिक उद्योग जैसे टेपरिकार्डर है, रिकार्ड प्लेयर है, टी.वी. है, ट्रांजिस्टर है या और छोटी-मोटी विद्युत से संबंधित चीजें हैं, वे सब लघु उद्योग क्षेत्र में बनती हैं लेकिन अपने यहां 'सोनी' आ गया। पता नहीं और कौन-कौन सी मल्टीनेशनल कम्पनी आ गयी हैं। सारी की सारी कम्पनियां मल्टीनेशनल के हाथ में आ गयी हैं। इससे इस देश का रोजगार छीना जा रहा है। वे टैक्नोलॉजी एक्सपर्ट को वहां से ला रहे हैं। इससे हमारे युवकों का क्या होगा? हमारे जिन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन नौजवानों का भविष्य क्या होगा? हमारे जिन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन नौजवानों का भविष्य क्या होगा? इसलिए ये सारी चीजें या जो नीतियां हैं जैसे उदारीकरण की नीति है, मल्टीनेशनल को बढ़ावा देने की नीति है, विश्व बैंक के दबाव में आने की नीति, आई.एम.एफ. के दबाव में आने की नीति है, ये सब हमारे उद्योगों को मिटाने का षडयंत्र है। स्वदेशी की भावना को मिटाने का षड्यंत्र है। स्वावलम्बन की भावना को मिटाने का षडयंत्र है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस मामले में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिस क्षेत्र में हमारे पास उच्चस्तरीय टैक्नोलॉजी नहीं है और जिस क्षेत्र में हमारा घाटा जा रहा हो, वहां पर मल्टीनेशनल कम्पनी अपना उद्योग स्थापित करने आये तो उनका स्वागत है लेकिन छोटे-छोटे उद्योगों के अंदर, छोटे छोटे धंधों में, छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों में जो हमारे गांवों में परम्परा से चले आ रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत आधार है, अगर उन उद्योगों को छीन लिया गया, उनका हाथ काट लिया गया है, उन उद्योगों को नष्ट कर दिया गया, खादी ग्रामोद्योग की सबसिडी नष्ट कर दी, खादी ग्रामोद्योग आयोग जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कई रोजगार प्रदान करने का काम करता था, पिछले कई समाचारपत्रों में बड़े धड़ल्ले से आ रहा है कि खादी ग्रामोद्योग पर मिलने वाली सबसिडी अब राज्य सरकारों को मिलनी बंद हो गयी है। वह खत्म कर दी है। अगर यह खत्म कर दी है तो जो कुटीर उद्योग हैं, वे भी नष्ट होने की स्थिति में रह जायेंगे।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो रोजगार प्राप्ति का अधिकार संविधान के अंदर सम्मिलित किया जाए। दूसरा, हमने तय किया है कि सन् 2002 तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। जो नई सरकार आई है, मैं उससे कहना चाहूंगा कि आप लोग नारे तो बहुत लगाते थे अब थोड़ा काम करके दिखाइए कि सन् 2002 तक हर बेरोजगार व्यक्ति को कैसे काम दिलाएंगे। उसकी योजना सदन में लेकर आएं। जब बजट पेश करें उस समय वह योजना सामने आनी चाहिए।

मैं सामने वाले मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग हमेशा इस बात का समर्थन करते रहे हैं, अब बजट सामने आ रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि अभी कुछ दिन बाकी हैं। कम से कम ऐसा बजट लाइए जिसमें बेरोजगारों को राहत मिले, नौजवानों को काम मिले। उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की जा सके और सच्चे अर्थों में हिन्दुस्तान में समाजवाद आ सके। 'संगच्छरूवं संवदध्वं' वाली भावना साकार हो सके।

एक और बात इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि नौकरी और यकीन, इन दोनों की हद गांवों में भी तय होनी चाहिए...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर दो घंटे का समय निर्धारित हुआ था और अब दो मिनट बाकी हैं। कई लोग बोलना चाहते हैं। इसलिए कम से कम एक घंटे का समय और बढ़ा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हाउस चाहता है तो बढ़ा देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, हर कोई कह रहा है। यदि आप प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दें तो हर कोई अपनी बात कह सकेगा। बेरोजगारी हमारे देश में एक ज्वलंत समस्या है। अतः इस पर अपने-अपने विचार व्यक्त करना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हाउस ऐग्री करता है तो एक घंटा बढ़ा देते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन होगा कि बोलने वाले माननीय सदस्य 5-7 मिनट से ज्यादा का समय न लें ताकि ज्यादा लोग बोल सकें।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर के बारे में भी चर्चा करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह छः बजे शुरू कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गहलोत (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। जम्मू-कश्मीर के बारे में चर्चा हो, इससे मैं इंकार नहीं करता परन्तु शुक्रवार के दिन अंतिम ढाई घंटे केवल अशासकीय कार्यों के लिए होते हैं और वह समय समाप्त होने के बाद अन्य किसी विषय पर चर्चा नहीं करवाई जा सकती है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हाउस चाहे तो क्यों नहीं करवाई जा सकती है।

श्री थावरचन्द गहलोत : वह तो नियमों को शिथिल करके हाउस की सहमति लेकर ही करना पड़ेगा। वैसे सामान्यतया इसमें ऐसा नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वही करेंगे।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : जब चमन लाल जी बात कर रहे थे तो हाउस ने यह ऐसा किया था कि अब प्राईवेट मैम्बर्स बिल ले लिया जाए, छः बजे जम्मू-कश्मीर पर चर्चा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : हम वही करने वाले हैं।

श्री नीतीश कुमार : इस रैजोलूशन पर एक घंटे का समय बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि वह आज ही करना है। प्राईवेट मैम्बर्स बिल तो छः बजे तक ही चल सकता है। उसके बाद यदि आप और कोई बिजनस लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन इस डिबेट के लिए और समय बढ़ा दिया गया है। यदि आज पूरा नहीं होगा तो दूसरे दिन यह डिबेट जारी रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि यह आज पूरा नही होता है तो अगली बार में चला जाएगा। लेकिन छः बजे जम्मू-कश्मीर पर डिस्कशन शुरू हो जाएगी।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरा सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और ग्रामोद्योगों का जाल फैलाया जाए, उनकी अधिकाधिक स्थापना की जाए ओर फर्जी आंकड़ों के चक्कर में न पड़कर सही अर्थों में वहीं काम करने वाले बेरोजगार हाथों को काम मिल सके। ग्रामीण बेरोजगारी मिट सके ताकि वे शहरों की तरफ न भागें। इस बात की व्यवस्था की जाए। इसलिए नौकरी और जमीन, दोनों की हद तय की जानी चाहिए।

हमारे यहां एक तो खादी ग्रामोद्योग आयोग है और एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टैक्नोलॉजी है।

इन दोनों को सक्षम और मजबूत किया जाय, ताकि यह ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर कौन सी टैक्नोलॉजी लघु उद्योगों को और विकसित करने के काम आ सकती है, उसके लिए जो अनुसंधान वगैरह करते हैं, जिन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं, उसकी जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जाए। देश में राष्ट्रीय कारीगर विकास बैंक की स्थापना की जाय। जैसे और तरह के बैंक हैं, वह लोन देते हैं, उसी तरह गांवों में जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, चाहे कालीन का काम हो, करघों का हो, उनके लिए कारीगर विकास बैंक की स्थापना की जाय ताकि जो भी व्यक्ति, परिवार या समुदाय कोई उद्योग शुरू करना चाहता है, वह उस बैंक से सस्ती ब्याज दरों पर लोन से सके और वह भली प्रकार से अपने उद्योग में लगा सके, वापस सस्ते इंस्टालमेंट के अन्दर वापस चुका सके।

सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने की है। आज हमारी जो शिक्षा है, वह बेकारी को बढ़ावा देने वाली हो रही है और वह मेहनत करने की भावना से बचाना चाहती है। हर व्यक्ति को चाहती है कि वह बाबू बन जाय, लेकिन हर व्यक्ति तो बाबू बनाया नहीं जा सकता।

कुछ वर्गों के लिए जो आरक्षण किया, वह आरक्षण भी छलावा सिद्ध हो गया, क्योंकि आरक्षण के नाम पर कितनी नौकरियां मिल जाएंगी। हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के जो बन्धु आरक्षण के लालच में आये, लेकिन उनको कितनी नौकरियां मिलीं? जितनी नौकरियां मिलती हैं, जितने रिक्त स्थान निकलते हैं, उनका भी बैंक लॉग रह जाता है, हजारों स्थान खाली रह जाते हैं, वह भरे नहीं जाते हैं, इसलिए इस बात की भी सावधानी बरती जाय कि जो रिक्त स्थान हैं, वह सम्बन्धित वर्गों के लिए पूरे भरे जाएं, ताकि उन वर्गों की बेकारी का भी निराकरण हो सके।

इसी प्रकार से मैं छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं कि हमारे यहां पर 1991 में मैट्रीकुलेट पास 24.66 लाख लोग हुए थे, लेकिन जो काम दिलाऊ कार्यालयों में, एम्पलायमेंट एक्सचेंजों के माध्यम से नौकरी लगी, वह 0.59 लाख की लगी। नॉन डिग्रीधारी 63.23 लाख थे, लेकिन नौकरी केवल 0.25 लाख की लगी। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्रीहोल्डर 7.19 लाख थे और नौकरी 0.42 लाख की लगी। इससे नौकरियों का अंदाजा लगाया जा सकता है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि देश में स्वावलम्बन की भावना पैदा करने के लिए, स्वदेशी की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए स्वदेशी लघु-उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय और मल्टी नेशनल कम्पनियों को हर एक क्षेत्र में नहीं आने दिया जाय और रोजगार के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों में सम्मिलित किया जाय।

श्री सुरेन्द्र यादव (खलीलाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे सम्माननीय सदस्य कठेरिया जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया

है। आज पूरे देश में बेरोजगारी की जो अहम समस्या है, उससे पूरे देश का नौजवान आज बौखलाया हुआ है। आज तमाम नौजवान अपनी डिग्रियों को जला रहे हैं, इसलिए कि उनसे उनको रोजगार नहीं मिल रहा है।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद मगहर से आता हूं, जो बुनकरों का इलाका है। आज वहां के बुनकर, जो पूरे देश का तन ढकते हैं, अपनी रोजी-रोटी के लिए मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, लखनऊ और देश के अन्दर शहरों में जाकर रोजगार की तलाश कर रहे हैं। जिन बुनकरों ने हैंडलूम, पावरलूम लगा रखे हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है। आज वह बिजली के लिए परेशान हैं, तबाह हैं। रात-दिन वह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप उन जगहों पर चले जाएं, चाहे मऊ, मगहर, खलीलाबाद, सिहला, लछुआ, महुआ हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी बुनकर बाहुल्य इलाका हो, अगर उन जगहों पर आप जाएं तो शहरों में चौराहे पर लोग आज आठ बजे ईंट और गारा देने के लिए आकर खड़े हो जाते हैं, वह नौजवान, वह बुनकरों के बेटे जो पढ़े-लिखे हैं। एक जमाना था, जब इस देश में हाथी के तन ऊपर ओढ़ाने वाली, उसका तन ढकने की क्षमता लायक बांस की खोधी में बुनकर बुनता था, लेकिन आज यही बुनकर लाचार है, उसके हाथ कटे हुए हैं, इसलिए कि हमारे देश में किसी को चिन्ता नहीं है, उनके लिए कोई सरकार काम नहीं करती।

सरकारें आती हैं उपाध्यक्ष जी, और चली जाती हैं। उनकी बात तो करती हैं, उनको प्राथमिकता देने की बात भी करती हैं, मगर वास्तव में उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता है। मुझे अफसोस है कि जो पिछली सरकारें रही हैं उनके जमाने से जो बुनकर हैं, वे तबाह हो रहे हैं। जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जोकि गांवों में रहते हैं ये शहरों में जाकर अमीर लोगों के यहां 100 रुपया महीना की ट्यूशन का काम कर रहे हैं। वे लोग अमीरों के यहां जाते हैं और हाथ पसार कर कहते हैं कि हमें ट्यूशन का काम दीजिए। मैं खुद भी प्रशिक्षित ग्रेजुएट हूं, लेकिन मैंने भी 100 रुपया मसिक पर ट्यूशन अध्यापन करके अपना रोजगार शुरू किया था। आज जो संस्थाएं ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी हालत देखिए। वहां पर आए-दिन पढ़े-लिखे लोग, जोकि बी.ए., बी.एड. एम.ए. और एम.एस.सी. हैं, आते हैं और 500/- रुपये 700/- रुपये मासिक पर ट्यूशन अध्यापन करने के लिए उनके प्रबंधकों के सामने गिड़गिड़ाते हैं। अगर इस देश में पढ़े-लिखे नौजवानों की यही हालत है और उनको रोजगार नहीं देना है, तो ऐसे स्कूल्स और संस्थानों को मत खोलो, उनको मान्यता मत दो। अगर उनको मान्यता दो, तो एड दो वरना मत दो। मुझे याद है एक बार एक टीचर से एक मैनेजर ने पूछा कि तुम गंदी धोती क्यों पहनकर आते हो। इस पर उसने जबाव दिया कि आप मुझे एक रिन साबुन की टिकिया दे दें तो मैं अपना कुर्ता-धोती साफ पहनकर आऊंगा।

उपाध्यक्ष जी, मेरे साथी सदस्य काठेरिया जी ने जो यहां सवाल उठाया वह बहुत ज्वलंत है। आज हालात बद से बदतर है। हम लोग परेशान हैं। हमारा इलाका मछुआरों का और बुनकरों का इलाका है। वहां पर घाघरा, राप्ती और आमी नदियां हैं। मैं अपने क्षेत्र में बहने वाली आमी नदी का उदाहरण देना चाहता हूं। उसकी बगल में संजय पेपर मिल है। वह मिल पूरी नदी को प्रदूषित करती है। अगर कोई व्यक्ति उसमें स्नान कर लेता है तो वह अंधा हो जाता है और अगर भैंस उसमें चली जाती है तो उसकी खाल उधड़ जाती है। इस तरह का प्रदूषण देश की नदियों में है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह सबसे बड़ी चिंता देश की है।

मैं यहां पर नया निर्वाचित सदस्य हूं, लेकिन हमारे इलाके के लोग चाहते हैं कि इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर हम प्रकाश डालें, सरकार काम करे और उनको रोजगार मिले। खास तौर से मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा गांवों में बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, कुम्हारगिरी और सगई-जूठ का काम काफी होता है, लेकिन ये काम करने वाले लोगों को कोई एड नहीं दी जाती है। बैंकों से लोन देने की बात कही जाती है, लेकिन कोई लोन नहीं मिलता है। एक चौथाई लोन तो बैंक का मैनेजर ले लेता है। बाकी बचा-खुचा पैसा लेकर जब वह घर आता है तो कुछ दिन बीतने के बाद उसके नाम आर.सी. इश्यू हो जाती है और तहसील के कर्मचारी जाकर उससे कलेक्शन करते हैं, उसे तबाह करते हैं। हर तहसील में दस आदमियों की लिस्ट बनी है, जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्ज ले रखा है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अमीन आमीन उन लोगों को जाकर पकड़ते हैं जिन्होंने एक हजार रुपये, पांच हजार रुपये या दस हजार रुपये कर्ज ले रखा है। चाहे वह मोची हो, चाहे वह रिक्शावाला हो या कोई अन्य छोटा-मोटा उद्योग करने वाला हो।

मैं इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि आज जो मंगा-मांच चल रहा है, गरीबों को पकड़कर तहसील की हवालात में ठूंसने का काम हो रहा है, वह बंद होना चाहिए। नहीं तो जनता अगर बौखला जायेगी तो जैसे रूस के लूईस 16वें को महल से पकड़कर नीचे उतार दिया था, ऐसे ही चाहे वह आपके डी.एम. हों, तहसीलदार हों उनको कुर्सी से घसीट सकती है। मिल-मालिक पर दस करोड़ रुपये का कर्ज है, हमारे ऊपर एक हजार रुपये या दस हजार रुपये का कर्ज है तो हमें तो पकड़कर हवालात में बंद कर देते हो, लेकिन उन्हें नहीं कहते हो, ऐसा क्यों होता है? मैंने स्वयं अपनी नजरों से देखा है और ऐसे लोगों की पैरवी की है। मुझे खुद उन गरीबों पर तरस आता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कठेरिया जी ने आज यह सवाल उठाया तो हमें इससे खुशी नहीं हुई, दुख हुआ, क्योंकि फिर किसी जख्म का टूटा टांका। एक तरह से आज टांका टूट गया। आज आप इस कुर्सी पर नए चुने गए हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और एक शेर के माध्यम से अपनी तकलीफ को आपके सामने रखना चाहता हूं।

यह जो बेरोजगारों का दर्द है, यह जो मछुआरों का, लोहारों का, बढ़ई का और यह प्रजापति का दर्द है, उसको मैं आपके सामने एक शेर के रूप में लाना चाहता हूं। जब बेरोजगार मेरी तरफ पथराई नजरों

से देखता है, मैं भले ही नया मेम्बर हूं, 1979 से राजनीति में हूं और बराबर उनका दर्द सुनता आया हूं, वे पथराई नजरों से पूछते हैं कि हमें रोजगार मिलेगा क्या? कोई भी सरकार आयेगी तो क्या हमें बेरोजगारी से राहत मिलेगी? तो वह एक शेर है :—

"कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर-ऐ नीमकश को,
यह खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता।"

वह तीर जो जिगर के पार नहीं होता, हमारे दिल में चुभता है। हमें तबाह कर देता है, परेशान करता है और तब हम एवसप्लायटेशन, अन्याय के खिलाफ खड़े होकर नारे लगाते हैं। पुलिस हमारे ऊपर लाठी-चार्ज करती है। पुलिस के लाठी-चार्ज से हमारा दाहिना पैर और बांया हाथ टूटा हुआ है। इन सवालों को हम उठायेंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में बेरोजगारों के लिए कुछ करिये नहीं तो इस देश में बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। कठेरिया साहब से एक बात और कहूंगा कि आप यह सरकार से तो कहिए, अगर अपने नेताओं से भी कहिए कि आपने इस एनरॉन को प्रतिस्थापित किया है, इससे आपने पूरे हिन्दुस्तान को क्या मेसेज दिया है? आपने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को स्थापित किया और उसके बाद कहते हैं कि हम नौजवानों के लिए यह ग्रामीण रोजगार को डैवलप करना चाहते हैं। आप कैसे करेंगे, कैसे होगा? कैसे गांव के कुटीर उद्योग-धंधे पनपेंगे? क्या एनरॉन को प्रतिस्थापित करने से पनपेंगे?

मैं कोई बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता। यह दर्द हर आदमी के दिल में है जो इस देश का सच्चा और नेक इंसान है। मैं तो अध्यापक रह चुका हूं। आज मैं वकील हूं क्योंकि मैं 12 जून 1976 से टरमिनेटेड टीचर हूं। इसलिए मैं देश का, लोगों का और अपने प्रदेश के लोगों का दर्द जानता हूं कि उनको परेशानी है। आज एम.ए. बी.एड तथा एम.एस.सी.बी.एड. टीचर नॉन-ऐडेड इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं। मेरे खुद का खलीलावाद का जनता दल का जो नगर का अध्यक्ष है कुतुबुद्दीन सादिक शाही, वह आई.एस.सी. डिप्लोमा होल्डर है। लेकिन वह ट्यूशन करके अपना रोजगार कमा रहा है। इस देश में ऐसा हो रहा है। अभी जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तमाम बेरोजगारों के ऊपर जुल्म किया गया था, वे भी बेराजगार थे। इस मुल्क की ये समस्याएं हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह मुल्क की इस तबाही, बर्बादी तथा इस जिल्लत को रोके और खास तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के बुनकरों की जो तबाही है, जिस तरह से कर्जा वसूली हो रही है, वह बन्द की जाये और जो तहसील में बड़ा सा बोर्ड लगा है, क्या वह तमाशे के लिए लगा हुआ है? आप क्यों नहीं बन्द करते, आप क्यों नहीं उनको पकड़कर हवालात में ले जाते? इन बेरोजगारों को हवालात में क्यों बन्द करते हैं? जो बुनकर हैं, मछुआरे हैं, जो गरीब हैं और कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी तथा लोहारगिरी का काम कर रहे हैं या सूतली कातकर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं 1000-5000 रुपया कर्जा लेते हैं और उन्हें ले जाकर हवालात में बन्द कर देते हैं।

उत्तर प्रदेश में मेनका गांधी के बाद जनता दल का अकेला मैं ही सदस्य रह गया हूं।

अपराह्न 5.49 बजे

(श्री पी.एम. सईद पीठासीन हुए।)

इसलिए मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बुनकरों के साथ अन्याय हो रहा है, मछुआरों के साथ अन्याय हो रहा है। नदी का प्रदूषण बन्द किया जाये, उसे साफ कराया जाये ताकि हमारे मछुआरे मछली मारकर अपना पेट-पालन कर सकें।

इन्ही शब्दों के साथ मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो सवाल हमने उठाया है, यह जो बेरोजगारी का इतना बड़ा मसला है, इसको किसी तरह से हल किया जाना चाहिए। गांव को रोजगार दिया जाना चाहिए। बढ़ईगिरी, कुम्हारगिरी तथा लोहारगिरी और यह जो दूध का धंधा है, पशु-पालन है, इनको डैवलप करना चाहिए और कम से कम जहां सूतली वाले इलाके हैं, जूट के इलाके हैं, वहां जूट मिल स्थापित की जानी चाहिए। गन्ना मिल हमारे वहां की चल ही नहीं सकीं। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि 50 प्रतिशत इन्होंने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान का आदेश दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बेरोजगारों के दर्द को समझा जाये ताकि समस्या का समाधान हो सके।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : सभापति महोदय, मैं बेरोजगारी के संबंध में श्री प्रभुदयाल कठेरिया द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प के लिए उनको तहेदिल से बधाई देता हूं। मैं कह सकता हूं कि आज बेरोजगारी हमारे देश की अति गंभीर समस्या है। जो अपनी स्नातक की डिग्री लेकर आए वे निराशा में डूबे हुए हैं क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं है। आप कहीं भी जाइए कोई नौकरी नहीं है। परिणामस्वरूप निसशा के अलावा वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं और गलत कार्यों को अपना रहे हैं। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे वास्तव में प्रसन्नता है कि इस संकल्प में लघु-उद्योगों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से विचार किया गया है।

महोदय, हर कोई इस संकल्प के बारे में बोला। इसलिए मैं उन सभी मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता न ही मैं लम्बी चर्चा करना चाहता हूं। मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर केवल कुछ मिनट ही बोलूंगा।

प्रथमतः बैंकों की मानसिकता होती है कि छोटे उद्यमी छोटे लोग होते हैं। उसे अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। यह इस आम आदमी की समस्या है जोकि उद्योग प्रारंभ करना चाहता है। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह लघु उद्योगों को वित्तपोषित करने हेतु अत्यधिक प्राथमिकता देने के लिए बैंकों और संस्थानों को उचित निर्देश दें। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम बड़े उद्योगों के बारे में कम बात करें। बेरोजगारी की समस्या, को हल करने के लिए हमें बड़े उद्योगों, मझौले उद्योगों तथा लघु उद्योगों का बहुत औद्योगीकरण करना होगा। इसके अलावा जनसंख्या को भी नियंत्रित करना होगा। तभी बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। मेरे विचार से माननीय सदस्य इस पर

एकमत होंगे तथा कोई भी इस बात से इंनकार नहीं कर सकता कि बेरोजगारी की समस्या एक ज्वलंत समस्या है। हमें सरकार से आग्रह करना चाहिए कि वह सभी संस्थानों और बैंकों के लिए कानून बनाए या स्थाई हिदायतें दे कि प्रत्येक महीने के लिए उनका कोटा निर्धारित होना चाहिए। उदाहरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को लीजिए। उनको कितने लघु उद्योगों को पैसा देना चाहिए उस क्षेत्र के लिए उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए? ऐसे उद्यमियों का पता लगाना उनका कर्तव्य होना चाहिए जो ये लघु उद्योग शुरू कर सकें जिन्हें प्रशिक्षित किया जाए तथा सहायता भी दी जाए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पास दस लाख रुपये हैं लेकिन उसके पास नीति तैयार करने की कोई योजना नहीं है। लेकिन जब वह बैंक जाता है तो उसे बैंक से उचित प्रतिक्रिया नहीं मिलती। एक बार बैंक को बता दिया जाए कि यह उसका मासिक दायित्व है और यदि यह अपनी मासिक प्रगति नहीं दिखाता तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा तथा उस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार अथवा लोगों द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। तभी वह ठीक होंगे। इसलिए लघु क्षेत्र में उद्यमियों को उत्साहित और प्रेरित करके समस्या को सुलझाने का एक तरीका है।

महोदय मैं इसे राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता हूं। हर जगह हमें अच्छे और बुरे लोग मिल जाएंगे-प्रत्येक पार्टी अच्छी और बुरी है : तथा हर किसी की अपनी कमियां और खूबियां हैं। लेकिन इसके साथ-साथ पिछली सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से अच्छे प्रयास किए हैं कि बेरोजगारी की समस्या का हल हो।

महोदय, उदारीकरण क्या है? कुछ लोगों को यह स्पष्ट नहीं है। उदारीकरण का अभिप्राय है 'लाइसेंस की जरूरत नहीं, लाइन में न खड़े होना, कुछ निम्न या उच्च वर्ग के लोगों के लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं।' यदि आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। लाइसेंस की जरूरत नहीं है। यदि आप कोई विदेशी सहायता चाहते हैं यह आसानी से उपलब्ध है। हमारा देश गरीब देश है और हमारे पास कोई पैसा नहीं है। यदि आप किसी अन्य देश से पैसा चाहते हैं तो पैसा सम्पूर्ण विश्व के अन्य देशों से निवेश किया जा सकता है। इसलिए पूर्व सरकार ने प्रत्येक राष्ट्र के इस देश में आने तथा व्यापक औद्योगिकीकरण में भाग लेकर इस महान देश के निर्णय में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया ताकि बेरोजगारी की समस्या का हल किया जा सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि निर्माण रूपी भूमि जोती गई इसमें बीज बोया गया, इसे सींचा गया और पौधा उग आया। अब इस पर फल लगना है। इसलिए जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है जहां तक व्यापक औद्योगिकीकरण का संबंध है हमें पार्टी और राजनीति को भुला देना चाहिए। हमें एकजुट होना चाहिए।

हम इसके लिए संघर्ष करें तथा हर किसी को प्रेरित करें। यदि कोई उद्योग आ रहा है तो हमें खुश होना चाहिए कि एक 'मंदिर आ रहा है। पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि आनेवाले कोई भी सिंचाई परियोजना भारत के लिए आधुनिक मंदिर के समान है। आज न केवल सिंचाई परियोजनाएं भारत के आधुनिक मंदिर हैं बल्कि इस देश की गरीबी की समस्या के हल हेतु उद्योग भी आधुनिक मंदिर हैं। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग उदारीकरण के मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आज चीन प्रगतिशील और समृद्ध है तथा विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। यह कैसे संभव हुआ? हांलाकि यह कम्युनिस्ट देश है फिर भी उन्होंने विश्व में चारों ओर से पूंजी को लगाने हेतु लोगों को आमंत्रित किया। इसलिए हमें मझौले उद्योगों लघु उद्योगों, या बड़े उद्योगों के बीच अंतर नहीं करना चाहिए। हमारी दृढ़ इच्छा, समर्पण की भावना, कर्तव्यनिष्ठा और एकाग्रता हमारी गरीबी को हटाने में मदद करेगी।'

[हिन्दी]

यह देखना चाहिए कि हमें कैसे गरीबी को हटाना है?

[अनुवाद]

इसके लिए हमें व्यापक औद्योगिकीकरण की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस संकल्प को लाया गया है। यहां यह कहा गया है :

> "विद्यमान लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए"

ऐसा नहीं है कि वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है। वाकई लघु उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने की गति को तेज करने की आवश्यकता है। इसका यही अभिप्राय है। यह भी कहा गया है :

> "नए लघु उद्योग स्थापित करना और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना"...

यहां मुझे सरकार को एक बात कहनी है। एक साथी ने कहा है कि बेरोजगारी के लिए एक समिति होनी चाहिए। यदि बेरोजगारी के लिए समिति होगी तो बेरोजगारी के लिए एक मंत्री भी होना चाहिए और यह मंत्री भी बेरोजगार हो जाएगा। हमें समिति या बेरोजगारी के लिए मंत्री शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिस मंत्री को लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मझौले उद्योग और बड़े उद्योग तथा वृहत कृषि उत्पादन जैसे विभिन्न चैनलों में रोजगार के अवसरों के सृजन का कार्य करना होता है उसे इसकी निगरानी करनी चाहिए। उसका दायित्व रोजगार सृजन हेतु सरकार की विभिन्न परियोजनाओं को लागू करना है। मंत्रालय के कुछ विभाग इसको देख रहे हैं। इसके लिए सम्पूर्ण मंत्रालय होना चाहिए तथा इसके साथ-साथ उस मंत्रालय को उच्च प्राथमिकता, अधिक प्रभुसत्ता, अधिक महत्व और अधिक आदर दिया जाना चाहिए। वे जहां भी जाएं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उस मंत्रालय द्वारा बुलाए गए किसी भी सचिव को मिलने आना चाहिए और उनसे सहयोग करना चाहिए। ऐसी प्रणाली बनाई जानी चाहिए। इतना ही पर्याप्त है न कि केवल आलोचना करना और गलतियां निकालना।

अपरान्ह 5.58 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, एक बात और है। लोग इस बात को गलत समझ रहे हैं कि केवल प्रमुख उद्योगों के लिए ही उदारीकरण किया गया है। पूर्व सरकार द्वारा प्रत्येक उद्योग, लघु उद्योग का भी उदारीकरण किया गया है। यदि आप लाइसेंस लेना चाहते हैं यदि आप कागजी औपचारिकताएं पूरी करना चाहते हैं तो समस्याएं आ जाएंगी। पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लघु, मझौले या बड़े उद्योगों की स्थापना करने के लिए जल आपूर्ति और विद्युत कनेक्शन तथा बहुत सी अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की एक शाखा को भी एक ऐसे तंत्र की स्थापना करनी चाहिए ताकि लाल-फीताशाही समाप्त की जा सके। मुझे कहना है कि जब तक लाल-फीताशाही इस देश में व्याप्त है तब तक हम समृद्धि के सपने को साकार नहीं कर सकते और बेरोजगारी की इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं।

यदि आप हालात नहीं बदलते तो कुछ नहीं होने वाला है। कुछ दिन पहले भी सभी संसद सदस्यों ने आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ चर्चा की। यह स्पष्टतया महसूस किया गया कि दिल्ली में भी जब तक लोगों को राजी नहीं किया जाता तब तक कुछ नहीं होता। यदि कुछ नहीं बदलता तो उद्योग भी नहीं आएंगे। यदि उद्योग नहीं आते तो हमें रोजगार भी नहीं मिलेगा। हर बात परस्पर जुड़ी हुई है। अतः उत्साह और उमंग की भावना होनी चाहिए। इस देश के प्रत्येक नागरिक के खून में उत्साह और उमंग की भावना होनी चाहिए। इस देश के नागरिक के रूप में हमें यह देखने के लिए आगे बढ़ना है कि हर कोई इस देश के प्रति उत्साह और निष्ठा के साथ कार्य करे। यदि कोई व्यक्ति लघु उद्योग या लाइसेंस या सहायता या किसी अन्य मदद के लिए आता है तो हमें यह नहीं देखना चाहिए कि क्या वह हमारा संबंधी है या उसका कोई प्रभाव है या नहीं। जब तक यह लाल फीताशाही है तब तक हम इस देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने की समस्या के बारे में नहीं सोच सकते हैं। अतः मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी-2 माननीय मंत्री जी सदन में आए हैं। वह सौ वर्ष की उम्र तक जीऐंगे। मैं अभी उनके बारे में ही कहने जा रहा था कि वह आ गए।

मुझे खुशी है कि वह औद्योगीकरण में बहुत रूचि दिखा रहे हैं। मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उद्योग मंत्री ने काफी परिवर्तन किए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं। कि उन्हें अब लघु-उद्योगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसके रास्ते में आने वाली जटिल समस्याओं, लाल-फीताशाही और दिन प्रतिदिन की अन्य समस्याओं की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

अपरान्ह 6.00 बजे

मुझे आशा है कि वर्तमान सरकार पिछली सरकार द्वारा शुरू की नीतियों को और गति प्रदान करेगी मैंने पहले भी कहा है कि पेड़ बड़ा हो गया है और हम सबको उसके फलों का आस्वादन करना चाहिए और बेरोजगारी को दूर किया जाना चाहिए।

यद्यपि जनसंख्या इस समय चिन्ता का विषय नहीं है तथापि यह बेरोजगारी की समस्या के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे देश में खुशहाली न आई हो, हम इसे प्राप्त करते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो चुका है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैं उस संकल्प का समर्थन करता हूं जिसका सम्बन्ध विद्यमान लघु उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करना और गति प्रदान करना तथा और लघु उद्योग स्थापित करने और उन्हें बिजली, पानी, ऋण, विपणन, जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने और उत्पादन के कुछ क्षेत्र उनके लिए आरक्षित रखने से है। अंततः मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए जनसंख्या पर भी नियंत्रण आवश्यक है। **...(व्यवधान)**

डा. श्री रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : क्या आप अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा जारी रहेगी।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मेरे तीसरे प्रस्ताव पर बोलने के लिए मुझे कल अवसर मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बाद में जारी रहेगा।

अपराह्न 6.01 बजे

जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा के बारे में- सांविधिक संकल्प जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 18 जुलाई 1996 से छः महीने और बढ़ाने सम्बन्धित सांविधिक विधेयक पर चर्चा जारी रखेंगे।

श्री चमन लाल गुप्ता अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस रेजोल्यूशन की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ था और साथ ही मैंने यह कहा था कि मैं ताईद इसलिए कर रहा हूं कि वहां कि स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां पर सामान्य हालात चलें। उसके साथ मैं कुछ उदाहरण दे रहा था कि प्रधानमंत्री जब वहां गये तो वहां पूरी तरह से बंद था, हालांकि प्रधान मंत्री वहां पर बाढ़ देखने गये थे, कुछ सहायता देने के लिए गए थे।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखें। आपने अच्छा भाषण दिया, उसे खराब मत करें।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : मेरा यह कहना है कि आज जो डोडा के हालात हैं उन्हें देखते हुए आर्मी नहीं हटायी जानी चाहिए थी। पिछली बार आपने भी आदेश दिया था कि वहां से आर्मी न हटायी जाए, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद जिस तरीके से आर्मी हटायी गयी उससे आज वहां पर हर रोज 4-5 हत्याएं हो रही हैं। उग्रवादी वहां पर भय पैदा करना चाहते हैं। उग्रवादी यह कहकर चाकू से लोगों को हलाल करते हैं कि हम तुम्हें मारने के लिए अपनी एक गोली भी जाया नहीं करेंगे। इस तरह की दहशत उन्होंने वहां पैदा कर रखी है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सिज भी वहां पर हैं। वहां पर राष्ट्रीय रायफल है, बी.एस.एफ. है, सी.आर.पी. है, वहां की लोकल पुलिस है, लेकिन उनमें तालमेल बिल्कुल नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा था कि पिछले डेढ़ वर्ष से प्रधान मंत्री कार्यालय में एक फाइल पड़ी हुई है कि राष्ट्रीय रायफल सुपीरियर है या बी.एस.एफ. सुपीरियर है। बी.एस.एफ. वाले राष्ट्रीय रायफल के नीचे काम करना नहीं चाहते हैं। राष्ट्रीय रायफल वाले कहते हैं कि हम तो आर्मी के आदमी हैं हमें दूसरा कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। इस तरह का कंफ्यूजन वहां उनमें पैदा हो रहा है। मैंने उदाहरण दिया कि वर्षाला के अंदर उग्रवादी 15 लोगों को मार कर चले गये। दस घंटे तक लाशें पड़ी रहीं। हालांकि वहां से बी.एस.एफ. की चौकी एक किलोमीटर पर है और राष्ट्रीय रायफल की चौकी पौन किलोमीटर पर है। इसके लिए दोनों में से कोई भी जवाबदेही नहीं ले रहा है। वे दोनों एक-दूसरे की जिम्मेदारी बता रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वहां पर सरकार सरकार की तरह चले। जैसा मैंने पहले कहा कि आज वहां दिल्ली की सरकार है। इतना बड़ा कंफ्यूजन वहां होना नहीं चाहिए। वहां पर 60 के करीब सरकारी अधिकारी ऐसे थे जो पाकिस्तान गए, वहां ट्रेनिंग ली, वापस आए, उनको पकड़ा गया और जेल में रखा गया। लेकिन हैरानी की बात है कि डेढ़ साल तक उनको वेतन मिलता रहा। जब गवर्नर ने उनको डिसमिस किया तो वहां शोर मच गया। वहां एक कमेटी बनी और वह कमेटी डेढ़ साल बाद भी आज तक कोई फैसला नहीं दे पाई है। डिसमिसल के आर्डर हुए हैं,

लेकिन इम्पलिमैंट नहीं हो पाए। यहां चुनावों की चर्चा हुई। चुनाव ठीक हुए और वे होने भी चाहिए थे। चुनाव कराने के लिए 11 हजार मुलाजिम यू.पी., मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली से वहां ले जाने पड़े। आप दो लाख से भी ज्यादा सेना वहां लेकर गए। इस तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन कब तक चलायेंगे। कल अमरनाथ की यात्रा होने वाली है। अमरनाथ की यात्रा के लिए आर्मी डिप्लाए करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। आपका एम्पलाइज पर कोई कंट्रोल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा बार्डर पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। 1971 में हमारी सेना ने पाकिस्तान के एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा अपना कब्जे में कर लिया था। उनके 93 हजार सिपाही कैदी थे। उनको इसलिए छोड़ दिया कि यह इंटरनेशनल बार्डर है और इंटरनेशनल बार्डर के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। 1971 में हमने वहां बकायदा सारे बार्डर में डिच बनाया। पंजाब में फैंसिंग करने के बाद हमने यह फैसला किया कि हम कश्मीर में फैंसिंग करेंगे। हमने फैंसिंग शुरू की तो पाकिस्तान की गोलियां चलनी शुरू हो गई। दिल्ली से पूछा गया तो कहा गया कि 500 गज पीछे हट कर फैंसिंग कर लो। जब 500 गज पीछे हट कर फैंसिंग शुरू की तो फिर गोलियां चलनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि फैंसिंग ऐबैंडन कर दीजिए। पाकिस्तान इंटरनैशनल बार्डर पर हमें फैंसिंग नहीं करने देता है और हम उसको ऐबैंडन कर देते हैं। आज भी इनफिलट्रेशन जारी है। लोग पैसा और हथियार लेकर आते हैं। नशीली दवाओं का निर्यात हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को सरकार की तरह से काम करना चाहिए। वह अपनी ऐथारिटी ऐस्टैब्लिश करे। आज कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट की एथॉरिटी पूरी तरह इरोड़ हो चुकी है। जैसाकि जगमोहन जी ने भी कहा है कि सबसे पहला काम यह करने की जरूरत है कि हम वहां की ब्यूरोक्रेसी को रिकंस्ट्रक्ट करें। आज भी सरकार में बैठे बहुत से लोग मिलिटैंसी को बकायदा हवा देते हैं और उनका साथ देते हैं। वे उनके लिए सब तरह का काम कर रहे हैं। इसलिये वहां सबसे पहला काम यह करने की जरूरत है कि हम अपनी एथॉरिटी ऐस्टैब्लिश करें। वहां यह दिखायी दे कि भारत सरकार एग्जिस्ट करती है और यह चीज प्रैक्टिकली दिखायी देनी चाहिए।

सबसे बड़ा बदकिस्मती का पहलू यह है कि यह लड़ाई पाकिस्तान हमारी धरती पर लड़ रहा है। उसने बहुत सी लड़ाईयां लड़ीं। 1947, 1965 और 1971 में उसने हर बार मात खाई। हमारी सेना ने उसको हर बार धरती की धूल चटाई लेकिन हमारा उतना नुकसान तीनों लड़ाइयों में नहीं हुआ था, जितना कि इस प्रौक्सी वार में हो गया यानी कि उससे कहीं ज्यादा हो गया। पांच हजार से भी ज्यादा सिक्योरिटी पर्सोनल मारे गए। इतने लोग आज अंगहीन हो चुके हैं। 30 हजार के करीब लोग मर गए हैं। चार लाख लोग बेघर हो गए। वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हजारों मकान और दुकानें जलकर राख हो गई। लगभग तीन हजार के करीब स्कूल और कालेज की बिल्डिंगस जलीं। यह सारा तांडव नृत्य वहां हो रहा है। आप उसे समझने की कोशिश करें। बार-बार कहा जाता है कि कश्मीर के लोगों को विन करने की जरूरत है। कश्मीर के लोग हिन्दुस्तानी हैं, हिन्दुस्तानी थे और हिन्दुस्तानी रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए।

जैसा कि मैंने पहले कहा कि 1947, 1965 और 1971 में हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। आज वहां जो हुआ, वह हमारा फेलियर है। पाकिस्तान शरारत करेगा, आई.एस.आई. वाले शरारत करेंगे। उनको पसन्द ही नहीं है कि कश्मीर भारत के साथ रहे। हमने जिस तरह की सरकार वहां प्रोवाइड की, वह करप्ट गवर्नमैंट थी। कांग्रेस के दोस्त मेरे सामने बैठे हैं। इनकी बदौलत ही वहां ये सब होता रहा है। 1947 से लेकर आज तक इतिहास देखें तो आपको स्वयं नजर

आएगा। कि कश्मीर में कितनी बंगालग हुई है। आप 1947 और 1953 में शेख अब्दुल्ला को सिर पर उठा रहे हैं कि उन्हें 370 दे रहे हैं, उनके लिये अलग संविधान बना रहे हैं। उसे 1953 में जेल में डाल रहे हैं और 1975 में निकाल कर हीरो बना रहे हैं। उसके बाद फारूख अब्दुल्ला के साथ हुआ, जी.एम.शाह के साथ हुआ आपने ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा है। हम कश्मीर प्राब्लम समझने की कौशिश करें और जैसा मैंने कहा इसका ऑरिजन रावलपिंडी में हो रहा है, आई.एस.आई. वाले कर रहे हैं। मैं इस हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि यहां पर सर्वसम्मति से एक रिजोल्यूशन पास किया हुआ है। अगर कोई प्राब्लम है तो पाक ऑकिपाईड कश्मीर को हिन्दुस्तान में मिलाने की है। आज जितने ट्रेनिंग कैम्प चल रहे हैं, वे पाक ऑकिपाईड कश्मीर में न होकर डोडा जिला में चल रहे हैं। मैं यह बात गवर्नर के नोटिस में लाया हूं और आज सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि आज डोडा जिला में न्यू कैम्प्स चल रहे हैं। अभी कल ही दो लड़के भागकर निकलकर आये हैं जिसमें एक का नाम शकील है जिसने ऊधमपुर में सरेंडर किया है और उनमें से एक ने बताया कि एक कैम्प के अंदर लगभग 80 लोग ट्रेनिंग पा रहे हैं तो दूसरे के अंदर 150 लोग ट्रेनिंग पा रहे हैं। अगर हमारी धरती पर आकर पाकिस्तानी ट्रेनिंग देंगे और वे ट्रेंड लोग हमारी सरकार और हमारे लोगों के खिलाफ लड़ें, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। आज हमारी सरकार कहां है? मैं इसलिये दो बातें आपसे कह रहा हूं :

[अनुवाद]

सरकार को जम्मू और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित करनी चाहिए।

[हिन्दी]

दूसरा, हमारी धरती पर मिलिटैंट्स लड़ाई लड़ रहे हैं। यह हमारे दिये हुये पैसों से ही लड़ी जा रही है। आप यहां से करोड़ों रुपया कश्मीर भेजते हैं और वहां पर डी.सी. और बाकी आफिसर्स मिलिटैंट लीडर्स को बुलाकर पूछते हैं कि बताईये कौन सा काम करना है। जितने प्रोजैक्ट्स वहां पर चल रहे हैं, मिलिटैंट्स ठेकेदारों से बाकायदा सौदेबाजी होती है। इस तरह से एक भी काम नहीं हो रहा है। नौ करोड़ रुपया अनंतनाग के डी.सी. ने निकाल दिया, किसी को पता नहीं चला। डी.सी. के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज बताया जा रहा है कि डोडा जिला के रूरल डैवलेपमेंट के लिये 27 करोड़ रुपया खर्च किया गया है लेकिन आप वहां जाकर देखिये तो मालूम होगा कि एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की गयी है। सारा का सारा पैसा मिलिटैंट्स के पास चला जाता है। और मिलिटैंट्स उस पैसे का दुरुपयोग करके हथियार खरीदते हैं। इसलिये आपसे निवेदन के साथ ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने रखे हैं। एक तो यह कि अथारिटी इस्टेब्लिश करनी होगी, दूसरा जो हिन्दुस्तान की हार्ड अर्न मनी है, उसका सदुपयोग है। हमारे गवर्नर साहब कहते हैं कि हमने कश्मीर के ऊपर एक लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिया है और हमारे जगमोहन जी ने अपनी पुस्तक में शायद 80 हजार करोड़ रुपये की चर्चा की है। अभी जनरल के.वी. कृष्ण राव ने अपने शब्दों में कहा है कि एक लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिया है। अब हमारी हार्ड अर्न मनी वहां पर जाकर मिलिटैंसी पैदा करे, इसको चैक करना होगा।

तीसरी बात जिसका मैंने जिक्र किया कि बार्डर फैंसिंग होना चाहिए। उसको न कर पाने से आज हजारों एकड़ जमीन बेकार हो गयी है। वहां पर खेती नहीं हो सकती है, किसान न वहां पर हल चला सकते हैं और न ही अपनी फसल काट सकते हैं। आखिर हमें कोई प्रबंध तो करना होगा। वहां के हालात को देखकर आप एक पार्लियामेंटरी कमेटी बनाईये जो वहां जाकर देखे कि हिन्दुस्तान का पैसा कैसे खर्च हो रहा है। खाली कोई मिनिस्टर वहां चला जाता है, भाषण देता है और टी.वी. पर अपना सारा स्वरूप दिखा देता है। इससे कश्मीर की समस्या हल नहीं हो सकती। जो आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, इसके लिये आप वहां पर अथारिटी इस्टेब्लिश करें और वर्किंग सैक्रेट्रियट ऐसा काम करे कि लगे यह हिन्दुस्तान का सैक्रेट्रियट है। वहां पर पाकिस्तान आये दिन फायरिंग करता है जिससे सारी जमीन बेकार हो रही है। इसको बचाने के लिये हमें कोई काम करना होगा।

अध्यक्ष जी, सिर्फ एक पाइंट कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। यहां पर चार लाख माईग्रेंट्स बेघर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

आप इलेक्शन की चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार भी इलेक्शन के अंदर 97,000 माइग्रेण्ट्स रजिस्टर्ड थे। उन 97,000 में से 23,000 के ही वोट पड़े हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जिस व्यक्ति को आप वोट देने का हक नहीं देंगे तो वह क्या करेगा? हमने पहली बार ही निवेदन किया है और प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम वोटर लिस्ट ठीक कर देंगे। 82,000 की वोटर लिस्ट आप एक महीने में कैसे ठीक करेंगे? आप देखें कश्मीर वैली में 1990 के बाद 18 साल से ऊपर के लोगों को वोट डालने का हक आपने दिया है। वहां का आदमी अगर वोटर ही नहीं बनेगा तो वोट कैसे देगा? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो माइग्रेण्ट्स हैं, उनके बारे में हमें डिसाइड करना होगा कि वे वोट कैसे दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना वक्तव्य समाप्त करें।

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मामला बहुत संगीन है कृपया उन्हें बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भी कुछ कहना चाहते हैं। सूची में आपका नाम है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कब तक बैठना चाहते हैं। आप पहले ही निर्धारित समयावधि से अधिक बोल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पीठासीन होने के कारण ऐसा कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोतदार : परन्तु मामला बहुत गम्भीर है।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : मेरा कहना है कि माइग्रेण्ट्स हैं, कुछ दिल्ली में बैठे हैं, कुछ जम्मू में बैठे हैं, कुछ दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। सरकार उनके लिए कुछ प्रबंध नहीं कर रही है। सरकार जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की आत करती है, हम जरूर चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। जम्मू के साथ जो डिसक्रिमिनेशन होता रहा है उसको दूर कैसे करेंगे? जम्मू की कांस्टट्यूएंसी इस समय भी 60,000 से ज्यादा वोटर्स की है। कश्मीर वैली 40,000 पर आकर टिक जाती है। जब तक यह डिसक्रिमिनेशन दूर नहीं होगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे? माइग्रेण्ट्स वोट नहीं डालेंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे। 18 साल के नौजवान वोट नहीं डालेंगे तो फ्री एंड फेयर इलैक्शंस कैसे होंगे? ये जो प्री-कंडीशंस हैं, उनको हमें सबसे पहले पूरा करना होगा और तब जाकर हमें वहां इलैक्शंस की चर्चा करनी होगी। इलेक्शन होने चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है।

[अनुवाद]

चुनाव लोकतन्त्र का महत्वपूर्ण अंग है।

[हिन्दी]

यह हर आदमी समझता है लेकिन जब इलैक्शन हों तो वह फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इनसरजेन्सी चल रही है, इसका एक कारण 1987 का इलैक्शन बताया जाता है। अगर आप उसी को रिपीट करना चाहेंगे तो फिर कश्मीर को आप एक तरह से अपने से कटवाने वाली बात करेंगे। कश्मीर ने देश के लिए बहुत खून दिया है। कश्मीर के लिए हिन्दुस्तान का बहुत पैसा खर्च हुआ है। कश्मीर हिन्दुस्तान का है, हिन्दुस्तान के लिए रहे, उसके लिए व्यवस्था करें, इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना है।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बहरामपुर) : जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि छः महीने और बढ़ाने से सम्बन्धित सांविधिक प्रस्ताव पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए अवसरप्रदान करने के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। अपने दल आर.एस.पी. की ओर से संवैधानिक मैं इस बाध्यता के आधार मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमोदन करने के लिऐ खड़ा हुआ हूं।

महोदय, धारा 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागाना अथवा उस राज्य में अनिश्चित काल तक इसे जारी रखना राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना प्रजातन्त्र का कोई अच्छा लक्षण नहीं है। यह भारतीय संविधान के संघीय ढांचे का अच्छा लक्षण नहीं है। अतः हमें राज्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्याओं की गहराई में जाना है।

महोदय, मेरे विचार से कश्मीर की मूल समस्या, कश्मीर की अस्मिता और भारत की प्रभुसत्ता को सुरक्षित रखना है। राज्य की समस्याओं को सुलझाते समय इन दोनों पर विचार करना आवश्यक है। परिस्थिति इतनी गम्भीर है कि यह राजनीतिक प्रक्रिया की तत्काल बहाली की मांग करती है। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि अफसरशाही तरीके से सुरक्षा बलों के पहरे तले विधान-सभा और लोक-सभा चुनाव करवा दिए जाएं। राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करने का अर्थ है कि सभी स्तरों में राजनीतिक गतिविधियां बहाल की जाएं ताकि कश्मीर के लोगों में सकारात्मक जोश, आस्था और आत्म-विश्वास जागृत हो और वह भारतीय संविधान की राजनीतिक संस्कृति को समझें। इसके लिए मेरा सुझाव है कि भारतीय संविधान के अनुसार में कश्मीर के लोगों को और स्वायत्तता दी जानी चाहिए। कश्मीर के लोगों को वैसी स्वायत्ता नहीं दी जा सकती जो पश्चिमी बंगाल में गोरखा हिल परिषद या बिहार में झारखंड स्वायत्त परिषद को दी गई है। कश्मीर के लोगों को कैसी स्वायत्ता दी जानी चाहिए इसका निश्चय सभा को सावधानीपूर्वक करना होगा।

श्री चमनलाल गुप्त (उधमपुर) : जम्मू के दो सदस्यों ने स्वायत्तता का विरोध किया है। स्वायत्तता कौन मांग रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। अब आप सुनें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : आपकी अनुमति से मैं अपना वाक्य दोहरा रहा हूं। मैंने कहा है कि कश्मीर के लोगों को किस प्रकार की स्वायत्तता दी जानी चाहिए इसका निश्चय सभा में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। यह राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करने की ओर पहला कदम है। जब कश्मीर भारत का अंग बना था तब तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने कश्मीर के लोगों को यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि भारत के संविधान के अन्तर्गत उन्हें पूरी स्वायत्तता दी जायेगी और उनकी अलग पहचान का सुरक्षित रखा जाएगा

श्री जेवियर अराकल (एरणाकुलम्) : जी हां 26 नवम्बर को भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया था। किसने यह आश्वासन दिया था?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न मत पूछिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मुझे पहले अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए। यह कहा गया था कि अलग पहचान बनाए रखी जायेगी और साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया था कि कश्मीर के लोगों की परम्परा का आदर किया जाएगा। भारतीय संविधान की धारा 370 उस समय की केन्द्रीय सरकार द्वारा कश्मीर के लोगों को दिए गए आश्वासन का सम्पूर्ण सार है।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि हमें कश्मीरी लोगों को स्वायत्तता देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए क्योंकि राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करने की ओर यह एक कदम होगा।

राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली कथनी में जितनी सरल है, करनी में उतनी ही मुश्किल है। आर्थिक गतिविधियों की बहाली के बगैर राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली एक असंभव सी बात है। आर्थिक गतिविधि का अर्थ राज्य के बजट में केन्द्रीय सहायता से नहीं है। इसका तात्पर्य कश्मीरी लोगों को आर्थिक सहायता देने से नहीं है पर्यटन, सामाजिक वनीकरण और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। कश्मीरी लोग यह भी चाहते हैं कि केन्द्रीय निधियों में से कुछ निधि उन्हें भी दी जाए। वास्तव में आर्थिक गतिविधि तो अभी की अभी शुरू की जानी चाहिए। यह तो मात्र राजनीतिक प्रक्रिया की शुरूआत हेतु है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कश्मीर के खूबसूरत युवकों और युवतियों का गलत मार्गदर्शन किया गया। उन्होंने अपनी गल्त दृष्टि से यह मार्ग नहीं चुना। उस समय की केन्द्रीय सरकार के द्वारा परिस्थिति का ठीक से मुकाबला न करने के कारण उनका मार्गदर्शन गलत हुआ। यह याद करना ही दुःखद लगता है कि तत्कालीन केन्द्रीय सरकार, कांग्रेस सरकार ने कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि कश्मीर की राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया।

प्रधान मंत्री के पद के दावेदार श्री शेख अब्दुल्ला को काफी समय तक जेल में बन्द रखा गया। यह शुरूआत थी उस प्रक्रिया की जिसमें कश्मीर के लोगों ने महसूस किया कि वे अपनी अस्मिता, अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा और संवैधानिक हक खो रहे हैं। अतः उनकी भावनाओं को चोट पहुंची। मैं भावनाओं पर हुए जख्मों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि भावनात्मक रूप से जुड़े होना ही राष्ट्रीय एकता और अखण्डता का आधार है। यदि किसी राज्य के लोग भावनात्मक रूप से बिखरे हुए हैं तो वे भारतीय समाज की मुख्य धारा से पृथक होने के बाध्य हो जायेंगे और यह सब कश्मीर के सन्दर्भ में पहले ही घट चुका है। अतः हमें कश्मीर के लोगों के टूटे हुए हृदयों में आत्म-विश्वास जागृत करने हेतु सकारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि उन्हें भारतीय समाज की मुख्य धारा में वापिस लाया जा सके।

किसी को आतंकवाद की चाह नहीं है। परन्तु फिर भी आज कश्मीर में आतंकवाद है। कश्मीर के भोले बच्चे आतंकवादी क्यों बनते हैं? क्या यह उनकी गलती है? कांग्रेस के 30 या चालीस वर्ष के शासन ने उन्हें आतंकवाद का मार्ग चुनने को मजबूर किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपके दल के लिए दो मिनट समय निर्धारित किया गया था परन्तु आपने 12 मिनट का समय ले लिया। कृपया जल्दी अपना वक्तव्य पूरा कीजिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने के लिए दो मिनट का समय और दीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए पाकिस्तान द्वारा फैलाया गया आतंकवाद एक तथ्य है। परन्तु पाकिस्तान की राजनीति भी आजकल उलझी पड़ी है। हम कराची में मुजाहिद्दीन-कौमी आंदोलन और पाकिस्तान प्रशासन द्वारा उन पर किये गये अत्याचारों से अवगत हैं परिणामस्वरूप अपनी आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियों से विवश होकर पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की अपनी हरकतों को बन्द करने को विवश है। उन्होंने लोगों पर राजतन्त्र छोड़ दिया है। आज तो आतंकवाद में संलिप्त लोग भी देश में शान्ति और स्थिरता का माहौल स्थापित करने के लिए सोचने को बाध्य हो गए हैं। कश्मीर की जनता शान्ति ओर स्थिरता चाहती है। उन पर सुरक्षा बलों की धमकियों का कोई असर नहीं है। वे सब प्रभावों से परे हैं। वे पाकिस्तान द्वारा फैलाये गये आतंकवाद के भय से भी परे हैं। वे उन सब बुरे प्रभावों से परे हैं। वे शान्ति स्थिरता और प्रगति चाहते हैं। वे अपनी आजीविका स्वयं कमाना चाहते हैं। आज की परिस्थिति यह है। यह स्थिति पांच वर्ष पूर्व की स्थिति से सर्वथा भिन्न है। हमें इस तथ्य को अपने सामने रखना होगा। अब वो समय आ गया है जब राजनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए और केन्द्र सरकार को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए वक्त की पुकार यही है कि राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कीक जाए ताकि जो व्यक्ति राज्य छोड़ कर चले गए हैं वे अपने घरों को लौटें। अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे राजनीतिक प्रक्रिया, आर्थिक गतिविधि तथा शांति और स्थिरता की बहाली हेतु सकारात्मक कदम उठाएं।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव के प्रति सहमति अभिव्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सहयोग के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : महोदय, माननीय सदस्य ने गलत वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन केन्द्र सरकार ने कश्मीर के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि उन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जायेगी। यदि इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाता है, तो इसमें उग्रवादियों को गलत संकेत मिलेगा। उन्हें अपनी बात सिद्ध करने के लिए सभा की कार्यवाही से उद्धृत करने का अवसर मिलेगा। इसलिए इसे रिकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। कृपया उस टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सरकार उस का उत्तर देगी।

श्री मधुकर सर्पोतदार : महोदय, मानीय प्रधान मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के संबंध में सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया है। इस पर विगत दो, तीन दिनों से विचार-विमर्श चल रहा है। चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन 17 जुलाई को समाप्त हो रहा है, इस चर्चा को आज ही पूरा करना आवश्यक है ताकि इस विधेयक को राज्यसभा में भेजा जा सके। हम इस समस्त स्थिति की गम्भीरता को समझते हैं। मेरे विचार से इस देश की इस विशेष समस्या की गम्भीरता को देखते हुए, इस चर्चा के लिए नियत किया गया समय, अपर्याप्त है।

जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधियों, संसद सदस्यों ने भी इस सम्मानीय सभा के समक्ष अपनी शिकायतों को रखा है। उनमें से अधिकांश ने कहा है कि कोई वे और स्वायत्तता नहीं चाहते। जो कुछ दिया गया

है वह पर्याप्त है। सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि जिन लोगों ने जम्मू-कश्मीर की यात्रा नहीं की है, जिन्होंने उन लोगों की दशा नहीं देखी है जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उन्हें अधिकाधिक स्वायत्तता देने, अधिक सुविधाएं देने का सुझाव दे रहे हैं ताकि कुछ समस्याओं का समाधान किया जा सके। मेरे जैसा व्यक्ति स्थिति के बारे में सोचता है, क्या यह हमारे देश की राजनैतिक बुद्धिमता है कि हम पिछले पचास वर्षों से जम्मू-कश्मीर की एक समस्या का समाधान नहीं कर सके हैं? वास्तव में इस समस्या को उत्पन्न करने के लिए कौन उत्तरदायी है? हमें इसकी तह में जाना चाहिए और उसका समाधान ढूंढना चाहिए। हमें उसे भी देखना पड़ेगा और उसका भी उत्तर देना होगा। मैं पूरे मसले को विस्तार में बताने जा रहा हूं। मुझे पता है कि समय सीमित है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से कतिपय प्रश्न पूछना चाहता हूं। लेकिन दुर्भाग्य से प्रधान मंत्री सदन में ऐसी गम्भीर चर्चा के दौरान भी उपस्थित नहीं हैं। और गृह मंत्री भी यहां नहीं हैं। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह जम्मू-कश्मीर के मुद्दे से संबंधित शिकायतों को देखें विगत पचास वर्षों के दौरान कितने संकल्प पारित किए गये थे। कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई थी और इन सब पर कुल कितना खर्च हुआ? हम यह धनराशि कहां से खर्च कर रहे हैं और किस लिए? हमें उसके बारे में भी सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए। विगत पचास वर्षों में कितने जवान मारे गये थे? कितने पुलिस कर्मी मारे गये थे? जाति और नस्ल की ओर ध्यान दिए बिना जम्मू कश्मीर में कितने निर्दोष नागरिक मारे गये? यदि आप इन आंकड़ों की गणना करने का प्रयास करेंगे, तो आपको यह पता लगेगा कि मूलतः हमारी भारत सरकार ही इन हत्याओं के लिए उत्तरदायी है क्योंकि उनमें इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लेने का साहस नहीं है। हम केवल तुष्टिकरण का ही प्रयास कर रहे हैं, लोगों को प्रसन्न करने और समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन कब तक? मैं प्रधानमंत्री से यही प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया है। कम-से-कम उतना साहस उन्होंने दिखाया है। अन्यथा विगत छः सात वर्षों में किसी भी प्रधान मंत्री ने जम्मू-कश्मीर की दिन-प्रतिदिन की शिकायतों को देखने के लिए वहां का दौरा नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री वहां गये हैं। लेकिन मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है कि केवल एक दौरे से वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गये कि जम्मू-कश्मीर में एक साथ चुनाव करवाने का यह उचित समय है। प्रधानमंत्री को यह जानकारी किसने प्रदान की?

नागर विमानन मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : अध्यक्ष महोदय मैं अभी-अभी श्री शर्मा का भाषण सुन रहा था। मैं सभी दलों को नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस, भा.ज.पा. जनता दल, सी.पी.आई, सी.पी.एम., पैंथर पार्टी को बधाई देता हूं। क्योंकि पहली बार सभी ने इस पर सहमति दिखाई और एक मत से यह निर्णय लिया जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराए जाने चाहिए। यह पहली बात है।

दूसरे, मैं जम्मू-कश्मीर के राजनैतिक दलों को बधाई देता हूं उन्होंने एक स्वर में यह कहा है, "कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत कश्मीर में है, कश्मीर भारत में है। जो भी मुद्दे हैं, हम स्वयं निपटायेंगे हम किसी अन्य का मार्गदर्शन नहीं चाहते।" यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।

माननीय प्रधानमंत्री ने भी सभी राजनैतिक नेताओं की एक बैठक बुलाई थी मेरे विचार से आप भी उस बैठक में उपस्थित थे।

श्री मधुकर सर्पोतदार : मैं उस विषय पर आ रहा हूं।

श्री सी.एम. इब्राहीम : वहां भी हम इस बात पर सहमत हुए थे कि यथा संभव शीघ्र हमें चुनाव करवाने चाहिए और उन्होंने यह भी बताया है कि चुनाव कब कराए जाएं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मतदाता सूची का संबंध है, राज्य निर्वाचन आयोग ने, सभी दलों के समक्ष यह कहा है कि उनके पास पहले ही दो लाख फार्म हैं। फिर भी और फार्म की आवश्यकता है क्योंकि यदि कोई पात्र लड़का है, तो परत बन्दी करने के लिए घर-घर जाने का समय नहीं है। सभी राजनैतिक दल इस पर सहमत हैं। और, दो लाख फार्म नहीं आये हैं और केवल 12000 ही दर्ज किए गये हैं। यह हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार है। फिर भी, मैं सरकार की ओर से शर्माजी और अन्य सभी दलों से यह अनुरोध करूंगा कि यदि।

[हिन्दी]

दो लाख नहीं चार लाख फार्म चाहिए तो वह हम देने के लिए तैयार हैं। आप इस काम के लिए लीजिये। इससे वोटरों की लिस्ट में वृद्धि हो जायेगी। वहां चुनाव शांति से हो, यही हमारी इच्छा है।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : वहां पर बहुत फार्म मौजूद हैं, रिटर्निंग आफिसर के पास मौजूद हैं। वे किसी से लेने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन : प्रवासी वहां नहीं हैं। वे दिल्ली आ गये हैं। वे जम्मू कश्मीर से बाहर हैं। जब तक आप उनको वे शक्तियां नहीं देते...**(व्यवधान)** महोदय, वे मतदाता सूची के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली में भी प्रवासी हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आप इस तरह से तर्क नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन : वे श्रीनगर कैसे जाकर फार्म भर सकते हैं? ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब अपराह्न 6 बजकर 35 मिनट होने वाले हैं।

श्री मुधकर सर्पोतदार : मेरे विद्वान मित्र, माननीय मंत्री महोदय ने मेरे भाषण में व्यवधान डाला था। यह अच्छी बात है कि उसने बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं लिए गए उस समय को समायोजित कर दूंगा।

श्री मुधकर सर्पोतदार : मुझे इन घटनाओं के बारे में जानकारी है।...**(व्यवधान)**

श्री सी.एम. इब्राहीम : आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। इसलिये, मैंने आपको यह जानकारी दी है।...**(व्यवधान)**

श्री मुधकर सर्पोतदार : यही मूल कारण है।

मैं यही कहना चाहता हूं कि श्री देवेगौड़ा ने एक ही दौरे में सभी दलों की बैठक बुलाई थी। उन्होंने सभी पक्षों से विचार विमर्श किया है।

मेरे दल के माननीय सदस्य ने वर्तमान स्थिति के बारे में ठीक ही कहा है। मेरा सीधा-सरल प्रश्न यह है कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में क्या-क्या गतिविधियां हो रही हैं। आज भी उन्होंने अपने भाषण में व्यक्त किया है कि यहां पर आतंकवादी आ रहे हैं और मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं वहां पर राष्ट्रीय राइफल और सीमा सुरक्षा बल के जवान नहीं हैं। वहां पर कोई भी स्थानीय लोगों के हितों का समर्थन नहीं कर रहा है और मासूम लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। वह तो यह कई दिन पुरानी व्यथा सुना रहे थे।

मुझे कश्मीरी लोगों के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं हैं। मुझे सिर्फ शिकायत सीमापार से हमारे देश में आने वाले आंतकवादियों से है। हमारे जीवन की क्या व्यथा है? श्री शर्मा जी वर्णन कर रहे थे कि हजारों एकड़ भूमि हथिया ली गई है और हम खेती नहीं कर सकते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव आवश्यक हैं और इस बारे में कोई भिन्न मत नहीं हो सकता है। मैंने बैठक में भी निवेदन किया था कि लोकतांत्रिक प्रणाली के आरम्भ के लिये चुनाव आवश्यक हैं। यह तभी सम्भव है जब सरकार दृढ़ निश्चयी हो और इसको क्रियान्वित होने दें। दृढ़ निश्चय से तात्पर्य है कि धोखाधड़ी नहीं होने दी जाए और इसको सभी प्रकार से रोका जाए। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? आप वहां पर कुछ भी खर्च कर रहे हों परन्तु जम्मू-कश्मीर से कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है? काफी समय से जम्मू-कश्मीर में अत्यधिक धनराशि खर्च की जा रही है और यह कब तक खर्च की जाती रहेगी? क्या हम उनको स्वावलम्बी नहीं बनने देंगे? शान्ति के अभाव में कुछ भी सम्भव नहीं है। वहां पर कोई भी उद्योग और व्यवसाय नहीं लगाया जा सकता है। आप उनको कोई अन्य रोजगार और दूसरी चीचें नहीं दे सकते हैं। वहां पर शान्ति कैसे बहाल की जायेगी? राज्य में शान्ति स्थापित करने के लिये आतंकवादियों से बातचीत करना उचित नहीं है। वर्तमान में देश में क्या हो रहा है जो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं उनको ही बातचीत के लिये यहां पर बुलाया जा रहा है और विचार-विमर्श किया जा रहा है। जिन लोगों के पास ए.के.56 और अन्य बन्दूकें हैं तथा अत्याधुनिक हथियार हैं उनको शान्ति वार्ता के लिये बुलाया जा रहा है। एक तरफ तो उनके पास बन्दूकें हैं और दूसरी तरफ हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि कृपा करके उन अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग मत करो। हमको बचाओ और कुछ शांति बनाओ। यही सिद्धांत है। मुझे मालूम नहीं है कि यह सिद्धांत कहां से लाया गया है।

मैं विदेशी बन्धक व्यक्तियों के प्रश्न पर आना चाहता हूं। वास्तव में, मैं उस परं विस्तार पूर्वक बोलना चाहता हूं। मेरे दोस्त इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे पर हमारी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। अन्यथा मैं दूसरे मुद्दों पर जोर डालता।

अध्यक्ष महोदय : आपकी सहायता करने के उद्देश्य से मैं जानबूझकर आपको आबंटित समय की जानकारी नहीं दे रहा हूं।

श्री मुधकर सर्पोतदार : सभा के सूचनार्थ मैं आपसे यह प्रश्न पुछना चाहता हूं। पिछले 50 वर्षों में भारत सरकार की दक्षता के कारण कितने मासूम लोगों की हतयाएं की जा चुकी हैं? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे दक्ष नहीं है, वे दक्ष थी। इसके पश्चात ही हम तय कर पायेंगे कि वो दक्षता कहां प्रयोग की गई-अधिक लोगों को मारने में अथवा लोगों की जान बचाने में। हमको यह देखना होगा। वहां पर भ्रमण पर गए कितने लोगों की हत्या की जा चुकी है? कितना धन खर्च किया गया है? अभी कुछ देर पूर्व किसी ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया जा चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान कितनी वास्तविक धनराशि खर्च की गई है। इस बारे में कुछ जानकारी अति आवश्यक हैं। इन सबकी क्या उपयोगिता रही है? जम्मू-कश्मीर में क्या विकास किया गया है? स्थानीय लोगों के लिये स्थापित किये गए उद्योग, और अन्य चीजों का ब्यौरा क्या है? क्या वे आत्म-निर्भर हैं? क्या वो आजीविका अर्जन कर पा रहे हैं? क्या उनको दो वक्त का भोजन मिल रहा है? क्या वे दूसरों पर निर्भर रह सकते हैं? उनको दो रुपए किलो की दर से चावल दिया जा रहा है जबकि पूरे देश में कम से कम आठ रुपए किलो की दर से चावल दिया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि उनको दो रुपए किलो की दर से चीनी दी जा रही है। यह गलत हो सकता है। हम उनको अत्यधिक राजसहायता दे रहे हैं। यह अच्छी बात है। इसमें कुछ भी गलत नही है...**(व्यवधान)** मुझे अपनी बात कहने के पूर्व कृपा करके टोका टोकी मत कीजिये। कृपा करके मुझे अपनी बात पूर्ण करने दें।

मैं जानना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर की जनसंख्या कितनी है? वहां पर कितने प्रतिशत विदेशी हैं? मैं पाकिस्तान को एक विदेशी राष्ट्र समझता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि सरकार का इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है।

[हिन्दी]

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : दो रुपए में नहीं मिलता है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी.चाक्को (मुकुन्दमुरम) : यह भारतीय जनता पार्टी-शिव सेना का दुश्प्रचार है।

श्री मुधकर सर्पोतदार : यह शिव सेना का दुश्प्रचार नहीं है। मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि मुझे शिवसेना की इस सोच पर गर्व है। अगर आपको अपने ऊपर गर्व है तो मुझे अपने ऊपर गर्व है।

श्री पी.सी.चाक्को : आपको मूल तथ्य क्यों नहीं समझ आते हैं? आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं।

श्री मुधकर सर्पोतदार : मैं तोड़-मरोड़ कर वर्णन नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार उत्तर देगी।

श्री मुधकर सर्पोतदार : अगर आपको अपने ऊपर गर्व नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं कहना है। यह मैं अपनी जानकारी हेतु पूछ रहा हूं। अगर मुझे कुछ मालूम नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है। मेरे पास कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। मैं कोई प्रमाणों पर आधारित वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। यह मेरे द्वारा एकत्र की गई जानकारी है क्योंकि मेरे पास प्रमाणिक जानकारी नहीं है।

मैनें जम्मू का एक या दो बार भ्रमण किया है। मैंने वहां पर लोगों की हालत देखी है। अभी किसी ने कहा कि चार लाख आदमी रेत में रह रहे हैं। श्री मुखर्जी अथवा किसी अन्य ने कहा कि अगर आप गुलाब जैसे बच्चों की हालत देखना चाहते हो तो वहां पर रेत पर जाइए और देखिये कि वे किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कौन से अपराध किये हैं? उनका अपराध यही है कि वे हिन्दू हैं और कश्मीर में रह रहे हैं और इसी के कारण अपने ही देश में शरणार्थी हैं।...**(व्यवधान)** मेरी बात सुनिये। वहां पर काफी संख्या में मुसलमान और सरदार भी हैं...**(व्यवधान)** मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं इस पर आ रहा हूं। जब वह गुलाब जैसे बच्चों की बात करते हैं तो गुलाब जैसे बच्चे प्रत्येक समुदाय न कि सिर्फ एक विशेष समुदाय में मिलते हैं। परन्तु उनके जीवन की क्या व्यथा है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है? यह हमको पता करना होगा। हमने समय पर कार्यवाही नहीं की है।

जब हम यह कहते हैं कि यह हमारे देश का अभिन्न अंग है तो हम अपने लोगों के साथ समझौता क्यों करें? अपने देश की भूमि क्यों छोड़ दी गई थी? पिछले कुछ महीनों पूर्व हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी ने कहा था अब हमारी लड़ाई कश्मीर की बजाए 'आजाद' कश्मीर के लिए होगी। मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई थी। परन्तु 'आजाद' कश्मीर के लिये प्रयास करने के बजाए हम वर्तमान में कश्मीर को बचाने के लिये प्रयास कर रहे हैं।

वहां पर काफी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। उनका अपहरण कर लिया गया है और बन्दी बना लिया गया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि कब तक हमारे देश की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया जाता रहेगा। उन लोगों ने पयर्टकों का अपहरण करके बन्दी बना रखा है। हम अपनी शक्ति से बन्दियों को रिहा नहीं करवा पाए हैं। इसका विदेशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह सिर्फ सरकार को मालूम है।

इस सबसे गुजरने के पश्चात अब सिर्फ यह चिन्ता है कि क्या हमारी सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों की जान बचा सकने में समर्थ है। आतंकवादी देश में आ रहे है और हत्याएं कर रहे हैं। सरकार को घोषणा कर देनी चाहिये कि वह लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में अक्षम है। अन्यथा उनको घोषणा करनी चाहिये कि किसी भी कीमत पर एक भी जान का नुकसान नहीं होने दिया जायेगा। कोई भी आ जाए। क्या हम ऐसे अलगाववादियों के साथ समझौता करने जा रहे हैं? उनकी गतिविधियां क्या हैं? वे क्या कर रहे हैं?

मुझे बताया गया था- मैंने जानकारी एकत्र की कि हमारी सेंना, और सीमा सुरक्षा बल के लोग कहते हैं, "हमारे पास लोगों की हत्या के लिए हिदायते नहीं हैं। किसी अलगाववाद के मामले में यदि वे मारे गए तो वे पूछेंगे, वे क्यों मारे गए? और यदि वे नहीं मारे गए, वे पूछेंगे आपने कार्यवाही क्यों नही की?" इस प्रकार की नीति से कोई उद्देश्य सफल नहीं होता है। इस सरकार को कोई निर्धारित नीति अपनानी है। कुछ कठोर निर्णय लेना है। हम चुनावों का स्वागत करते हैं लेकिन इसके साथ ही सरकार को यह दृढ़ संकल्प करना होगा कि निर्धारित समयावधि के भीतर हमें देखना होगा कि जम्मू और कश्मीर की समस्या का स्थाई तौर पर हल हो जाए। हमे उनके द्वारा जबरन कब्जा की गई जगह अर्थात 'आजाद' कश्मीर को खाली करवाने के लिए आगे बढ़ना होगा। हम उस भूमि को पाकिस्तान के हाथों से कब मुक्त करवाएंगे? यह निर्णय इस सरकार द्वारा आज नहीं तो कल लेना होगा। लेकिन उससे पहले हमें सम्पूर्ण जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा करनी होगी।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधी प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं।

महोदय, मेरे विचार से इस सभा में चौथी या पांचवीं बार इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। मैं तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का समर्थन करता रहा हूं। पिछली बार एस.बी. चव्हाण ने कहा था कि आखिरी बार इस विकल्प को प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में यह उनका अंतिम था और मुझे आशा है कि वर्तमान प्रधान मंत्री के पास भी इस सभा में दूसरी बार इसे प्रस्तुत करने का अवसर नहीं होगा तथा मुझे आशा है कि यथासंभव चुनाव हो जाएंगे।

सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने श्रीनगर का दौरा किया जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश के लिए सकारात्मक प्रचार हुआ। मेरे पास कुछ समाचार पत्र हैं और इनमें से एक "दी इंटरनेशनल ट्रिब्यून" है जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर का दौरा करते हुए प्रधान मंत्री की फोटो छापी है तथा यह भी उल्लेख किया है, "भारत के प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा कश्मीर की युद्ध ग्रस्त राजधानी श्रीनगर का दौरा करते हुए। 1989 के बाद वे श्रीनगर का दौरा करने वाले प्रथम प्रधान मंत्री हैं।" हमारे देश के विरोधी स्वार्थी हितों वाले लोगों के विपरित प्रचार और विपरित प्रसार के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह एक सकारात्मक प्रचार हमारे देश को मिल

सका। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। जब भी हम कश्मीर के बारे में बोलते हैं, हम सबको थोड़ा-बहुत सचेत रहना होगा तथा अपने आपको अंकुश में रखना होगा। कश्मीर के नाम यह अंतर्राष्ट्रीय ताकतों द्वारा प्रचार किया जाता है जिसमें वे पाकिस्तान और इस जैसे लोगों के हमारे देश को विखंडित करने के इरादों में सहायता करते हैं तथा हमें अपने देश को उन शत्रुओं अथवा हमारे देश को विखंडित करने वाले लोगों के हाथों में नहीं रोकना चाहिए। मैं नहीं जानता कि अब भी हमारे कुछ लोग हिन्दु-मुस्लिम मामले के रूप में कश्मीर को साम्प्रदायिकता का जामा पहना रहे हैं। क्या यह हिन्दु-मुस्लिम मामला है? नहीं। यदि आप ऐसा कहते है कि यह हिन्दु-मुस्लिम मामला हैं तो आप केवल इस देश के शत्रुओं की सहायता कर रहे हैं।

महोदय, मुझे लगातार चार बार सयुंक्त राष्ट्र तथा कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस महान देश के प्रतिनिधित्व और पक्षधर होने का अवसर मिला है। कई इस्लामिक देश इस मामले को हिन्दु-मुस्लिम मामले के रूप में लेने को विवश हो गए हैं जोकि हमारे देश के हितों के विरूद्ध हैं...**(व्यवधान)** कृपया बैठ जाईए। आप मेरे भाषण के बाद प्रश्न पूछ सकते हैं। इस भारतीय तथा अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होने के नाते यह कहना मेरा कर्त्तव्य था कि यह हिन्दु-मुस्लिम मामला नहीं है। यह हमारे देश की अखण्डता और एकता का प्रश्न है तथा यदि लोग ऐसा नहीं सोचते तो मुझे खेद है। क्या आप सोचते हैं कि कश्मीर के लोगों को बन्दूक से जीता जा सकता है? नहीं आप उन्हे केवल मतदान तथा उनके साथ बातचीत के जारिए ही जीत सकते हैं। अभी तक इनके पास कश्मीर केवल भूमि का एक टुकडा मात्र था न कि कश्मीर की आत्मा। लेकिन अब आत्मा हमारी ओर आकर्षित हो रही है। यह चुनावों का परिणाम था। श्री शर्मा समेत सदस्य इस संसद में आए हैं। लेकिन अभी भी हम वही बातें कर रहे हैं। क्या यह सम्भव है? कल मुझे अपने मित्र श्री जगमोहन द्वारा दिए गए भाषण को सुनकर बहुत खेद हुआ। श्री जगमोहन क्या कहते हैं? उन्होंने कश्मीर के विख्यात नेता शेख मोम्मद अब्दुल्ला के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की मैं तो यहां तक कहता हूं कि यह अपमानजनक वक्तव्य था। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि श्री जगमोहन का श्री शेख अब्दुल्ला जैसे बड़े नेता के बारे में ऐसी बुरी बातें करना आपत्तिजनक था। वे श्री शेख अब्दुल्ला क बारे में क्या सोचते हैं? श्री शेख अब्दुल्ला के कारण ही कश्मीर का भारत में विलय संभव हो सका है। क्या उन्होंने इसमें प्रमुख भूमिका नहीं निभाई थी? मैं यहां पर कुछ समाचार-पत्रों का भी उल्लेख करूंगा। ऐसे व्यक्ति का पक्ष लेना मेरा कर्त्तव्य है जोकि जीवित नहीं है। जिस व्यक्ति ने भारत का समर्थन किया, जो धर्मनिरपेक्षवाद का पक्षधर था तथा जो हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए लड़ा उसका पक्ष लेना प्रत्येक भारतीय का कर्त्तव्य है...**(व्यवधान)**। कृपया मेरी बात सुनिए। मैं यहां पर आता रहा हूं। मेरे पास 'एमिनेंट पार्लियामंटेरियन मोनोग्राफ सीरिज, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, लोक सभा सचिवालय' नामक प्रकाशक है।

मेरे पास प्रो. रशीदुद्दीन खान, जोकि एक संयत और जाने माने विद्वान व्यक्ति हैं की लिखी हुई एक कृति है उन्होंने कहा है और मैं उद्धृत करता हूं :—

> "भारत में विलय महाराजा की विश्वास, देशभक्ति या दूरदर्शिता नहीं थी अपितु पाकिस्तान द्वारा दिखाई गई युद्धकारिता के कारण उनकी एक विवक्षता थी। इसके विपरीत शेख साहिब की एक ही रट् थी ब्रिटिश उपनिवेशवाद, डोगरा सामान्त प्रथा तथा राष्ट्रीय मुख्य धारा से मुस्लिमों को अलग करने की प्रवृति जम्मू और कश्मीर के लोगों के तीन प्रमुख शत्रु हैं।"

यही परिणाम था। अब मैं श्री मेहर चन्द महाराजा की बात करूंगा जोकि श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अच्छे मित्र थे...**(व्यवधान)** कृपया मेरी बात सुनिए, श्री मेहर चन्द महाराजा लम्बे समय तक कश्मीर के प्रधान मंत्री रहे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी। मुझे याद है कि पुस्तक का नाम "लुकिंग बैंक" है। इस पुस्तक में उन्होंने शेख साहिब की भूमिका की बात की है। उन्होंने कहा था कि श्री मेहर चन्द महाराजा और महाराजा हरि सिंह भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू से मिलने गए तथा सहायता हेतु पाकिस्तान के विरूद्ध सेना भेजने के लिए जवाहर लाल नेहरू से कहा । अन्तर्राष्ट्रीय बारीकियों के कारण पंडित जी थोड़ा विचलित हुए। अगले ही कमरे में शेख साहिब बैठे थे। शेख साहिब ने एक नोट लिखा और पंडित जी को भेजा। उन्होने कहा था "आप तुरंत कार्रवाई कीजिए।" यही उन्होंने कहा था।

मुझे उसी पुस्तक में से और उद्धरण देने की इजाजत दी जाए क्योंकि इस सम्मानीय सभा के ध्यान में यह डा. सुशीला नायर ने "शेख अब्दुल्ला — शेरे-ए-कश्मीर" में उनके बारे में लिखा है। इसे संसदीय सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। डा. सुशीला नायर ने यह कहा है और मैं उद्धृत करता हूं :

> "जब गांधी जी की सलाह लेने प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू उनके पास आए थे तो मैं वहां उपस्थित थी। गांधीजी ने उनसे पुछा कि क्या कश्मीर के लोग भी विलय के लिए सहमत हैं तथा भारत के दखल को चाहते हैं। नेहरू ने कहा, हां, नेशनल कांफ्रेस और इसके नेता शेख अब्दुल्ला ने भी भारत की मदद मांगी है तथा उस सहायता को प्राप्त करने के लिए भारत में विलय को स्वीकार किया है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होने नेहरू जी को कहा 'आप मेरी सोच के बारे में जानते हो। लेकिन यह आपका रास्ता नहीं है। सरकार के प्रमुख होने के नाते आप जम्मू और कश्मीर को आवश्यक सहायता दीजिए।' तद्नुसार 27 अक्तूबर 1947 को महाराजा ने विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए और उसी दिन भारतीय सेना विमान से श्रीनगर भेजी गई।"

क्या यह शेख अब्दुल्ला का दृष्टिकोण नहीं है?...**(व्यवधान)** आशा है माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे कुछ और समय बोलने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री ई. अहमद : मैं अपना भाषण समाप्त करने ही जा रहा हूं केवल एक और मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

गांधी जी ने भी इसी प्रकार कहा था, श्री जगमोहन ने एक घृणित वक्तव्य दिया था...**(व्यवधान)** मैं जानता हूं कल उन्होंने क्या कहा था। मैं भी उसी प्रस्तक का उद्धरण देता हूं— उसमें कहा गया है :—

> "राज्य के लोगों की इस महान उपलब्धि से अत्यधिक प्रभावित होकर गांधी जी ने नवम्बर 1947 की प्रार्थना भाषण में कहा था :—
>
> "शेख अब्दुल्ला मुसलमानों और गैर-मुसलमानों दोनों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। कश्मीर की धरती पर ही इस्लाम और हिन्दुत्व को समान समझा जाता है। यदि दोनों अपना-अपना धर्म पूरी निष्ठा से निभायगे तो उनके नेताओं को इज्जत मिलेगी। मेरी एकमात्र प्रार्थना और आशा यही है कि कश्मीर इस अन्धकारमय महाद्वीप के लिए प्रकाश स्तम्भ की तरह चमके।"

यह गांधी जी का वक्तव्य है। क्या मैं श्री जगमोहन से पूछ सकता हूं कि क्या आप 1984 में उस राज्य के राज्यपाल नहीं थे। समुचित रूप से चुनी हुई सरकार को आपने बर्खास्त कर दिया, कश्मीर की स्थिति को बिगाड़ने में यह पहला कदम था। जब श्री जगमोहन दूसरी बार कश्मीर के राज्यपाल बने तब कश्मीरी पण्डित पलयान कर गए। क्या आप इस के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? आपके राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कितने निर्दोष कश्मीरियों का कत्ल हुआ?

अपराह्न 7.00 बजे

यहां पर वह यह कह रहे हैं कि हम उन्हें योजना राशि में से 100 प्रतिशत सहायता और 68 प्रतिशत गैर-योजना व्ययों से प्रदान कर रहे हैं। क्या आप यह समझते है कि आर्थिक सहायता के बदले में कश्मीरियों को खरीदा जा सकता है? क्या आप समझते हैं कि उनको गुलाम बनाया जा सकता है? क्या उनका आत्म सम्मान नहीं है? क्या उनकी 'कश्मीरियत' नहीं है? जैसे तमिलों की, आन्ध्र प्रदेश वालों की, केरलावासियों की, आसामवासियों का अपना आत्म-सम्मान है, उसी प्रकार कश्मीरियों का भी अपना आत्म-सम्मान है। विभिन्नता में एकता है। कश्मीर के लोग कहते हैं हमे स्वायत्तता चाहिए। हमारा अपना आत्म-सम्मान है। उन्हे 'कश्मीररियत' चाहिए। हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना है। आप उनसे क्यों स्नेह रखते है?

श्री जगमोहन और अन्य लोगो को यह जान लेना चाहिए कि कश्मीर को केवल ममता प्रेम और स्नेह से ही जीता जा सकता है। कश्मीर के लोग एक चट्टान की भान्ति भारत के साथ खड़े रहे। आप इस सत्य को नहीं भुला सकते। जो भी व्यक्ति कश्मीर के बारे में बात करता है, उसे यह समझ लेना चाहिए कि कश्मीर का मामला कोई साम्प्रदायिक मामला नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट अंग है। हर व्यक्ति को चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान इस तथ्य को स्वीकार करेगा।...**(व्यवधान)** प्रधानमंत्री जी, कश्मीर के मामले में सारा देश आपके साथ है।...**(व्यवधान)** मैं आपकी हार्दिक सफलता की कामना करता हूं।

श्री जगमोहन (नई-दिल्ली) : महोदय, मेरा नाम लिया गया है। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा। जो कुछ उद्धृत कर रहे हैं, वह उनका अपना मत हैं। मैंने दस्तावेजों से इन्हें उद्धृत किया है... **(व्यवधान)** वह जानते हैं कि मैं क्या कहूंगा। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। वह कभी भी इसको पचा नहीं पायेंगे। मुद्दा यह है कि मैंने शेख अब्दुल्ला के दृष्टिकोण के बारे में 1948 दस्तावेजों को उद्धृत किया है जो 1952-53 में उनके दृष्टिकोण के समकालीन रूप में तैयार किये गए थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने अपना मत स्पष्ट कर दिया है।

श्री जगमोहन : नहीं, मुझे उन्हे उदलई स्टीवनसन दस्तावेजों और सेंट लुई थंडरसन रिपोर्टों और अन्य दस्तावेजों का स्मरण दिलाने दीजिए। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने शेख और उनके सहयोगियों को बिना कारण ही जेल में डाल दिया था क्या वे कश्मीर के षडयंत्र के सम्बन्ध में जेल में नहीं भेजे गए थे? यह प्लेबीसाइट फ्रंट संगठन क्या थी? इसके आयोजक कौन थे? मैं श्री ई. अहमद को यह बता देना चाहता हूं कि यह उनकी अनिवार्यता थी क्योंकि श्री जिन्नाह और अन्य कभी भी शेख अब्दुल्ला को नहीं चाहते थे। इसलिए वह यहां आए।

1946 में श्री जिन्नाह ने चौधरी गुलाम अब्बास हुसैन को स्पष्ट निर्देश दिए थे और कहा था कि वह आपके नेता हैं शेख अब्दुल्ल्ला नहीं। श्री शेख अब्दुल्ला को मालूम था कि कश्मीर में उनका कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया अपनी परिस्थितियों के कारण किया। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि पंडित जी ने उनके बारे में क्या लिखा था स्वयं शेख अब्दुला ने पंडित नेहरू पर एक पुस्तक लिखी है वह लिखते है कि "पंडित नेहरू एक आर्य-समाजी की भान्ति थे। वह ऐसे थे।"

मैं पूरा पाठ्य उद्धृत किया है। वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैंने दस्तावेजों को उद्धृत किया है। मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेज को उद्धृत किया है। मैं तो वही कहूंगा जो कुछ इन दस्तावेजों में होगा।...**(व्यवधान)** उन्होंने उस क्षेत्र की ओर इशारा किया है जहां समस्या है। यही वह लोग है जिन्होंने समस्या पैदा की है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट रूकें।

(व्यवधान)

श्री जेवियर अराकल (एरणाकुलम) : महोदय मुझे और समय नहीं चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। मेरे पास ऐसा कोई पर्चा नहीं कि आप बोलना चाहते हैं। आप तो अभी-अभी आए हैं। आपने अभी-अभी एक पर्ची मुझे दी है। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं। यदि

मैंने आपसे पहले पर्ची प्राप्त कर ली होती मैंने अपको बोलने के लिए समय दिया होता। परन्तु मैं आपको बोलने का समय दे रहा हूं। आप ऐसा मत कहें।

श्री जेवियर अराकल : अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

महोदय, मै एक निर्दलीय सदस्य हूं। इस विषय पर हमने पूरी विस्तृत चर्चा की है। पूरे देश की दृष्टि इसी ओर है कि हम इस समस्या को कैसे सुलझाते हैं। महोदय, श्री जगमोहन अपने भाषण में धारा 370 को उद्धृत कर रहे थे। मैं 26 मई का राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ रहा था उन्होंने पैरा 14 में जम्मू और कश्मीर का उल्लेख किया है। राष्ट्रपति अभिभाषण में धारा 370 का कहीं उल्लेख नहीं है। जहां तक बीजेपी का संबंध है यह तो बहुत बड़ा प्रपंच है।

दूसरे, श्री जगमोहन सभा को एक और बात बता रहे थे। धारा 370 के अर्न्तगत जम्मू और कश्मीर से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कुप्रबन्ध को बढ़ावा मिला है। क्या मैं उनसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? जब वह उस राज्य के राज्यपाल थे तो छः वर्षों तक वह क्या कर रहे थे?...**(व्यवधान)**

श्री जगमोहन : मैंने पूर्ण रूप से इन पर रोक लगा दी... **(व्यवधान)** मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आप उस समय के दस्तावेजों को देखें...**(व्यवधान)**

श्री जेवियर अराकल : आप मेरे भाषण में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं। महोदय, आप भी स्वयं इसी सभा में थे...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? यह बहुत गम्भीर मामला है। आप आरोपों और प्रत्यारोपों में क्या जाते हैं? इस तरह तो हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमें रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

श्री जेवियर अराकल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके रचनात्मक दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि सभी सदस्य इस रचनात्मक निर्देश का अनुपालन करेंगे।

हमने वहां लोक सभा चुनाव करवाए। लोक-सभा चुनावों का क्या परिणाम था 70 से 75 प्रतिशत लोगों ने वोट दिया। किस लिए? क्या विपक्ष के माननीय नेता बता सकते हैं? जम्मू और कश्मीर के उस क्षेत्र के लोगों की क्या इच्छा है?

वे अपना वोट क्यों देते हैं? पिछले सात सालों से वहां कोई लोकतंत्रात्मक सरकार नहीं है। वे चुनावों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने निर्दोष लोगों की हत्याओं संहार इत्यादि का उल्लेख किया। बम्बई की सड़कों पर क्या हुआ था? किसलिए? भारत में कही भी किसी भी इन्सान, किसी भी नागरिक का खून हमारा अपना खून है। वह हमारा आपका खून है। महोदय, कितनी विधवाएं विलाप कर रही हैं? क्या आपको उस समस्या का हल ढुंढ़ना है अथवा नहीं?...**(व्यवधान)** इसलिए, हमने कहा था कि जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। माननीय सदस्य ने 26 अक्तुबर 1947 के अधिमिलन पत्र का हवाला दिया। महोदय इसमें क्या कहा गया हैं? मूलतः तीन मुद्दे थे अर्थात् विदेशी मामले, रक्षा तथा संचार। क्या वे उस पवित्र दस्तावेज तथा समझौते के आधार पर कुछ स्वायत्तता के हकदार नहीं हैं? क्या विपक्ष को उस पवित्र दस्तावेज पर आपत्ति है जिसमें भारत संघ में शामिल होने के लिए तीन मूल शर्तों का उल्लेख किया गया है? उसमें क्या गलत है?

अब कुछ सदस्य कह रहे थे कि उन्हें उस समझौते का अनुसरण नहीं करना चाहिए। क्या हम 1947 के समझौते को रद्द करने के लिए पाकिस्तान जायेंगे? क्या हम बांग्लादेश जा रहे हैं? क्या यही आपकी दार्शनिकता है? 1947 के बाद जो दस्तावेज बने हैं, वे सभी पवित्र दस्तावेज हैं। यह तो एक स्मृति स्वरूप है और हम इसका सम्मान करते हैं। इसीलिए हम कहते है कि उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।

माननीय सदस्य कह रहे थे कि स्वायत्तता के प्रश्न पर इसी सभा में निर्णय किया जाना चाहिए और उस पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : क्या स्वायत्तता का अर्थ है, देश का विभाजन।

श्री जेवियर अराकल : आप कृपया इन्तजार करिए। हो सकता है, आप एक नए सदस्य हों।

महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है। वर्ष 1980 में श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा था...**(व्यवधान)** कि जम्मू और कश्मीर की वास्तविक समस्या है शेष भारत से उस राज्य के लोगों का अलगाव। ऐसा किसने किया? तत्कालीन राज्यपाल श्री बी.के. नेहरू ने कहा था कि भारत के लोगों तथा कश्मीर के लोगों के बीच बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने उस समय केन्द्र सरकार के निर्देशों के आगे झुकने से इन्कार कर दिया था। लेकिन किसी ने वह बुरा काम किया और श्री फारूख अब्दुल्ला को बरखास्त कर दिया गया। आपने ऐसा क्यों किया? अब आप यह ढोंग कर रहे हैं कि अनुच्छेद 356 को लागू करने के अधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए। आप किस आधार पर यह कह रहे हैं? आपके पास ऐसा कहने का क्या अधिकार है, जब आप स्वयं इस तरह के कार्य में शामिल रहे हैं? क्या यह भा.ज.पा की अनैतिकता नहीं है?...**(व्यवधान)**

श्री जगमोहन : यह पूर्णतया गलत है।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह (सिवनी) : इस तरह की बातें करने से क्या फायदा है। इस तरह की बातों से जनता में ठीक मैसेज भी नहीं जाएगा।

श्री जेवियर अराकल : इसलिए मैं कहता हूं कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ सार्थक बातचीत की जानी चाहिए ...**(व्यवधान)** माननीय प्रधानमंत्रीजी ने कहा है कि सितम्बर अथवा अक्तूबर माह में जम्मू और कश्मीर में चुनाव करवाए जायेगे।

श्री जगमोहन : महोदय, वह.... की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री जेवियर अराकल : महोदय, कश्मीर तथा शेष भारत के लोगों के बीच बातचीत की प्रक्रिया आरम्भ हो जानी चाहिए।

कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, मुझे उस पर भी आपत्ति व्यक्त करनी है। जहां तक भारत का संबंध है, किसी की कोई अलग पहचान या राष्ट्रीयता नहीं होनी चाहिए। यह गलत है। भारत में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों तथा उप-संस्कृतियों के लोग रहते हैं। प्रत्येक मुद्दे पर एकजुटता होना कठिन है। नहीं, यह संभव नहीं है।

अतः, मै यह मानता हूं कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया गया यह संकल्प एक स्वागत योग्य कदम है इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर के लोगों की इच्छाओं को समझकर तथा स्वीकार कर अविलंब शेष भारत के साथ उनकी सार्थक बातचीत आरम्भ करवाने के लिए वास्तविक तथा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं। यद्यपि इस प्रस्ताव में छः महीने का उल्लेख किया गया है, मैंने सभा को आश्वासन दिया है कि चुनाव सितम्बर अथवा अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में करवाए जायेंगे।

महोदय, मैंने जम्मू और कश्मीर के भूतपर्व राज्यपाल तथा इस सभा के माननीय सदस्य के विचारों को सुना है जिन्होंने बीते समय की अनेक घटनाओं के बारे में उल्लेख किया है। हम उस स्थिति पर पहुंच चुके हैं जब हमें उस राज्य को उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप देना चाहिए। बीते समय के बारे में चर्चा करने से कि वर्ष 1958 से 1996 तक क्या-क्या घटित हुआ, विश्व में अथवा जम्मू और कश्मीर राज्य में शान्ति नहीं लाई जा सकती है। यह मात्र एक निरर्थक प्रयास है, इससे आप केवल यह दिखा रहे हैं कि पिछली घटनाओं के बारे में कौन अधिक जानता है। इससे कोई हल नहीं निकलेगा। मैं अतीत की घटनाओं के बारे में ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहता।

पहली बार मैंने कश्मीर का दौरा किया है। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि इससे पहले मैं कश्मीर कभी नहीं गया था। जब पिछली बार मैंने कश्मीर जाने का निर्णय लिया था, तो उसी रात आपात्काल की घोषणा कर दी गई थी। तब मैंने अपनी हवाई यात्रा टिकट रद्द कर दी और वापस बैंगलोर, चला गया।

अपने दौरे के दौरान, मैंने विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। मेरी यात्रा का उद्देश्य था, प्राकृतिक आपदा के बारे में उस जगह जाकर अध्ययन करना और बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में वहां के अधिकारियों से बातचीत करना। उसके साथ ही, मैंने वहां के अधिकारियों तथा राज्यपाल को यह भी संकेत दिया था कि मैं वहां के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने के लिए भी उतना ही इच्छुक हूं, यदि वे वास्तव में मुझसे मिलना चाहते हैं। उनको कोई विशेष आमंत्रण नहीं दिया गया था। महोदय, मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि नेशनल कांफ्रेंस सहित सभी राजनीतिक दल सामूहिक रूप से मुझसे मिले और उनकी सर्वसम्मत मांग यह थी कि जम्मू और कश्मीर में शीघ्र चुनाव करवाए जाये। निश्चय ही, उनमें से एक राजनीतिक दल ने इस स्वायत्तता के प्रश्न पर मुझे प्रभावित करने का प्रयास किया। उसी बैठक में, जिसमें भा.ज.पा. सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, सभी इस बात से सहमत थे कि स्वायत्तता के प्रश्न, जिसका उल्लेख संयुक्त मोर्चा सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में भी किया गया है, की चर्चा इस समय नहीं की जानी चाहिए।

पहले हम चुनाव करवाते हैं। हम शीघ्र शान्ति चाहते हैं। हम पड़ौसी देश को इस बात की अनुमति नहीं देना चाहते कि वह कश्मीर के लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ करें। जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं उस बात का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि "हम इस देश का हिस्सा हैं। हम इस देश का अविभाज्य अंग हैं। हम पुनः बाहरी ताकतों को इस बात का अवसर नहीं देना चाहते कि वे यहां के वातावरण को दूषित करें।"

महोदय, यहां कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्होंने अन्य देशों में दुष्प्रचार करने तथा गलत छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि जम्मू और कश्मीर में हुए संसदीय चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने विश्व भर में ऐसी धारणा उत्पन्न करने की कोशिश की है। मैं इस बात के लिए पिछली सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा कि अनेक राजनीतक दलों द्वारा उनका बहिष्कार किए जाने के बावजूद उन्होंने चुनाव करवाने का निर्णय लिया। उनके द्वारा यह सबसे उत्तम निर्णय लिया गया था। मैं कश्मीर के लोगों तथा इसके साथ ही वहां के प्रशासनिक तंत्र और वहां की सेना के लोगों की भी प्रंशसा करूंगा जिन्होंने मतदान केन्द्रों पर इतनी भारी संख्या में मतदान करवाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखा। मैं नहीं समझता कि कोई भी समझदार व्यक्ति इन चुनावों को ढोंग का नाम दे सकता है या फिर ऐसा कह सकता है कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं थे।

महोदय, मैं इस सभा के माध्यम से पूरे विश्व को यह बताना चाहता हूं कि विघटनकारी शक्तियों द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि इन चुनावों में हेरा-फेरी की गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है।

महोदय, बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र में 46.43 प्रतिशत मतदान हुआ था। श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 41 प्रतिशत मतदान हुआ था। जम्मू संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में 48 प्रतिशत मतदान हुआ था। लद्दाख संसदीय निर्वादन क्षेत्र में 83.26 प्रतिशत मतदान हुआ था अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में 51.14 प्रतिशत मतदान हुआ था।

ऊधमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 53 प्रतिशत मतदाताओं ने मत डाले। समूचे विश्व के लिए यह एक संकेत है कि लोग अपनी सरकार चाहते हैं। हमें इन सारी बातों का विश्लेषण खुले मन से करना चाहिए।

मैं एक बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल जिनका मैं बहुत ही सम्मान करता हूं- से पूछना चाहूंगा कि गुजरात में क्या हुआ। गुजरात में, विगत संसदीय चुनावों में मुश्किल से 39 प्रतिशत मत पड़े थे। लेकिन यहां एक ऐसा मामला है जहां किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, मतदान 42 अथवा 45 प्रतिशत से कम नहीं हुआ। यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि लोग अपनी स्वयं की सरकार चाहते हैं। अतः हम चाहते हैं कि राज्य विधान सभा के चुनाव यथासंभव शीघ्र हो जाने चाहिए। मेरी रूचि इस बात में नहीं है कि कौन जीतने जा रहा है, कौन पार्टी चुनाव में भाग लेने जा रही है और किस प्रकार की गठजोड़ वहां पर होंगे। इस मुद्दे पर मैं अपनी बात बहुत स्पष्ट तौर पर कहूंगा। चाहे आप जीत रहे हों अथवा कांग्रेस जीतने जा रही हो या फिर जनता दल जीतने जा रहा हो, इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा संबंध तो सिर्फ इस बात से है कि वहां चुनाव अवश्य होने चाहिए और सत्ता लोगों के हाथ में जानी चाहिए। उसके बाद स्वायत्तता के प्रश्न पर चर्चा निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ की जा सकती है। वही ठीक और सही तरीका है। इस समय केन्द्र सरकार को किसके साथ बातचीत करनी चाहिए? मैं अलग अलग राजनैतिक दलों के हितों को देखते हुए काम नहीं कर सकता। केन्द्र सरकार स्वायत्तता किस सीमा तक दी जाए तथा कुछ अन्य सम्बद्ध मुद्दों के बारे में उन लोगों के साथ बातचीत करेगी जिन्हें लोगों का जनादेश मिलेगा। आपको पता है कि मेरे साथ की गई चर्चा के दौरान उन्होंने कैसा महसूस किया। आपकी पार्टी के नेता स्वयं वहां थे। जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने अनेक बातें मुझे बतानी शुरू की अर्थात् विकास तथा इसी तरह की अन्य चीजों के स्तर पर उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। मैं आपको बताता हूं कि आज उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उन आम लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो अपनी रोजी रोटी पर्यटन के जरिए कमाते थे। आज आम आदमी बेरोजगार है। उनके पास कोई रोजगार नहीं है। उनका जीवन यापन बहुत ही कठिनाई से हो पा रहा है। उन्होंने ईमानदारी से इस बात का एहसास किया है कि उन्हें सामान्य जनजीवन चाहिए। वे पुराने कश्मीर को वापस जाना चाहते हैं। उनके लिए उसका अपना गर्व है। लोगों को इस प्रकार का वातावरण चाहिए। ऊधमपुर से जम्मू तक का रेल मार्ग, विद्युत परियोजनाएं और अन्य कई परियोजनाएं विभिन्न कारणों से ठप पड़ गई हैं।

महोदय, सरकार इस बात को भरपूर महत्व देने तथा यह सुनिश्चित करने को तैयार है कि लोग यह महसूस करें कि यह केन्द्र सरकार जहां तक कश्मीर का मामला है, उसके बारे में कोई भी भेदभाव नहीं करने जा रही। चाहे जो भी वित्तीय बाधाएं हों। मैं इस प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा हूं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैंने यह आश्वासन दे दिया है।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : इसके साथ साथ लद्दाख और लेह के बीच भी कोई भी भेदभावन नहीं होना चाहिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : बिल्कुल ठीक बात है, जम्मू और घाटी अथवा हिन्दू पण्डितों और मुस्लिमों के बीच भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वे एक परिवार की तरह रहे हैं। वे एक साथ कैसे रहते आए हैं यह देखकर और सुनकर मैं अचम्भित रह गया, मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि मैं कश्मीरी लोगों की संस्कृति के बारे में सब कुछ जानता हूं। आज मुसलमानों ने गोमांस का सेवन करना बंद कर दिया है। वे गाय को एक पवित्र पशु मानने लगे हैं। वही वहां की परम्परा है। हिन्दू लोग सुअर का मांस नहीं खाएंगे। उन्होंने यह बात मेरी उपस्थिति में कही है। मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हूं। मैं आपको बताता हूं कि यह संस्कृति कैसे विकसित हुई है। आप जानते हैं, इस संस्कृति, इस पुरानी संस्कृति और दोनों संप्रदायों के बीच इस बन्धन को हमने यानी कि हम राजनीतिज्ञों ने तोड़ा हैं। मैं अतीत में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने इस सम्मानीय सभा से केवल यह वायदा किया है कि मैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की हर कोशिश करूंगा। और यही चीज वे लोग चाहते हैं।

जहां तक चुनावी प्रक्रिया अर्थात् मतदाता सूची, इत्यादि में भूलचूक का संबंध है, मैंने राज्य पाल और मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों तथा साथ ही साथ समाचार पत्रों, इत्यादि के जरिए लोगों से अनुरोध करते हुए इस बात का समुचित प्रचार किया जाय कि वे लोग, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैंत्र इस अवसर का लाभ उठाएं तथा अपने अपने नामों को दर्ज करवा लें। मैंने राज्य पाल से दो अथवा तीन लाख और फार्मों को छपवाने तथा उन्हें विभिन्न राजनैतिक दलों को देने के लिए कहा है।

कुछेक उग्रवादी युवकों ने मुझसे संपर्क किया है। वे भी चुनाव में भाग लेने को तैयार हैं और उन्होंने अपनी कतिपय समस्याओं के बारे में बताया है। जब वे मुझसे मिले तो वहां पर राज्यपाल भी मौजूद थे अतः गुप्त बैठक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैंने राज्यपाल से अपने बगल में बैठने को कहा। मैंने उन युवकों से कहा कि आप पहले लोगों के पास जाइए, उनको अपनी निष्ठा का परिचय दीजिए और यदि जनता उन्हें वोट देती है तो उन्हें भी, जहां तक स्वायत्तता और अन्य मुद्दों का संबंध है, बातचीत के लिए बुलाया जाएगा।

हृदय परिवर्तन हुए हैं। पहले पड़ोसी देश द्वारा गुमराह किए गए कुछेक युवकों ने इसका एहसास किया है और वे समूचे जम्मू और कश्मीर राज्य में शांति स्थापित करने के लिए सहयोग करना चाहते हैं।

कतिपय क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों इत्यादि को लेकर कुछ त्रुटियां एवं भूल चूक हुए हैं। ये सभी बातें वहां पर हैं। मैं सितम्बर के पहले इन सारी चीजों को ठीक नहीं कर सकता। इसमें समय लगेगा और इसीलिए अभी हमें चुनाव को इसी रूप में होने देना चाहिए।

अब जब चुनाव होने जा रहे हैं तो बाद में इन सभी चीजों की जांच आगामी निर्वाचित सरकार द्वारा की जा सकती है। महोदय, जैसा कि मैं पहले वायदा कर चुका हूं, मैं चुनाव आयोग को पत्र लिखूंगा। तिथि का निर्धारण करना उनका काम है। भारत सरकार सभी आवश्यक इंतजाम करेगी। हम डोडा जिले अथवा अन्य किसी भी अशांत क्षेत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। हम अधिकतम सुरक्षा

प्रदान करेंगे और चाहेंगे कि आगामी चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाता अपने मतों का प्रयोग करें।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वहां से अपना घर द्वारा छोड़कर अन्यत्र गए लोग अपना मत डालें?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : यह मुद्दा दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में उठाया गया था जिसमें श्री वाजपेयी भी शामिल थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां मतदाताओं की संख्या लगभग 96,000 है। इस बार हुए, संसदीय चुनावों में गरीब 30,000 लोगों ने वोट डले थे। उस समय कुछ भ्रम की स्थिति थी जब यह बात सामने आई कि यह कौन सत्यापित करेगा कि वे कश्मीर छोड़कर आए हैं। हमने डाक द्वारा मत देने की व्यवस्था को भी सरल बना दिया है। किसी प्रकार की बाधा का कोई सवाल ही नहीं होगा। हमने व्यवस्था को सरल बना दिया है और जो कोई भी डाक द्वारा अपना मतदान करना चाहता है, उसे यह व्यवस्था दी जाएगी। उन लोगों को भी किसी किस्म की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : जब तक आप उन्हें कोई मौका नहीं देंगे वे अपना वोट किस प्रकार डालेंगे?, उदाहरणार्थ वे दिल्ली में बैठे हैं। वे अपना नाम शामिल करवाने के लिए फार्म भरने हेतु कश्मीर घाटी नहीं जा सकते हैं। आप को दो चीजें करनी होगी। आप उन्हें दिल्ली में वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए। वे फार्म भर सकते हैं और आप उनका सत्यापन कर सकते हैं। वह पहली चीज है। मतदान की डाक व्यवस्था से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आप उनके दिल्ली अथवा कलकत्ता अथवा चंडीगढ़ में या जहां कहीं भी वे हैं, वहां पर मतदान केन्द्र क्यों नहीं बनवाते हैं? उन्हें वहां जाकर मतदान करने दीजिए। 93,000 में से केवल 23,000 मतदाताओं ने अपने मत डाले।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मतदान केन्द्र कहां बनाए जाने हैं, कितने बनाए जाने हैं, इन्हें देश के बाहर या कश्मीर के बाहर बनाया जाना है, ये सब बातें चुनाव आयोग की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती हैं। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। आपकी बात पर भी पूरा गौर किया जाएगा। मैं बहस नहीं करने जा रहा। जहां तक कश्मीर के बाहर अथवा कश्मीर के भीतर मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करने का संबंध है, यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर छोड़ी गई है। मैं चुनाव आयोग के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता हूं। मैं केवल एक सुझाव भर दूंगा।

श्री सत्यपाल जैन : हम चुनाव में उनकी भागीदारी चाहते हैं और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने आपकी बात पर पूरा गौर किया है।

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा-पूर्व) : आप चुनाव का पहला दौर दिल्ली में, दूसरा दौर जम्मू में और डाक द्वारा मतदान का तीसरा दौर श्रीनगर में करवा सकते हैं। यदि इस तरह से चुनाव सम्पन्न हों तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी।

श्री सत्य पाल जैन : आप इसे भली भांति जानते हैं। आपने उस प्रणाली का प्रयोग किया है। आपने उग्रवादियों के साथ जो बातचीत की है, उसके बारे में भी कृपया सदन को विश्वास में लीजिए। आपने सदन के भीतर यह बात कही है कि आपने उग्रवादियों से बातचीत की है। उग्रवादियों के किस समूह ने आपसे बातचीत की है? वे बातचीत क्या थीं? आपने उग्रवादियों से बातचीत की है लेकिन आपने उग्रवादियों से प्रभावित परिवारों से बातचीत नहीं की है। प्रधान मंत्री द्वारा यह कथन कि उन्होंने उग्रवादियों से बातचीत की है, एक बहुत ही गंभीर मामला है। कृपया सदन को विश्वास में लीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं प्रत्येक परिवार से अलग अलग तो बात नहीं कर सकता।

श्री सत्य पाल जैन : लेकिन आपने उग्रवादियों से बातचीत की है। वे बातें क्या थीं? मुद्दे क्या थे?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : आपको कम से कम यह बात समझनी चाहिए कि नौ वर्ष के बाद एक प्रधान मंत्री ने वहां जाने का साहस किया है।

श्री सत्य पाल जैन : हम उसकी सराहना करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि शाम के 7.30 बज चुके हैं। इतना काफी है।

श्री सत्य पाल जैन : आप स्वायत्तता के बारे में बात कर रहे हैं स्वायत्तता से आपका क्या तात्पर्य है?

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : जो भी स्वायत्तता दी जाएगी, वह संविधान के ढांचे के भीतर होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि हमें इन ब्यौरों में जाने की कोई जरूरत है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं उस तरफ बैठे अपने मित्रों सहित इन महान सदन को केवल आश्वासन दे सकता हूं कि मैं वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा और यदि संभव हुआ तो सितम्बर माह में अथवा अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव करवाने के लिए कदम उठाऊंगाए। इस आश्वासन के साथ, मैं उन सबसे इस संकल्प को सर्वसम्मति से अपना समर्थन देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं राष्ट्रपति द्वारा संविधान की धारा 356 के अंतर्गत जारी की गई जम्मू और कश्मीर के संबंध में 18 जलाई, 1990 की उद्घोषणा को 18 जुलाई, 1996 से प्रभावी 6 माह की और अवधि के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा पेश किए गए संकल्प को सभा की स्वीकृति के लिए रखता हूं :-

प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई जम्मू और कश्मीर के संबंध मे 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा को 18 जुलाई, 1996 से

प्रभावी 6 माह की और अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 7.35 बजे

लोक सभा के महासचिव की नियुक्ति के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे एक घोषणा करनी है। माननीय सदस्यों को विदित होगा कि 1990 में प्रतिष्ठित संसदविदों की एक समिति ने सिफारिश की थी कि लोक सभा के महासचिव के पद पर मंत्रिमंडल सचिव के रैंक और दर्जे के किसी अधिकारी को आसीन किया जाये। पीठासीन अधिकारी ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली थी। यह सामान्य अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप भी है।

मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि मैंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वर्तमान सचिव, श्री एस. गोपालन को लोक सभा का महासचिव नियुक्त किया है। वह भारत सरकार के सेवारत सचिवों में वरिष्ठतम अधिकारी हैं। उन्होंने 36 वर्षों तक विभिन्न पदों पर विशिष्ट सेवा की है। मुझे श्री एस. गोपालन को आपकी सेवा का अवसर प्रदान करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

मैं अपनी ओर से तथा इस सभा की ओर से लोक सभा सचिवालय के अपर सचिव, श्री सुरेन्द्र मिश्र, जो 1 जनवरी, 1996 से महासचिव का कार्य-भार देख रहे हैं, द्वारा की गई सेवाओं के लिए उनकी अत्यधिक सराहना करता हूं। अब सभा 15 जुलाई, 1996 के पूर्वाह्न 11.00 बजे, तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 7.37 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 15 जुलाई, 1996/ 24 आषाढ़, 1918(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।